भारत में पुस्तकालयों
का
उद्भव और विकास



भारत मे पुस्तकालका

पुस्तकालय का उद्भव और विकास

[सिन्धु सभ्यता-काल से पञ्चवर्षीय योजनाकाल तक]

द्वारकाप्रसाद शास्त्री
पुस्तकालयाध्यक्ष
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

भूमिका
श्रीभगनानाम्य एम ए डिप एस- एस्सी पी ई एस
अध्यक्ष
राजकीय केन्द्रीय पुस्तकालय, उत्तरप्रदेश, प्रयाग



हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
वाराणसी–१

द्वितीय संस्करण ११००
अक्टूबर १९६१



मूल्य पाँच रुपये

मुद्रक
शिव प्रेस
प्रह्लाद घाट वाराणसी

प्रकाशक
हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
पी बक्स नं ७० ज्ञानवापी
वाराणसी-१

भूमिका

ज्ञान और विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र का विकास सदैव ही क्रमिक रहा है और पुस्तकालय-क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं है। अतः अन्य क्षेत्रों की भाँति पुस्तकालय-क्षेत्र के उद्भव और विकास का अनुसन्धान भी आवश्यक है। श्री शारदाप्रसादजी सक्सेना की यह पुस्तक-जिसकी भूमिका लिखने के लिए उन्होंने मुझे आमन्त्रित किया है—इस दिशा की ओर एक अनूठा और सराहनीय प्रयास है।

अभी तक पाश्चात्य लेखकों की यह धारणा रही है कि भारतीय पुस्तकालयों के विकास का कोई सुव्यवस्थित रूप नहीं रहा। उनकी यह धारणा इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीयों ने ईसवी सन् की सातवीं आठवीं शताब्दी में विदेशियों से लिपि-ज्ञान प्राप्त किया। किन्तु लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम अध्याय में ही भारतीय भाषाओं और लिपियों का विवेचन करते हुए भारतीय वाङ्मय के अन्तर्साक्ष्यों और कतिपय बहिर्साक्ष्यों से यह सिद्ध करने का सफल प्रयास किया है कि भारत में अति प्राचीनकाल से ही लिखने की परम्परा रही है और फलतः भारतीय पुस्तकालयों का विकास भी सुव्यवस्थित योजना का एक अङ्ग रहा है।

इस मान्यता के आधार पर लेखक ने सिन्धु सभ्यताकाल से ले कर आधुनिक काल तक के लम्बे युग को कतिपय अध्यायों में वैज्ञानिक रीति से विभक्त करके तत्कालीन पुस्तकालयों की परम्पराओं का सप्रमाण विवेचन किया है। यद्यपि राजनीतिक उलट-फेर तथा अन्य कारणों से प्राचीन काल के पुस्तकालयों के सम्बन्ध में आज पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है, फिर भी सम्पूर्ण पुस्तक में प्राप्त सामग्री का व्यवस्थापन विषय का सरल वर्णन आँकड़ों और तथ्यों का विधिवत् संग्रह और विभिन्न विचारधाराओं का सुन्दर समन्वय इस बात को प्रकट करता है कि लेखक ने बहुत लगन के साथ इस काम को किया है और यत्र-तत्र बिखरी हुई विविध सामग्री को सुचारु रूप से संगृहीत करके उन्हें यथास्थान व्यवस्थित किया है। वैदिककाल, बौद्धकाल मुस्लिम एवं ब्रिटिशकाल तथा स्वाधीनताकालीन पुस्तकालयों का एक शृङ्खलाबद्ध वर्णन पुस्तकालयाध्यक्षों एवं सामान्य पाठकों के लिए भी महत्त्वपूर्ण सूचना सामग्री एवं ज्ञानवृद्धि का साधन प्रदान करता है।

प्रस्तुत विषय के विवेचन की गम्भीरता और पूर्णता तो विशेषज्ञों के लिए भी पर्याप्त शोध की अपेक्षा रखती है। फिर भी शास्त्री जी ने अपरिमित सीमित साधनों के अन्तर्गत इस ओर जो प्रयास किया है वह अपने ढंग का सब प्रथम होने के कारण इस क्षेत्र के अन्य अनुसंधानकर्ताओं के लिए अवश्य ही पथ-प्रदर्शक होगा। अभी तक कुछ फुटकर लेखों को छोड़ कर भारतीय पुस्तकालयों के सुव्यवस्थित इतिहास का पुस्तक रूप में पूर्णतः अभाव रहा है। वर्तमान युग में पुस्तकालयों के मानव जीवन का अभिन्न अङ्ग हो जाने के कारण भी शास्त्रीजी की यह पुस्तक अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। अतः यदि इस पुस्तक का भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो सके तो पुस्तकालय-जगत् के लिए बहुत ही हितकर होगा। साथ ही इससे भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन के अनुरूप पुस्तकालय-विकास की योजना बनाने में भी सहायता मिल सकेगी।

राष्ट्रभाषा हिन्दी में लिखित इस पुस्तक द्वारा भारतीय पुस्तकालय-साहित्य के एक रिक्त स्थान की पूर्ति हुई है। अतः इस कृति के लिए श्री शास्त्री जी समस्त पुस्तकालय-जगत् की बधाई के पात्र हैं। मुझे आशा है कि भविष्य में भी इसी प्रकार उनकी अनूठी कृतियाँ प्राप्त होती रहेंगी।

—भगवानानन्द

राजकीय केन्द्रीय पुस्तकालय
इलाहाबाद
२१-१०-५७

अन्त में मैं उन समस्त मित्रों और संस्थाओं के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इस पुस्तक के लिए सामग्री जुटाने में अपना सहयोग प्रदान किया है। मेरे आदरणीय मित्र श्री भगवानदासजी अध्यक्ष सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी, उत्तर प्रदेश ने इस पुस्तक की भूमिका लिखने का कष्ट किया है। एतदर्थ मैं उनका विशेष रूप से आभारी हूँ। यदि इस पुस्तक द्वारा भारतीय पुस्तकालय-जगत् को कुछ भी लाभ हुआ तो मैं अपने परिश्रम को सफल समझूँगा और चेष्टा करूँगा कि इसका अगला संस्करण अपेक्षाकृत अधिक परिष्कृत रूप में उपस्थित किया जा सके।

दीपावली
२०१४

—द्वारकाप्रसाद शास्त्री

विषय-सूची

अध्याय | विषय | पृष्ठ

अध्याय १

भारतीय पुस्तकालयों की पृष्ठभूमि

पुस्तकालय की मान्यता

अब यह बात सार्वभौम रूप से स्वीकार कर ली गई है कि पुस्तकालय केवल शिक्षण-संस्थाओं के लिए ही आवश्यक सहायक नहीं हैं बल्कि सभी प्रकार के बौद्धिक सामाजिक और आर्थिक क्रियाकलाप के लिए भी जरूरी हैं। पुस्तकालयों और उनमें व्यवस्थित पुस्तकों की संख्या से किसी भी देश की प्रगति का अनुमान सरलतापूर्वक लगाया जा सकता है। पुस्तकालय की सबसे बड़ी कसौटी- उसके उपयोग करनेवालों की संख्या है जिनके लिए वह स्थापित किया गया हो। अतः अब राष्ट्रीय आयोजन में पुस्तकालय-आन्दोलन को धीरे-धीरे एक प्रभावकारी साधन के रूप में मान्यता मिल रही है। साथ ही यह अनुभव किया जाने लगा है कि पुस्तकालय की व्यवस्था एक आर्थिक व्यवस्था है, उसके अभाव में प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय की जाने वाली धनराशि व्यर्थ हो जायगी क्योंकि वह शिक्षा फिर निरक्षरता में बदल जायगी।

पृष्ठभूमि के आधार

भारत का क्षेत्रफल लगभग १२ ६६,९०० वर्गमील है। जन-संख्या के दृष्टिकोण से संसार में इसका दूसरा स्थान है। १९५१ की जन-गणना के अनुसार यहाँ की जन-संख्या ३५, ६८, ७९, ३९४ थी। यह संख्या बढ़ कर १९६१ में ४३.८६ करोड़ तक पहुँच चुकी है। यह विशाल जन-संख्या १४ प्रदेशों तथा ६ केन्द्र द्वारा शासित क्षेत्रों के ३०१८ नगरों और ५,५८,०८९ गाँवों में बसी हुई है। इनमें से १९५१ की जन-गणना के अनुसार केवल १६.६१ प्रतिशत लोग ही साक्षर हैं और साक्षरता के सुलभ साधन पुस्तकालयों की संख्या तो कुल ३२० ही है। फिर भी लिपि के आविष्कार से लेकर अब तक के इन पुस्तकालयों का भारत में क्रमशः विकास कैसे हुआ ? यह एक मनोरंजक एवं ओजपूर्ण कहानी है। स्वतन्त्र भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत पुस्तकालयों के विकास का जो प्रयास किया जा रहा

अध्याय १

भारतीय पुस्तकालयों की पृष्ठभूमि

पुस्तकालय की मान्यता

अब यह बात सार्वभौम रूप से स्वीकार कर ली गई है कि पुस्तकालय केवल
शिक्षण-संस्थाओं के लिए ही आवश्यक सहायक नहीं हैं बल्कि सभी प्रकार
के बौद्धिक सामाजिक और आर्थिक क्रियाकलाप के लिए भी जरूरी हैं। पुस्त-
कालयों और उनमें व्यवस्थित पुस्तकों की संख्या से किसी भी देश की प्रगति
का अनुमान सरलतापूर्वक लगाया जा सकता है। पुस्तकालय की सबसे बड़ी
कसौटी उसके उपयोग करनेवालों की संख्या है जिनके लिए वह स्थापित
किया गया हो। अतः अब राष्ट्रीय उत्थान में पुस्तकालय-आन्दोलन को धीरे-धीरे
एक प्रभावकारी साधन के रूप में मान्यता मिल रही है। साथ ही यह अनु-
भव किया जाने लगा है कि पुस्तकालय की व्यवस्था एक आर्थिक व्यवस्था है
उसके अभाव में प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय की जाने वाली धनराशि व्यर्थ हो
जायगी क्योंकि वह शिक्षा फिर निरक्षरता में बदल जायगी।

पृष्ठभूमि के आधार

भारत का क्षेत्रफल लगभग १२ ६६ ९०० वर्गमील है। जन-संख्या के
दृष्टिकोण से संसार में इसका दूसरा स्थान है। १९५१ की जन-गणना के
अनुसार यहाँ की जन-संख्या ३५, ६८, ७९, ३९४ थी। यह संख्या बढ़ कर
१९५६ में ३८ ९९ करोड़ तक पहुँच चुकी है। यह विशाल जन-संख्या १
प्रदेशों तथा ९ केन्द्र द्वारा शासित क्षेत्रों के ३०१८ नगरों और ५,५८,०८
गाँवों में बसी हुई है। इनमें से १९५१ की जन-गणना के अनुसार केवल
१६.६१ प्रतिशत लोग ही साक्षर हैं और साक्षरता के मुख्य साधन पुस्त-
कालयों की संख्या तो कुल १२ ०० ही है। फिर भी लिपि के आविष्कार से
लेकर अब तक के इन पुस्तकालयों का भारत में क्रमशः विकास कैसे हुआ?
यह एक मनोरंजक एवं ओजपूर्ण कहानी है। स्वतन्त्र भारत में पंचवर्षीय
योजनाओं के अन्तर्गत पुस्तकालयों के विकास का जो प्रयास किया जा रहा

है, यह भी पुस्तकालय के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन इस विषय को भलीभाँति समझने के लिए भारत की भाषाओं भारतीय लिपियों भारत में लिखने के प्रकार की प्राचीनता और भारतीय इतिहास की राजनीतिक उथल-पुथल को संक्षेप में जान लेना आवश्यक है, क्योंकि इन बातों का भारतीय पुस्तकालयों के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता रहा है। ये ही भारतीय पुस्तकालयों की पृष्ठभूमि है। भारतीय शिक्षा का तो पुस्तकालयों से घनिष्ट सम्बन्ध रहा ही है अतः उसका वर्णन पुस्तकालयों की बदलती हुई स्थिति के साथ-साथ ही करना उचित होगा। अब उपर्युक्त चार विषयों में से प्रत्येक की संक्षिप्त चर्चा की जायगी।

भारतीय भाषाएँ

भारतीय गणतन्त्र में अनेक जातियों और भाषा भाषाओं के लोग बसे हुए हैं। भारत के इस भाषा-समूह का विवेचन स्वर्गीय सर जार्ज ग्रियर्सन ने 'लिंग्विस्टिक सर्वे आफ इण्डिया' नामक ग्रन्थ के बीस खण्डों में किया है। इसमें उन्होंने भारत की भाषाओं की संख्या १७९ और उपभाषाओं की संख्या ५४४ दी है। इन १७९ भाषाओं में से १०६ भोट-चीन भाषा गोष्ठी के अन्तर्गत आती हैं जिनमें से कितनी ही तो छोटे-छोटे कबीलों या उपजातियों की भाषाएँ हैं। इनमें से कुछ भाषाएँ तो बहुत थोड़े से लोगों में प्रचलित हैं।

इनके अतिरिक्त २४ और भाषाएँ अन्य भाषा-गोष्ठियों के अन्तर्गत हैं जो नगण्य हैं। शेष जो भाषाएँ बचती हैं उनमें से निम्नलिखित १५ भाषाएँ ऐसी हैं जो भारत की प्रधान मुख्य या साहित्यिक भाषाएँ कही जा सकती हैं —

हिन्दी, उर्दू, बंगला उड़िया मराठी गुजराती सिन्धी, कश्मीरी, पंजाबी नेपाली आसामी तेलगु, कन्नड़ तामिल और मलयालम।

इनमें से एक से ग्यारह तक की भाषाएँ आर्य गोष्ठी की और शेष चार द्राविड़ गोष्ठी की हैं।

भारत में प्राचीन तथा मध्य युग में भाषाओं का इतना विभेद नहीं था। हजार बारह सौ या दो हजार वर्ष पहिले देश के एक बड़े हिस्से में सब एक ही भाषा चलती थी। उस समय इन सारी भाषाओं और उपभाषाओं के आदि रूप में चार, पाँच या छः प्रकार की प्राकृतें चलती थीं। वे एक दूसरे के इतना निकट थीं कि लोग परस्पर व्यवहार से ही उनको समझ लिया करते थे। धीरे धीरे उन्हीं प्राकृतों से इन भाषाओं का उद्गम और विकास हुआ। इसको इस प्रकार समझा जा सकता है —

भारतीय आर्य भाषाओं का विकास (डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी के मतानुसार)

- भारत ईरानी
  - भारतीय आर्य (प्राचीन वैदिक बोली)
    - उदीच्य
      - कैकेय या टक्क आदि
        - शौरसेनी से प्रभावित
          - पूर्वी पंजाबी
        - पश्चिमी पंजाबी या लहन्दी
      - ब्राचड अपभ्रंश
        - सिन्धी
    - उत्तर की पहाड़ी भाषायें जो मूलतः खश अथवा दर्द थीं किन्तु जो मध्य युग में राजपूताने की बोलियों से प्रभावित हुईं।
      - खस अपभ्रंश
        - पहाड़ी भाषाएँ
          - पूर्वी (खसकुरा या नेपाली)
          - मध्य (गढ़वाली, कुमाऊँनी)
          - पश्चिमी (चमेआली कुल्लुई आदि)
    - प्रतीच्य (दक्षिण-पश्चिम)
      - लाटी शौरसेनी आभीर तथा अवन्ती आदि किन्तु शौरसेनी से विशेष प्रभावित
        - नागर अपभ्रंश
          - राजस्थानी
            - मालवी तथा निमाड़ी
            - मेवाती गूजरी
            - जयपुरी हाड़ौती
            - पश्चिमी
              - मारवाड़ी
              - गुजराती
    - मध्यदेशीय
      - शौरसेनी
        - शौरसेनी अपभ्रंश
          - पश्चिमी हिन्दी
            - बुन्देली
            - कन्नौजी
            - ब्रज
            - कौरव
            - हिन्दुस्तानी या नागरी हिन्दी जिससे आधुनिक हिन्दी का निर्माण हुआ
    - प्राच्य
      - अर्धमागधी
        - अर्धमागधी अपभ्रंश
          - अवधी
          - बघेली
          - छत्तीसगढ़ी
      - मागधी
        - मागधी अपभ्रंश
          - पूर्वी मागधी
            - असमिया
            - बँगला
            - उड़िया
          - पश्चिमी मागधी
            - मैथिली
            - मगही
            - भोजपुरी
    - दाक्षिणात्य
      - महाराष्ट्री
        - महाराष्ट्री अपभ्रंश
          - मराठी तथा कोंकणी

जब देश में प्राकृतों का प्रचलन था उस समय जनता अपनी प्रान्तीय या स्थानीय बोलचाल की भाषा को लेकर अपना दैनिक काम चलाती थी। लेकिन उच्च स्तर के तथा शिक्षित लोग जिनके हाथों में देश के संचालन का भार था, हिन्दू राज्य में संस्कृत भाषा की सहायता से काम चलाते थे। इसी परम्परा के अनुसार मुसलमानी शासनकाल में फारसी की सहायता से तथा अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेजी भाषा की सहायता से कार्य होता रहा। अब स्वतन्त्र भारत में हिन्दी भाषा को इसके लिए चुना गया है।

ऊपर जिस संस्कृत भाषा का जिक्र किया गया है, वह आर्यों की भाषा थी। इसी भाषा में आर्यों के मुख्य और आदि ग्रन्थ 'वेद' आज भी पाये जाते हैं। इस संस्कृत भाषा के प्राचीन रूप को वैदिक संस्कृत और बाद के रूप को लौकिक संस्कृत कहते हैं। बाद का साहित्य जिसमें पुराण, रामायण आदि सम्मिलित हैं, इस लौकिक संस्कृत में लिखा गया।

इस प्रकार प्राचीन भारत के पुस्तकालयों में संस्कृत तथा प्राकृत आदि की पोथियों की प्रधानता रही। समय के परिवर्तन के साथ-साथ उनमें अन्य भाषाओं के ग्रन्थों को स्थान मिला और आज के भारतीय पुस्तकालयों में भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अनेक विदेशी भाषाओं की पुस्तकें बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती हैं।

भारतीय लिपियाँ

चूंकि पुस्तकालयों में लिखित ज्ञान-सामग्री का संग्रह होता है। इसलिए भारतीय पुस्तकालयों की परम्परा के सम्बन्ध में यहाँ की लिपियों का भी ज्ञान आवश्यक है। प्राचीन काल में भारत में ब्राह्मी (पाली वंशी) और खरोष्ठी नामक दो लिपियाँ प्रचलित थीं। इनमें से ब्राह्मी एक प्रकार से राष्ट्रीय लिपि थी। इसका प्रचार पश्चिमोत्तर प्रदेश को छोड़ कर समस्त भारतवर्ष में था। यह बाईं ओर से दाहिनी ओर को लिखी जाती थी। पश्चिमोत्तर प्रदेश में खरोष्ठी लिपि का प्रचार था और यह दाहिनी ओर से बाईं ओर को लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि का सम्बन्ध विदेशी सेमिटिक अरामाइक लिपि से है। लेकिन ब्राह्मी लिपि आर्यों का मौलिक आविष्कार था। यद्यपि आर्य सभ्यता बहुत पुरानी है फिर भी ई० पू० ३० के पहिले की आर्य भाषा में लिखा हुआ कोई भी लेख न तो अभी तक मिला है और न पढ़ा ही गया है। इसलिए मौर्ययुग की ब्राह्मी लिपि को ही आधुनिक भारतीय लिपियों की आदि लिपि मानना पड़ता है। मध्य तथा आधुनिक कालों की समस्त भारतीय लिपियाँ इस ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। इसको इस प्रकार समझा जा सकता है —

प्राचीन भारत की
ब्राह्मी लिपि

- कुषाण लिपि
  - गुप्त लिपि
    - मध्य एशिया
    - उत्तर पश्चिम भारत (शारदा)
      - (पूर्व प्रमाण)
        - शिम्बरी
      - काश्मीरी गुरमुखी
    - मध्यदेश और राजस्थान-गुर्जर (नागर)
      - देवनागरी गुजराती कैथी
    - पूर्व भारत (कुटिल)
      - बँगला आसामी मैथिली नेपाली उड़िया
    - यवद्वीप और बालिद्वीप आदि के अक्षर
- दक्षिण भारत की लिपि
  - पल्लव
    - ग्रन्थ
    - मलयालम
    - तामिल
    - तेलुगु
    - कनड़ी, ब्रह्म कम्बोज और स्याम के अक्षर

भारतीय प्राचीन पुस्तकालयों में भी ब्राह्मी लिपि में लिखे ग्रन्थ नहीं मिलते किन्तु शिलालेख आदि कुछ फुटकर नमूने प्राप्त हैं। पुस्तकालयों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न अन्य प्रसिद्ध लिपियों में लिखे एवं छपे ग्रन्थ पाये जाते हैं।

भारत में लिखने के प्रचार की प्राचीनता

भारत में लिखने की प्रथा अति प्राचीन काल से चली आ रही है। यहाँ प्रकृति की कृपा से भोज-पत्र और ताड़-पत्र प्राप्त थे। अतः उन पर लिखाई का काम होता था। लेकिन यहाँ की जलवायु ऐसी है कि भोज-पत्र ताड़-पत्र और कागज पर लिखे ग्रन्थ हजारों वर्ष तक नहीं ठहर सकते। फिर भी भोज-पत्र पर लिखा हुआ सबसे पुराना संस्कृत ग्रन्थ 'संयुक्तागम' नामक बौद्ध सूत्र है। वह डा० स्टाइन को खोतान प्रदेश के खड़लिक स्थान में मिला था। उसकी लिपि ई० सन् की चौथी शताब्दी की मानी जाती है। ताड़-पत्र पर सबसे पुराना ग्रन्थ तुरफान मध्य एशिया में अश्वघोष के तीन नाटकों का ब्राह्मी लिपि में लिखित त्रुटित अंश के रूप में मिला है। वह ई० सन् की दूसरी शताब्दी के आस-पास का लिखा माना जाता है। कागज पर लिखे चार संस्कृत के ग्रन्थ मध्य एशिया में यारकन्द नगर से ६० मील दक्षिण में 'कुगियर' स्थान से भी वेबर महोदय को प्राप्त हुए जिनका समय डा० हार्नली ने ई० सन् की पाँचवीं शताब्दी का अनुमान किया है। प्राचीन शिलालेख मौर्यवंशी राजा अशोक के समय ई० सन् की तीसरी शताब्दी के हैं जो पत्थर के विशाल स्तम्भों पर और चट्टानों पर प्रायः सारे भारत-वर्ष में पाये जाते हैं। अशोक से पूर्व के भी दो छोटे शिलालेख अजमेर जिले के बड़ली गाँव से तथा नेपाल की तराई के पिपरावा नामक स्थान के एक स्तूप के भीतर से पात्र पर मिले हैं। इनकी लिपि अशोककालीन लिपि से पुरानी है और सम्भवतः ई० पू० ४४१ की है। इन शिलालेखों से ऐसा मालूम होता है कि ई० सन् के पूर्व पाँचवीं शताब्दी में लिखने का प्रचार इस देश में साधारण बात थी।

इसके अतिरिक्त ई० पू० ३२६ में भारत पर आक्रमण करने वाले सिक-न्दर महान् के एक सेनापति निआर्कस ने भी लिखा है कि "यहाँ के लोग रुई (रुई के चिथड़ों) को कूट कर लिखने के लिए कागज बनाते हैं। मेगस्थनीज ने भी लिखा है कि 'यहाँ पर दस-दस स्टेडिआ (एक स्टेडिया = ६०६ फीट ९ इंच) के अन्तर पर पत्थर लगे हैं, जिनसे धर्मशालाओं का तथा दूरी का पता चलता है। नये वर्ष के दिन भावी फल (पंचांग) सुनाया जाता है। जन्म-पत्र बनाने के लिए जन्म समय लिखा जाता है और न्याय स्मृति के

अनुसार होता है। इन दोनों यूनानियों के वक्तव्य से स्पष्ट है कि ई० सन् की चौथी शताब्दी में यहाँ के लोग कागज बनाना जानते थे। पञ्चाङ्ग और जन्म-पत्र बनते थे और मीलों के सूचक पत्थर भी लगाते थे। ये बातें लेखन-कला की प्राचीनता को प्रकट करती हैं। बौद्ध ग्रंथों में लिखने की कला की प्रशंसा की गई है। जातक के ग्रंथों में खानगी तथा सरकारी पत्रों इश्तहार की तहरीरें पोत्थकों (पुस्तकों) कुटुम्बसम्बन्धी आवश्यकीय विषयों राजकीय आदेशों तथा धर्म के नियमों को सुवर्ण-पत्रों पर खुदवाए जाने का वर्णन मिलता है। महावग्ग (विनयपिटक का एक ग्रन्थ) में लेखा (लिखना) गणना (पढ़ना) और रूप (हिसाब) की पढ़ाई का जातकों में पाठशालाओं तथा विद्यार्थियों के लिखने के फलक (तख्ती) का और 'ललित विस्तर' ग्रंथ में बुद्ध का लिपिशाला में जा कर अध्यापक विश्वामित्र से चन्दन की पाटी पर सोने के वर्णक (कलम) से लिखना सीखने का वर्णन मिलता है।

इन उदाहरणों से ई० पू० की छठी शताब्दी के आस-पास की लेखन दशा का पता लगता है और सिद्ध होता है कि उस समय लिखने का रिवाज एक साधारण बात हो गई थी। स्त्रियाँ और बालक भी लिखना जानते थे और प्रारम्भिक पाठशालाओं की पढ़ाई ठीक ऐसी ही थी जैसी कि आज देहाती खानगी पाठशालाओं की है।

महाभारत स्मृति कौटिल्य के अर्थशास्त्र और वात्स्यायन के कामसूत्र आदि ग्रन्थों में भी लिखना और लिखित पुस्तकों का उल्लेख पाया जाता है। पाणिनि (ई० पू० ५००) ने अष्टाध्यायी में 'लिपि' (लिखना) लिपिकर शब्द स्वस्ति के चिह्न और ग्रन्थ का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कई ग्रन्थों और अपने पूर्ववर्ती लगभग १२ वैयाकरणों के नाम भी गिनाये हैं। पाणिनि से भी पूर्व यास्क ने अपने निरुक्त में अपने से पूर्ववर्ती निरुक्तकारों के नाम गिनाये हैं जिनसे पता चलता है कि यास्क और पाणिनि से बहुत पहले व्याकरण और निरुक्त के ग्रंथ लिखे गए थे जो आज प्राप्य नहीं हैं। छान्दोग्य उपनिषद और ऐतरेय आरण्यक में क्रमशः स्वरों और उनके प्रयत्नों का विवेचन मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में लिङ्गों के भेद एक वचन बहुवचन आदि पाये जाते हैं।

उपर्युक्त प्रमाणों से, उपनिषद् आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथों से पूर्व व्याकरण ग्रंथों के होने का पता लगता है। यदि उस समय तक लिखने का प्रचार न होता तो उसके व्याकरण और पारिभाषिक शब्दों की चर्चा कैसे

(१) ४००० ई० पूर्व से २००० ई० पूर्व तक

इस काल का क्रमबद्ध इतिहास बहुत ही विवादग्रस्त है। भारत के आदि निवासी कौन थे? आर्य यदि बाहर से आये तो उनके पहले यहाँ किस जाति के लोग रहा करते थे? क्या वे भी बाहर से आए थे अथवा यहीं के मूल निवासी थे? आदि बातों पर अभी तक विद्वानों में एक मत नहीं हो पाया है। फिर भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से जो सामग्री प्राप्त हुई है, उससे यह सिद्ध होता है कि आज से चार हजार वर्ष पहले सिन्धु घाटी में एक उच्चकोटि की सभ्यता का विकास हो चुका था। इस काल की दूसरी महत्वपूर्ण घटना आर्यों का भारत में बाहर से आगमन है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि आर्य लोग ३००० ई० पू० से २५०० ई० पू० भारत में आए। उनकी अपनी उच्चकोटि की सभ्यता एवं संस्कृति थी।

(२) २००० ई० पू० से ६०० ई० पू० तक

इस काल में आर्यों ने २००० ई० पू० से १५०० ई० पूर्व तक पूर्व और दक्षिण में अपने उपनिवेश बनाए। धार्मिक ग्रंथों की रचना की। अपने अनेक छोटे-छोटे राज्य स्थापित किए। इस प्रकार इस काल में आर्य सभ्यता का उत्तरोत्तर विकास होता रहा।

(३) ६०० ई० पूर्व से १०० ई० तक

इस काल में भारत का अधिकांश भाग आर्य सभ्यता से प्रभावित हो चुका था। सम्पूर्ण भारत अनेक जनपदों में बँट गया था। पाँचवीं शताब्दी पूर्व से लोगों में आधिपत्य की भावना और पकड़ने लगी थी और संघर्ष शुरू हो चुके थे। इसके फलस्वरूप मगध व विकुनाप संघ की स्थापना हुई। साम्राज्यवादी नीति को अपना कर उसने अंग और लिच्छवि जैसे गणतंत्रों पर विजय प्राप्त की। धीरे-धीरे ई० पू० चौथी शताब्दी तक पंजाब और सिंधु को छोड़कर पूरा भारतवर्ष मगध राज्य के घेरे में आ गया था। इसी काल में ३२७ ई० पू० से ३२५ ई० पू० के बीच सिकन्दर महान् ने भारत पर चढ़ाई की। इसी बीच वैदिक धर्म के विरोध में धार्मिक क्रांतियाँ भी हुईं जिसके फलस्वरूप भारतीय समाज वैदिक, जैन एवं बौद्ध इन तीन धर्मों में बँट गया। ३२१ ई० पू० मगध का सिंहासन मौर्यों के हाथ आ गया। चन्द्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य को हिन्दुकुश तथा हिरात तक फैला दिया। २७० ई० पू० से २३२ ई० पू० तक सम्राट् अशोक मगध के सिंहासन पर रहा। उसके राज्यकाल में लगभग सारा भारतवर्ष मगध साम्राज्य के

अधीन आ गया। कलिङ्ग के युद्ध में घोर नर-संहार से खिन्न हो कर उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। फिर तो बौद्ध धर्म के भाग्य जग गए। भारत के कोने-कोने में तथा पड़ोसी राष्ट्रों में भी बौद्धधर्म का प्रचार एवं प्रसार हो गया। बौद्धधर्म की अहिंसा और शान्तिप्रियता की नीति का देश की राजनीति पर बुरा प्रभाव पड़ा। सम्राट् अशोक की सैनिक शक्ति का ह्रास होने पर देश के ऊपर विदेशी हमलों का तांता सा बँध गया। यूनानी शक कुषाण और हूण आदि विदेशी जातियों ने पश्चिमोत्तर की ओर से भारत पर भीषण आक्रमण किए। इस प्रकार २०० ई० पू० से ईसा की तीसरी शताब्दी तक राजनीतिक स्थिति बहुत ही डावाँडोल रही। धीरे-धीरे ३२० ई० में मगध में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ जिसने फिर एक बार देश में एक सुदृढ़ राज्य स्थापित कर लिया। इतिहासकार इस 'गुप्तकाल' को भारत का 'स्वर्ण युग' कहते हैं।

(४) ३०० ई० पू० से इस्लामी विजय तक

गुप्तवंश का साम्राज्य दो शताब्दियों तक भारत में जमा रहा। इस काल में वैदिक सभ्यता और संस्कृति का एक बार फिर उत्थान हुआ। लेकिन हूणों के आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य को जर्जर कर दिया और सम्पूर्ण देश छोटे छोटे राज्यों में बँट गया। यशोधर्मन, शशांक तथा हर्षवर्धन आदि राजाओं ने भारत में पुनः एक साम्राज्य स्थापित करने की चेष्टाएँ कीं किन्तु सफलता न मिल सकी। दक्षिण में चालुक्यों और उनके पश्चात् राष्ट्रकूटों का जोर रहा। बंगाल में पालवंश और राजस्थान तथा कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार वंश के लोगों का जोर जमा रहा। आपसी संघर्ष में इन लोगों की भी शक्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार देश छोटे-छोटे राज्यों में बँट गया। फिर तो संगठित हो कर शत्रु से मोर्चा लेने की शक्ति देश में न रह गई।

सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का समय भारतीय इतिहास में 'राजपूत काल' कहलाता है। महमूद गजनवी के हमले से १५० वर्ष बाद तक भारत पर विदेशी हमले नहीं हुए किन्तु इस बीच भी राजपूत लोग संगठित होने के बजाय आपस में लड़ते रहे और इस प्रकार उनकी शक्ति का ह्रास हो गया। बारहवीं शताब्दी के अन्त में उत्तरी भारत में दो प्रसिद्ध राज्य थे—कन्नौज में गहरवार वंश का और दिल्ली अजमेर में चौहान वंश का। ११९२ में मुहम्मद गोरी ने हमला करके इनको भी नष्ट कर दिया। इस प्रकार भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हुआ।

दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। सन् ९७३ से ११९१ ई० तक ही उनका जोर रहा। इसके बाद उनका साम्राज्य देवगिरि के यादवों और द्वारसमुद्र के होयसलों में बँट गया। सुदूर दक्षिण में पल्लव शक्ति का जोर नवीं शताब्दी तक बना रहा। इसके बाद उनका स्थान चोल शक्ति ने ले लिया जिसका प्रभुत्व तेरहवीं शताब्दी तक बना रहा।

(५) इस्लामी राज्य

मुहम्मद गोरी ने ११९२ ई० में उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त की थी। उसके एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में 'गुलाम वंश' की नींव डाली। सन् ११९२ से १५२५ ई० तक दिल्ली पर गुलाम वंश खिलजी वंश तुगलक वंश सैयद वंश तथा लोदी वंश का राज्य क्रमशः चलता रहा। सन् १५२६ में बाबर ने भारत पर हमला करके विजय प्राप्त की और मुगल राज्य की स्थापना की। २०० वर्षों तक भारत पर मुगलों का शासन बना रहा। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य विघटित होने लगा और छोटे-छोटे राज्य स्थापित होने लगे।

इस इस्लामी शासन काल में भी कुछ हिन्दू राज्य अपना अस्तित्व बनाए रहे। दक्षिण में विजयनगर का साम्राज्य १३५० से १५६५ तक चलता रहा। अकबर के शासन काल में मेवाड़ का राज्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रहा और महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। मुगल साम्राज्य के आखिरी दिनों में दक्षिण में मराठों राजस्थान में राजपूतों और पंजाब में सिक्खों ने अपने-अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। मराठों ने तो अठारहवीं शताब्दी के अंत प्रायः सम्पूर्ण भारतवर्ष में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था।

(६) अंग्रेजी काल

यद्यपि सोलहवीं शताब्दी से ही भारत में यूरोपीय जातियों का आना प्रारंभ हुआ फिर भी वे व्यापार ही करती रहीं। इनमें क्रम पुर्तगाली डेनिश फ्रांसीसी तथा अंग्रेज थे। धीरे-धीरे इन जातियों ने भारत की गिरती हुई राजनीतिक स्थिति से अनुचित लाभ उठाना चाहा और वे अपने राज्य स्थापित करने के लिए इधर उधर हाथ-पैर भी मारने लगीं। उनके इन आपसी संघर्ष में अंग्रेजों की जीत हुई। उनकी शक्ति दिनों दिन बढ़ने लगी। उन्होंने १८१८ ई० में मराठा शक्ति को पराजित कर दिया और १८४९ ई० में सिक्खों का राज्य भी छीन लिया। इस प्रकार उन्होंने जम कर भारत पर १५ अगस्त सन् १९४७ तक राज्य किया।

(७) स्वाधीन भारत

भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध धीरे-धीरे जनता में विद्रोह की भावना प्रबल होती गई। सन् १८५७ ई० में स्वातंत्र्य-आन्दोलन की पहली चिनगारी फूट पड़ी। अंग्रेजों ने इसे 'सिपाही विद्रोह' कह कर बड़ी निर्ममतापूर्वक दबा दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में सन् १८८५ में हुई। इसका उत्तरोत्तर विकास होता गया। अंत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में १५ अगस्त १९४७ ई० को भारत को अंग्रेजों के फौलादी पंजे से मुक्ति मिली किन्तु देश हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दो भागों में बँट गया। भारत में प्रजातांत्रिक प्रणाली से कांग्रेस दल की सरकार स्थापित हुई। इसने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना में देश के अनेक क्षेत्रों में काफी विकास किया है। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही है। इन योजनाओं में पुस्तकालय के विकास की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है।



भारतीय पुस्तकालयों का काल-विभाजन

काल-विभाग

जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि भारत में आर्यों का आगमन ५००० ई० पू० और २५०० ई० पू० के बीच हुआ। उससे पूर्व यहाँ पर 'सिंधु सभ्यता' का अस्तित्व पाया जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस बात का स्पष्ट पता लगता है कि यहाँ पर आर्यों के आने से पहले भी एक सभ्य और सुसंस्कृत सभ्यता मौजूद थी यह बात दूसरी है कि उसका अधिक फैलाव न रहा हो। इस प्रकार आर्यों के आने से दो हजार वर्ष पूर्व की सिन्धु सभ्यता से ले कर अब तक के लगभग ६९५७ वर्षों को पुस्तकालय के उद्गम और विकास की दृष्टि से सात भागों में बाँटा जा सकता है —

१ प्राग्वैदिक काल ५००० ई० पू० से २५०० ई० पू० तक
२ वैदिक काल २५०० ई० पू० से ५०० ई० पू० तक
३ बौद्ध काल ५०० ई० पू० से १२०० ई० तक
४ मुस्लिम काल १२०० ई० से १७०० ई० तक
५ संधि काल १७०० ई० से १८११ ई० तक
६ ब्रिटिश काल १८११ ई० से १९४७ ई० तक
७ स्वाधीनता काल १९४७ से अब तक

आधार

सिंधु सभ्यता से ले कर वर्तमान काल तक को उपर्युक्त सात भागों में विभाजित किया गया है उसका आधार अनेक ऐतिहासिक घटनाएँ हैं। सिंधु-सभ्यता से वैदिक काल के बीच इतना लम्बा अन्तर है कि उसे एक अलग भाग मानना उचित है। वैदिक काल ग्रन्थ के निर्माण काल से ले कर भगवान् बुद्ध के जन्म काल के लगभग तक माना गया है। उनके बाद से नालन्दा पुस्तकालय के नष्ट होने तक बौद्ध काल और उसके पश्चात् मुगल-साम्राज्य की समाप्ति तक लगभग मोटे तौर पर मुस्लिम काल मान लिया गया है।

मुग़ल-शासन की समाप्ति से सन् १८११ ई० तक के काल को सन्धि-काल इसलिए कहा गया है कि इस बीच पुराने ढर्रे से चले आ रहे पुस्तकालयों को कुछ मजबूत सहारा नहीं मिल सका। इससे वे वैसे चले रहे और कुछ तो सदा के लिए नष्ट हो गए। सन् १८११ ई० से बृटिश काल का प्रारम्भ इसलिए माना गया है कि इसी सन् में पार्लियामेंट के आज्ञा-पत्र के अनुसार ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारतीयों की शिक्षा की जिम्मेदारी आंशिक रूप में अपने ऊपर ली और तदनुसार शिक्षा के साथ-साथ पुस्तकालयों का भी उत्तरोत्तर विकास होता गया। १९४७ ई में अंग्रेजी राज्य के समाप्त होने पर पुस्तकालय-विकास के लिए एक नये युग का प्रारम्भ हुआ। यह काल स्वाधीनता काल है जो १५ अगस्त १९४७ ई० से प्रारम्भ होता है। इस काल मे पुस्तकालयों की स्थापना और उनके विकास के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

प्रत्येक काल में पुस्तकालयों का विकास एक अजीब ढंग से होता रहा है। काल-विभाजन से यह बात न समझनी चाहिए कि एक काल में दी गई अवधि के बाद एक दम नए ढंग के पुस्तकालय होंगे। हर एक परवर्ती काल में पूर्ववर्ती काल के या कालों के ढंग के पुस्तकालय किसी न किसी रूप में रहे हैं। उदाहरणार्थ बौद्धकालीन पुस्तकालयों के युग में भी वैदिक कालीन पुस्तकालयों की परम्परा बनी रही। जो लोग बौद्ध केन्द्रों के पुस्तकालयों से लाभ उठाना नहीं चाहते थे वे वैदिककालीन ढंग से शिक्षा प्राप्त करते रहे और उस ढंग से व्यवस्थित पुस्तकालयों का लाभ उठाते रहे। इसी प्रकार मुस्लिम काल में यद्यपि पुस्तकालयों के रूप में कुछ परिवर्तन हुआ। फिर भी पुराने वैदिक और बौद्धकालीन पुस्तकालय यत्र-तत्र बने ही रहे। आज भी जब कि पुस्तकालयों का सार्वजनिक रूप से प्रसार होता जा रहा है फिर भी विभिन्न-भाषा-भाषियों के विभिन्न मतावलम्बियों के तथा विभिन्न रुचि के लोगों के अनेक स्वतंत्र पुस्तकालय विद्यमान हैं, यद्यपि समय की माँग के अनुसार उनमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आ ही गया है। इसलिए पुस्तकालय के उद्भव और विकास की परम्परा जानने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि प्रत्येक काल का एक-दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध है और प्रत्येक काल के पुस्तकालयों पर उस काल की सभ्यता और संस्कृति का तथा राजनीतिक उथल-पुथल का गहरा प्रभाव पड़ा है।



प्राग्वैदिककालीन पुस्तकालय

सिन्धु सभ्यता

पाश्चात्य विद्वानों तथा कतिपय देशी विद्वानों का यह मत था कि वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता थी और इसका काल वे २००० ई० पूर्व से पहिले न मानते थे। परन्तु अंग्रेजी शासनकाल में तत्कालीन सरकार द्वारा सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में सिन्ध प्रान्त के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नामक दो स्थानों की खुदाई द्वारा जिस सुविकसित सभ्यता का पता लगा है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की सभ्यता बहुत प्राचीन है। आज से लगभग ५००० वर्ष पूर्व भी भारत एक उन्नत सभ्यता का केन्द्र था। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर जैसे विद्वान् तो इस सभ्यता को सुमेरीय सभ्यता की समकालीन मानते हैं। सिन्धु घाटी की इस सभ्यता को 'सिन्धु सभ्यता' कहा जाता है।

संक्षिप्त रूपरेखा

सिन्धु सभ्यता भारतीय इतिहास की आधार-शिला थी। वह वैदिक काल की भाँति ग्राम्य सभ्यता न थी बल्कि वह नगर-सभ्यता के रूप में थी। मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष इस बात को सिद्ध करते हैं कि यह नगर सुनिश्चित क्रम से बसा हुआ था। इसकी लम्बी चौड़ी सड़कें सुन्दर हवादार मकान स्नानागार, मजबूत नालियाँ कूड़ादान आदि की व्यवस्था अपने समय की अनोखी छाप छोड़ गई है। सिन्धु घाटी के निवासी कृषि कार्य जानते थे। यहाँ कला-कौशल तथा व्यापार की व्यवस्था उन्नत थी। इनका व्यापारिक सम्बन्ध दूर-दूर देशों से था। यहाँ की वास्तुकला में सौन्दर्य की अपेक्षा उपयोगिता की भावना अधिक थी। यहाँ के निवासियों को जीवन-सम्बन्धी सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध थी। बच्चों के खिलौने [illegible] बहुतायत देवी मूर्तियाँ आदि तौलने के बाट [illegible] मूर्तियाँ

सभी सामग्री के होने का प्रमाण मिलता है। उनके पास अस्त्रशस्त्र भी थे। वे कदाचित् तलवार का भी उपयोग करते थे। वे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे अपने शवों को जलाते तथा गाड़ते भी थे।

सर जान मार्शल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि— मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार और एक से एक सुन्दर भवन उनके भीतर गहरे कुएँ तथा जल-निर्गम की बहुश्रम-प्रणालियाँ—इस बात के ठोस प्रमाण हैं कि उस युग के साधारण नागरिक भी ऐसी सुख शान्ति ऐसा विलासमय जीवन बिताते थे जिसकी उपमा तत्कालीन सभ्य संसार के अन्य किसी भी देश में नहीं थी' "इन दोनों स्थानों में जो सभ्यता हमारे सामने आई है, वह कोई प्रारम्भिक सभ्यता नहीं है बल्कि ऐसी है कि जो उस समय तक युगों से प्राचीन हो चुकी थी भारत भूमि पर सुदृढ़ हो चुकी थी और उसके पीछे मनुष्य के हजारों वर्ष पूर्व का कारनामा है। इस प्रकार अब से यह मानना पड़ेगा कि भारतवर्ष उस समय के प्रमुख देशों में से एक है जहाँ सभ्यता का जन्म और विकास हो चुका था। श्री गार्डनचाइल्ड महोदय ने भी इसे वर्तमान भारतीय संस्कृति का आधार माना है।

सिन्धु सभ्यता की लिपि

। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के बीच कौन-सी लिपि और भाषा प्रचलित थी, यह प्रश्न अभी विवादग्रस्त है। जो मुद्राएँ मिली हैं, उन पर की लिपि अद्वितीय है। मध्य पश्चिमी देशों की किसी लिपि से इस लिपि का कोई सम्बन्ध नहीं है। संसार के अन्य देशों की भाँति इस लिपि को भी चित्र लिपि के अन्तगत माना गया है। हंटर महोदय के मतानुसार सिन्धु लिपि संकेतात्मक है और इसकी उत्पत्ति पदार्थ चित्रों तथा साधारण चित्र लिपि से हुई है। इस लिपि में लगभग चार सौ वर्ण हैं जिनके ठीक रूप का पता नहीं चलता। यह लिपि दाएँ से बाएँ को पढ़ी जाती थी।

श्रीराधाकुमुद मुकर्जी ने हिन्दू सभ्यता के पृष्ठ २१ पर इस प्रसंग में लिखा है —

सिन्धु उपत्यका के लोगों ने लिखने का भी आविष्कार किया था। वे एक प्रकार की लिपि काम में लाते थे जो उस काल की अन्य लिपियों (जैसे आरम्भिक एलम प्राचीन सुमेर क्रीट और मिस्र) के समान कुछ चित्रात्मक ढंग की है। इस लिपि में ३९६ चिह्न हैं। इनके लेख मुद्रा मानिकाओं में मुहरों पर, बर्तन के ठीकरों पर, ताँबे के छोटे टुकड़ों

पर और मिट्टी के बर्तनों पर पाये जाते हैं। कई चिह्नों से मिला कर शब्द बनाए गए हैं और अक्षरों में मात्राएँ भी लगी हुई जान पड़ती हैं। कई लकीरों से मिला कर जिनकी संख्या १२ तक पहुँचती है, चिह्न बनाए जाते हैं जो अंकों की अपेक्षा अक्षर जान पड़ते हैं। यह लिखावट दाएँ से बाएँ ओर चलती है। सम्भव है जहाँ समाप्त होती हुई पंक्ति को जारी रखने के लिए बाईं ओर से भी पंक्ति को आरम्भ किया गया है। लिपि-चिह्नों की यह संख्या बताती है कि सिन्धु की लिपि अक्षर पर आश्रित न हो कर ध्वन्यात्मक वर्णों पर आश्रित है।

पुस्तकालय

इस प्रकार सिन्धु सभ्यता के निवासियों की उनकी अपनी लिपि और भाषा थी। वे अपने विचारों को वृक्ष की छालों लकड़ी की तख्तियों, भोज पत्रों तथा ताड़-पत्रों पर प्रकट किया करते रहे होंगे। इस प्रकार की लिखित सामग्री को वे एकत्र करके रखते रहे होंगे जो कि आधुनिक पुस्तकालयों के आदि रूप थे। सिन्धु सभ्यता की सुसंस्कृत जनता की पहुँच पंजाब से लेकर सिन्धु और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी और उसके साथ ही ऐसे पुस्तकालय भी विद्यमान रहे होंगे। ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि सिन्धु सभ्यता के इस क्षेत्र का विनाश सिन्धु की भयङ्कर बाढ़ तथा बाहरी आक्रमणों द्वारा हुआ और उसके साथ ही भारत की आदि सभ्यता के वे पुस्तकालय भी सदा के लिए नष्ट हो गए।



अध्याय ४

वैदिककालीन पुस्तकालय

सिन्धु सभ्यता के नष्ट होने के बाद भारत को पुनः अपने उस गौरव तक पहुँचने में अनेक शताब्दियाँ बीत गईं। इतिहासज्ञों का मत है कि इस सभ्यता के अन्त के बाद लगभग १००० ई० पू० आर्य लोग भारत में आए। वे बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत थे। उनके पूर्वज आर्यों ने एक मौलिक ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किया था। उसका विकास होते-होते उसकी यह वर्णमाला बन गई थी जो आज की देवनागरी वर्णमाला का पूर्वरूप थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और वेद उनके धार्मिक ग्रन्थ थे।

शिक्षा

इस वैदिक काल को शिक्षा और साहित्य की दृष्टि से छः भागों में बाँटा जा सकता है—

१ ऋग्वेद काल
२ उत्तर वैदिक काल
३ ब्राह्मण काल
४ उपनिषद् काल
५ सूत्र काल
६ स्मृति काल

लेकिन पुस्तकालयों के उद्भव और विकास की दृष्टि से इस काल के अनेक उप-विभाजनों की आवश्यकता नहीं है।

वैदिक काल में नगरों के कोलाहलपूर्ण वातावरण से दूर गुरुकुल स्थापित किए जाते थे। वहाँ बालकों के पढ़ने-लिखने और चरित्र-निर्माण के लिए सभी सुविधाएँ होती थीं। विद्यार्थी विलासिता से दूर रह कर शिक्षा ग्रहण करते थे। बालक गुरु के परिवार का अङ्ग बन जाता था। वहाँ बालकों के शरीर, मन एवं आत्मा तीनों का प्रशिक्षण एवं विकास होता था। इस

काल में ऊँची से ऊँची शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि गुरु स्वयं चलते-फिरते पुस्तकालय हुआ करते थे। भोजपत्रों एवं ताड़-पत्रों पर ग्रन्थ लिखे जाते थे किन्तु शिष्यों को लिखे हुए ग्रन्थों को पढ़ने की सख्त मनाही (निषेध) थी। गुरु के मुख से शिष्य वेदों की ऋचाओं तथा अन्य ज्ञान को सुन लेते थे और उसको कण्ठस्थ कर लिया करते थे। इसका परिणाम यह होता था कि ग्रंथ बहुत ही कम संख्या में होते थे। ये ग्रंथ गुरुओं के पास ही उनके निजी पुस्तकालय के रूप में रहते थे। निजी पुस्तकालयों की यह परम्परा आज भी वैदिक ब्राह्मणों के घरों में पाई जाती है। उस काल में एक-एक गुरु के बहुत से शिष्य हुआ करते थे। शिक्षा-दीक्षा के साथ ही साथ वे गुरुओं को ग्रन्थों की प्रतिलिपि करने में भी सहायता किया करते थे। इनसे गुरुओं के ये पुस्तकालय नष्ट होने से बचे रहते थे।

वैदिक काल में ऋग्वेद काल से स्मृति काल तक राजतन्त्र चलता रहा। पुरोहितों सभाओं और समितियों के सहयोग से राजतन्त्र की प्रणाली चलती रही किन्तु स्मृति काल में राजतन्त्र ढीला पड़ गया। इसका प्रभाव वैदिक-कालीन पुस्तकालयों पर भी पड़ा। अनेक ऐसे ग्रंथ राजकीय पुस्तकालयों में रखने की आवश्यकता हुई जिनसे शासन के कार्य में सहायता मिल सकती थी। इस प्रकार के ग्रन्थों में स्मृति ग्रंथ प्रधान समझे गए। इस प्रकार स्मृति ग्रंथों से युक्त इस काल के राजकीय पुस्तकालय ही आजकल के केन्द्रीय प्रान्तीय सरकारों के प्रशासन एवं न्याय-विभाग के पुस्तकालयों के आदि रूप थे। चूंकि वैदिक काल में शिक्षा कोरी धार्मिक न थी बल्कि उस समय के पाठ्य-क्रम में परा (आध्यात्मिक) और अपरा (लौकिक) दोनों प्रकार की विद्याएं सम्मिलित थीं इसलिए उनसे सम्बन्धित ग्रन्थ भी गुरुओं के गुरुकुलों के पुस्तकालय में होते थे।

उपनिषद् काल में आने पर अनेक नए विषय हो गए और उनके ग्रंथ भी लिखे गए। छान्दोग्य उपनिषद् में पाठ्य-क्रम की एक निम्नलिखित तालिका मिलती है —

ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इतिहास और पुराण, व्याकरण, राशि (अङ्क शास्त्र), दैव, शकुन विद्या, निधि (भूगर्भ विद्या), वाकोवाक्य (तर्क शास्त्र) एकायन (आचार-शास्त्र), देव विद्या (भौतिकी), ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, प्राणिशास्त्र क्षत्र विद्या (सैन्य विज्ञान), नक्षत्र विद्या, ज्योतिष, सर्प विद्या, देवजन विद्या, शिल्प विज्ञान, संगीत शास्त्र एवं आयुर्वेद।

अतः स्पष्ट है कि उपनिषद्‌कालीन पुस्तकालयों में इन विषयों के ग्रन्थों का समावेश हो गया था।

स्मृति-काल में ऊपर लिखे गए विषयों के अतिरिक्त वेदों की विविध शाखाओं, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण ग्रंथ, दर्शन, धर्म शास्त्र, वैखानस सूत्र, नास्तिक दर्शन, वार्ता (अर्थ शास्त्र), आन्वीक्षिकी (तर्कशास्त्र) तथा दण्डनीति (राजनीति विज्ञान) का भी उल्लेख पाया जाता है। इससे प्रकट होता है कि इस काल में पाठ्य-क्रम में ये विषय पढ़ाये जाते थे और उनसे सम्बन्धित ग्रन्थ इस काल के पुस्तकालयों में आ गए थे।

ज्ञान पर एकाधिकार

प्रारम्भ में इस काल में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की शिक्षा एक समान थी परन्तु ज्यों-ज्यों जाति-व्यवस्था दृढ़ होती गई त्यों-त्यों तीनों वर्ण अनेक उपवर्गों में बँट गए और उनकी शिक्षा में भी अन्तर होता गया। धार्मिक ग्रंथों का पठन-पाठन ब्राह्मण वर्ग की विशेष सम्पत्ति-सी हो गई। अन्य वर्गों की शिक्षा-दीक्षा का भार भी उन्हीं पर था। इस प्रकार धीरे-धीरे ज्ञान पर उनका एकाधिकार हो गया। कर्मकाण्ड और यज्ञ की विधियों का जोर बढ़ता गया और अन्त में वैदिक धर्म में यज्ञों में हिंसा की प्रबलता और कर्म काण्ड के आडम्बर के कारण जनता की अनास्था-सी होने लगी। फिर भी वैदिककालीन पठन-पाठन प्रणाली चलती रही और उसके साथ ही साथ वैदिक ग्रंथों के पुस्तकालय भी बने रहे।

बौद्धकालीन पुस्तकालय

धार्मिक क्रान्ति

वैदिक धर्म की जाति-पाँति व्यवस्था, ज्ञान पर एकाधिकार और कर्मकाण्ड विधि में हिंसा के प्रोत्साहन के कारण छठीं शताब्दी ई० पू० भारत में धार्मिक क्रान्ति हुई। उसके फलस्वरूप वैदिक धर्म के विरोधी दो बड़े सुधारवादी धर्मों का उदय हुआ। उनके नाम थे—जैनधर्म और बौद्ध धर्म। इस धार्मिक क्रांति का बहुत व्यापक प्रभाव उस समय की शिक्षा-दीक्षा और पुस्तकालय पर पड़ा।

इन धर्मों ने भोगपूर्ण स्वर्ग के स्थान पर मोक्ष एवं निर्वाण को जीवन का लक्ष्य ठहराया। यज्ञों के स्थान पर तपस्या और सदाचार की प्रतिष्ठा की। पशुहिंसा का खुल्लमखुल्ला विरोध किया। ब्राह्मणों की जातिगत प्रधानता की निन्दा करते हुए कर्म और योग्यता का समर्थन किया। फल यह हुआ कि जनता ने तथा तत्कालीन राजाओं ने भी इस नवीन धर्म को अपनाया। इस प्रकार राजाश्रय पा कर इन दोनों धर्मों का प्रचार हुआ और तदनुसार पुस्तकालयों के रूप में भी परिवर्तन हुआ।

संघों की परम्परा

धर्म-संघर्ष के उस युग में सभी अपने-अपने मत का प्रचार करने तथा अन्य मतों का छिद्रान्वेषण करने पर कमर कसे हुए थे। जब लोग नए धर्म में दीक्षित होने लगे तो ग्रन्थों को लिपिबद्ध करने का काम भी तेजी से चल पड़ा। इन नवीन धर्मों के आचार्य लोग संघबद्ध होकर ग्रन्थों का पठन-पाठन और प्रचार करने लगे। इस प्रकार वे एक-दूसरे का मत जानने के लिए उस मत के ग्रन्थों का यत्नपूर्वक संग्रह करने लगे और अपने मत के ग्रन्थों में भी वृद्धि करने लगे। यही कारण है कि बौद्ध और जैन संघों में ग्रन्थ-संग्रह करने को महत् पुण्य का कार्य घोषित किया गया और संघों की प्रतिलिपि

कराना तथा ग्रंथों का दान देना भी एक महान् कार्य समझा जाने लगा। उसका परिणाम यह हुआ कि आज भी बौद्धों के मठों और जैन मन्दिरों और उपाश्रयों में बहुमूल्य हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह पाया जाता है।

जैन पुस्तकालय

जैन धर्म के मन्दिरों और उपाश्रयों में जैन साहित्य के पठन-पाठन की व्यवस्था हुई तो वहाँ ग्रन्थों का संग्रह होना प्रारम्भ हुआ। बम्बई प्रदेश में अहमदाबाद पाटन खम्भे सूरत पूना और नासिक आदि में हस्तलिखित ग्रन्थों के भण्डार आज भी हैं। गुजरात की राजधानी पाटन में बैनियों के ११ और अहमदाबाद में ६ उपाश्रय आज भी हैं जिनमें हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह पाया जाता है। पाटन के पोफलिया लोपाड़ो के उपाश्रय मे तीन हजार से अधिक ग्रंथ हैं और हेमचन्द्र भंडार में प्राय चार हजार हस्तलिखित ग्रंथ हैं। इन दो उपाश्रयों से १६ वीं शताब्दी मे लिखित ताड़-पत्र की पोथियाँ मिली हैं। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित जैन संस्थाओं म जैन सम्प्रदाय के ग्रंथ का संग्रह पाया जाता है —

अलक पन्नालाल दिगम्बर जैन संस्था।
सरस्वती भवन झालरापाटन।
अमृतलाल मगनलाल शाह जैन विद्याशाला, अहमदाबाद।
इम्मरकोर्ति पण्डिताचार्य, जैन मठार भुवनबेल गोला, मैसूर।
सेंट्रल जैन लाइब्रेरी, आरा।
दिगम्बर जैन भण्डार, दिल्ली।
दिगम्बर जैन लाइब्रेरी, रोहतक।
जैन मंदिर पिलावली, फिरोर, मैनपुरी।
वीर वाणी विलास जैन सिद्धान्त भवन, मूडबिद्री।
शान्तिनाथ जैन मंदिर, अलीगंज, एटा।
स्याद्वाद जैन महाविद्यालय, भदैनी बनारस।
राजाराम कालेज कोल्हापुर।

इनमें से केवल एक जैन केन्द्र के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का विवरण दिया जाता है जिससे प्राचीन जैन पुस्तकालयों की समृद्धि का परिचय मिल सकता है। भारतीय ज्ञानपीठ काशी की एक शाखा दक्षिण में मूडबिद्री में सन् १९४४ ई० में खोली गई। पं० के० भुजबली शास्त्री महोदय की अध्यक्षता में उस केन्द्र से पाँच ग्रंथ-भण्डारों की जाँच की गई तो उसमें से १३५ अप्रकाशित और १५१८ ताड़-पत्रीय हस्तलिखित ग्रंथ प्राप्त हुए। भारतीय विद्यापीठ

ने इन ग्रंथों की सूची 'कन्नड़ प्रान्तीय ताड़-पत्रीय ग्रंथ-सूची', के नाम से प्रकाशित की। इस ग्रंथ में जैनमठ कारकल के ताड़पत्र और कागज की प्रतियाँ मूडबिद्री जैन भवन के ताड़-पत्रीय ग्रंथ मूडबिद्री के अन्य ग्रंथ भण्डार, अलियूर आदिनाथ देवालयस्थ ताड़पत्रीय ग्रंथों की सूचियाँ शामिल हैं। कुल मिला कर ११५ अप्रकाशित ग्रंथों की प्रतिलिपियों और १५१८ ताड़पत्रीय और हस्तलिखित ग्रंथों की विवरण-सूची यह है और इसमें निम्नलिखित विषय के ग्रंथ हैं —

सिद्धान्त, अध्यात्म, धर्म, प्रतिष्ठा, आराधना, पूजापाठ, न्याय दर्शन, व्याकरण, कोश, काव्य, अलंकार नीति, सुभाषित, पुराण, चरित्र कथा, इतिहास, आयुर्वेद ज्योतिष, गणित, मंत्रशास्त्र, लोक विज्ञान, शिल्प शास्त्र, लक्षण तथा समीक्षा, क्रियाकाण्ड, स्तोत्र और भजन गीत आदि।

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि जैन-ग्रन्थों के संग्रह की यह परम्परा जैन-धर्म के उदय के साथ ही साथ शुरू हुई और उसका विकास होता रहा। आन्तरिक और बाह्य संघर्षों से बचते-बचते आज भी अनेक जैन पुस्तकालय इस परम्परा के प्रतीक बने हुए हैं। इन पुस्तकालयों के हस्तलिखित ग्रन्थों के उद्धार की ओर अब ध्यान दिया जाने लगा है जो कि एक शुभ लक्षण है।

बौद्धकालीन शिक्षा

बौद्धकालीन शिक्षा कोई सार्वजनिक शिक्षा-प्रणाली न थी। वह मुख्य रूप से विहारों एवं मठों तक सीमित रही। बौद्ध भिक्षु इन विहारों में रहते हुए धर्म प्रचार किया करते थे। वे नवीन भिक्षुओं को शिक्षा भी दिया करते थे। जाति पाँति का विचार किए बिना इस शिक्षा के द्वार सब के लिए खुले हुए थे। गृहस्थ उपासक और उपासिकाएँ, भिक्षु तथा भिक्षुणियों से शिक्षा ग्रहण करते थे। 'बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि' की प्रतिज्ञा लेने पर कोई भी व्यक्ति संघ में प्रविष्ट हो सकता था। इस प्रकार इस काल की शिक्षा गुरु केन्द्रित न रह कर संघबद्ध हो गई यद्यपि इस काल में भी गुरु-शिष्य सम्बन्ध वैदिक काल की भाँति ही चलता रहा। बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था में दो प्रकार के पाठ्य-क्रम थे—धार्मिक और लौकिक। धार्मिक शिक्षा में बौद्ध धर्म की पुस्तकें त्रिपिटक आदि होती थीं। लौकिक पाठ्य-क्रम में अनेक कला-कौशल धातुकर्म रथ हाँकना धनुर्वेद, मन्त्रविद्या चित्रकला संगीत और चिकित्सा शास्त्र आदि होते थे। शिक्षा का माध्यम लौकिक भाषा थी परन्तु विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम

संस्कृत भी थी। बौद्ध साहित्य और बौद्धिक पाठ्य-क्रम तो विशेष रूप से लोक-भाषा के माध्यम से पढ़ाए जाते थे। इस प्रकार बौद्धकालीन शिक्षा के केन्द्र धीरे-धीरे सुसंगठित हो गए। इन केन्द्रों में से तक्षशिला नालन्दा और वलभी आदि तो शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र हो गए। इन शिक्षा-केन्द्रों के साथ महत्त्वपूर्ण पुस्तकालय भी होते थे। इनका विवरण इस प्रकार है —

तक्षशिला का पुस्तकालय

तक्षशिला भारत के उत्तर-पश्चिम सीमा-प्रान्त पर एक बहुत ही प्रसिद्ध नगर था। आज भी यह 'टक्सिला' के नाम से मशहूर है। यह नगर गांधार राज्य की राजधानी थी। यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। पहले तो उसमें वैदिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी किन्तु समय के परिवर्तन के साथ ही यहाँ के पाठ्य क्रमों में भी परिवर्तन हो गया। इस विश्वविद्यालय के साथ ही एक अच्छा पुस्तकालय था। तक्षशिला के आचार्यों की योग्यता और उसके पुस्तकालय में संगृहीत बहुमूल्य ग्रन्थों की धूम बहुत दूर-दूर तक फैल चुकी थी।

अतः भारत के कोने-कोने से तथा विदेशों से भी छात्र पढ़ने के लिए आया करते थे। महान् वैयाकरण पाणिनि राजनीतिज्ञ चाणक्य भगवान् बुद्ध के व्यक्तिगत चिकित्सक जीवक सम्राट् चन्द्रगुप्त तथा पुष्यमित्र इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय के छात्र थे और उन्होंने इस पुस्तकालय की पोथियों से प्रचुर ज्ञान प्राप्त किया था। इस पुस्तकालय में वेद आयुर्वेद धनुर्वेद ज्योतिष तर्क शास्त्र व्याकरण चित्रकला वास्तुकला कृषि व्यापार और पशुपालन आदि विषयों के ग्रंथों का अच्छा संग्रह था क्योंकि तक्षशिला केन्द्र में ये विषय उस समय पाठ्य-क्रम में सम्मिलित थे। उत्तर-पश्चिम से होने वाले विदेशी आक्रमणों से यह पुस्तकालय अपने विश्वविद्यालय सहित सदा के लिए नष्ट हो गया।

नालन्दा का पुस्तकालय

ज्ञान के विकास की दृष्टि से बौद्ध काल को तीन भागों बाँटा जा सकता है। प्रथम भाग गौतम बुद्ध से ईसवी सन् के प्रारम्भ से पूर्व तक दूसरा भाग ईसवी सन् के प्रारम्भ से छठी शताब्दी तक और तीसरा भाग सातवीं शताब्दी से बौद्ध काल के पतन तक। इन तीनों कालों की अपनी अलग-अलग विशेषताएँ थीं। प्रथम काल में बौद्ध साधु त्यागी और सच्चरित्र हुआ करते थे। दूसरे काल में बौद्धों ने स्वधर्म पालन के साथ-साथ शिल्पकला में भी उन्नति की थी। तृतीय काल में बौद्ध सन्त महन्तों का चारित्रिक पतन प्रारम्भ हो गया था।

फिर भी उन्होंने आयुर्वेद और रसायन शास्त्र में पर्याप्त उन्नति की। इस काल को हम तान्त्रिक युग कह सकते हैं। इन तीनों कालों के अपने अलग-अलग विश्वविद्यालय तथा उनसे सम्बद्ध पुस्तकालय थे। प्रथम काल का विश्वविद्यालय तक्षशिला द्वितीय काल का नालन्दा और तृतीय काल का विक्रमशिला था। इन विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में संचित ज्ञान-राशि बड़ी आकर्षक थी। सुदूर देश से छात्र अनेक कष्टों को झेलते हुए यहाँ ज्ञानोपार्जन के लिए आया करते थे।

नालन्द से भारत के दो धर्मगुरु श्री महावीर एवं गौतम बुद्ध पूर्ण रूप से सम्बद्ध थे। ईसा से कम से कम ५०० वर्ष पूर्व से नालन्द का वर्णन ग्रन्थों में मिलता है। जैनों के 'सूत्र कृताङ्ग' तथा बौद्धों के 'निकाय' में एवं ताम्र-पत्रों तथा शिलालेखों में भी इसके विवरण मिलते हैं। ह्वेनसांग के मतानुसार तथागत अपनी वृद्धावस्था में इस स्थान पर वास करते हुए अनवरत दान करते रहे जिसके कारण इस स्थान का नाम नालन्द् (जिसका कभी दान का अन्त नहीं) पड़ा। इत्सिङ्ग के कथनानुसार नालन्द का पहला नाम नालानन्द था जो किसी व्यक्ति के नाम पर रखा गया था। या चूँकि यहाँ नल अर्थात् कमल के फूलों की अधिकता थी इसलिये इसका नाम नालन्द पड़ा। बाद में पास के बड़गाँव के नाम से यह स्थान भी पुकारा जाने लगा। डॉ० हीरानन्द शास्त्री (एपिग्राफिस्ट टु द गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया) के सत्प्रयत्नों के फलस्वरूप इस स्थान का पुनः नामकरण नालन्द हुआ। पण्डित हंससोम के 'पूर्वदेश चैत्यपरिपाटी' (वि० १५६५) और विजय सागर के 'समेत शिखर तीर्थमाला' (वि० १७००) नामक जैन ग्रन्थों में इसका उल्लेख इस प्रकार आया है —

'नालन्द पाडे चौद चौमास सुणी जे।
हीडो लोक प्रसिद्ध से बड़गाम कही जे।
मोठ प्रसाद तिहा अच्छे जिन बिम्ब नमीजे।"

'वयहरी नालन्दा पाडो
मुरारयो तस पुण्यपवाडो
वीर चौद रह्या चौमाऊ
हीडा बड़गाम निवास।
जिन देहर एकसो प्रतिमा
नवीन दिम्ही बोधमी गणिमा।"

है जो राजगृह के विस्तार का सूचक है नहीं तो सात मील की दूरी पर स्थित यह स्थान उसका एक भाग या मुहल्ला कैसे हो सकता है ? उपर्युक्त विचार से यह स्पष्ट हो जाता है कि ईसा की कई शताब्दियों पूर्व से नालन्द एक विख्यात नगर था और बाद में भी इसका गौरव कई शताब्दियों तक बना रहा। जैन और बौद्ध धर्म के महान् पुरुषों की चरण-रज से पवित्र यह स्थान अपने प्राकृतिक सौन्दर्य से युक्त था और जैन एवं बौद्ध धर्मों के इन्द्रभूति एवं सारिपुत्त नामक दो प्रमुख शिष्यों के चिर निवास ने इसके गौरव को और भी बढ़ा दिया। धीरे-धीरे यह शिक्षा का एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र बना।

स्थापना

इस पुस्तकालय की नींव शकादित्य ने ४२५ ई० में डाली। उसके बाद उसके पुत्र बुद्धगुप्त ने पहले संघाराम के दक्षिण में एक नया संघाराम बनवाया। तथागत गुप्त नामक राजा ने पूर्व की ओर और बज्र नामक राजा ने पश्चिम की ओर एक-एक संघाराम बनवाया। इसके बाद बालादित्य ने १० फुट ऊँचा एक संघाराम बनवाया और मन्दिर को पूरा कराया। तत्कालीन मध्यप्रदेश के राजा ने चारों ओर चहारदीवारी बनवाई। सुमात्रा और जावा के तत्कालीन राजा बालपुत्र देव ने भी एक मठ बनवाया और आर्थिक सहायता के लिए स्थायी रूप से ५ गाँव दिये। समय-समय पर जितने भी धनी-मानी राजा महाराजा सेठ साहूकार नालन्द आते थे इस विद्या-केन्द्र और पुस्तकालय के लिए आर्थिक सहायता दिया करते थे। इस प्रकार इसकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ हो गई। गुप्तकालीन राजाओं ने तो अतुल सम्पत्ति इस विश्वविद्यालय को दान दी और अपने शासन काल में वे ही इस शिक्षाकेन्द्र के तथा पुस्तकालय के संरक्षक रहे।

पुस्तकालय की रूपरेखा

नालन्द के इस विशाल पुस्तकालय का नाम 'धर्मगंज' था। रत्न और धर्म के ग्रन्थों का विशाल संग्रह होने के कारण व्यवस्था की सुविधा के लिए इसे तीन भागों में बाँट दिया गया। पहिले भाग को 'रत्नोदधि', दूसरे भाग को 'रत्न सागर' और तीसरे भाग को 'रत्नरंजक' कहते थे। इन विभागों में *संपुटीय ग्रंथ विषय-क्रम से पत्थर के फलकों पर आलमारियों में व्यवस्थित किए* जाते थे। इससे ग्रंथों के वर्गीकरण की किसी विषयानुसारिणी विशिष्ट वर्गीकरण पद्धति का अनुमान किया जा सकता है। इन ग्रंथों की सुरक्षा की

व्यवस्था सुन्दर थी। ग्रन्थ के आकार के बराबर पत्थर के फलक रहते थे। उपयोग के पश्चात् ग्रंथ को पत्थर के उसी फलक पर रख कर उसके ऊपर दूसरे पत्थर के फलक से दबा देते थे। ऐसा करने से ग्रन्थ सुरक्षित रहते थे। ये सभी ग्रन्थ बहुमूल्य वस्त्रों में बंधे रहते थे। यदि कोई ग्रन्थ अधिक उपयोग करने से या अन्य किसी कारण से जीर्ण-शीर्ण होने लगता तो तुरन्त उसकी प्रतिलिपि करा ली जाती थी। प्रत्येक आचार्य पर पुस्तकालय के एक विभाग का दायित्व था। वही उन ग्रन्थों के रक्षक थे। उनके अधीनस्थ शिष्य उन की देख-रेख में ग्रन्थों का उपयोग करते तथा प्रतिलिपि आदि करते थे। धर्म-पाल के शिष्य शीलभद्र उस पुस्तकालय के मुख्य ग्रन्थपाल थे। इस पुस्तका-लय की आभ्यन्तरिक छटा भी मनोहर थी। आजकल पुस्तकालय को भीतर बाहर से आकर्षक बनाने पर बल दिया जाता है। आश्चर्य है कि नालन्द के उस पुस्तकालय में इन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया गया था। इमारत के खम्भे और सुन्दर परदार मन की आकृति में बने हुए थे। इन पर जो यह दीवारें बनी थीं वे सूर्य के प्रकाश से झिलमिली-सुनहरी सतरंगों से रंगी हुई थीं। बल्लियों पर भी नक्काशी की गई थी। किवाड़ों के किनारे स्वच्छतापूर्वक रंगे हुए थे जो कि बड़े ही नयनाभिराम थे। छत के खपड़े पीढ़े की भाँति दमकते थे और उनमें क्षण-क्षण में रङ्ग बदला करते थे। वैदिक धर्म जैन धर्म बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं से सम्बद्ध सभी विषय व्याकरण आयुर्वेद दर्शन तर्कशास्त्र ज्योतिष और वास्तु कला आदि के ग्रन्थों की अनेक प्रतियों का सुलभ संग्रह यहाँ था।

इस विशाल पुस्तकालय का उपयोग भारतवर्ष के विद्वान् तो करते ही थे साथ ही विदेशों से भी विद्वान् इस पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए आया करते थे। चीनी यात्री फाहियान ह्वेनसांग इत्सिंग आदि ने चीन में ही नालन्द पुस्तकालय की प्रशंसा सुनी थी और स्वयं आकृष्ट हो कर वे यहाँ आये। फाहियान ने लिखा है कि नालन्द 'एक विशाल शिक्षाकेन्द्र था और यहाँ के पुस्तकालय में हजारों विद्यार्थी प्रतिलिपि करने का काम किया करते थे। फाहियान जब स्वदेश लौटा तो ५२० बण्डल हस्तलिखित ग्रन्थ जिनमें ६५७ विभिन्न विषयों की प्रतिलिपियाँ भी अपने साथ ले गया था। इत्सिङ्ग ने लिखा है कि 'प्रज्ञापारमिता ग्रन्थ की प्रतिलिपि करना पुण्य का कार्य समझा जाता था। जाते समय इत्सिंग भी अपने साथ ४०० ग्रन्थों की प्रतिलिपि करा के ले गया था। इन चीनी यात्रियों के अतिरिक्त अन्य आग-न्तुकों ने ह्यमन सुवाङ् चिङ् टाओशी और आयपमा नामक (कोरियन

प्रमुख थे जिन्होंने वर्षों नालन्दा में रहकर उसके इस पुस्तकालय में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की प्रतिलिपि की थी।

पुस्तकालय का विध्वंस

बौद्ध धर्म के ह्रासोन्मुख होने पर धीरे-धीरे जनता की श्रद्धा घट गई। इस प्रकार बौद्ध राजाओं के निर्बल होने पर हूणों के सरदार मिहिरकुल ने सबसे पहले नालन्दा के इस पुस्तकालय को क्षति पहुँचाई किन्तु राजा बालादित्य ने उसे ४७० ई० में पराजित किया और पुस्तकालय की जो हानि हुई थी उसकी भी उसने पूर्ति करा दी। लेकिन इसके बाद जो द्वितीय प्रहार हुआ उससे इसकी अपूरणीय क्षति हुई। वह आक्रमण था बख्तियार खिलजी का जो उसने धर्मान्ध होकर १२०५ ई० में किया था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण की खबर सुनते ही नालन्दा से शिक्षक छात्र और भिक्षु कुछ ग्रंथों को साथ लेकर पहाड़ों की ओर भाग खड़े हुए। जब बख्तियार खिलजी पुस्तकालय के द्वार पर पहुँचा तो सबसे पहले उसने वहाँ बचे-खुचे लोगों को तलवार के घाट उतार दिया। इसके बाद जब वह पुस्तकालय के भीतर गया तो उसकी व्यवस्था देख कर विभोर हो उठा। उसने उन ग्रन्थों के नाम और विवरण जानना चाहा किन्तु वहाँ उनके सम्बन्ध में बताने वाला कोई न मिला। अतः उसने नाराज होकर पुस्तकालय में आग लगवा दी। लौटते समय उसने अपना एक प्रतिनिधि छोड़ दिया था। ऐसा कहा जाता है कि वह बचे खुचे ग्रन्थों के पन्ने जला कर नहाने का पानी गरम करता और भोजन बनाता रहा। इस प्रकार शताब्दियों से संचित वह ज्ञान राशि सदा के लिए गायब हो गई।

इस घटना के कुछ वर्षों के बाद एक बार पुनः नालन्दा के जीर्णोद्धार का प्रयत्न मुदितभद्र नामक एक महात्मा ने किया। उसके बाद मगध के मन्त्री श्री कुकुटसिद्ध ने मन्दिर बनवाया और नालन्दा को पूर्ववत् गौरवपूर्ण बनाने की चेष्टा की किन्तु उसके भाग्य में ऐसा नहीं बदा था। बौद्ध भिक्षुओं और जैन साधुओं में कुछ कारणों से झगड़ा हो गया। कहा जाता है कि कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने जैन साधुओं के ऊपर मैला फेंक दिया था। अतः क्रुद्ध होकर जैन साधुओं ने कुछ दहकते कोयले इस पुस्तकालय पर फेंक दिये। फलतः 'रत्नोदधि' में संगृहीत ग्रन्थ जल कर राख हो गए। इस प्रकार नालन्दा के इस पुस्तकालय का अस्तित्व सदा के लिए जाता रहा।

विक्रमशिला का पुस्तकालय

मगध के प्रसिद्ध राजा धर्मपाल (देवपाल) ने एक पहाड़ी के ऊपर

विक्रमशिला के मठ को बनवाया था। इस स्थान पर छोटे-बड़े १०८ मठ थे। महापंडित राहुल सांकृत्यायन का कथन है कि यहाँ के सबसे बड़े विद्वान् 'दीपंकर श्री ज्ञान' ही थे। वे साधारण रूप से 'अतिश' के नाम से प्रसिद्ध थे। तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वे वहाँ गए थे। राजा ने २०० हस्तलिखित ग्रन्थों की प्रतिलिपि और अनुवाद की हुई पुस्तकें उन्हें भेंट की थीं। 'अतिश' महोदय का तिब्बत में ही देहावसान हुआ। बारहवीं सदी में लगभग १००० बौद्ध भिक्षु विद्यार्थी यहाँ रहा करते थे। इस महान् पुस्तकालय की प्रशंसा आक्रमणकारियों ने स्वयं की थी। इस पुस्तकालय का भी भव्य शिल्पकला से सुसज्जित था। इसका भी विध्वंस बख्तियार खिलजी के द्वारा ही हुआ।

वल्लभी का पुस्तकालय

वल्लभी (गुजरात) में एक बड़ा पुस्तकालय था जिसकी स्थापना राजकुमारी दद्दा ने की थी। यह राजा धारा सेन प्रथम की भतीजी की लड़की थी। राजा गुहसेन (५५९) इस पुस्तकालय का खर्च चलाते थे। दक्षिण भारत के शिलालेख संख्या १०४ ११७ १७१ और १९५ जिनकी तारीख १२११ ई० बताई जाती है, उनमें लिखा है कि यहाँ के शिक्षकों के वेतन और छात्रों के व्यय के लिए समुचित प्रबंध होता था। अन्तिम शिलालेख में यह पाया गया है कि शिमोगा जिले के सरस्वती भवन के लिए भी एक बड़ा चंदा दिया गया था। वल्लभी पश्चिम दिशा में होने के कारण भारत से व्यापारिक सम्बन्ध रखने वाले सभी देशों तक प्रसिद्ध था। इस कारण इस पुस्तकालय की प्रसिद्धि बहुत बढ़ी चढ़ी थी। इस पुस्तकालय में पाठ्य-ग्रन्थों के अतिरिक्त अनेक अन्य विषयों की भी पुस्तकें थीं।

ऊपर बौद्धकालीन कुछ प्रमुख पुस्तकालयों की संक्षिप्त चर्चा की गई। इस काल में कोई भी मठ एवं विहार ऐसा न था जहाँ पुस्तकालय न रहा हो। इसका कारण यह था कि बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्राप्त था। महाराज कनिष्क के समय में बौद्ध ग्रन्थों को विशेष रूप से संग्रह करने की परम्परा चली थी। स्वयं कनिष्क ने बौद्धों के धार्मिक तथा दार्शनिक मतों के अनेक भेदों को देख कर 'पार्श्व' की सहायता से सम्पूर्ण बौद्ध ग्रन्थों का एक प्रामाणिक संग्रह कराया और उसे ताम्रपत्रों पर लिखवा कर एक अलग स्तूप बनवा कर उसमें उन ग्रन्थों को सुरक्षित रखा दिया था तथा उसकी रक्षा के लिए पहरेदार नियुक्त करा दिया था। कनिष्क का राज्यकाल ईसा के बाद ७८ की शताब्दी या किसी किसी के मत से ई० १२५ है।

भारतीय ग्रंथ बाहर कैसे पहुँचे

बौद्धकालीन पुस्तकालयों का यह अध्याय समाप्त करने से पहले यह बात भी इसी सिलसिले में जाननी चाहिए कि भारतीय ग्रंथ बाहर कैसे पहुँचे ? यह इसलिए और भी आवश्यक है कि इसका विशेष सम्बन्ध बौद्ध धर्म से है । ऐतिहासिक खोज से पता चलता है कि चीन में बौद्धधर्म का प्रचार काम ईसा पूर्व कुछ शताब्दियों से ही हो चुका था । हान् वंश के सम्राट् मिंग और मिंगी ने सन् ६४ ई० में अपने कुछ पंडितों को बौद्ध दर्शन सम्बन्धी साहित्य की खोज के लिए भारत भेजा । लेकिन रास्ते में ही इन लोगों की भेंट कुछ भारतीय बौद्ध भिक्षुओं से हो गई । वे उन्हें लेकर लौट गए इन भारतीय भिक्षुओं के नाम काश्यप मार्तंड और धर्मरत्न या गोबरण थे । जब वे चीन पहुँचे तो राजा ने उनका सत्कार किया और उनके लिए लोयांग में श्वेताश्व (पाइ-मा स्स) नामक विहार बनवा दिया । कुछ दिनों बाद यह विहार बौद्ध संस्कृति का केन्द्र हो गया । वे भिक्षुगण अनेक बौद्ध ग्रंथ साथ ले गए थे । वहीं जा कर उन्होंने उनका अनुवाद किया । काश्यप मार्तंड ने चीनी भाषा में सबसे पहले जिस पोथी का अनुवाद किया वह आज भी शांति निकेतन के पुस्तकालय में सुरक्षित है ।

उत्तरी तातार के वई वंश की महारानी ने ५१८ ई में सुयन्-युन् और हुई-सेंग नामक पंडितों को ग्रंथों का संग्रह करने लिए उज्जयिनी और गांधार भेजा । वे वहाँ से लौटते समय १७ पोथियाँ स्वदेश ले गए । सम्राट् ताई-चि ने भी १५० भिक्षुओं को भारत भेजा और वे अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ साथ ले गए ।

बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ ही जापान में भी भारतीय ग्रंथ ले जाए गए । आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जब प्रो० मैक्समूलर संस्कृत के अध्यापक थे तो उन्होंने अपने जापानी शिष्यों (नांजियो और ताकाकुसू) के द्वारा 'सुखावतीव्यूह' नामक संस्कृत की पोथी जापान से मँगाई । यह पोथी चीनी भाषा में अनूदित थी और उसका उच्चारण जापानी लिपि में लिखा था । इसके बाद प्रो० मैक्समूलर ने जापान से अनेक महत्त्वपूर्ण पोथियों को मँगा कर उनकी प्रतिलिपि करवाई जो आज भी आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बोडलियन लाइब्रेरी में सुरक्षित है ।

काश्यप, धर्मरक्ष, धर्मपाल, बोधिरुचि और कुमारजीव आदि बौद्ध पण्डित बौद्धधर्म के प्रचार के लिए दुर्गम नदी-नालों गुफाओं और पर्वतों को पार करते हुए अनेक देशों में गए और अपने साथ ग्रंथों को ले गए वहीं

विक्रमशिला के मठ को बनवाया था। इस स्थान पर छोटे-बड़े १०८ मठ थे। महापंडित राहुल सांकृत्यायन का कथन है कि यहाँ के सबसे बड़े विद्वान् 'दीपंकर श्री ज्ञान' ही थे। वे साधारण रूप से 'अतिश' के नाम से प्रसिद्ध थे। तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वे वहाँ गए थे। राजा ने २०० हस्तलिखित ग्रन्थों की प्रतिलिपि और अनुवाद की हुई पुस्तकें उन्हें भेंट की थीं। 'अतिश' महोदय का तिब्बत में ही देहावसान हुआ। बारहवीं सदी में लगभग ३००० बौद्ध भिक्षु विद्यार्थी यहाँ रहा करते थे। इस महान् पुस्तकालय की प्रशंसा आक्रमणकारियों ने स्वयं की थी। इस पुस्तकालय का भी कक्ष विषयक्रम से सुसज्जित था। इसका भी विध्वंस बख्तियार खिल्जी के द्वारा ही हुआ।

वल्लभी का पुस्तकालय

वल्लभी (गुजरात) में एक बड़ा पुस्तकालय था जिसकी स्थापना राजकुमारी दुड्डा ने की थी। यह राजा धारा सेन प्रथम की मौसी की लड़की थी। राजा गुहसेन (५५९) इस पुस्तकालय का खर्च चलाते थे। दक्षिण भारत के शिलालेख संख्या ६०४ ६६७ ६७१ और ६०५ जिनकी तारीख १२११ ई० बताई जाती है, उनमें लिखा है कि यहाँ के शिक्षकों के वेतन और छात्रों के व्यय के लिए समुचित प्रबंध होता था। अन्तिम शिलालेख में यह पाया गया है कि शिलावली जिले के सरस्वती भवन के लिए भी एक बड़ा चंदा दिया गया था। वल्लभी पश्चिम दिशा में होने के कारण भारत से व्यापारिक सम्बन्ध रखने वाले सभी देशों तक प्रसिद्ध था। इस कारण इस पुस्तकालय की प्रसिद्धि बहुत बढ़ी चढ़ी थी। इस पुस्तकालय में धार्मिक-ग्रन्थों के अतिरिक्त अनेक अन्य विषयों की भी पुस्तकें थीं।

ऊपर बौद्धकालीन कुछ प्रमुख पुस्तकालयों की संक्षिप्त चर्चा की गई। इस काल में कोई भी मठ एवं विहार ऐसा न था जहाँ पुस्तकालय न रहा हो। इसका कारण यह था कि बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्राप्त था। महाराज कनिष्क के समय से बौद्ध ग्रन्थों को विशेष रूप से संग्रह करने की परम्परा चली थी। स्वयं कनिष्क ने बौद्धों के धार्मिक तथा दार्शनिक मतों के अनेक भेदों को देख कर 'पार्श्व' की सहायता से सम्पूर्ण बौद्ध ग्रन्थों का एक प्रामाणिक संग्रह कराया और उसे ताम्रपत्रों पर लिखवा कर एक अलग स्तूप बनवा कर उसमें उन ग्रन्थों को सुरक्षित रखा दिया था तथा उसकी रक्षा के लिए पहरेदार नियुक्त करा दिया था। कनिष्क का राज्यकाल ईसा के बाद ७८ वीं शताब्दी या किसी किसी के मत से ई० १२५ है।

भारतीय ग्रंथ बाहर कैसे पहुँचे

बौद्धकालीन पुस्तकालयों का यह अध्याय समाप्त करने से पहले यह बात भी इसी सिलसिले में जाननी जरूरी है कि भारतीय ग्रंथ बाहर कैसे पहुँचे? यह इसलिए और भी आवश्यक है कि इसका विशेष सम्बन्ध बौद्ध धर्म से है। ऐतिहासिक खोज से पता लगता है कि चीन में बौद्धधर्म का प्रचार काम ईसा पूर्व कुछ शताब्दियों से ही हो चुका था। हान् वंश के सम्राट् मिंग और मियी ने सन् ६४ ई॰ में अपने कुछ पंडितों को बौद्ध दर्शन सम्बन्धी साहित्य की खोज के लिए भारत भेजा। लेकिन रास्ते में ही उन लोगों की भेंट कुछ भारतीय बौद्ध भिक्षुओं से हो गई। वे उन्हें लेकर लौट गए। इन भारतीय भिक्षुओं के नाम काश्यप मातंग और धर्मरत्न या गोभरन थे। जब वे चीन पहुँचे तो राजा ने उनका सत्कार किया और उनके लिए लोयांग में श्वेताश्व (पाइ-मा-स्स) नामक विहार बनवा दिया। कुछ दिनों बाद यह विहार बौद्ध संस्कृति का केन्द्र हो गया। वे भिक्षुद्वय अनेक बौद्ध ग्रंथ साथ ले गए थे। वहाँ जा कर उन्होंने उनका अनुवाद किया। काश्यप मातंग ने चीनी भाषा में सबसे पहले जिस पोथी का अनुवाद किया वह आज भी शांति निकेतन के पुस्तकालय में सुरक्षित है।

उत्तरी तातार के वई वंश की महारानी ने ५१८ ई॰ में सुङ-युन् और हुई-सेंग नामक पंडितों को ग्रंथों का संग्रह करने लिए उद्यानिनो और गांधार भेजा। वे वहाँ से लौटते समय १७ पोथियाँ स्वदेश ले गए। सम्राट् ताई-त्सि ने भी १५० भिक्षुओं को भारत भेजा और वे अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ साथ ले गए।

बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ ही जापान में भी भारतीय ग्रंथ ले जाए गए। आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जब प्रो॰ मैक्समूलर संस्कृत के अध्यापक थे तो उन्होंने अपने जापानी शिष्यों (नाजिओ और ताकाकुसु) के द्वारा 'सुखावतीव्यूह' नामक संस्कृत की पोथी जापान से मँगाई। यह पोथी चीनी भाषा में अनूदित थी और उसका उच्चारण जापानी लिपि में किया था। उसके बाद प्रो॰ मैक्समूलर ने जापान से अनेक महत्त्वपूर्ण पोथियों को मंगा कर उनकी प्रतिलिपि कर ली जो आज भी आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बोडलियन लाइब्रेरी में सुरक्षित है।

काश्यप, धर्मरत्न, धर्मपाल, बोधिरुचि और कुमारजीव आदि बौद्ध पर्यटक बौद्धधर्म के प्रचार के लिए दुर्गम नदी-नालों गुफाओं और पर्वतों को पार करते हुए अनेक देशों में गए और अपने साथ ग्रंथों को ले गए वहाँ

उनका पर भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। तिब्बत में तो आज भी भोज-पत्र एवं ताड़-पत्र पर लिखित पोथियाँ पाँचवीं से दसवीं शताब्दी तक की पाई जाती हैं। महापंडित राहुल जी को अपनी तिब्बत यात्रा में धर्म दर्शन व्याकरण आदि की अनेक भारतीय पोथियाँ वहाँ मिलीं। राहुल जी ने कुम्-ब्रे-लिंग महाविहार में रखी हुई ताड़-पत्रीय पोथियों का भी पता लगाया। वहाँ उन्हें धर्मकीर्ति के 'वादन्याय' ग्रंथ पर नालन्दा के आचार्य शान्तिरक्षित द्वारा लिखी हुई एक महत्त्वपूर्ण टीका प्राप्त हुई। आचार्य धर्मकीर्ति का यह संस्कृत ग्रंथ आज केवल भूटिया भाषा में ही लिखा हुआ मिलता है।

बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ-साथ तो भारतीय ग्रंथ बाहर पहुँचे ही देश के व्यापारिक सम्बन्ध से भी व्यापारियों द्वारा यहाँ के ग्रंथ बाहर पहुँच गए। मुसलमान आदि आक्रमणकारियों द्वारा यहाँ के ग्रंथ बाहर पहुँचे। नादिरशाह ने दिल्ली का पूरा पुस्तकालय उठवा ले गया। मुकन्दर ने सिकन्दर से भगवद्गीता की पोथी भारत से अपने साथ लाने का आग्रह किया था। इसके अतिरिक्त अंग्रेज शासकों की सभ्य लूट और कूटनीति से अनेक दुर्लभ ग्रन्थ बाहर चले गए। इंडिया आफिस लाइब्रेरी ब्रिटिश म्युजियम आदि में भारतीय हस्तलिखित ग्रंथ काफी संख्या में पाए जाते हैं और उनमें से अनेक तो बहुत महत्त्वपूर्ण हैं और उनकी प्रतियाँ भारत में पाई ही नहीं जातीं। शिल्प शास्त्र जैसे असाधारण विषय पर लिखी 'सप्त चित्र लक्षण' नामक ग्रंथ की प्रति जर्मनी में पहुँची तो इकाफर नामक विद्वान् ने उसका अनुवाद किया और उसे देख कर लोगों को आश्चर्य हुआ कि भारत में हजारों वर्ष पूर्व शिल्पशास्त्र जैसे विषय पर भी ग्रन्थ लिखे जाते थे।

बौद्धकालीन पुस्तकालयों का अन्त

इस प्रकार कुछ साम्प्रदायिक विद्वेष शासकों की कूटनीति से तथा काल और उपेक्षा से भी प्राचीन भारतीय पोथियाँ नष्ट हो गईं। इनके उद्धार की ओर हमारा ध्यान तब गया जब कि बहुत कुछ नष्ट हो चुका था। इस ओर जो प्रयास हुए हैं, उनकी चर्चा यथास्थान की जायगी। बौद्धकालीन पुस्तकालयों के युग में वैदिक धर्म वालों की भी अपने पुराने ढंग से पठन-पाठन और ग्रन्थ-संग्रह की परम्परा बनी रही किन्तु उनके कोई विशेष पुस्तकालय इस काल में नहीं थे।

अध्याय ६

मुसलमानी शासनकालीन पुस्तकालय

मुसलमानी शिक्षा

भारत में सब से पहले गुलाम वंश से मुसलमानी राज्य स्थापित हुआ और मुगल वंश के अंतिम दिनों तक किसी तरह चलता रहा। इस पूरे मुस्लिम काल में शिक्षा की कोई सार्वजनिक प्रणाली न थी। इस काल में मकतबों और मदरसों में शिक्षा दी जाती रही। मकतब प्रायः मस्जिदों के साथ जुड़े रहते थे। इनमें मुल्ला या मौलवी कुरान की आयतें तथा कुछ प्रार्थनाएँ याद कराते थे। साथ ही थोड़ा पढ़ना-लिखना और गणित भी सिखाया जाता था। लिपि ज्ञान उच्चारण तथा व्याकरण पर विशेष जोर दिया जाता था। कुछ मकतबों में हदीस कविता एवं नीतिशास्त्र भी पढ़ाया जाता था। शासकों तथा धनी मानी व्यक्तियों के बच्चों की पढ़ाई उनके घर पर हुआ करती थी। शाहजादों के लिए जो पाठ्य-क्रम निश्चय किया जाता था उसमें अरबी फारसी सैनिक शिक्षा कानून न्याय शास्त्र कला तथा धर्म-ग्रन्थों का विशेष स्थान रहता था।

मकतबी पुस्तकालय

ये मकतब प्रायः राज्य तथा धनी मुसलमानों की आर्थिक सहायता से चलते थे। इन मकतबों में कुछ इनी गिनी हाथ की लिखी पोथियाँ होती थीं खास कर धार्मिक ग्रंथ। इन्हें हम 'मकतबी पुस्तकालय' कह सकते हैं। ये विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं थे।

मदरसे के पुस्तकालय

मुसलमानी काल में ऊँची शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। इनका प्रबंध समितियों और प्रतिष्ठित नागरिकों के हाथ में रहता था। राज्य की ओर से मदरसों को आर्थिक सहायता दी जाती थी। मदरसों में दो तरह के पाठ्य क्रम होते थे। एक धार्मिक और दूसरा लौकिक। धार्मिक पाठ्य-क्रम में

कुरान शरीफ तथा उससे सम्बन्धित विषय इस्लामी इतिहास तथा कानून शामिल थे। लौकिक पाठ्य-क्रम में अरबी फारसी व्याकरण गणित इतिहास भूगोल यूनानी चिकित्सा कृषि दर्शन कानून नीतिशास्त्र, धर्म तर्क शास्त्र ज्योतिष बहीखाता और अर्थशास्त्र आदि विषय शामिल होते थे। शिक्षा का माध्यम फारसी भाषा थी। अकबर के समय में मदरसों के पाठ्य-क्रम में विज्ञान गृह विज्ञान शासन पद्धति संगीत तथा शिल्पशास्त्र आदि विषयों को भी शामिल कर दिया गया था। इन मदरसों के साथ पुस्तकालय जुड़े रहते थे। जिनमें उपर्युक्त पाठ्य-क्रम के विषयों का संग्रह होता रहता था।

विशेष विषयों के पुस्तकालय

भारत में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के प्रमुख केन्द्र आगरा दिल्ली जौनपुर, बीदर, बीजापुर, गोलकुण्डा गुजरात मालवा इलाहाबाद रामपुर, लाहौर स्यालकोट पटना हैदराबाद अहमदाबाद तथा लखनऊ थे। इनमें जौनपुर सबसे अधिक प्रसिद्ध था। उसे शीराज-ए-हिन्द कहा जाता था। क्योंकि इब्राहीम शर्की और सिकन्दर लोदी के समय वहाँ सैकड़ों मदरसे थे। शेरशाह सूरी ने जौनपुर केन्द्र से ही शिक्षा प्राप्त की थी। इन केन्द्रों में से कुछ केन्द्र तो विशेष विषयों के लिए प्रसिद्ध हो गए। लाहौर तथा स्यालकोट गणित और ज्योतिष के लिए, रामपुर तर्क और चिकित्सा के लिए, दिल्ली इस्लामी परम्पराओं और कविता के लिए तथा लखनऊ शिक्षा के लिए। अतः इन केन्द्रों में इन विशेष विषय के ग्रन्थों का यत्नपूर्वक संग्रह किया जाता रहा और अच्छे पुस्तकालय पाये जाते थे।

नगरकोट का पुस्तकालय

फीरोज तुगलक विद्याप्रेमी शासक था। उसने शिक्षा को प्रोत्साहन दिया तो हिन्दू लोग भी उसके समय से अरबी-फारसी पढ़ने लगे और मुसलमान लोगों ने भी संस्कृत पढ़कर हिन्दू ग्रंथों का अनुवाद करना शुरू किया। उसने जब १४ वीं शताब्दी में नगरकोट पर चढ़ाई की और विजय प्राप्त की तो वहाँ उसे एक संस्कृत पुस्तकालय प्राप्त हुआ था। उसने मौलाना इज़्ज़ुद्दीन खालीद खानी को दर्शन भविष्य-विचार तथा शकुन-विचार विषयक एक संस्कृत ग्रन्थ का फारसी में अनुवाद करने का आदेश दिया। इस अनुवाद का नाम बाद में 'दलायल-ए-फिरोजशाही' रखा गया।

दक्षिण के स्वतन्त्र राज्यों ने भी शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर विद्यालय खोले। वहाँ भी ग्रन्थों का संग्रह होता रहा।

महमूद गवाँ का पुस्तकालय

अहमदनगर में बहमनी राज्य का मन्त्री महमूद गवाँ बहुत ही विद्या-व्यसनी था। उसके पास १००० पुस्तकों का एक उत्तम पुस्तकालय था। यह पुस्तकालय बीदर में उसके एक विद्यालय में था। अपने फुरसत के समय महमूद गवाँ विद्वानों की संगति में उसी पुस्तकालय में अपना समय बिताता था। वह गणित चिकित्सा तथा साहित्य में निष्णात था और उसमें काव्य-रचना की भी अद्भुत शक्ति थी। फरिश्ता का कथन है कि उसने 'रौजत उल-इंशा' तथा 'दीवान-ए-अश्र' नामक दो काव्य-ग्रंथों की रचना भी की थी। एक षड़यन्त्र के फलस्वरूप जब १४८१ ई० में महमूद गवाँ की हत्या कर दी गई तो धीरे-धीरे बहमनी राज्य के उच्च-महन्त भी विलासिता में डूब गए और राज्य की अवनति हो गई।

मुगलकालीन पुस्तकालय

यद्यपि मुगल काल में सार्वजनिक शिक्षा या अनिवार्य शिक्षा नाम की कोई वस्तु नहीं थी तथापि जिस वर्ग में इसका प्रचार था उस वर्ग में यह ऊँची दृष्टि से देखी जाती थी। साहित्य सृजन गौरव की बात समझी जाती थी। अतः पुस्तकालयों का भी विकास हुआ। सौभाग्यवश बाबर और हुमायूं ये दोनों प्रारम्भिक मुगल सम्राट् पुस्तकों के प्रेमी थे। सुन्दर पुस्तकों के संग्रह में हुमायूं को बहुत आनन्द मिलता था। उसकी मृत्यु भी अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर कर ही हुई थी। उसने शेरशाह के आमोद-गृह को पुस्तकालय के रूप बदल दिया था।

अकबर का पुस्तकालय

स्मिथ महोदय का कथन है कि 'अकबर ने असाधारण आर्थिक मूल्य वाली बहुत अच्छी पुस्तकों का संग्रह किया था। अकबर के पुस्तकालय में २५००० चुने हुए ग्रंथ थे। यह पुस्तकालय सुन्दर पाण्डुलिपियों से भरा हुआ था। उसका प्रबन्ध भी बहुत सुन्दर ढङ्ग से होता था। ये पुस्तकें कला और विज्ञान [illegible] वर्गों में विभक्त थीं। उस पुस्तकालय की उस समय और भी अधिक समृद्धि बढ़ गई जब कि फैजी की मृत्यु के बाद उसके निजी पुस्तकालय से चार हजार तीन सौ हस्तलिखित पुस्तकें लाई गईं। इन सब को तीन विभागों में पंजीकृत किया गया। ये विभाग इस प्रकार थे —

१ कविता आयुर्वेद फलित ज्योतिष और संगीत की पुस्तकें।
२ भाषाविज्ञान दर्शन सूफीमत और ज्यामिति की पुस्तकें।

थे व्याख्यान, दर्शन, परम्परागत कथायें, धर्मशास्त्र और कानून की पुस्तकें।

इस युग में प्रेस केवल जेसुइट लोगों के पास था, जो गीता और उनके प्रचार-कार्य करते हुए थे। इसीलिए तब तक हस्तलिखित ग्रन्थों का ही प्रचलन था। इसके लिए सुन्दर लिपिकों की आवश्यकता होती थी। अकबरी दरबार के प्रसिद्ध हस्तलिपि लेखकों की सूची आईन-ए-अकबरी में दी हुई है। मुहम्मद हुसैन उन सब में सबसे अधिक मशहूर था। उसे 'जरीने कलम' (सोने की कलम) की उपाधि दी गई थी। अबुलफ़ज़ल ने लिखने की आठ विभिन्न शैलियों का उल्लेख किया है। अकबर के समय में अनेक संस्कृत ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद भी किया गया। रामायण, महाभारत, अथर्ववेद, लीलावती, तारिक राजतरंगिणी, नल दमयन्ती, युसुफ जुलैखा, बाइबिल और कुरान आदि के अनुवाद भी अकबर ने करवाये थे। अनेक देशों के कवि, लेखक, संगीतज्ञ, चित्रकार एवं कलाविदों को अकबर के दरबार में आश्रय मिला हुआ था। वास्तव में साहित्य और कला की उन्नति के लिए यह एक अच्छा युग था।

जहाँगीर को भी पुस्तकों और चित्रकारी से प्रेम था। उसका आदेश था कि जो लावारिस सम्पत्ति राज्य में मिले उसे विद्यालयों और पुस्तकालयों के बनाने और बढ़ाने में लगाया जाय। शाहजहाँ का पुत्र दाराशिकोह तो संस्कृत का बहुत अच्छा विद्वान् था। उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। दारा के सम्बन्ध में तो यहाँ तक कहा जाता है कि वह केवल सुन्दर लिखता ही नहीं था बल्कि शाहजहाँ की हस्तलिपि की ठीक-ठीक नकल भी कर लेता था। औरङ्गज़ेब भी अपनी सुलेख के लिए प्रसिद्ध था और इसी लिए वह सुन्दर लिखने वालों का आदर करता था। उसने मुसलमानी शिक्षा को विशेष बढ़ावा दिया। उसके समय में राज्य के पुस्तकालय में धार्मिक ग्रन्थ बढ़ाए गए। मुगलकालीन पुस्तकालयों में संगृहीत पुस्तकों से प्रमाणित है कि उस समय हस्तलिखित पुस्तकों की सजावट में भी बहुत दिलचस्पी ली जाती थी। चारों ओर कलात्मक हाशिए छोड़ कर बीच में बिल्कुल समान रूप में मोती की तरह अक्षर पिरोये जाते थे। इन पुस्तकों की जिल्दसाजी भी काफी सुन्दर ढङ्ग से की जाती थी। पुस्तकें सुन्दर चित्रों से अलंकृत भी [illegible]।

उत्तरकालीन मुगल-सम्राटों में भी अधिकांश को पुस्तकों से प्रेम था। धीरे-धीरे मुगल साम्राज्य की अवनति हो गई। जब नादिरशाह ने हमला किया तो वह शाही पुस्तकालय को भी ईरान ले गया।

बीजापुर में आदिलशाह का 'आदिलशाही पुस्तकालय' एक राजकीय स्तकालय के रूप में था। औरङ्गजेब ने जब बीजापुर पर चढ़ाई की तो यह स्तकालय भी नष्ट हो गया।

मुस्लिम काल में भी नदिया बनारस और मिथिला आदि में सामान्य स्तकालयों का विवरण पाया जाता है। इस समय हिन्दू राजाओं के भी अच्छे पुस्तकालय थे। तंजौर के राजा ने शुरू से ही प्राचीन ग्रन्थों के संग्रह में रुचि ली थी। सरफोजी के समय में उनके 'तंजौर पुस्तकालय' में बढ़ते-बढ़ते २५,००० से अधिक ग्रन्थों का संग्रह हो गया था। आज भी तंजौर राज्य के उस पुस्तकालय में १८००० से ऊपर केवल संस्कृत के ग्रन्थ मौजूद हैं तथा अन्य ग्रन्थ देवनागरी कन्नडी तैलङ्गी उड़िया आदि लिपियों में लिखे हुए हैं और ऐसा संग्रह भारत में अन्यत्र कहीं नहीं है।



अध्याय ७

संधिकालीन पुस्तकालय

मुसलमानी शासन के अंत और अंग्रेजों के आगमन के बीच के समय को संधिकाल कहना उचित है। यह काल पुस्तकालय विकास की दृष्टि से अवनतिशील रहा है। इस काल में निम्नलिखित छः प्रकार के पुस्तकालय विद्यमान थे —

१ गुरु-गृहों के पुस्तकालय

संस्कृत भाषा एवं साहित्य के पंडित लोग अपने घरों पर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। इसलिए पठन-पाठन के उपयोगी ग्रंथों का संग्रह वे लोग अपने घरों पर ही एक कक्ष में रखते थे। ऐसे पुस्तकालय 'गुरु-गृहों के पुस्तकालय' थे।

२. संस्कृत विद्यालयों के पुस्तकालय

संस्कृत विद्या के प्रचार करने एवं उसे जीवित रखने के लिए देश में अनेक संस्कृत विद्यालय खुले हुए थे। इन्हें धनी-मानी व्यक्तियों सेठ-साहूकारों एवं राजाओं से सहायता मिल रही थी। बंगाल में ऐसे विद्यालय 'टोल' कहलाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे विद्यालय प्रायः मन्दिरों तथा मठों में चलते थे। जो विद्यालय इस प्रकार के थे उनमें संस्कृत की पोथियाँ संगृहीत थीं। बंगाल के किसी-किसी टोल में १० से लेकर ४० तक ग्रन्थों का जिक्र जाँच रिपोर्टों में मिलता है।

वास्तव में उपर्युक्त दोनों प्रकार के पुस्तकालय वैदिक काल के पुस्तकालयों के प्रतीक थे। पूरे मुस्लिम काल के तूफान से गुजर जाने पर भी उन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था।

३ मकतबों के पुस्तकालय

मुस्लिम काल में जिन मकतबी पुस्तकालयों की चर्चा पिछले अध्याय में

की गई है। ये पुस्तकालय इस काल में भी पाए जाते थे। ये नाम मात्र के थे और अभी चले चल रहे थे।

४ मदरसों के पुस्तकालय

मुस्लिम काल के मदरसों के पुस्तकालय इस काल में भी बने हुए थे किन्तु राजनीतिक उथल-पुथल के कारण उनकी कुछ उन्नति न हो सकी।

५ ग्रामीण पाठशालाओं के पुस्तकालय

मुस्लिम शासन काल के पहले भी देश के प्रत्येक गाँव में बच्चों को पढ़ने लिखाने की व्यवस्था प्राइवेट तौर पर कभी कुछ राज्य-प्रोत्साहन द्वारा भी की जाती रही। ऐसी ग्रामीण पाठशालाएँ तो मुस्लिम काल में भी बनी रहीं। जो बच्चे मकतब नहीं जा सकते थे वे वहीं पढ़ा करते थे। इन पाठशालाओं के अध्यापक अपनी पाठशाला में कुछ पोथियाँ अपनी रुचि के अनुसार संग्रह कर के रखा करते थे। फुरसत के समय वे स्वयं पढ़ते और गाँव के लोगों को भी सुनाया करते थे।

हार्डी ने अपनी पुस्तक 'इंडिया' में लिखा है —

'मैक्समूलर ने सरकारी उल्लेखों के आधार पर और एक मिशनरी की रिपोर्ट के आधार पर जो बंगाल पर कब्जा होने से पहले वहाँ था—शिक्षा की व्यवस्था के सम्बन्ध में लिखी गई थी लिखा है कि उस समय बंगाल में ८०,००० पाठशालाएँ थीं। अर्थात् पूरी की आबादी के प्रति ४०० आदमियों पर एक पाठशाला मौजूद थी। इन पाठशालाओं का लोप ग्राम पंचायतों के नष्ट होने पर हो गया। जैसा कि इतिहासकार लडलो 'अपने ब्रिटिश भारत' में लिखता है —

"प्रत्येक हिन्दू गाँव में जहाँ कि पुराना संगठन अभी तक कायम है, मुझे विश्वास है कि आमतौर पर सब बच्चे लिखना-पढ़ना जानते हैं किन्तु जहाँ जहाँ हमने पंचायतों का नाश कर दिया है, जैसे बंगाल में वहाँ ग्राम पंचायतों के साथ-साथ पाठशाला का भी लोप हो गया है।

६ विदेशियों के विद्यालयों के पुस्तकालय

इस काल में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ईसाई प्रचारकों ने कुछ विद्यालय खोले। भारत में व्यापार करने वाली कम्पनियों ने भी अपने कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा देने के लिए कुछ विद्यालय स्थापित किए। इन दोनों प्रकार के विद्यालयों के साथ-साथ कुछ छोटे-छोटे पुस्तकालय भी संलग्न थे। इनमें पाठ्य-विषयों से सम्बन्धित पुस्तकें, सामान्य रुचि की कुछ पुस्तकें तथा

विशेष रूप से धार्मिक पुस्तकें होती थीं। प्रारम्भ में पुर्तगालियों ने और उसके बाद फ्रांसीसियों ने इस ओर कदम बढ़ाया।

अंग्रेजों का प्रारम्भिक प्रयास

जब अंग्रेज लोग भारत में आए और कुछ-कुछ उनके पैर जम गए तो उन्होंने भी धर्म प्रचार और शिक्षा की ओर ध्यान दिया। पुर्तगाली कैथोलिक थे और अंग्रेज प्रोटेस्टेन्ट। इसलिए अंग्रेजों ने सोचा कि प्रोटेस्टेन्ट मत के प्रचार से पुर्तगालियों का राजनीतिक प्रभाव भी खत्म हो जायगा। अंग्रेजों ने शिक्षा के लिए सन् १६७० ई० में मद्रास में पहला अंग्रेजी स्कूल खोला। उसके बाद अंग्रेजों के सभी व्यापारिक केन्द्रों में स्कूल खोले गए। लेकिन कम्पनी ने थोड़े दिनों के भीतर ही यह अनुभव किया कि धार्मिक प्रचार की नीति अच्छी नहीं है। इससे तो हिन्दू और मुसलमान दोनों नाराज हो जायेंगे। इसलिए कम्पनी ने पादरियों को सहायता देनी बन्द कर दी। शिक्षा के खर्चे को भी कम्पनी अपने ऊपर नहीं लेना चाहती थी। फिर भी सिरामपुर (बंगाल) में काम करने वाले मार्शमैन तथा वार्ड नामक पादरियों ने छापा-खाना खोला और पुस्तकें प्रकाशित करके हिन्दू तथा इस्लाम धर्म पर आक्षेप करने लगे। साथ ही उन्होंने अपने ढंग से शिक्षा-प्रचार करने के कई छोटे प्रारम्भिक स्कूल भी खोले। इन स्कूलों के साथ-साथ उन्होंने धर्म-प्रचार के पुस्तकालय भी स्थापित किए। धीरे-धीरे पादरियों ने कम्पनी की नीति का डट कर विरोध किया। लेकिन इंगलैंड में पादरियों का पक्ष सदा कमजोर रहा। मार्शमैन लिखता है —

'भारतीयों को शिक्षा देने के प्रश्न के विरोध में बोलते हुए कम्पनी के एक डायरेक्टर ने पार्लियामेंट में बड़े जोरदार शब्दों में कहा—'हम लोग अपनी इसी मूर्खता के कारण अमेरिका से हाथ धो बैठे हैं क्योंकि हमने वहाँ स्कूल और कालेज खुल जाने दिये। अब फिर भारत में उसी मूर्खता को दोहराना उचित नहीं है'।

फिर भी लड़ते-झगड़ते अन्त में पादरियों तथा उनके चार्ल्स ग्रान्ट आदि मित्रों के आन्दोलन और लार्ड मिन्टो के प्रयत्नों से सन् १८१३ ई० में पार्लियामेंट ने एक नवीन आज्ञा-पत्र द्वारा निम्नलिखित आदेश-पत्र दिया—

'यह गवर्नर जनरल के लिए न्यायसंगत होगा कि बची हुई रकम में से वह कम से कम एक लाख रुपये अलग कर दे और उसे साहित्य के पुनरुद्धार तथा सुधार और भारतीय साहित्य के प्रोत्साहन में तथा ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में विज्ञानों के ज्ञान के प्रारम्भ तथा उन्नति में लगाये।

ब्रिटिश भारतीय निवासियों के हितों और सुख की उन्नति इस देश का कर्तव्य है और उनमें उपयोगी ज्ञान तथा नैतिक सुधार के साधनों का उपयोग होना चाहिए। उपर्युक्त उद्देश्यों तथा इन सौभाग्यपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए भारत जाने तथा रहने के इच्छुक व्यक्तियों को कानून द्वारा यथेष्ट सुविधाएँ मिलेंगी।

इस आदेश का नतीजा यह हुआ कि शिक्षा-प्रचार कम्पनी की जिम्मेदारी हो गई और पादरियों को भी इस देश में काम करने की पूरी आजादी मिल गई।

कम्पनी ने राजनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सन् ११८१ में कलकत्ता मदरसा सन् १७९१ मे बनारस संस्कृत कालेज तथा सन् १८०० ई० में फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना की। इनके साथ पुस्तकालय भी स्थापित हुए जो धीरे-धीरे महत्वपूर्ण पुस्तकालय बन गए।

इस प्रकार शिक्षा की इस डाँवाडोल स्थिति में अंग्रेजों द्वारा अधिकृत भारत में पुस्तकालयों की स्थिति पहले से कुछ सुधर न सकी। साथ ही साथ देश के आन्तरिक कलहपूर्ण स्थिति के कारण अन्य भागों मे भी पुस्तकालयों की स्थिति पूर्ववत् बनी रही।



अध्याय ८

ब्रिटिश कालीन पुस्तकालय

ब्रिटिशकालीन शिक्षा

यद्यपि संधिकाल में अंग्रेजों ने भारत के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था किन्तु अपने उस क्षेत्र में भी शिक्षा-दीक्षा की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस काल में कम्पनी का राज्य भारत में उत्तरोत्तर बढ़ता गया। उसके अत्याचारों से पीड़ित हो कर जनता ने १८५७ ई० में स्वतंत्र होने की पहली बार चेष्टा की। कम्पनी ने इसे 'सैनिक विद्रोह' कह कर दबा दिया किन्तु उसके साथ ही कम्पनी की सत्ता भी खत्म हो गई। उसके बाद से १९४७ ई० के १४ अगस्त तक भारत पर इंग्लैण्ड के बादशाह के प्रतिनिधि द्वारा शासन होता रहा। जब कम्पनी का शासन रहा तो उसके कर्मचारियों तथा अधिकारियों की सदा यही नीति रही कि इस देश से ज्यादा से ज्यादा धन जमा कर स्वदेश लौटा जाय। इसलिए उन्होंने अनेक षड्यन्त्र और जाल फरेब से पूरे भारत को अपने कब्जे में किया। विलियम हॉविट नामक अंग्रेज ने लिखा है कि "जिस तरीके से ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने हिन्दोस्तान पर कब्जा किया उससे अधिक बीभत्स और ईसाई सिद्धान्तों के विरुद्ध किसी दूसरे तरीके की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

इसलिए सदा कम्पनी के राज्यकाल में शिक्षा और पुस्तकालयों के विकास में रोड़े अटकते रहे। फिर भी १८१३ ई० के आसपास से ले कर १९४७ ई० तक अर्थात् १३४ साल के लम्बे कालखण्ड में एक नए ढंग से शिक्षा और पुस्तकालयों का विकास हुआ। चूंकि ब्रिटिशकाल में भी पुस्तकालय शिक्षा-विभाग के ही अन्तर्गत रहे और शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ ही उनका भी विस्तार हुआ अतः शिक्षा की नीति को कुछ विस्तारपूर्वक समझना आवश्यक है।

शिक्षा का काल-विभाजन

शिक्षा की दृष्टि से ब्रिटिशकाल को तीन भागों में बाँटा जा सकता है —

१ सन् १८१३ से १८५४ तक।

२ सन् १८५४ ई० से १९२० ई० तक।

३ सन् १९२० ई० से १९४७ ई० १५ अगस्त तक।

प्रथम भाग : १८१३–१८५४ तक

सन् १८१३ ई० के आज्ञा-पत्र में शिक्षा के उद्देश्य स्वरूप माध्यम एवं साधनों की व्याख्या नहीं की गई थी। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में एक संघर्ष उठ खड़ा हुआ। इस संघर्ष में तीन प्रकार के विचारों के लोग थे। इसलिए तीन दल बन गए—(१) प्राच्य शिक्षावादी (२) पाश्चात्य शिक्षावादी और (३) लोक-शिक्षावादी।

(१) प्राच्य-शिक्षावादियों का कहना था कि भारतीय प्राचीन साहित्य सभ्यता एवं संस्कृति तथा पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा संस्कृत एवं अरबी के माध्यम से होनी चाहिए। इस दल में कम्पनी के पुराने अधिकारी थे।

(२) पाश्चात्य शिक्षावादियों का कहना था कि भारत में अंग्रेजी के माध्यम से योरोपीय ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा होनी चाहिए। इस दल में मिस्टर ग्रान्ट के पिछलग्गू कम्पनी के नवयुवक अधिकारी ईसाई पादरी और राजाराम मोहन राय जैसे लोग भी थे।

(३) लोक-शिक्षावादियों का कहना था कि पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा प्रान्तीय भाषाओं के माध्यम से हो। इस दल में बम्बई और मद्रास के गवर्नर भी स्टुअर्ट एल्फिन्स्टन तथा मुनरो आदि थे जिनकी कोई सुनवाई न थी।

इन तीनों दलों के संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि बस सन् तक अर्थात् १८२३ ई० तक शिक्षा की प्रगति न हो सकी। बेलारी के कलक्टर श्री कैम्पबेल ने अपनी १८२३ ई० की शिक्षा-रिपोर्ट में कम्पनी को लिखा था —"इस जिले में घटते-घटते शिक्षा-सम्बन्धी ५११ संस्थाएँ रह गई हैं और मुझे यह कहते लज्जा आती है कि इनमें से एक को भी सरकारी सहायता नहीं मिलती। सन् १८२३ ई० में *शिक्षा-सम्बन्धी* सरकारी योजनाओं को चालू करने के लिए तथा एक लाख रुपये के अनुदान को उचित रूप से उपयोग करने के लिए 'शिक्षा समिति' तत्कालीन गवर्नर जनरल ने बनाई। इस समिति में दस सदस्य थे और संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान् विल्सन महोदय इस

इस घोषणा-पत्र में सिफारिश की गई कि —

१ मुख्य रूप से योरोपीय कला विज्ञान एवं साहित्य का अध्ययन किया जाय।

२ अध्ययन का माध्यम अंग्रेजी ही रहे परन्तु देशी भाषायें भी पढ़ाई जायें और उनका विकास भी किया जाय जिससे वे भी योरोपीय ज्ञान के प्रचार में सहायक हों।

३ प्रत्येक प्रान्त में एक शिक्षा विभाग स्थापित हो और उसे एक शिक्षा-संचालक के अधीन रखा जाय। सहायक निरीक्षकों की सहायता से वह अपने प्रान्त में शिक्षा की व्यवस्था करे एवं उसका संचालन करे और प्रतिवर्ष उसकी रिपोर्ट सरकार को दे।

४ कलकत्ता बम्बई और यदि आवश्यक हो तो मद्रास में भी लन्दन यूनिवर्सिटी की नकल पर यूनिवर्सिटियाँ स्थापित की जायें।

५ शिक्षा का ढाँचा इस प्रकार हो प्रायमरी मिडिल हाईस्कूल कालेज और उसके बाद विश्वविद्यालय।

६ शिक्षा छनने के सिद्धान्त को छोड़ कर जनसाधारण की शिक्षा पर ध्यान दिया जाय।

७ गरीब विद्यार्थियों को वजीफे दिये जायें।

८ गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को भी सरकार उदारतापूर्वक सहायता (ग्रांट-इन-एड) दे।

पुस्तकालयों विद्यालय-भवनों तथा विज्ञानशालाओं के निर्माण की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त सहायता दी जाय।

९ शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए नार्मल स्कूल तथा ट्रेनिंग कालेज खोले जायें। ट्रेनिंग काल में भी शिक्षकों को वजीफे दिये जायें।

१० औद्योगिक शिक्षा कानून चिकित्सा इञ्जीनियरिंग आदि की शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था की जाय।

११ स्त्री-शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाय और अधिक उदारतापूर्वक सहायता दी जाय।

इस प्रकार यह घोषणा-पत्र आधुनिक शिक्षा की आधार शिला है। प्रसिद्ध लेखक जेम्स ने इसे 'भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्नाकार्टा' कहा है। इस घोषणा-पत्र के द्वारा कम्पनी ने अधिकृत रूप में यह स्वीकार कर लिया कि जनता को शिक्षा प्रदान करना सरकार के कर्तव्यों में से एक मुख्य कर्तव्य है। इस प्रकार शिक्षा विभाग अलग से स्थापित करके ग्रांट देने की प्रथा चला

कर शिक्षा के साथ पुस्तकालयों को भी प्रोत्साहन देने की बात स्पष्ट रूप से स्वीकार की गई। अतः इस घोषणा-पत्र ने शिक्षा के संगठन को एकरूपता प्रदान की। इसके अनुसार प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा विभाग स्थापित हुए और निश्चित प्रणाली के अनुसार काम शुरू किया गया। किन्तु इसी बीच सन् १८५७ ई० का प्रथम स्वाधीनता आन्दोलन छिड़ गया। उसके बाद कम्पनी के शासन का अंत हो गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय शासन की बागडोर सँभाली। महारानी विक्टोरिया भारत की महारानी बनीं। उन्होंने १९५८ ई० में सरकारी धार्मिक तटस्थता की नीति की घोषणा की। भारत मंत्री का एक नया पद बनाया गया और उस पद पर लार्ड स्टैनले की नियुक्ति की गई। शिक्षा के उत्तरदायित्व को आंशिक रूप में प्रान्तीय सरकारों को दे दिया गया। आगे चल कर १८७१ ई० में लार्ड मेयो ने शिक्षाविभागों को प्रान्तीय सरकारों के अधीन कर दिया और उन्हें शिक्षा पर खर्च करने की आज्ञा दे दी। १८७७ ई में लार्ड लिटन ने कुछ और अधिकार दिए किन्तु शिक्षा की नीति निर्धारित करने का अधिकार अंत तक केन्द्रीय सरकार के ही हाथ में रहा।

इस प्रकार भारत में शिक्षा-विभाग द्वारा स्कूलों और कालेजों की स्थापना होने लगी। सरकारी सहायता से प्रोत्साहन पा कर अनेक गैर-सरकारी स्कूल और कालेज खुले। इनके साथ पुस्तकालय स्थापित हुए। इसके बाद से ही स्वतंत्र पुस्तकालय भी स्थापित होने लगे।

अंत में कुछ दिनों बाद पादरियों का बल सरकार की धार्मिक तटस्थता की नीति से नष्ट हो गया। इस पर लार्ड रिपन ने १८८२ ई में 'भारतीय शिक्षा कमीशन' की नियुक्ति की जिसे हण्टर कमीशन' कहा जाता है। इस कमीशन की सिफारिश पर प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था नगरपालिका और जिला बोर्डों को दे दी गई। कमीशन ने प्रौढ़ शिक्षा की भी सिफारिश की। फलतः नए पुस्तकालयों की भी वृद्धि हुई।

सन् १८९९ ई में लार्ड कर्जन वाइसराय होकर आए। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार किए उसे भारतीयों ने पसन्द नहीं किया। वे शिक्षा पर कड़े सरकारी नियंत्रण के कायल थे। उनके इस विरोध से शिक्षा के क्षेत्र में हलचल-सी मच गई।

सन् १९०५ में भारत में स्वदेशी आन्दोलन शुरू हुआ। उसका भी शिक्षा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। राष्ट्रीय शिक्षा की नई योजनाएँ बनाई गई। उनके फलस्वरूप अनेक राष्ट्रीय विद्यालय गुरुकुल और महाविद्यालय

आदि खुले। १९०६ में मुस्लिम लीग बनी तो उसने भी अपने नए कुछ विद्यालय खोले। सन् १९१० ई० में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने का प्रस्ताव स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले ने रखा जो टल गया और बाद में दुबारा पेश होने पर १९१२ ई० में अस्वीकार हो गया। इसके बाद १९१४ ई० से यूरोपीय महायुद्ध की ज्वाला दहक उठी तो प्रगति कई वर्षों के लिए रुक गई।

तृतीयकाल सन् १९२१ से १९४७ तक

प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने पर लार्ड चेम्सफोर्ड और भारत मन्त्री लार्ड माण्टेगु ने राजनीतिक सुधारों की एक योजना तैयार की। यह १९२१ ई० में लागू हुई। इसके अनुसार शिक्षा हस्तान्तरित विषयों के अन्तर्गत आ गई। अतः भारतीय मन्त्रियों के हाथ में शिक्षा की व्यवस्था आई। उनमें उत्साह तो था और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति भी की परन्तु सरकार द्वारा अधिक आर्थिक सहायता न मिलने के कारण वे उतना न कर सके जितना कि करना चाहते थे।

१९२१ ई० के असहयोग आन्दोलन के फलस्वरूप अनेक राष्ट्रीय विद्यालय एवं महाविद्यालय खुले। सन् १९२१ ई० में केन्द्रीय सरकार ने 'शिक्षा सलाहकार बोर्ड' की स्थापना की। उसके द्वारा व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा पर बल दिया गया। इस सलाह को मान कर १९३६ ई० 'वुड ऐबट कमीशन' की नियुक्ति हुई। इस कमीशन ने सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा के सुधार और विकास पर सुझाव दिया। सन् १९३५ के शासन विधान के अनुसार प्रान्तों में जनता के प्रतिनिधि मन्त्रि मण्डल बने और शिक्षा का पुनर्गठन होने लगा। इसी समय गांधीजी ने शिक्षा-विषयक अपने विचार प्रस्तुत किए। उनके आधार पर बेसिक शिक्षा का जन्म हुआ। सन् १९३९ में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। मन्त्रि-मंडलों ने अपने त्याग-पत्र दे दिए। इसलिए शिक्षा की प्रगति रुक गई। सन् १९४४ ई० में 'सार्जेण्ट शिक्षा योजना' सरकार के सामने आई। यही १९४५ ई० में सभी प्रान्तों में लागू किया गया। १५ अगस्त सन् १९४७ तक इसी योजना के अनुसार कार्य होता रहा।

ब्रिटिश शासनकाल की शिक्षा प्रगति का यह संक्षिप्त विवरण है। अब इसके आधार पर पुस्तकालयों के विकास का अध्ययन किया जायगा।

भारत में प्रेस का आविष्कार और हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज

पुर्तगालियों के गोआ में अपना अड्डा जमा लेने के बाद भारत में सब प्रथम पुर्तगाली मिशनरियों ने सितम्बर १५५६ में प्रेस स्थापित किया। उन्होंने राचोल में सेंटपाल कालेज में इसे सेट किया। शिवाजी महाराज ने भी एक प्रेस खोला था किन्तु बाद में उसे भीम जी पारख के साथ १६७४ ई० में बेच दिया। १७१२ में डैनिश मिशनरियों ने ट्रान्क्वेबार में एक प्रेस स्थापित किया। उन्होंने 'एपोस्टाइल्स क्रीड' नामक पुस्तक तामिल में छापी। सम्भवतः यह भारतीय भाषा में छपी सबसे पहली पुस्तक थी। उसी प्रेस में १७१५ में 'न्यू टेस्टामेंट' भी प्रकाशित किया। १७७१ में हुगली में १७७२ में मद्रास में और १७७८ में कलकत्ता में प्रेसों की स्थापना हुई। ऐसा ज्ञात होता है कि भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने अपनी साहित्यिक रुचि से प्रेरित हो कर कम्पनी के एक नौकर मि० विल्किन्स को आदेश दिया कि वे भारतीय भाषाओं के टाइपों के फाण्ट प्रस्तुत करके पुस्तकें और सरकारी प्रचार के पत्र छपवाने का प्रबन्ध करें। उन्होंने प्रयाग के एक मिस्त्री पंचानन से इस काम को शुरू करवाया। उसने बहुत ही साफ मैट्रिसें बनाईं जिनकी भारत और योरप में खूब प्रशंसा की गई। उन्हीं हिन्दी टाइपों से 'ब्रजभाषा का व्याकरण' सन् १७७१ ई० छापा गया और १७७७ में बंगाल और उर्दू के व्याकरण छपे। सिरामपुर के मिशनरियों ने पंचानन मिस्त्री को अपने यहाँ मँगनी माँग कर तीन साल रखा और उससे टाइप बनवाए। पंचानन का दामाद मनोहर और उसका लड़का कृष्ण भी इस काम को करते रहे। कृष्ण मिस्त्री का देहान्त १८५० में हुआ। बंगाली भाषा में १७७८ में सर चार्ल्स विल्किन्स ने सबसे पहली पुस्तक हालहेड 'ग्रामर आफ बेंगाली लैंगवेज' छापी। बम्बई में १७९३ में 'रिमार्क्स एण्ड अकरेंस आफ हेनरी बेचर' नामक पुस्तक छपी। श्री बेचर टीपू सुल्तान के शासन में कैदी थे और २३ वर्ष जेल में रह कर भागे थे। यह पुस्तक उसी जेल-जीवन के सम्बन्ध में है। इसमें १९४ पृष्ठ हैं और इसका आकार ६३ × ४" का है। भारत में इसकी एक ही प्रति इण्डियन हिस्टारिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंट जेवियर कालेज बम्बई में सुरक्षित है। इस पुस्तक को फादर हेरस ने काल्का देवी के पास एक गुदड़ी बाजार से आठ आने में खरीदी थी।

गुजराती टाइप बम्बई में श्री बीरमजी जीजीभाई छापगर के द्वारा १७९७ में ढाला गया। मराठी की सबसे पहली पुस्तक 'बाळ बोध मुक्ता

पछी' १८०५ में छपी। यह पुस्तक ईसप की कल्पित कहानियों का अनुवाद मात्र थी। १८१७ में सूरत में 'मिशन प्रेस' की स्थापना हुई।

इस प्रकार आज से ४०० वर्ष पहले गोआ में पुस्तकें छपीं। तीन सौ वर्ष से ऊपर छपी पुस्तकें अब भी भारत में म्युजियमों में पाई जाती हैं। प्रेसों का धीरे-धीरे विस्तार हुआ और ब्रिटिशकाल के अन्तिम दिनों में तो भारत भर में प्रेसों का एक जाल-सा बिछ गया।

हस्तलिखित ग्रंथों की खोज

प्रेस के आविष्कार और प्रचार के साथ-साथ पुस्तकों और समाचार-पत्रों आदि की भी संख्या बढ़ी। धीरे-धीरे ये पुस्तकें रंगीन सचित्र और आकर्षक ढङ्ग से छपने लगीं। प्रेस की सुविधा के होने पर पुरानी हस्तलिखित पोथियाँ छपवाई जाने लगीं। भारत सरकार ने एक पुरातत्त्व विभाग भी स्थापित किया। उसके अन्तर्गत प्राचीन भारतीय महत्त्वपूर्ण सामग्रियों की खोज होनी शुरू हुई। बहुत से ताम्र-पत्र सिक्के मुहरें, अभिलेख शिलालेख आदि का पता लगा जिनसे भारत की पुरानी सभ्यता और संस्कृति की अनेक गुत्थियाँ सुलझाने में सहायता मिली।

इसी क्रम में अनेक शोधपूर्ण संस्थाएँ स्थापित हुईं जिन्होंने भारतीय हस्तलिखित पोथियों की खोज का काम अपने हाथों में लिया। इनमें से अधिकांश संस्थाएँ गैरसरकारी थीं और कुछ सरकारी। यद्यपि भारत के घर-घर और गाँव-गाँव में ऐसी हस्तलिखित पोथियाँ बिखरी हुई थीं किन्तु अनेक संस्थाओं मठों मन्दिरों और पाठशालाओं आदि में हस्तलिखित ग्रन्थों की अनुपम ज्ञान-राशि मिली और अनेक संस्थाओं ने इनकी सूचियाँ भी छपवाईं, उनमें से निम्नलिखित विशेष प्रसिद्ध हैं —

१८५७ कैटलाग राइसनी आफ ओरियण्टल मैनुस्क्रप्ट्स इन द गवर्नमेंट लाइब्रेरी मद्रास संपा० विलियम टेलर।

१८९४ नोटिस आफ संस्कृत मैनुस्क्रप्ट्स आडर आफ द गवर्नमेंट आफ बंगाल संपा० हरप्रसाद शास्त्री।

१९०२ कैटलाग आफ साउथ इण्डियन संस्कृत मैनुस्क्रप्ट्स रायल एशियाटिक सो० लन्दन।

१९१६ ट्रिनियल कैटलाग आफ मैनुस्क्रप्ट्स कुप्पू स्वामी शास्त्री एम०।

१९१६ डिस्क्रिप्टिव कैटलाग आफ द गवर्नमेंट कलेक्शन आफ मैनुस्क्रप्ट्स डक्कन कालेज पूना।

१९१६ भण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट पूना डिस्क्रिप्टिव कैट

लाग आफ द गवर्नमेंट कलक्शन आफ मैनुस्क्रप्ट्स (अनेक भागों में)।

१९२० अब्दुल करीम बंगला प्राचीन पुथिर बिवरण (बंगीय साहित्य परिषद्)।

१९२१ महावीर जैन पुस्तकालय दिल्ली हस्तलिखित ग्रन्थों का सूचीपत्र।

१९२१ श्यामसुन्दर दास नागरीप्रचारिणी सभा हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थों का संक्षिप्त विवरण (क्रमशः कई भागों में)।

१९२७ शिवरतन मित्र सम्पा० प्राचीन पुथिर बिवरण।

१९३० युनिवर्सिटी आफ कलकत्ता डिस्क्रिप्टिव कैटलाग आफ आसामी मैन्युस्क्रप्ट्स संपा हेमचन्द्र गोस्वामी।

१९३३ ओरियन्टल मैनुस्क्रप्ट्स लाइब्रेरी उज्जैन कैटलाग आफ ओरियन्टल मैनुस्क्रप्ट्स।

१९३९ महासरस्वती भण्डार हस्तप्रपुस्तकालयस्य संस्कृतहस्तलिखित पुस्तकानाम् सूचीपत्रम्, बड़ौदा प्रेस।

१९४२ विनय कुसुमलाल शान्तिनाथ प्राचीन ताड़पत्रीय जैन ज्ञान भंडार। बीकानेरी जैन ज्ञान भण्डारगी हस्तलिखित प्रतियोनु सूचीपत्र वीर सम्वत् २४५५।

कुछ खोज करने वाले विद्वानों ने हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज में दुर्गम स्थानों की यात्राएँ भी जिनके प्रयत्नों से लुप्त ज्ञानराशि का पता लगा। ऐसे खोजकर्ताओं में महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम उल्लेखनीय है। श्री राहुलजी ने तिब्बत में वर्षों रह कर वहाँ से दुर्लभ ग्रन्थों का पता लगाया। अपनी एक खोज सम्बन्धी यात्रा का उल्लेख उनके शब्दों में इस प्रकार है —

'मेरी यह यात्रा भूगोल-सम्बन्धी अन्वेषण या मनोरंजन के लिए नहीं हुई है बल्कि वहाँ के साहित्य के अच्छे प्रकार अध्ययन तथा इससे भारतीय एवं बौद्ध-धर्म-सम्बन्धी ऐतिहासिक तथा धार्मिक सामग्री एकत्र करने के लिए हुई है। इतिहास-प्रेमी जानते हैं कि सातवीं शताब्दी के मध्यन्ह से आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान के समय तक तिब्बत और भारत (उत्तरी भारत) का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। तिब्बत को साहित्यिक भाषा अक्षर और धर्म देने वाले भारतीय हैं। उन्होंने वहाँ जा कर हजारों संस्कृत तथा कुछ हिन्दी के ग्रन्थों के भी भाषान्तर तिब्बती भाषा में किये। इन अनुवादों का अनुमान इसी से हो सकता है कि संस्कृत-ग्रन्थों के अनुवादों के कंग्यूर और तंग्यूर के

(ख) मंत्रिमण्डलों से संलग्न पुस्तकालय ।
(ग) स्वतंत्र कार्यालयों से सम्बद्ध पुस्तकालय ।
(घ) मातहत और संलग्न कार्यालयों से सम्बद्ध पुस्तकालय ।

२. प्रान्तीय सरकारों और देशी राज्यों के पुस्तकालय
(क) विभागीय पुस्तकालय ।
(ख) म्युज़ियम पुस्तकालय ।

३. शिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालय
(क) यूनिवर्सिटी पुस्तकालय ।
(ख) कालेज पुस्तकालय ।
(ग) हाईस्कूल तथा मिडिल स्कूलों के पुस्तकालय ।

४ अनुसंधान संस्थाओं, प्रयोगशालाओं, और स्वतन्त्र शोध-संस्थाओं के विशेष पुस्तकालय

५. सार्वजनिक पुस्तकालय

अब इनमें से प्रत्येक भाग के पुस्तकालयों के विषय में यह देखना है कि उनका काल-क्रम से विकास किस प्रकार हुआ ।

[१] (क) इम्पीरियल लाइब्रेरी

१९०२ इम्पीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता ।

[१] (ख) मंत्रालयों से संलग्न पुस्तकालय

१९०१ मिनिस्ट्री आफ डिफेन्स लाइब्रेरी नई दिल्ली ।
१९ ५ सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी नई दिल्ली ।
१९०८ मिनिस्ट्री आफ रेलवेज लाइब्रेरी नई दिल्ली ।
१९१७ मिनिस्ट्री आफ लेबर लाइब्रेरी नई दिल्ली ।
१९१७ सेंट्रल एजुकेशन लाइब्रेरी शिक्षा विभाग दिल्ली ।
१९१४ मिनिस्ट्री आफ फूड ऐण्ड ऐग्रीकल्चर लाइब्रेरी दिल्ली ।

[१] (ग) स्वतंत्र कार्यालयों से संलग्न पुस्तकालय

१९२१ पार्लियामेंट लाइब्रेरी पार्लियामेंट हाउस नई दिल्ली ।

[१] (घ) मातहत और संलग्न कार्यालयों से सम्बद्ध पुस्तकालय
मिनिस्ट्री आफ कामर्स ऐण्ड इण्डस्ट्रीज़

१९१२ ड पैटेन्ट आफिस लाइब्रेरी कलकत्ता ।

१९११ कामर्शियल लाइब्रेरी एण्ड रीडिंग रूम कलकत्ता।
१९४० ट्रेड मार्क रजिस्ट्री आफिस लाइब्रेरी कलकत्ता।
१९४० ट्रेड मार्क रजिस्ट्री आफिस लाइब्रेरी बम्बई।
१९१४ लाइब्रेरी आफ इकोनामिकल ऐडवाइजर टु द गिटिश गवर्नमेंट आफ इण्डिया नई दिल्ली।
१९४९ लाइब्रे आफ डाइरेक्टरेट आफ इण्डस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स शिमला।

मिनिस्ट्री आफ कम्युनिकेशन

१८७५ मेटेरोलोजिकल आफिस लाइब्रेरी कलकत्ता।
१८७५ मेटेरोलोजिकल आफिस लाइब्रेरी पूना।
१९०० चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आफिस लाइब्रेरी कलकत्ता।
१९०१ कोडाई कनाल आबजर्वेटरी लाइब्रेरी कोडाई कनाल।
१९३७ लाइब्रेरी आफ द आफिस आफ द डाइरेक्टरेट जनरल आफ सिविल एवीएशन दिल्ली।
१९४२ पोस्ट ऐण्ड टेलीग्राफ्स ट्रेनिंग सेंटर लाइब्रेरी जबलपुर।
१९४५ रीजनल मेटेरोलोजिकल सेंटर लाइब्रेरी नागपुर।
१९४५ रीजनल मेटेरोलोजिकल सेंट्रल लाइब्रेरी मद्रास।

मिनिस्ट्री आफ डिफेन्स

१९२७ एयर हैडक्वाटर्स रिसर्च ऐण्ड टैकनिकल लाइब्रेरी नई दिल्ली।

मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन

१८९१ इम्पीरियल रेकार्ड रूम आफ इण्डिया लाइब्रेरी दिल्ली।
१९०२ सेंट्रल आर्केओलोजिकल लाइब्रेरी नई दिल्ली।
१९४५ लाइब्रेरी आफ द डिपार्टमेंट आफ द आर्केओलोजी कलकत्ता।

मिनिस्ट्री आफ फाइनेन्स

१९११ लाइब्रेरी आफ द आफिस आफ द ए० जी० उड़ीसा (रांची)।
१९४४ सेंट्रल बोर्ड आफ रेवन्यू लाइब्रेरी नई दिल्ली।

मिनिस्ट्री आफ फूड ऐण्ड ऐग्रीकल्चर

१८५१ ज्योलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया लाइब्रेरी कलकत्ता।
१८६२ ज्योडेटिक ब्रांच लाइब्रेरी सर्वे आफ इण्डिया देहरादून।
१८९६ लाइब्रेरी आफ द इण्डस्ट्रियल सेक्शन, इंडियन म्युजियम कलकत्ता।

[३] (क) यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी

१८५७ कलकत्ता यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी।
१८६१ बम्बई यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी।
१८७५ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी।
१८८२ पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी लाहौर।
१९०७ मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी।
१९१६ बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी।
१९१६ मैसूर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी मैसूर।
१९१७ पटना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी।
१९१८ उस्मानिया यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हैदराबाद।
१९२१ लखनऊ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी (टैगोर लाइब्रेरी)।
१९२२ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इलाहाबाद।
१९२२ दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, दिल्ली।
१९२५ नागपुर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी नागपुर।
१९२६ आन्ध्र यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी वाल्टेयर।
१९२९ अन्नामलाई यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अन्नामलाई नगर, मद्रास।
१९३५ आगरा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आगरा।
१९४३ उत्कल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कटक।
१९४३ ट्रावनकोर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी त्रिवेन्द्रम।
१९४६ सागर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सागर।

कालेज पुस्तकालयों के अन्तर्गत इन्टरमीडिएट कालेज तथा यूनिवर्सिटियों से मान्यता प्राप्त डिग्रीकालेजों के पुस्तकालय हैं जो कालेजों के साथ स्थापित किए गए। इसी प्रकार हाईस्कूलों और मिडिल स्कूलों के साथ भी छोटे स्तर पर पुस्तकालय स्थापित हुए। ये पुस्तकालय केवल शिक्षकों और छात्रों को पठन-पाठन की सुविधा देने के लिए ही थे।

[४] अनुसन्धान संस्थाओं और स्वतन्त्र शोध-संस्थाओं के पुस्तकालय (लाइब्रेरीज आफ रिसर्च इन्स्टीट्यूशंस, लैबोरेटरीज ऐण्ड सोसाइटीज)।

१७८४ रायल एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल लाइब्रेरी कलकत्ता।
१८४८ गुजरात विद्यासभा पुस्तकालय भद्र, अहमदाबाद।
१८९१ गवर्नमेन्ट आफिस आफ आर्ट ऍण्ड क्राफ्ट लाइब्रेरी कलकत्ता।

१८७६ इंडियन एसोसिएशन फार द कल्टीवेशन आफ साइंस लाइब्रेरी, यादवपुर, कलकत्ता।

१८९१ गवर्नमेंट ओरियन्टल लाइब्रेरी मैसूर।

१८९५ इंडियन वेटेनेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी मुक्तेश्वर।

१९०५ इंडियन ऐग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी नई दिल्ली।

१९०६ नार्दर्न ज्योलोजिकल ऐण्ड मेटलर्जिकल इंस्टीट्यूट आफ इंडिया लाइब्रेरी धनबाद।

१९०६ सेन्ट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी कसौली।

१९१० भारतीय इतिहास संशोधन मण्डल लाइब्रेरी पूना।

१९११ इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइन्स लाइब्रेरी, बंगलौर।

१९१२ कामरूप अनुसंधान समिति (आसाम रिसर्च सोसाइटी लाइब्रेरी) गौहाटी।

१९१३ मद्रास फारेस्ट कालेज लाइब्रेरी कोयम्बटूर।

१९१५ के० आर कामा ओरियन्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी बम्बई।

१९१७ बोस इन्स्टीट्यूट लाइब्रेरी कलकत्ता।

१९१८ भंडारकर ओरियन्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी पूना।

१९१९ इंडियन काउन्सिल आफ मेडिकल रिसर्च लाइब्रेरी कसौली।

१९२ जामिया मिलिया इस्लामिया रिसर्च लाइब्रेरी दिल्ली।

१९२१ हरकोर्ट बटलर टेक्नोलोजिकल इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी कानपुर।

१९२४ इन्स्टीट्यूट आफ प्लान्ट इन्स्टीट्यूट लाइब्रेरी इन्दौर।

१९२६ भातखण्डे कालेज आफ हिन्दुस्तानी म्युजिक लाइब्रेरी लखनऊ।

१९२६ हिन्दी संग्रहालय हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद।

१९२६ आन्ध्र हिस्टारिकल रिसर्च सोसाइटी लाइब्रेरी राजा मुन्दरी, ईस्ट गोदावरी।

१९२७ मलेरिया इंस्टीट्यूट आफ इण्डिया लाइब्रेरी दिल्ली।

१९२७ रानी वर्मा रिसर्च इन्स्टीट्यूट लाइब्रेरी त्रिचूर, (ट्रावनकोर कोचीन)।

१९२८ इंडियन डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी, बंगलौर।

१९३० इंडियन काउंसिल आफ ऐग्रिकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी नई दिल्ली।

१९३० कामरूप संस्कृत संजीवनी लाइब्रेरी नलबारी।

१९३ श्रीराम रिसोमठ इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी त्रिचूर।

१९३१ सेठ वाडीलाल साराभाई जनरल होस्पिटल्स ऐण्ड सेठ चिनाई मैटरनिटी-होम मेडिकल लाइब्रेरी अहमदाबाद।

१९३१ इण्डियन स्टैटिस्टिक इन्स्टीट्यूट लाइब्रेरी प्रेसी० कालेज, कलकत्ता।
१९३४ एशिया लाइब्रेरी आमवाप दूध बाजार, हैदराबाद।
१९३६ इंडियन इंस्टीट्यूट आफ सुगर टेक्नोलोजी लाइब्रेरी कानपुर।
१९३६ टाटा इन्स्टीट्यूट आफ सोशल साइन्सेज लाइब्रेरी अंधेरी बम्बई।
१९३८ रामकृष्ण मिशन इन्स्टीट्यूट आफ कल्चर लाइब्रेरी कलकत्ता।
१९३९ अनूप संस्कृत लाइब्रेरी फोर्ट बीकानेर।
१९४१ दिल्ली पोलीटेक्निक लाइब्रेरी दिल्ली।
१९४५ टाटा इन्स्टीट्यूट फण्डामेण्टल रिसर्च लाइब्रेरी बम्बई।
१९४५ नेशनल मेटलर्जीकल लेबोरेटरी लाइब्रेरी जमशेदपुर।
१९४६ बीरबल साहनी इन्स्टीट्यूट आफ पेलियोबोटेनी लाइब्रेरी लखनऊ।

[५] सार्वजनिक पुस्तकालय (पब्लिक लाइब्रेरीज)

१८१२ मद्रास लिटरेरी सोसाइटी लाइब्रेरी म्युजियम मद्रास।
१८१८ यूनाइटेड सर्विस लाइब्रेरी पूना।
१८३९ त्रिवेन्द्रम् पब्लिक लाइब्रेरी त्रिवेन्द्रम्।
१८४० सार्वजनिक वाचनालय नासिक सिटी।
१८४५ पीपुल्स फ्री रीडिंग रूम ऐण्ड लाइब्रेरी बम्बई।
१८४७ रत्नगिरि नगर वाचनालय रत्नगिरि।
१८४८ जनरल लाइब्रेरी, बेलगांव।
१८४८ पूना सिटी जनरल लाइब्रेरी पूना।
१८५० करवीर नगर वाचनमन्दिर, कोल्हापुर।
१८५० ऐण्ड्रयू लाइब्रेरी ऐण्ड रीडिंग रूम सूरत।
१८५१ बंगाल चैम्बर आफ कामर्स लाइब्रेरी कलकत्ता।
१८५२ श्रीराम वाचन मन्दिर, सावंतवाडी रत्नगिरी।
१८५४ इन्दौर जनरल लाइब्रेरी इन्दौर।
१८५४ उत्तरपाड़ा पब्लिक लाइब्रेरी उत्तरपाड़ा हुगली।
१८५४ पौड़ी छाम पाप गण्ड लाइब्रेरी धूलिया प० खानदेश।
१८५५ पब्लिक लाइब्रेरी गया।
१८५७ जिला वाचन मन्दिर, बीजापुर।
१८५७ नीलगिरि लाइब्रेरी, ओटकमण्ड, नीलगिरि।

१८५८ कोन्नगर पब्लिक लाइब्रेरी ऐण्ड फ्री रीडिंगरूम कोन्नगर, हुगली।
१८५८ रामचन्द्र दीपचन्द लाइब्रेरी भड़ौच।
१८६० बाबू जी देशमुख वाचनालय, अकोला।
१८६३ राष्ट्रीय वाचनालय अकोला।
१८६४ करवार नेटिव जनरल लाइब्रेरी करवार (उत्तर कन्नड़)।
१८६४ म्यासजी जमजी भाई नसरर रीडिंग रूम ऐण्ड लाइब्रेरी गाम-
देवी सूरत।
१८६४ पब्लिक लाइब्रेरी अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद।
१८६५ गवर्नमेन्ट लाइब्रेरी जूनागढ़।
१८६५ लोकमान्य वाचनालय अरवी वर्धा।
१८६६ महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी जयपुर।
१८६६ सार्वजनिक वाचनालय येवला नासिक।
१८६७ अमरावती नगर वाचनालय अमरावती।
१८६८ लैंग लाइब्रेरी कुमकी पार्रोन राजकोट।
१८६९ संगली नगर वाचनालय संगली सतारा सातव।
१८७० अप्पाराव गोपालराव लाइब्रेरी अहमदाबाद।
१८७० कार्टे वाचन मंदिर, इचलकरंजी कोल्हापुर।
१८७० एरनाकुलम पब्लिक लाइब्रेरी ऐण्ड रीडिंग रूम एरनाकुलम।
१८७० कूचबिहार स्टेट लाइब्रेरी कूचबिहार।
१८७० दयाराम जी रीडिंग रूम ऐण्ड लाइब्रेरी जामनगर।
१८७० यूनाइटेड सर्विस इन्स्टीट्यूशन्स आफ इंडिया लाइब्रेरी शिमला।
१८७१ नमन भाई बापजी भाई सार्वजनिक पुस्तकालय, भरवाच नौर।
१८७२ कार्माइकेल लाइब्रेरी बनारस।
१८७२ विक्टोरिया जुबली लाइब्रेरी अमलनेर, पूर्व खानदेश।
१८७२ विक्टोरिया डायमंड जुबली लाइब्रेरी फलटण जि० सितारा।
१८७३ अमरैली पब्लिक लाइब्रेरी सरकारवाड़ा अमरैली।
१८७३ चन्देरनगर पुस्तकागार, चन्दरनगर, हुगली।
१८७३ पब्लिक लाइब्रेरी एण्ड रीडिंग रूम त्रिचूर।
१८७३ पारीख धंनुभाई केशवलाल सार्वजनिक पुस्तकालय पटेलवाड़ वीरा।
१८७४ शिवपुर पब्लिक लाइब्रेरी शिवपुर, हवड़ा।
१८७४ सार्वजनिक पुस्तकालय सोजित्रा।
१८७५ बक्कट इक्कड इंस्टीट्यूट ऐण्ड लाइब्रेरी पूना।

१८७६ ढाका सार्वजनिक पुस्तकालय ढाका मोहामेडन सभा मेरी ।
१८७६ युनिवर्सिटी लाइब्रेरी कलकत्ता ।
१८७७ बल्लभदास बालजी पब्लिक लाइब्रेरी बारसोद पूर्व खानदेश ।
१८७८ पारीख बल्लभराम हेमचन्द मगरक लाइब्रेरी विसनगोर (मेहसना) ।
१८८२ पै० बी पेटीट रीडिङ्ग रूम लाइब्रेरी ऐण्ड पब्लिक हाल विलिमोरा सूरत ।

१८८२ टासलसा पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता ।
१८८३ बाग बाजार रीडिङ्ग रूम लाइब्रेरी कलकत्ता ।
१८८३ बिहार हितैषी लाइब्रेरी पटना ।
१८८३ हाल आफ थियासोफी मदुराई ।
१८८४ चंपा पब्लिक लाइब्रेरी हुबली ।
१८८४ पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी लाहौर ।
१८८५ बैली साधारण ग्रन्थागार बैली हुबली ।
१८८५ सार्वजनिक वाचनालय बीजापुर ।
१८८६ बजार लाइब्रेरी बजार, मद्रास ।
१८८६ गोपाल राव पब्लिक लाइब्रेरी कुम्भकोणम, तंजौर ।
१८८५ नोहिटी पब्लिक लाइब्रेरी हुबली ।
१८८६ शामल लाइब्रेरी ऐण्ड रीडिङ्गरूम मेरठ ।
१८८६ हुसराज लाइब्रेरी अम्बाला ।
१८८७ देसाई मानजी गोमल जी ऐण्ड सेठ जमरशाह हर चीमन लाइब्रेरी पोरबन्दर ।

१८८७ श्री विक्टोरिया युवकी लाइब्रेरी जसनेर, काठियावाड़ ।
१८८७ हैमरसभा लाइब्रेरी सैदपुर ।
१८८८ सुवर्ण रीडिङ्ग रूम कलकत्ता ।
१८८९ भारती भवन पुस्तकालय इलाहाबाद ।
१८८९ चैतन्य लाइब्रेरी ऐण्ड बीडन स्क्वायर लिटरेरी क्लब कलकत्ता ।
१८९० कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास ।
१८९० बार्टन लाइब्रेरी भावनगर ।
१८९० श्रीमंत फतेहसिंह राव सार्वजनिक लाइब्रेरी नवसा, पाटन ।
१८९१ ब्लावत्स्की लाज लाइब्रेरी थियासोफिकल सोसाइटी बम्बई ।
१८९१ बंसबेरिया पब्लिक लाइब्रेरी बंसबेरिया हुबली ।
१८९२ ए० एम० हाई स्कूल लाइब्रेरी मलिबार तेर ।

१८९३ नाग भाषा पुस्तकालय नागरी० प्र० सभा० बनारस।
१८९३ पब्लिक लाइब्रेरी पटना बड़ौदा।
१८९३ बंगीय साहित्य परिषद कलकत्ता।
१८९३ मराठी ग्रंथ संग्रहालय थाना बम्बई।
१८९४ काटन लाइब्रेरी कुमारी आसाम।
१८९५ राजाराम सीताराम दीक्षित लाइब्रेरी सीताबर्डी नागपुर।
१८९६ मावलसा ताकुका सार्वजनिक लाइब्रेरी मावलसा।
१८९६ मदुराई सि० वी० टुमरिङ्ग लाइब्रेरी वेरियाकुलम् मदुराई।
१८९६ श्रीजगनराव पब्लिक लाइब्रेरी श्रीमन्तार्ग सितारा।
१८९७ राजेन्द्र विक्टोरिया डाइमंड जुबली पब्लिक लाइब्रेरी पटियाला।
१८९८ मङ्गिमाई दयाभाई सार्वजनिक पुस्तकालय बर्मीज चौके।
१८९८ मुम्बई मराठी ग्रन्थ संग्रहालय ठाकुरद्वारा बम्बई।
१८९८ श्री गौतमी लाइब्रेरी राजा मुन्द्री ईस्ट गोदावरी।
१८९८ श्री प्रताप सिंह पब्लिक लाइब्रेरी श्रीनगर, कश्मीर।
१८९८ श्री सिवजी सार्वजनिक पुस्तकालय म्यारा सूरत।
१८९८ श्री सयाजी वैभव सार्वजनिक पुस्तकालय नवसारी सूरत।
१८९९ श्री रामचन्द्र लाइब्रेरी बारीपद।
१९०० नागरी प्रचारिणी सभा लाइब्रेरी आरा।
१९० पंडित मोतीलाल म्युनिस्पल पब्लिक लाइब्रेरी अमृतसर।
१९०० स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी भरतपुर।
१९०१ म्युनिस्पल विक्टोरिया मेमोरियल पब्लिक लाइब्रेरी ऐण्ड रीडिङ्ग रूम, वेल्लोरी।
१९ १ सारस्वत ओरियन्टल लाइब्रेरी कुम्भकोणम तंजौर।
१९०२ माबू पब्लिक लाइब्रेरी माबू हावड़ा।
१९०२ पैट्रियाटिक लाइब्रेरी ऐण्ड फ्री रीडिङ्ग रूम कलकत्ता।
१९ ३ आसाम गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी शिलांग आसाम।
१९ ३ कर्जन हाल लाइब्रेरी, गौहाटी।
१९०४ विक्टोरिया पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता।
१९ ४ पंचमेस हिन्दु असोसिएशन लाइब्रेरी इलोर, वेस्ट गोदावरी।
१९०५ एम० एस रामबाई साहब वाचनालय जमखंडी बीजापुर।
१९०५ रामकृष्ण लाइब्रेरी ऐण्ड फ्री रीडिङ्ग रूम कलकत्ता।
१९०५ सर्वेन्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी लाइब्रेरी रायपेटम।

१९०७ कमल सार्वजनिक पुस्तकालय कर्जन बड़ौदा ।
१९०७ मैसोर प्रोग्रेसिव यूनियन फ्री रीडिंग रूम ऐण्ड लाइब्रेरी मैसोर ।
१९०७ विक्टोरिया स्मारक हाल मथुरा ।
१९ ७ श्री समाजी स्मोरीचकोष पुस्तकालय सिनोर, बड़ौदा ।
१९०७ सेठ लक्ष्मीचन्द सुन्दर जी पब्लिक लाइब्रेरी सिद्धपुर, मेहसना ।
१९०८ अजमेर म्युनिस्पल पब्लिक लाइब्रेरी अजमेर ।
१९०८ सरदार दयालसिंह पब्लिक लाइब्रेरी लाहौर ।
१९०८ सेठ माधवलाल मार्ईमोहनलाल पब्लिक लाइब्रेरी मेहसाना ।
१९०९ श्रीसयाजी गोल्डेन जुबली सार्वजनिक पुस्तकालय बीजापुर, मेहसना ।
१९०९ सेठ एम० आर० पब्लिक लाइब्रेरी खेड़ा ।
१९१० अमीरुद्दौला गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी लखनऊ ।
१९१० एम० एम० अमीन सार्वजनिक पुस्तकालय भदियाद खेड़ा ।
१९१० मिल्वार्नर लाइब्रेरी ऐण्ड फ्री रीडिंग रूम कलकत्ता ।
१९१ महेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी महेश्वर, हुगली ।
१९१० श्रीमान् मुनी महाराज श्रीमोहनलाल जी जैन सेंट्रल लाइब्रेरी बम्बई,
१९१० सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी लाइब्रेरी पूना ।
१९१ सेन्ट्रल लाइब्रेरी बड़ौदा ।
१९११ मन्नालाल पुस्तकालय गया ।
१९११ नार्थ इन्टली कमला लाइब्रेरी, टेंगरा कलकत्ता ।
१९११ राजाधिराज कान्त गुप्त मेमोरियल लाइब्रेरी कलकत्ता ।
१९११ रामामोहन फ्री लाइब्रेरी ऐण्ड रीडिंग रूम बैंगवाड़ा ।
१९११ सेन्ट्रल जैन ओरियण्टल लाइब्रेरी आरा ।
१९११ हमीदिया स्टेट लाइब्रेरी भूपाल ।
१९११ करन्त थाई तामिल संगम लाइब्रेरी करन्तमकुडी, तंजौर ।
१९१२ सेन्ट्रल पब्लिक लाइब्रेरी राजपुर ।
१९१२ श्रीभाषा संजीवनी संघम अमृतापुर, तेनाली ।
१९१२ हिन्दी पुस्तकालय हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद ।
१९१३ छगनलाल पीताम्बरदास परीख फ्री पब्लिक लाइब्रेरी मेहसाना ।
१९१३ दफ्तर पब्लिक लाइब्रेरी हवड़ा ।
१९१३ महाराष्ट्र वाचनालय तिलक मन्दिर, जबलपुर ।
१९१३ श्री के० आर० वी० के० लाइब्रेरी काकीनाडा ईस्ट गोदावरी ।

१९११ पीपिल्स रिक्रियेशन लाइब्रेरी ऐण्ड रीडिंग रूम वांचीयूर त्रिवेन्द्रम ।
१९११ सार्वजनिक पुस्तकालय कादी मेहसाना व गुजरात ।
१९१२ सुहृद परिषद ऐण्ड हेमचन्द्र ग्रन्थागार, बाँकीपुर, पटना ।
१९१३ हिन्दी प्रचार लाइब्रेरी मद्रास ।
१९१४ पलसाना सार्वजनिक पुस्तकालय पलसाना सूरत ।
१९१४ पब्लिक लाइब्रेरी मैसूर ।
१९१४ पब्लिक लाइब्रेरी शेषाद्रि अय्यर मेमो० हाल बंगलौर ।
१९१४ मारवाड़ी हिन्दी पुस्तकालय बम्बई ।
१९१४ कैलोल पब्लिक लाइब्रेरी कैलोल बीजापुर मेहसाना ।
१९१४ श्री बारमेल लाइब्रेरी नागौद सतना ।
१९१४ श्री रामचन्द्र ग्रन्थालय पोडूर (वेस्ट गोदावरी) ।
१९१४ शारदा सदन पुस्तकालय लालगंज मुजफ्फरपुर
१९१५ प्रेमभवन पुस्तकालय इलाहाबाद ।
१९१५ मारवाड़ी पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली ।
१९१५ माइकेल मधुसूदन लाइब्रेरी कलकत्ता ।
१९१५ वराहमिहिराचार्य पुस्तकालय पटना ।
१९१५ श्री एस वी० लाइब्रेरी पिठापुरम् (ईस्ट गोदावरी) ।
१९१५ सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी जोधपुर ।
१९१६ बेली सरस्वती पाठागार बेली हवड़ा ।
१९१६ श्री ईश्वर पुस्तक भाण्डागारम् रामराव पेट काकिनाडा ।
१९१६ श्री सयाजी सार्वजनिक लाइब्रेरी डभोई, बड़ौदा ।
१९१६ संस्कृत साहित्य परिषद्, कलकत्ता ।
१९१७ नेशनल लाइब्रेरी बन्दर बम्बई ।
१९१७ महाराजा गजपति राव हिन्दू रीडिंग रूम ऐण्ड लाइब्रेरी विशाखा ।
१९१७ माधव मेमोरियल लाइब्रेरी, सलकिया ।
१९१७ श्री सिद्धेश्वर मुफ्त वाचनालय अथाणि ।
१९१७ सार्वजनिक वाचनालय ऐण्ड जिला ग्रन्थालय अलीबाग कोलाबा ।
१९१८ कृष्ण राजेन्द्र डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऐण्ड रीडिंग रूम चिकमगलू
मैसूर ।
१९१८ तंजौर महाराज सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी तंजौर (स्थापि
१५९५) ।
१९१८ भारत ग्रन्थालयम्, पोनाटा ।

१९४१ मयूरम् आधीनम् लाइब्रेरी मयूरम् ।
१९४१ हिन्दू धर्म संस्कृति मन्दिर अमतोली नागपुर ।*

इन पुस्तकालयों का विस्तृत विवरण देना यहाँ सम्भव नहीं है किन्तु इनमें से दो पुस्तकालयों के विषय में यहाँ संक्षेप में जान लेना आवश्यक है —

१ इम्पीरियल लाइब्रेरी, और २. हिन्दी संग्रहालय ।

(१) इम्पीरियल लाइब्रेरी

आजकल जिसे 'नेशनल लाइब्रेरी' या स्वतन्त्र भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहते हैं उसकी स्थापना ब्रिटिशकाल में हुई थी । इसका संक्षिप्त विकास इस प्रकार हुआ —

'इङ्गलिश मैन' समाचार-पत्र के सम्पादक श्री जे० एच० स्टाकेलर महोदय थे । उनके मन में कलकत्ता में एक पब्लिक लाइब्रेरी स्थापित करने का विचार चला । उन्होंने १८३५ ई० में इस सम्बन्ध में एक अभिमतपत्र प्रसारित करवाया जिसमें इस पुस्तकालय की योजना रखी । कलकत्ता के ११६ प्रमुख सज्जनों ने उनकी इस योजना का समर्थन किया । उसके फलस्वरूप ३१ अगस्त १९३५ 'टाउनहाल' में सरजॉन पेटर ग्रांट की अध्यक्षता में एक पब्लिक मीटिङ्ग हुई । उसमें २४ सदस्यों की एक अस्थायी समिति बनाई गई जिसमें दो हिन्दुस्तानी सदस्य भी थे । जे० एच० स्टॉकेलर महोदय प्रथम अवैतनिक मन्त्री चुने गए और ८ मार्च १८३६ से पुस्तकालय का काम प्रारम्भ कर दिया गया ।

पुस्तकालय का श्रीगणेश व्यक्तिगत लोगों से मिली पुस्तकों तथा गवर्नर जनरल की आज्ञा से फोर्ट विलियम कालेज से प्राप्त ४६७५ पुस्तकों के संग्रह को लेकर हुआ । पुस्तकालय के लिए 'टाउनहाल' में स्थान प्राप्त करने की कोशिश की गई किन्तु सफलता न मिली । प्रारम्भ में पुस्तकालय को डा० एफ० पी० स्ट्राङ्ग के मकान में रखा गया । उसके बाद १८४१ ई० में फोर्ट विलियम कालेज के हिस्से में स्थान मिल गया और वहाँ पर उसे व्यवस्थित किया गया ।

---

* ऊपर विभिन्न प्रकार के कुछ प्रसिद्ध पुस्तकालयों के नाम विकास-क्रम के अनुसार दिये गए हैं । प्रत्येक वर्ग के इन पुस्तकालयों में अनेक बड़े पुस्तकालय ऐसे भी हैं जिनका स्थापना-काल उपलब्ध साधनों से ज्ञात नहीं हो सका । जैसे पटना की खुदाबक्श लाइब्रेरी आदि । अतः उनके नाम इसमें नहीं दिए जा सके ।

सन् १८४० ई० में सरकार से कुछ जमीन मिल गई थी। उसी पर 'मेटकाफ भवन' बना और जून सन् १९४४ में उसी भवन के ऊपरी भाग में पुस्तकालय रख दिया गया।

सदस्यता के नियम

प्रारम्भ में पुस्तकालय के सदस्यों की तीन श्रेणियाँ बनाई गईं। उनमें से तीसरी श्रेणी के लोगों को पुस्तकें या पत्रिकाएँ ले जाने की अनुमति नहीं थी। १८५७ में शुल्क की दर फिर से निर्धारित की गई। १८६४ ई० में आजीवन सदस्यता का नियम लागू करके एक चौथी श्रेणी भी बनाई गई। इस श्रेणी के सदस्यों को सिर्फ पुरानी पुस्तकें मिल सकती थीं। पुस्तकालय ९ बजे सवेरे से लेकर शाम तक (छुट्टियों को छोड़ कर) खुला रहता था। १८४९ ई० में प्रवेश-शुल्क हटा लिया गया तथा एक रुपया मासिक फीस बनाई गई। इस तरह पुस्तकालय की आमदनी न कमी हुए बिना ही उसकी उपयोगिता बढ़ गई। १८८९ के अगस्त में पाठकों की संख्या सिर्फ ११० थी मगर दिसम्बर में १२१ हो गई।

म्युनिसिपल लाइब्रेरी के रूप में

१५ जनवरी १८९० को नगरपालिका के सदस्यों की एक बैठक हुई। उसमें नगरपालिका ने पुस्तकालय का सारा खर्च अपने ऊपर ले लिया। पुस्तकालय की व्यवस्था के लिए एक संयुक्त समिति बनाई गई जिसके आधे सदस्य नगरपालिका की ओर से और आधे पुस्तकालय के संरक्षकों तथा सदस्यों के द्वारा चुने गए। २० अप्रैल १८९० से पुस्तकालय की व्यवस्था नगरपालिका के हाथ में पूरी तौर से सौंप दी गई। पुस्तकालय के लिए फिर से नियम बनाए गए और पुस्तकों की एक साधारण सूची (डिक्शनरी कैटेलाग के रूप में) तैयार करने का काम शुरू किया गया। १८९० ई० के जुलाई महीने में एक निःशुल्क सार्वजनिक वाचनालय खोला गया। बच्चे किराये वाचनालय के साथ एक रिफ्रेंस लाइब्रेरी की भी स्थापना हुई। इन कामों से पुस्तकालय बहुत ही लोकप्रिय हो गया। धीरे-धीरे सदस्यों की संख्या भी बढ़ने लगी। १८९२-९३ में सदस्यों की संख्या १२७८० हो गई। बंगाल सरकार ने भी ५००० रुपये की ग्रांट पुस्तकालय के पुनर्गठन काम के लिए दी।

इम्पीरियल लाइब्रेरी

सरकारी कई विभागों की पुस्तकों को मिला कर 'इम्पीरियल लाइब्रेरी'

नामक लाइब्रेरी की स्थापना कलकत्ता के दीवानी सचिवालय में १८९१ ई० में हुई थी। लार्ड कर्जन के उद्योग से इस इम्पीरियल लाइब्रेरी और ऊपर की कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी (म्युनिसिपल लाइब्रेरी) इन दोनों को १९०२ ई० में मिला दिया गया और इसका नाम 'इम्पीरियल लाइब्रेरी' रखा गया। इसका नए सिरे से कैटलाग तैयार किया गया। इसका उद्देश्य यह था कि यह पुस्तकालय अध्ययन का केन्द्र बन जाय और भारत के भावी इतिहासकारों के लिए आवश्यक सामग्रियों का संग्रहालय सिद्ध हो। साथ ही भारत से सम्बन्धित समस्त साहित्य यहाँ हो जिसका उपयोग लोग सरलतापूर्वक कर सकें। ३० जनवरी सन् १९०३ ई० में इस पुस्तकालय का द्वार सर्वसाधारण के लिए खोल दिया गया। लार्ड कर्जन ने इस पुस्तकालय के सम्बन्ध में अपने अभिभाषण में इस प्रकार कहा था —

"कलकत्ते में हमें एक ऐसे पुस्तकालय का निर्माण करना चाहिए जो भारतीय साम्राज्य की राजधानी इस नगरी के गौरव के उपयुक्त हो सके।"

ब्रिटिश म्युजियम लन्दन के सहायक लाइब्रेरियन श्री जॉन मैकफरलेन इसके लाइब्रेरियन बनाए गए। उन्होंने अपनी योग्यता, अनुभव और कार्य-पटुता के द्वारा पुस्तकालय को अप-टू-डेट और लोकोपयोगी बना दिया। इसके बाद पुस्तकों की संख्या में वृद्धि होती रही। १९०३ में पाठकों की संख्या सिर्फ १५०९१ थी परन्तु १९४० में ७११८४ तक पहुँच गई। इस पुस्तकालय को १९०४ ई० में बिहार (दरभंगा) के जमींदार सैयद सदरुद्दीन अहमद का निजी संग्रह भेंट स्वरूप प्राप्त हुआ। इस संग्रह में १५०० छपी तथा ८५० हस्तलिखित महत्त्वपूर्ण पुस्तकें थीं।

सबसे कीमती पुस्तक

विश्व की सबसे कीमती पुस्तक कुरान की एक प्रति है जिसे अफगानिस्तान के अमीर को फारस के शाह ने उपहार स्वरूप दी थी। आजकल यह भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय की सम्पत्ति है। इस पुस्तक में सोने के कागज हैं और ८० बहुमूल्य रत्न इसमें जड़े हुए हैं। इन रत्नों में ६७ मोती हैं १३२ लाल और १०९ हीरे। पुस्तक की कीमत ३,००० पौंड (लगभग ४ लाख रुपये) आँकी गई है।

रिचे समिति

१९२६ ई० सरकार ने इम्पीरियल लाइब्रेरी के कार्यों की जाँच और उसके विकास के लिए जे० ए० रिचे महोदय की अध्यक्षता में एक समिति



स्वर्गीय रायबहादुर के० एम० [illegible]गुप्ता

[पृ० ८१]

बनाई। समिति ने पुस्तकालय की व्यवस्था स्थान और अर्थ सम्बन्धी सारी बातों की छान-बीन के बाद और निम्नलिखित सिफारिशें की —

१ इम्पीरियल लाइब्रेरी का रूप एक रिफ्रेंस लाइब्रेरी का होना चाहिए तथा इसमें हिन्दुस्तान सम्बन्धी सारी पुस्तकों का संग्रह हो।

२ इम्पीरियल लाइब्रेरी का रूप एक ऐसे केन्द्रीय पुस्तकालय का होना चाहिए कि जिससे हिन्दुस्तान के किसी भी भाग के व्यक्ति को अपने विशेष अध्ययन के लिए पुस्तकें मिल सकें।

३ पुरानी परिषद् के बदले नई परिषद् का निर्माण होना चाहिए और साधारण व्यवस्था एक छोटी समिति के हाथों सौंप दी जानी चाहिए।

४ पुस्तकालय-सम्बन्धी का पूरा व्यय केन्द्रीय रेवन्यू से मिले परन्तु वाचनालय का खर्च प्रान्तीय रेवन्यू से मिले।

अभी तक पुस्तकालय मेटकाफ भवन में था। लेकिन वहाँ स्थान की कमी पड़ने के कारण बाद में ६ एसप्लैनेड के सरकारी भवन में इसे स्थानान्तरित करके रखा गया। ब्रिटिशकाल तक यह पुस्तकालय इसी भवन में रहा और धीरे-धीरे रिपे समिति की सिफारिशों के अनुसार इसकी व्यवस्था हुई।

श्री के० एस० असदुल्ला

स्व० श्री असदुल्ला साहब १९११ ई० में इम्पीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन नियुक्त किये गए। उन्होंने बड़ी लगन और तत्परता से इस लाइब्रेरी की सेवा की। उन्होंने १९३५ ई० में ब्रिटिश सरकार से मंजूरी ले कर इस लाइब्रेरी में एक ट्रेनिङ्ग कोर्स भी चालू किया। उन्होंने अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ की भी स्थापना यहीं पर की। ब्रिटिशकाल तक वे ही इस पुस्तकालय के अध्यक्ष पद पर बने रहे।

(२) हिन्दी संग्रहालय

यह राष्ट्रभाषा हिन्दी का एक अनुशीलन केन्द्र और हिन्दी प्रेमियों का तीर्थ है। प्रयाग में हिन्दी साहित्य सम्मेलन कार्यालय के साथ ही यह संग्रहालय अपने निजी भवन में व्यवस्थित है। इसका शिलान्यास आयोध्यावासी स्व० लाला सीताराम जी ने ११ मई १९३२ ई० को किया था। १२४५५ रुपये की लागत से २½ वर्ष में इसका भवन बन कर तैयार हुआ। इस ऐतिहासिक भवन और सांस्कृतिक केन्द्र को इस प्रकार का स्वरूप देने का मुख्य श्रेय राजर्षि श्री पुरुषोत्तमदास जी टंडन को है। इस संग्रहालय का उद्घाटन राष्ट्रपिता गांधी जी ने ५–१–३६ ई० को किया था। संग्रहालय का भीतरी हाल ९० × ४० फुट

हिन्दी, संस्कृत पाली प्राकृत तामिल उर्दू मराठी, गुजराती, तेलुगु, अरबी और पंजाबी आदि हैं।

२ हस्तलिखित विभाग में योरोपीय भाषाओं के भी अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं किन्तु प्राच्य भाषा की पोथियों का तो अनुपम संग्रह है। इसमें अरबी पर्शियन संस्कृत तिब्बती चीनी बंगला हिन्दी गुजराती, मराठी उड़िया पश्तो और उर्दू की पोथियां मुख्य हैं। संस्कृत अरबी, पर्शियन और तिब्बती भाषाओं की पोथियों की संख्या १९,५०० है। इसी प्रकार उर्दू, मराठी हिन्दी गुजराती पश्तो उड़िया और बंगला की पोथियां भी पर्याप्त संख्या में हैं। इनके अतिरिक्त बर्मा स्याम इण्डोनेशिया और इसी आदि देशों की भाषाओं के भी कई सौ ग्रंथ हैं। इस विभाग की पोथियों की कुछ वर्गीकृत सूचियां १८८७ से १९३५ के बीच छप चुकी हैं और कुछ छपने के लिए तैयार हो गई हैं।

३ चित्रकला विभाग में भारतीय जीवन से सम्बन्धित पाश्चात्य कलाकारों के लगभग १५०० सुन्दर चित्र संगृहीत हैं। साथ ही पर्शियन भाषा की पोथियों में २००० चित्र उस समय के अमर कलाकारों की स्मृति के रूप में मौजूद हैं। इस विभाग के चित्रों के संग्रह दो सीरीज में निकल चुके हैं।

४ फोटो विभाग में भारतीय चित्र वास्तुकला और पुरातत्व से संबंधित लगभग २३०० निगेटिव प्लेट्स और लगभग १०००० विभिन्न प्रकार के चित्रों का संग्रह है।

५. फुटकर सामग्री में ग्रामोफोन रिकार्ड्स और भारतीय कढ़ाई-बुनाई के नमूने आदि संगृहीत हैं।

उधार के नियम

इस महान पुस्तकालय से विशिष्ट संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों को ही पुस्तकें उधार दी जा सकती हैं। साधारण रूप से सभी को वहीं पर बैठ कर सामग्री का उपयोग करने की सुविधा दी जाती है, घर के लिए नहीं। किसी सामग्री की प्रतिलिपि करने की सुविधा भी विशेष स्थिति में कर दी जाती है।

इस प्रकार यह पुस्तकालय इग्लैंड में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में अंग्रेजी शासन के आखिरी दिनों तक समृद्ध होता रहा।

पुस्तकालय संघों की स्थापना

पुस्तकालय के व्यापक प्रसार के लिए ब्रिटिश शासनकाल में अखिल भारतीय और प्रान्तीय स्तर पुस्तकालय-संघों की भी स्थापना हुई।

अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय संघ (ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन)

सन् १९१८ ई० में भारत में ब्रिटिश सरकार ने लाहौर में एक अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन का आयोजन किया। अन्य प्रान्तों ने अपना प्रतिनिधि भेजना चाहा किन्तु सरकार ने अनुमति नहीं दी। लाहौर के इस सम्मेलन ने संघ को सिर्फ सरकारी पुस्तकालयों के संघ का रूप दिया। इस पर अन्य के पुस्तकालय कार्यकर्ता ने समस्त भारत की सेवाओं के लिए एक केन्द्रिय संघ की स्थापना की। श्री नरसिंह शास्त्री और श्री इयाकी वेंकट रमैया की लगन और प्रयत्नों से १९१९ ई० में इस संघ का प्रथम अधिवेशन श्री जे० एस० कुधोलकर (बड़ौदा राज्य के पुस्तकालय विभाग के संचालक) की अध्यक्षता में मद्रास में हुआ। इस प्रकार १९२० ई० में 'अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय संघ' की विधिवत् स्थापना हुई। इसका लक्ष्य गैर सरकारी सार्वजनिक पुस्तकालयों का संगठन करना था। इसके वार्षिक सम्मेलन के साथ-साथ 'अखिल भारतीय पुस्तक तथा पत्र-पत्रिका प्रदर्शनी' भी हुई, जिसका उद्घाटन मद्रास के तत्कालीन गवर्नर लार्ड विलिंग्डन ने किया। इस संघ का दूसरा सम्मेलन श्री एस० आर० जायकर की अध्यक्षता में १९२१ ई० में कोकनाद में हुआ। १९२४ ई० में जुलाई से 'भारतीय पुस्तकालय पत्रिका' (इण्डियन लाइब्रेरी जनरल) का भी प्रकाशन इस ने शुरू किया। इस सार्वजनिक पुस्तकालय संघ के अगले सम्मेलन बेलगाँव मद्रास कलकत्ता लाहौर, बेजवाड़ा आदि में हुए। इनमें सर राधाकृष्णन्, सी० आर० दास डा० प्रमथनाथ बनर्जी सर प्रफुल्लचन्द्र राय डा० मोतीचन्द डा० बी० एस० राव, डा० आसहार्ट और पन्नलाल्की के राजा साहब आदि महान् व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हुआ। इस संघ की प्रेरणा से बंगाल मद्रास और हैदराबाद आदि में पुस्तकालय संघों स्थापना भी हुई।

नया मोड़

लेकिन जब १९३० ई० में एशियाई शिक्षा सम्मेलन बनारस में, हुआ तो उस सम्मेलन के साथ-साथ एक पृथक् 'पुस्तकालय-सेवा विभाग' का भी जन्म हुआ। एक प्रस्ताव द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि 'अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय संघ' प्रान्तों में चलने वाले पुस्तकालयों के

कार्यों को सुव्यवस्था करें परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ भी काम न हो सका। यह काम पंजाब के स्व० श्रीमान् चन्द्रजी का किया गया था।

अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना

अब जो अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ चल रहा है उसकी स्थापना सन् १९३३ में हुई। सन् १९३३ में सितम्बर मास के कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसका नाम रखा गया प्रथम 'अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन'। वास्तव में यह सम्मेलन पहले वाले 'अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय संघ' के विरोध में एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। इस सम्मेलन के लोगों का कहना था कि 'अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय संघ' में पुस्तकालय के पेशे (प्रोफेशन) से सम्बन्धित लोग नहीं हैं। अस्तु, कलकत्ता के उक्त सम्मेलन के अध्यक्ष डा० एम० ओ० टामस और मन्त्री यू० एन० ब्रह्मचारी चुने गए। इस सम्मेलन के स्वागत मन्त्री इम्पीरियल लाइब्रेरियन श्री के० एम० असदुल्ला साहब थे। भारत सरकार के शिक्षा विभाग के कमिश्नर श्री आर० लिटलहेल ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। बड़ी धूमधाम रही। संघ की स्थापना हुई और पंजाब विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्री ए० सी० वुल्नर महोदय इस संघ के प्रथम अध्यक्ष और श्री के० एम० असदुल्ला मन्त्री चुने गए। संघ का कार्यालय कलकत्ता में रखा गया।

पुराना 'अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय संघ' १९३७ ई० तक ही चलता रहा उसके बाद भङ्ग हो गया।

अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ की प्रगति

अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ का रजिस्ट्रेशन १९३३ में हुआ। इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं —

१ भारत में पुस्तकालय आन्दोलन की उन्नति करना।

२ भारत में पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रशिक्षित कर उनकी उन्नति करना।

३ पुस्तकालय-विज्ञान में शोध कार्य को बढ़ाना।

४ पुस्तकालयाध्यक्षों की सेवा की दशा और स्थिति में सुधार।

५. समान उद्देश्य के अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना।

इस संघ ने सन् १९३८ में एक 'इण्डियन लाइब्रेरी डाइरेक्टरी' तैयार करके प्रकाशित की। इस संघ के अधिवेशन नियमानुसार हर दो वर्ष पर होते रहे। उनके विवरण इस प्रकार हैं —

क्रम	वर्ष	स्थान	अध्यक्ष
द्वितीय अधिवेशन	१९३५	लखनऊ	डा० ए० सी० वुलनर।
तृतीय अधिवेशन	१९३७	दिल्ली	डा० अली मुहम्मद।
चतुर्थ अधिवेशन	१९३९	पटना	डा० सच्चिदानन्द सिन्हा
पंचम अधिवेशन	१९४२	बम्बई	सार्जेण्ट साहब।
षष्ठ अधिवेशन	१९४४	जयपुर	जे० सी० रोल्स।
सप्तम अधिवेशन	१९४६	बड़ौदा	डॉ० बहादुर अली मुल्लक।

इस संघ की प्रेरणा से अन्य प्रान्तों में भी पुस्तकालय-आन्दोलन को बल मिला और काफी जागृति हुई।

संघ की ओर से 'लाइब्रेरी बुलेटिन' का प्रकाशन १९४१ से १९४६ तक होता रहा। उसके बाद 'अथविका' पत्रिका प्रकाशित होती रही।

भारत में पुस्तकालय आन्दोलन

पुस्तकालय-आन्दोलन मानव आवश्यकताओं के अनुसार पुस्तकालयों के अभ्युदय का एक संगठित रूप है। आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य जनसाधारण में ज्ञान का प्रचार करना है और इसका प्रमुख साधन है पुस्तकालय। यह आन्दोलन आधुनिक युग की ही चीज है। ग्रेट ब्रिटेन में इसका आरम्भ सौ वर्ष पूर्व, अमेरिका में अस्सी वर्ष पूर्व और योरोप के अन्य देशों में तथा जापान में पैंतालिस वर्ष पूर्व हुआ था।

पुस्तकालय-आन्दोलन की सफलता के लिए दो अवस्थाएँ आवश्यक रूप से अपेक्षित हैं। एक तो पुस्तकों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि और दूसरे ज्ञान के भण्डार को जनसाधारण तक पहुँचाने के लिए समाज में तीव्र जागृति। भारत में इन दोनों अवस्थाओं का अनुभव और चिन्तन बहुत बाद में हुआ। भारत में पुस्तकालय-आन्दोलन प्रारम्भ तो हुआ किन्तु यह कोई राष्ट्रीय आन्दोलन नहीं था और न तो उसे कोई कानूनी सहायता ही प्राप्त थी। यह आन्दोलन भारत में कहाँ से और कब से प्रारम्भ हुआ और इसका कैसे विकास हुआ इसका संक्षिप्त परिचय प्रान्तीय स्तर पर इस प्रकार है:—

ब्रिटिश शासनकाल में भारत अनेक प्रान्तों और देशी रियासतों में बँटा हुआ था। उनमें से देशी रियासतों को अपने क्षेत्र के अन्दर शिक्षा आदि प्रत्येक बात की पूरी स्वतन्त्रता थी। केवल बाहरी मामलों में अंग्रेजी सरकार का अंकुश बल पर रहता था। ऐसी रियासतों में बड़ौदा एक प्रगतिशील रियासत थी और वहीं से सन् १९१० ई० में पुस्तकालय-आन्दोलन का श्रीगणेश हुआ।

बड़ौदा पुस्तकालय-आन्दोलन

बड़ौदा में स्व० सर सयाजी राव गायकवाड़ का शासनकाल रियासत के लिए स्वर्ण युग था। वे पुस्तकालय-आन्दोलन के भविष्यद्रष्टा थे। उन्होंने अपनी रियासत में जनता की सामाजिक शिक्षा के लिए पुस्तकालय-आन्दोलन का सूत्रपात किया। उनके निजी पथ-प्रदर्शन और देख-रेख में १९१० ई० में पुस्तकालय का एक स्वतन्त्र विभाग खोला गया। इस विभाग की योजना थी कि मनुष्य बौद्धिक जीवन तथा अधिक सम्पन्न जीवन के उच्च-स्तर को समझ सके और उस अनुभव द्वारा इस जीवन को प्राप्त करने की प्रेरणा ले सके। तदनुसार चार प्रकार के पुस्तकालयों की स्थापना की कल्पना की गई —

१ जिला पुस्तकालय, २. तालुका पुस्तकालय ३ नगर पुस्तकालय और ४ ग्राम पुस्तकालय।

ऐसा विचार किया गया कि जिला-नगर पुस्तकालय प्रत्येक जिले के हेडक्वार्टर में और तालुका पुस्तकालय प्रत्येक तालुका हेडक्वार्टर में होना चाहिए। ग्राम पुस्तकालय की स्थापना जहाँ तक हो प्रत्येक गाँव में होनी चाहिए और खास तौर से ऐसे गाँवों में जहाँ प्राथमिक स्कूल हों। फिर ये पुस्तकालय भी एक चल पुस्तकालय के अनुविभाग द्वारा अनुपूरित हों। इन पुस्तकालयों को विभाग द्वारा ग्रांट मिलने की शर्त यह थी कि वहाँ की जनता मिल कर ग्रांट के बराबर रुपया देने को तैयार हो जाय। जिला पुस्तकालयों के लिए ज्यादा से ज्यादा ७०००) तालुका और नगर पुस्तकालयों के लिए १०००) तथा गाँव पुस्तकालयों के लिए १००) सहायता निश्चित की गई। चल अनु-विभाग का पूरा व्यय सरकार देती थी।

श्री बोर्डन महोदय इस पुस्तकालय-विकास योजना के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस प्रकार धीरे-धीरे इस राज्य में १९४७ तक १५०० संस्थाएं हो गई जिनमें ४ जिला पुस्तकालय ७२ तालुका एवं नगर पुस्तकालय और बाकी गाँव पुस्तकालय तथा वाचनालय। कुछ जिला और तालुका के हेड क्वार्टर्स में महिलाओं तथा बच्चों के लिए अलग व्यवस्था थी। उन्हें सरकारी अनुदान मिलता था। गाँव पुस्तकालय प्रायः गाँव की पाठशालाओं में खोले गए थे। लेकिन धीरे-धीरे सन् १९३० से उनके लिए स्वतन्त्र भवन बनवाने के लिए पुस्तकालय-विभाग ने सहायता देनी शुरू की थी। १९४७ ई० तक १९४ ग्राम पुस्तकालयों के अपने निजी भवन भी हो गए।

अनुवाद कार्यालय

बड़ौदा सरकार ने अच्छी पुस्तकों के प्रकाशन को सहायता देने के लिए

१९१० ई० में एक 'अनुवाद कार्यालय' की भी स्थापना की। उसके द्वारा गुजराती मराठी तथा हिन्दी की पुस्तकें प्रकाशित की जाती थीं। कुछ समय बाद इस कार्यालय से 'ग्राम विकास माला' नामक एक 'सीरीज' प्रकाशित की।

सहायक संस्थाएँ

देहाती पुस्तकालयों को सहायता देने वाली एक संस्था 'उपभोक्ता सहकारी समिति' की स्थापना कुछ उत्साही पुस्तकालय-प्रेमियों द्वारा १९२४ ई० में हुई। यह समिति संगठित रूप से पुस्तकालय के सदस्यों को पुस्तकें फर्नीचर, समाचारपत्र, मासिक पत्रिकाएँ आदि वस्तुएँ भेजा करती थी। यह सेविंग बैंक का भी काम करती थी। यह समिति पुस्तकालय-विज्ञान तथा जनरुचि की पुस्तकें भी प्रकाशित करने लगी। इसी समिति ने गुजराती में 'पुस्तकालय' नामक मासिक पत्रिका भी निकली।

राज्य पुस्तकालय-संघ

सरकार की मान्यता और गाँट की सहायता से 'बड़ौदा राज्य पुस्तकालय संघ' की भी स्थापना हुई। जिसका उद्देश्य था अपने विविध कार्यों द्वारा पुस्तकालय-संयुक्तकर्ताओं में जीवन-शक्ति का संचार करना। वे सभी मिलकर सभा-सम्मेलन करने ट्रेनिंग आदि का प्रबन्ध करते रहे।

पुस्तकालयों का निरीक्षण ट्रेनिंग कोर्स चलाना कान्फ्रेंस करना 'पुस्तकालय' पत्रिका प्रकाशित करना चुनी पुस्तकों की सूची छापना ग्रामसाहित्य का संग्रह करना। आदि के लिए संघ को १२ रु० की सहायता भी मिली।

चल-पुस्तकालय (ट्रेवेलिंग लाइब्रेरी)

बड़ौदा के चलते-फिरते पुस्तकालयों का उद्देश्य ग्रामवासियों में पुस्तकालय के प्रति चेतना उत्पन्न करना था जिससे वे पुस्तकालय की ओर झुकें और उससे लाभ उठावें। बड़ौदा के केन्द्रीय पुस्तकालय में पुस्तकों की एक बड़ी राशि इकट्ठी की गई और चल पुस्तकालयों द्वारा ये पुस्तकें दूर-दूर तक पहुँचाई जाती थी।

बड़ौदा का केन्द्रीय पुस्तकालय

बड़ौदा शहर के लिए एक केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना की गई। महामहिम महाराज जी ने स्वयं इसके लिए २० पुस्तकें दीं। इसका पूरा खर्च राज्य की ओर से दिया जाता था। इसका विकास एक नगर पुस्तकालय के रूप में हुआ। इस पुस्तकालय ने गुजराती और मराठी के दो विभागों का निर्माण किया जो इन भाषाओं के बड़े विभाग हैं। धीरे-धीरे इस

श्री के० एस० नरसिंह राव श्री के० एस श्रीकण्ठन आदि मुख्य थे जिन्होंने दक्षिण भारत के प्रत्येक भाग का भ्रमण कर इस आन्दोलन को सबल बना दिया।

लाइब्रेरी ऐक्ट

इस संघ ने लाइब्रेरी ऐक्ट बनवाने का बीड़ा उठाया। सन् १९३१ में इसका ड्राफ्ट डा० रङ्गनाथन जी ने तैयार किया। यह १९३३ ई० को श्री बशीर अहमद सईद द्वारा मद्रास विधान सभा में पेश किया।

पुस्तकों का प्रकाशन

इस संघ ने डा० रङ्गनाथन जी द्वारा लिखित पुस्तकालय-विज्ञान की २० पुस्तकें प्रकाशित कीं तथा कुछ फुटकर प्रकाशन भी किया। इन पुस्तकों द्वारा पुस्तकालय जगत् को विशेष लाभ पहुँचा और जागृति की एक नई लहर दौड़ गई।

पुस्तकालयाध्यक्षों की ट्रेनिंग

संघ ने पुस्तकालयाध्यक्षों को ट्रेनिंग देने के लिए सन् १९२९ ई० में डा० रंगनाथन जी के निर्देशन में एक 'ग्रीष्मकालीन स्कूल' चलाना प्रारम्भ किया। मद्रास विश्वविद्यालय की पुस्तकालय समिति ने मद्रास यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में ही इस स्कूल को चलाने की बात मान ली। यहीं पर स्कूल शुरू हुआ किन्तु बाद में सन् १९३१ में मद्रास यूनिवर्सिटी ने इस ट्रेनिङ्ग स्कूल को अपने अन्तर्गत ले लिया। सन् १९३८ ई० में मद्रास यूनिवर्सिटी ने अपनी ओर से डिप्लोमा कोर्स चालू कर दिया। इस प्रकार इस डिप्लोमा कोर्स को शुरू कराने का श्री श्रेय संघ को है।

अन्य कार्य

संघ ने १९३१ ई० में बालकों में पुस्तकालय की पुस्तकों का महत्व समझने तथा पढ़ने की रुचि को बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू की। शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर ने इसको स्वीकार कर लिया। स्कूल के बालकों को विषय दे दिए जाते थे। उस पर वे पढ़ कर सुन्दर ढंग से ६ महीने में निबन्ध लिखकर प्रस्तुत करते थे। संघ सबसे अच्छे निबन्धों पर पुरस्कार देता था। इस प्रकार यह योजना बहुत ही सफल रही।

संघ ने पंचायत द्वारा संचालित तथा अन्य सार्वजनिक पुस्तकालयों को सरकारी ग्रान्ट दिलाने में बहुत सहायता की। संघ के प्रतिनिधि पुस्तकालय-सम्मेलनों में बराबर भाग लेते रहे। लाहौर के पुस्तकालय-सम्मेलन में स्व०

भारत मे पुस्तकालय आन्दोलन के जनक



आचार्य डॉ० एस० आर० रंगनाथन
एम ए एल टी एफ एल ए

श्री एस० सत्यमूर्ति ने तथा बनारस के अखिल भारतीय शिक्षा-सम्मेलन में डा० रंगनाथन जी ने भाग लिया। १९२९ ई० में अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन के पाँचवें अधिवेशन के अवसर पर मद्रास में संघ ने एक 'पुस्तकालय प्रदर्शनी' का भी आयोजन किया। दक्षिण भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित एवं विकसित करने के लिए संघ ने १९३१ ई० में एक बड़ी सभा बुलाई और तामिल प्रकाशनों की एक प्रदर्शनी भी उसी अवसर पर की गई। संघ ने अस्पतालों में रोगियों का पुस्तक-सेवा प्रदान करने की योजना का उद्घाटन १९३२ में किया और तदनुसार काम करना प्रारम्भ किया। इस प्रकार 'मद्रास पुस्तकालय संघ' इस काल में बहुत ही गतिशील रहा।

बम्बई प्रेसीडेन्सी

देश में ब्रिटिश शासन के संस्थापित हो जाने के बाद उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में प्राचीन कर्नाटक को पाँच भागों में बाँट दिया गया। मैसूर और कुर्ग दो रियासतें बनी और शेष कर्नाटक को बम्बई, मद्रास और हैदराबाद में बाँट दिया गया। बम्बई में मिले भाग को हम 'बम्बई-कर्नाटक' कह सकते हैं।

इस भाग में हुबली और धारवार में १८२६ ई० में पहले सरकारी स्कूल खोले गए। ये मराठी स्कूल थे। १८३५ में सरकार ने धारवार और हुबली में कन्नड स्कूल भी खोले। १८४८ में तीसरा कन्नड स्कूल राणेबेन्नूर में खुला। इस क्षेत्र में धारवार में पहला हाईस्कूल खोला गया। इस प्रकार बेलगाँव बीजापुर और कनारा आदि में भी वर्नाक्युलर स्कूल खुले और धीरे-धीरे लोग शिक्षा की ओर आकृष्ट हुए। इन स्कूलों के जारी होने के साथ ही लोगों में साक्षरता फैली तो उसको स्थायी बनाने के लिए पुस्तकालयों की भी आवश्यकता पड़ी। सन् १८८२ में धारवार जिले में पुस्तकालय और ४ वाचनालय थे। ये चार पुस्तकालय धारवार, हुबली राणेबेन्नूर और शिरहट्टी में थे इनमें से धारवार की नेटिव सेंट्रल लाइब्रेरी सबसे पुरानी और बड़ी थी। यह १८५४ में श्री एक एस० नागपुरकर नामक एक अध्यापक द्वारा स्थापित की गई। १८८२ में इस पुस्तकालय में ४५१ पुस्तकें थीं जिसमें से ४१४ अंग्रेजी ३ मराठी और ७ कन्नड की थीं। यह चंदे पर निर्भर थी। पुस्तकें वर्गीकृत न थीं और न अच्छी तरह रखी ही गई थीं। दो अंग्रेजी अखबार इसमें आते थे और सहृदय सदस्य १ अंग्रेजी ३ एंग्लोवर्नाक्युलर, १० वर्नाक्युलर और १ मराठी अखबार दे दिया करते थे।

नाम की 'मरग सिद्दाश्विगप्पा म्युनिसपल जनरल लाइब्रेरी'—धारवार नगरपालिका द्वारा जिसका प्रबन्ध होता है, उस समय एक छोटे से स्थान में थी और इसकी दशा अच्छी न थी।

रानेबेन्नूर में १८७१ में पुस्तकालय की स्थापना हुई। जनता से १५ ० रु० चन्दा लेकर उसके ब्याज से इसका प्रबन्ध किया जाता था।

लोकमान्य वर्णाय वाचनालय सिरहट्टी की स्थापना १८८१ में श्री मामेय राव ताम्बे ने की।

मुडगाल में श्री जा० एस० सेर तथा अन्य लोगों के द्वारा १८९३ में एक पुस्तकालय की स्थापना हुई। बेलगांव में 'नेटिव जनरल लाइब्रेरी' की स्थापना १८४८ में तत्कालीन कलक्टर श्री जे० औ० इलेरेरिटी ने की। १८८१ में इसमें १ १५ पुस्तकें हो गई थीं। कनारा जिले में १८८ के लगभग चार पुस्तकालय थे—करवार, कुम्टा हलियाल और सिरसी में। 'करवार जनरल लाइब्रेरी ऐण्ड म्युजियम' की स्थापना सन् १८९४ में हुई। उस समय उसमें केवल १ ७०९ पुस्तकें थीं।

१८९ में कर्नाटक विद्यावर्द्धक संघ' की स्थापना हुई। इसने सांस्कृतिक कामों के साथ ही पुस्तकालय आन्दोलन में भी सहयोग प्रदान किया। संघ ने प्रकाशित पुस्तकों को भेंट स्वरूप पुस्तकालयों को देकर उन्हें प्रोत्साहित किया। संघ न 'वाग्भूषण' नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया जिसमें बाद में पुस्तकालय सम्बन्धी सूचनाएँ भी एकत्र करके प्रकाशित होती रहीं।

१९०४—५ में पुस्तकालय-आन्दोलन का विकास हुआ। श्री अलूर वेंकट राव ने इसको एक नया मोड़ दिया। एक योजना बनाई गई जिसके अनुसार कन्नड़ पुस्तकें कर्नाटक विद्यावर्द्धक संघ पुस्तकालय में, बीसवीं पुस्तकें एस० ई० सोसाइटी लाइब्रेरी में संस्कृत पुस्तकें पाठशाला पुस्तकालय में और सामाजिक और राजनीतिक पुस्तकें भारत वाचनालय में संग्रह करने का निश्चय किया गया।

१९१४ में कर्नाटक हिस्टारिकल रिसर्च सोसाइटी की स्थापना धारवार में हुई। इसने अपने उद्देश्य के लिए एक पुस्तकालय की स्थापना की।

१९१५ में जब तिलक महोदय ने होमरूल आन्दोलन चलाया तो 'कर्नाटक सभा' ने राजनीतिक प्रचार के साथ-साथ पुस्तकालय संगठन का भी काम आरम्भ किया। कीर्तन और व्याख्यानों के द्वारा सभा ने पुस्तकालय स्थापना पर जोर दिया। १९१९ में 'कर्नाटक कांग्रेस' की स्थापना हुई

जिसके साथ एक पुस्तकालय स्थापित किया गया। धीरे-धीरे अन्य नई शिक्षण संस्थाओं ने भी पुस्तकालय स्थापित किए।

१९१० में धारवार में 'सन्तोस धर्मार्थ वाचनालय' की स्थापना हुई। १९४० में यह संघ के पुस्तकालय में अन्तर्भूत हो गया। उस समय उसमें ४० ० पुस्तकें हो गई थी। १९२ में ऑल कर्नाटक पोलिटिकल कान्फ्रेन्स का अधिवेशन धारवार में हुआ। उसमें भी एक प्रस्ताव पुस्तकालय-विकास के सम्बन्ध में स्वीकृत किया गया किन्तु राजनीतिक परिस्थितिवश वह कार्यान्वित न हो सका। १९२४ में सी आर० दास महोदय की अध्यक्षता में भारतीय लाइब्रेरी कान्फ्रेंस बेलगाँव में हुई। उसमें भी पुस्तकालय को जन-शिक्षा का सर्वोत्तम साधन घोषित किया गया। १९२७-२८ में कर्नाटक पुस्तकालयों की एक डाइरेक्टरी भी बनाई गई।

कर्नाटक पुस्तकालय-संघ

१९२९ में ऑल बाम्बे कर्नाटक लाइब्रेरी कान्फ्रेंस धारवार में श्री वेंकट नारायण शास्त्री की अध्यक्षता में हुई। इस अवसर पर समाचार-पत्र और पत्रिकाओं की एक प्रदर्शनी भी हुई। उस समय बम्बई-कर्नाटक में लगभग ५०० पुस्तकालय थे। उसके बाद १९३१ और १९४४ में लाइब्रेरी कान्फ्रेंस हुई।

पुस्तकालय-विकास समिति, बम्बई

१९३९ में श्री ए० ए० ए फैजी की अध्यक्षता में एक बाम्बे 'लाइब्रेरी डवलपमेंट कमेटी' बनाई गई। इसका उद्देश्य था बम्बई में सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी और अहमदाबाद, पूना और धारवार में तीन क्षेत्रीय पुस्तकालयों की स्थापना की सम्भावनाओं पर विचार करना और पूरे प्रदेश में छोटे पुस्तकालयों के विकास पर विचार करना। कमेटी ने १९४० में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। 'भारत छोड़ो' आन्दोलन छिड़ जाने से इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार कुछ काम न हो सका। फिर १९४७ में काम प्रारम्भ किया गया।

इस काल में बम्बई प्रेसीडेन्सी में केन्द्रीय पुस्तकालय रिसर्च पुस्तकालय शिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालय और सार्वजनिक पुस्तकालय आदि विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों की स्थापना हुई। बम्बई में एक केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना हुई। सरकार स्वयं ही इन पुस्तकों की देखभाल करती थी। ये पुस्तकें व्यवस्थित रूप में न होने के कारण सचिवालय के

तहखानों में पड़ी रहीं और अवर्गीकृत दशा में रहीं। १८६७ से १८९० के बीच सरकार ने बम्बई विश्वविद्यालय के अधिकारियों से भी इन पुस्तकों का संरक्षक बनने की बात कही किन्तु वे राजी न हुए। सरकार ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बम्बई ब्रांच को यह संग्रह दे दिया किन्तु स्थान की कमी बता कर उसने भी लौटा दिया। इस प्रकार यह संग्रह अव्यवस्थित पड़ा रहा।

पुस्तकालय-विज्ञान की शिक्षा

बम्बई युनिवर्सिटी में लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई की व्यवस्था की गई। १९४४ ई० में इसी विश्वविद्यालय से श्री एम० एम केस्कर महोदय ने डीग्री ली जो आजकल केन्द्रीय सरकार के शिक्षा विभाग पुस्तकालय के अध्यक्ष हैं। १९४४ के इसी प्रथम बैच में श्री डी एन० मराठे सर्वप्रथम उत्तीर्ण हुए थे जो आजकल बम्बई युनिवर्सिटी लाइब्रेरी के अध्यक्ष हैं।

बम्बई लाइब्रेरी एसोसिएशन स्थापना सन् १९४४ ई० में हुई और कार्यालय पीपुल्स फ्री लाइब्रेरी, धोबीतालाब, बम्बई—२ रखा गया।

बिहार प्रान्त

इस काल में बिहार में कुछ अच्छे पुस्तकालयों की स्थापना हुई। पटना में १८९१ में खुदाबख्श लाइब्रेरी स्थापित हुई जो अपने ढंग की अनुपम है। इसमें विभिन्न विषयों की छपी पुस्तकों के अतिरिक्त आठ हजार हस्तलिखित ग्रंथ भी हैं। साथ ही प्राचीन चित्रों का भी उत्तम संग्रह है। स्वर्गीय डा० सच्चिदानन्द सिन्हा ने १९२४ ई० में अपनी पत्नी श्रीमती राधिकारानी सिन्हा की स्मृति में 'सिनहा लाइब्रेरी' स्थापित की। इस पुस्तकालय की उत्तरोत्तर प्रगति होती रही। पटना युनिवर्सिटी लाइब्रेरी बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी लाइब्रेरी (१९१९) बिहार हितैषी पुस्तकालय (१८८३) महेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी (१९२८) डिपार्टमेन्ट आफ इण्डस्ट्रीज बिहार लाइब्रेरी (१९२०) बिहार लेजिस्लेटिव लाइब्रेरी (१९१२) मन्नूलाल सार्वजनिक पुस्तकालय (१९२४) और भवनाथ पुस्तकालय भागलपुर (१९११) प्रभृति अच्छे पुस्तकालयों की स्थापना इस काल में हुई। राज्य सरकार की ओर से पुस्तकालयों को अनुदान भी दिया जाता रहा। १९४० में प्रान्त में लगभग २०० पुस्तकालय थे। १९४०–४१ के बजट में पुस्तकालयों को दस हजार रुपया अनुदान दिया गया और यह क्रम ब्रिटिश काल के अन्त तक चलता रहा।

पुस्तकालय संघ

२१ फरवरी १९३७ ई० को मन्नूलाल पुस्तकालय में बिहार के पुस्तकालय-प्रेमियों का प्रथम सम्मेलन कुमार मुनीन्द्रनाथ देव की अध्यक्षता में हुआ। इसी सम्मेलन में बिहार राज्य में पुस्तकालय आन्दोलन को सबल बनाने के लिए 'बिहार पुस्तकालय-संघ' की स्थापना की गई। सितम्बर १९३७ में पुस्तकालय-संघ का दूसरा अधिवेशन पटना सिटी के बिहार हितैषी पुस्तकालय में डा० अनुग्रह नारायण सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इसके बाद संघ की कार्यविधि ढीली पड़ गई। लेकिन १९४१ में फिर कुछ उत्साही व्यक्तियों ने संघ का तीसरा अधिवेशन श्री भुवनेश्वर प्रसाद जी की अध्यक्षता में पटना में किया। इसके बाद चौथा अधिवेशन दरभंगा की लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह की अध्यक्षता में हुआ। इन अधिवेशनों में लोग मिलते-जुलते रहे और अपनी प्रगति की बातें सोचते रहे, लेकिन संगठित रूप से कोई ठोस काम की योजना न बन पाई।

संयुक्त-प्रान्त आगरा व अवध

ब्रिटिश काल में पुस्तकालय विकास के दृष्टिकोण से संयुक्त-प्रान्त काफी प्रगतिशील रहा। इस प्रदेश में चार विश्वविद्यालय स्थापित किये गए जिनसे संलग्न समृद्ध पुस्तकालय भी थे। काशी विश्वविद्यालय का गायकवाड़ पुस्तकालय लखनऊ की अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी नागरीप्रचारिणी-सभा काशी का आर्य भाषा पुस्तकालय प्रयाग का हिन्दी संग्रहालय और पब्लिक लाइब्रेरी इसी काल में स्थापित हुए। अखिल भारतीय सेवा समिति प्रयाग के प्रबंध मंत्री श्री एस० आर भारतीय महोदय के प्रयास से स्वर्गीय सी० वाई० चिन्तामणि की स्मृति में 'चिन्तामणि मेमोरियल लाइब्रेरी' की भी स्थापना १९४१ में प्रयाग में हुई जिसमें समाज-सेवा सम्बन्धी ऐसी विशिष्ट पुस्तकों का संग्रह किया गया जो अन्य पुस्तकालयों में नहीं मिल सकतीं।

शिक्षा-प्रसार विभाग

शिक्षा विभाग संयुक्त-प्रदेश द्वारा इस प्रान्त में १९२६-२७ में ४२ जिलों को पाँच-पाँच सौ रुपये की ग्रांट मए ९९ पुस्तकालय खोलने के लिए दी गई। सन् १९२७-२८ में इसी क्रम से ७६ और पुस्तकालय खोले गये। पाँच ट्रैवेलिंग और सरकुलेटिंग लाइब्रेरी भी खोली गईं। इस प्रकार प्रान्तीय सरकार पुस्तकालय को प्रोत्साहन देती रही यद्यपि सरकारी आर्थिक सहायता बहुत

हुआ थी। उसके बाद इस प्रान्त में ग्रामवासी प्रौढ़ों में शिक्षा का प्रचार करने के लिए सरकार की ओर से एक 'शिक्षा प्रसार विभाग' की स्थापना सन् १९३८ में हुई। यह विभाग शिक्षा विभाग के अन्तर्गत रखा गया। इस विभाग की ओर से प्रौढ़ोपयोगी विभिन्न विषय की पुस्तकें खरीद कर उन्हें बक्सों में रख कर गाँव के कुछ निश्चित केन्द्रों तक पहुँचाने की व्यवस्था की गयी। इस प्रकार के ११९७ पुस्तकालय इस काल में स्थापित हुए।

संघ और डाइरेक्टरी

इस प्रान्त में पुस्तकालय संघ की स्थापना स्वर्गीय डा० वली मुहम्मद के प्रयत्नों से हुई जो इस प्रान्त में सबसे अधिक रुचि रखने वाले व्यक्ति थे। वे लखनऊ यूनिवर्सिटी म फिजिक्स के प्रोफेसर तथा अमीरउद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी के आनरेरी लाइब्रेरियन भी थे। उनकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय पुस्तकालय-संघ का तीसरा अधिवेशन भी दिल्ली में हुआ था। डा० वली मुहम्मद साहब ने १९३७ ई० इस प्रान्त के पुस्तकालयों की एक डाइरेक्टरी भी तैयारी की। उसम ५२९ पुस्तकालयों का विस्तृत विवरण है जिनम ग्रामसभा से ले कर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी तक के पुस्तकालय हैं किन्तु पाँच हजार से अधिक पुस्तकों वाले पुस्तकालयों की संख्या इस प्रान्त में १९३९ तक केवल ४८ थी।

डा० माताप्रसाद गुप्त रीडर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (हिन्दी विभाग) ने 'हिन्दी पुस्तक साहित्य' नामक पुस्तक का सम्पादन किया जिसमें उन्होंने १९४२ तक छपी हिन्दी की सब पुस्तकों की विषय-क्रम से सूची प्रस्तुत की। यह पुस्तक हिन्दुस्तानी एकेडेमी से प्रकाशित हुई।

पुस्तकालय-विज्ञान की शिक्षा

इस प्रान्त में पुस्तकालय-विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था सन् १९४१ ई० में बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की ओर से यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी (गायकवाड़ लाइब्रेरी) में की गई। इसमें न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएट रखी गयी। धीरे-धीरे अन्य प्रान्तों से विद्यार्थी इस प्रशिक्षण में आने लगे।

पंजाब प्रांत

पंजाब विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय आन्दोलन को विकसित करने में अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सहायता की। लाहौर-स्थित पंजाब विश्वविद्यालय ही पहला विश्वविद्यालय था जिसने १९१५ ई० में अपने पुस्तकालय को वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने के लिए एक अमरिकन लाइब्रेरियन श्री ए० डी० डिकि

मन को बुलाया। मि० डिकिंसन ने पुस्तकालय को संगठित किया और उसमें 'लाइब्रेरी साइंस' की ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की। उन्होंने 'पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर' नामक एक पुस्तक भी लिखी। इस तरह उन्होंने पंजाब में पुस्तकालय आन्दोलन शुरू किया। पंजाब यूनिवर्सिटी के इस ट्रेनिंग कोर्स में स्व० के० एम० असदुल्ला सब से पहले भारतीय विद्यार्थी थे जिन्होंने लाइब्रेरी साइन्स में डिप्लोमा प्राप्त किया। उन दिनों इस प्रकार की ट्रेनिंग लेना बहुत घृणित समझा जाता था। श्री असदुल्ला के साथी ही उन्हें 'पुस्तक कसाई' कहा करते थे। किन्तु धीरे-धीरे यही श्री असदुल्ला 'इम्पीरियल लाइब्रेरी' के लाइब्रेरियन हो गए। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वर्तमान लाइब्रेरियन श्री प्रमीलचन्द्र बसु ने भी यहीं से १९१३–१४ के सेशन में डिप्लोमा लिया। 'पंजाब पुस्तकालय-संघ' की स्थापना १९२९ में हुई। इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे —

१ पुस्तकालयों की स्थापना और उसके विकास को आगे बढ़ाना।

२ पुस्तकालयों की उपयोगिता में वृद्धि करना।

३ जनता की शिक्षा में पुस्तकालयों को महत्वपूर्ण बनाना।

'इंडियन लाइब्रेरियन' नामक पत्रिका का प्रकाशन भी १९४५ ई० में लाहौर से शुरू हुआ। इस संघ की ओर से 'मार्डर्न लाइब्रेरियन' नामक त्रैमासिक पत्रिका भी निकाली गई।

बङ्गाल-प्रान्त

इस प्रान्त में पुस्तकालय संघ की स्थापना १९११ में की गई। उसके बाद राज्य में पुस्तकालय आन्दोलन को गतिशील बनाने का काम शुरू किया गया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी (सेंट्रल) में इसका रजिस्टर्ड कार्यालय रखा गया। इसकी ओर से 'बंगाल लाइब्रेरी एसोसियेशन बुलेटिन' का प्रकाशन १९३८ ई० से शुरू हुआ। इस संघ ने १९३७ में ग्रीष्मकालीन त्रैमासिक कोर्स पुस्तकालयाध्यक्षों की ट्रेनिंग के लिए चलाया जिसमें पर्याप्त सफलता मिली। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में बंगाल में पुस्तकालय-आन्दोलन बड़े जोरों पर था। इस आन्दोलन के नेताओं ने कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा बंगाल सरकार से ट्रेनिंग के प्रबन्ध के लिए काफी कोशिश की। अन्त में स्व० कुमार मुनीन्द्रदेव राय महाशय ने सन् १९३४ ई० में अपने सहयोगियों के सहारे 'हुगली जिला पुस्तकालय संघ' के तत्वावधान में एक 'ट्रेनिंग कैम्प' की स्थापना की। बासबेरिया में स्थित 'प्रशिक्षण शिविर' के प्रसंग-

मीय कार्यों को देख कर पुस्तकालय आन्दोलन के नेताओं का साहस चौगुना हो गया।

लाम बहादुर के एम० असदुल्ला ने भी भारत में पुस्तकालयाध्यक्षों को शिक्षित करने में बहुत रुचि ली। उन्होंने बड़ी लगन के साथ इस ओर काम किया। वे इम्पीरियल लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन थे। उन्होंने भारत सरकार के पास दौड़-धूप की और आखिर में १९३५ ई० में इम्पीरियल लाइब्रेरी में डिप्लोमा कोर्स की पढ़ाई सरकार ने स्वीकार कर ली। १९४५ ई० में कलकत्ता विश्व विद्यालय में भी जब लाइब्रेरी साइन्स की ट्रेनिंग की व्यवस्था हो गई तो यह ट्रेनिंग का भी इसी में विलयन हो गया।

आन्ध्र-प्रांत

बड़ौदा के पुस्तकालय-आन्दोलन ने आन्ध्र-निवासियों में अच्छी जागृति पैदा की। उसके फलस्वरूप १९११ ई० में 'आन्ध्र पुस्तकालय संघ' की स्थापना हुई। संघ ने लोगों के सहयोग से कई एक पुस्तकालय स्थापित किए। मद्रास के केन्द्रीय पुस्तकालय ने १९३५ ई० में मोटरों द्वारा पुस्तकालय सेवा के स्थान पर नावों द्वारा इस काम को पूरा किया। इस प्रकार की पुस्तक-सेवा तीस गाँवों तक फैली। इसकी ओर से 'आंध्र ग्रन्थालयमु' और 'तेलुगु' इंगलिश त्रैमासिक पत्रिका १९३९ से शुरू हुई। इस संघ ने आन्ध्र-प्रदेश की लाइब्रेरियों की दो बार सन् १९१४ और १९१५ में डाइरेक्टरी प्रकाशित की तथा पुस्तकालय-विज्ञान की कई अन्य पुस्तकें भी प्रकाशित कीं। १९३५ ई० में आन्ध्र विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी साइन्स में डिप्लोमा कोर्स की पढ़ाई शुरू हुई।

ट्रावनकोर-कोचीन

ट्रावनकोर-कोचीन राज्य में भी पुस्तकालय आन्दोलन की प्रगति बीसवीं शताब्दी में हुई। ट्रावनकोर सरकार ने १९३६ के अपने बजट में सबसे पहले पुस्तकालयों के लिए २ ११,००० रुपये का व्यय स्वीकार किया। कोचीन सरकार ने भी इस ओर ध्यान दिया। सन् १९४२ में इन दोनों राज्यों के निवासियों ने मिल कर 'केरल पुस्तकालय संघ' की स्थापना की।

अन्य प्रांतों में पुस्तकालय-आन्दोलन

उड़ीसा प्रान्त में सन् १ ४४ ई० में 'उत्कल लाइब्रेरी एसोसिएशन' की स्थापना हुई और इसका कार्यालय मामाड़ पुरी उड़ीसा में रखा गया। यह संघ भी अपने वार्षिक अधिवेशन तथा कुछ प्रकार कार्य करता रहा।

आसाम प्रान्त में 'ऑल आसाम लाइब्रेरी एसोसिएशन' की स्थापना १९३८ ई० में हुई। इसका कार्यालय पोस्ट ऑफिस पोस्ट तेजपुर (आसाम) में रखा गया। इसकी ओर से भी अधिवेशन आदि होते रहे।

पूना में 'पुस्तकालय-संघ' की स्थापना १९४५ ई० में हुई।

दिल्ली में पुस्तकालय-संघ की नींव १९४६ ई० में पड़ी जिसकी ओर से एक 'ट्रेनिंग क्लास' की भी व्यवस्था की गई। दिल्ली विश्वविद्यालय में १९४७ ई० में पुस्तकालय-विज्ञान का एक स्वतन्त्र विभाग खोला गया जहाँ पर 'डिप्लोमा कोर्स' के अतिरिक्त 'मास्टर डिग्री' का एक कोर्स चालू किया गया। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय-विज्ञान में रिसर्च करने के लिए भी व्यवस्था की गई। यह कार्य पुस्तकालय-विज्ञान के प्रसिद्ध भारतीय आचार्य डा० एस० आर० रंगनाथन् की अध्यक्षता में प्रारम्भ किया गया।

इस प्रकार ब्रिटिश शासन काल में अनेक प्रान्तों और देशी राज्यों में पुस्तकालय संघ स्थापित हुए। पुस्तकालय-विज्ञान को भी कुछ महत्व मिला और उसे एक स्वतन्त्र विषय के रूप में माना जाने लगा।

भारत में प्रौढ़ शिक्षा-सम्बन्धी पुस्तकालय

पुस्तकालय प्रौढ़ों के लिए स्व-शिक्षा के एक महत्वपूर्ण साधन हैं। इस बात को सबसे पहले बड़ौदा नरेश स्व० महाराज गायकवाड़ महोदय ने अपने राज्य में अनुभव किया और चलनशील पुस्तकालयों की योजना चालू की। इसकी आलोचना सभी राज्यों ने की किन्तु अनुसरण किसी ने नहीं किया। कुछ वर्ष बाद आन्ध्र लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई तो उसने इसके लिए कुछ आन्दोलन किया। उसने १९१० में एक कांफ्रेंस बुला कर 'आल इंडिया लाइब्रेरी असोसिएशन' की स्थापना भी की। महाराष्ट्र और बंगाल ने भी उसका अनुसरण करके लाइब्रेरी एसोसिएशन स्थापित किए।

प्रौढ़ों के लिए स्थापित पुस्तकालयों के विकास का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है —

पंजाब में १९३० में १६०० पुस्तकालय थे। जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों के साथ थे। सामान्य स्कूल के अध्यापकों को कहा गया कि वे उनके द्वारा प्रौढ़ों को साक्षर होने की ओर आकृष्ट करें। सी० पी० और बरार ने भी १९२८ में ऐसे पुस्तकालयों की स्थापना की। १९३१ में ट्रावनकोर ने बड़ौदा के ढंग पर नगर और ग्राम पुस्तकालयों को चलाना चाहा। वहाँ शिक्षा-विभाग पुस्तकालय और वाचनालय को प्राइमरी स्कूलों में स्थापित करने

के लिए ८० पुस्तकालयों की व्यवस्था के निमित्त १० ००० रु० प्रतिवर्ष ग्रान्ट देने का बजट में प्रबन्ध किया।

प्राइवेट पुस्तकालयों को भी सरकार ने फर्नीचर और बिल्डिंग तथा अन्य व्यवस्था के लिए ग्रान्ट दी। त्रिवेन्द्रम पब्लिक लाइब्रेरी ने केन्द्रीय हेडक्वार्टर के रूप में ग्राम पुस्तकालयों के लिए काम किया जो सम्बन्धित ग्राम-पुस्तकालयों में से प्रत्येक को एक-एक बार ३० पुस्तकें भेजा करती थी।

१९३९ में बम्बई सरकार ने एक लाइब्रेरी डेवलपमेंट कमेटी बनाई। उसके सुझाव पर सेन्ट्रल लाइब्रेरी, तालुका लाइब्रेरी, क्षेत्रीय लाइब्रेरी और केन्द्रीय लाइब्रेरी की एक योजना स्वीकार की गई। इसके अन्तर्गत रजिस्टर्ड गाँव के पुस्तकालयों को १० से ५० ग्रान्ट दी गई। १९४१-४२ में ७५० गाँव पुस्तकालय खोले गए और २२ ००० रु० की ग्रान्ट दी गई।

उत्तर-प्रदेश

उत्तर-प्रदेश सरकार ने प्रथम साक्षरता स्कीम पर गाँव के क्षेत्रों में ७९८ पुस्तकालय और ११०० वाचनालय खोले। इन पुस्तकालयों की संख्या १९४०-४१ में १००० हो गई। और ४० महिला लाइब्रेरी भी खोली गईं। १९४०-४१ में १५० रु० मूल्य की पुस्तकें और कुछ मासिक पत्रिकाएँ और अखबार दिये गए। १९३९-४० में ५०० प्राइवेट लाइब्रेरियों को (गाँव के क्षेत्र में) और १९४०-४१ और १९४१ में ऐसे ५०९ पुस्तकालयों को ग्रान्ट दी गई। १९४१-४२ में २५० पुस्तकालयों को (रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के) पत्र-पत्रिकाएँ भी दी गईं। फिर ५० वीमेंस वेलफेयर सेंटर को (रूरल डि० फैजाबाद) ५०० रु० की ग्रान्ट पत्र-पत्रिकाओं की छपाई के साथ-साथ दी गई।

१११७ गाँव पुस्तकालय और १६०० वाचनालय जो पहले स्थापित हो चुके थे बराबर काम करते रहे। इन्होंने १६ से १७ लाख तक पुस्तकें एक साल में पढ़ने को दीं। जब सरकार ने दैनिक अखबार भेजना बन्द कर दिया तो पाठकों की संख्या जो १९४१-४२ में ५१८२३४१ से बढ़ कर ७५८२१०५ हो गई थी १९४३-४४ में १७०८८८९ ही रही अर्थात् घट गई। १९४३-४४ में सहायता-प्राप्त पुस्तकालय २५९ रहे, जब कि १९४१-४२ में केवल २५० थे। इन्होंने २ १२ ९८५ पुस्तकें साल भर में पढ़ने के लिए दीं। १९४२-४३ में सरकार ने इलाहाबाद में एक सेंट्रल सर्किल लाइब्रेरी स्थापित की।

बिहार

बिहार सरकार के पाँच पुस्तकालयों का विवरण इस प्रकार है —

वर्ष	पुस्तकालयों की संख्या जो खुले	कुल पुस्तकालयों की संख्या	इन पुस्तकालयों में कुल पुस्तकें जो सरकुलेट की गईं
१९४२-४३	१०००	८०००	९ ८२ ३९२
१९४३-४४	७५०	८७५०	४ ६७ ४४१
१९४४-४५	७१०	९२६	–
१९४५-४६			–
१९४६-४७	—		९ ०३ ८११

बम्बई

नयी स्कीम के अनुसार १९४५-४६ में—बिना किसी भेदभाव या मतभेद के सभी के लिए पुस्तकालय हो—इस बात पर बम्बई सरकार ने ध्यान देना निश्चय किया। ४००० रु० तक की ग्रान्ट दी जा सकती थी यदि उतना ही चन्दा वे भी प्राप्त हो। कुछ स्थानों पर महिलाओं के लिए पुस्तकालयों की अलग व्यवस्था की गई। ये पुस्तकालय ८ से १२ घंटे तक खुले रहते थे। १०-२० पत्र-पत्रिकाओं और ३० से ५० रुपये तक इक्विपमेंट के लिए सहायता भी दी जाने लगी।

वर्ष	नए पुस्तकालय	कुल पुस्तकालय	व्यय
१९४२-४३	५८	११००	१८८४०
४३-४४	३००	१५ ०	१८८००
४४-४५	२००	१७००	७००००
४५-४६	२६०	१९६०	२०००४
४६-४७	४३०	२३९०	३३०००

लाइब्रेरी इक्विपमेंट

पुस्तकालयों को वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित करने के लिए पुस्तकालय-विज्ञान की शिक्षा ही काफी नहीं होती। इसके साथ ही दूसरी आवश्यकता यह थी कि वैज्ञानिक ढंग का 'लाइब्रेरी इक्विपमेंट्स' भी अपने देश में सरलता-पूर्वक सस्ते दामों पर मिल सके। बड़ौदा स्टेट में तो 'पुस्तकालय सहकारी समिति' द्वारा यह काम बहुत कुछ सरल हो गया था। लाहौर में मेहरा एंड कम्पनी सन् १९२५ ई० में स्थापित हुई जिसने कैटलाग कार्ड्स डेट स्लिप ऐक्सेशन रजिस्टर, बुक सपोर्ट कार्ड कैबिनेट आदि सभी प्रकार के सामान पुस्तकालयों को सप्लाई करके अच्छी सेवा की। मद्रास और कलकत्ता में भी दो एक कम्पनियाँ इस प्रकार के कार्य के लिए स्थापित हुईं।

१९४५	नागभूषणम्, पी०	फर्स्ट लिस्ट आफ तेलुगु बुक्स सूटेबुल फार लाइब्रेरीज ।
	नागराज राव, के०	बिब्लियोग्राफी आफ इण्डियन फ्लावर ऐण्ड इट्स प्रेपरेशन ।
		लाइब्रेरी मूवमेंट इन इण्डिया ।
	पारखी, आर० एस०	क्लासिफाइड ऐण्ड कोलन क्लैसीफिकेशन, ए समरी ऐण्ड ए कम्परीजन ।
	रंगनाथन, एस० आर०	एलीमेंट्स आफ लाइब्रेरी क्लैसीफिकेशन ।
		डिक्शनरी कैटलागकोड द्वि०सं० १९५१
	पारखी, आर० एस०	रिफ्रेंस सर्विस इन लाइब्रेरीज ।
१९४६	रंगनाथन् एस० आर०	क्लैसीफिकेशन आफ मराठी लिटरेचर, मराठी ललित वाङ्मया चा वर्गीकरण (अनु बी० पी० कोबाल्कर)।
		नेशनल लाइब्रेरी सिस्टम (ए प्लान फार इण्डिया)।
		समेनस्य फार ए आर्गनाइजेशन आफ लाइब्रेरीज इन इण्डिया ।

इसके अतिरिक्त बड़ौदा से 'लाइब्रेरी साइंस' की सबसे पहली एक पत्रिका 'लाइब्रेरी मिस्लेनी' प्रकाशित हुई। 'आल इण्डिया लाइब्रेरी एसोसिएशन' की ओर से उसके कांफ्रेंस के विवरण तथा आन्ध्र-देश लाइब्रेरी एसोसिएशन की ओर उसके कांफ्रेंस के विवरण भी प्रकाशित हुए। जो अन्य पत्रिकाएँ प्रकाशित हुईं उनका जिक्र प्रान्तीय आन्दोलन के साथ-साथ कर दिया गया है।

ब्रिटिशकालीन पुस्तकालयों पर एक दृष्टि

इस अध्याय में ब्रिटिशकालीन पुस्तकालयों की जो संक्षिप्त चर्चा की गई, उससे साफ जाहिर है कि ब्रिटिशकाल में बहुत वर्षों तक तो कम्पनी शिक्षा के दायित्व से बचती रही। जब दायित्व उसके ऊपर आन भी पड़ा तो शिक्षा के नीति-निर्धारण में भी काफी समय लगा। उसके बाद एक नए ढंग की शिक्षा प्रणाली और साथ ही नयी शासन-प्रणाली के ढाँचे में ढल कर भारतीय शिक्षा और पुस्तकालयों का रूप ही बदल गया। इतना तो मानना ही पड़ता है कि अंग्रेज शासकों की हार्दिक इच्छा कभी भी भारतीय जनता को

पूर्ण रूप से शिक्षित बनाने की नहीं रही। अतः जो कुछ भी इस काल में किया गया उसमें शासन चलाने का हित पहले था और जनता का हित बाद में। यही कारण है कि इतने लम्बे अर्से तक शासन करने पर भी भारतीय जनता १० प्रतिशत से अधिक साक्षर नहीं हो सकी यद्यपि कुछ बड़े-बड़े विद्वान कुशल शासक और धुरंधर राजनीतिज्ञ भी इस काल म पैदा हुए।

फिर भी अंग्रेजी शासन भारत के लिए एक अर्थ में बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ। देश में पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान का प्रचार होने से तथा रेल तार डाक प्रेस रेडियो तथा अन्यान्य साधनों के उपलब्ध होने से भारतीय शिक्षा और पुस्तकालयों के विकास के लिए एक ऐसी पृष्ठभूमि बन गई जिस पर अपने ढंग से जो कुछ चाहे किया जा सकता है। चूंकि ब्रिटिश काल में जनता के बौद्धिक स्तर को ऊँचा उठाने की बात साफ दिल से शासक गण सोचते नहीं थे और कमर कस कर इस पर तैयार नहीं होते थे इसलिए पुस्तकालयों का जनता से सम्पर्क नहीं हो पाया। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रिटिशकाल में पुस्तकालयों को मौलिक शिक्षा (फण्डामेण्टल एजुकेशन) एवं सामाजिक शिक्षा का आधार नहीं माना गया और न तो उन्हें इसके लिए प्रयोग में ही लाया गया। अतः पुस्तकालयों को उभाड़ने का मौका नहीं मिल सका।



अध्याय ६

स्वाधीनकालीन पुस्तकालय

नव-निर्माण की ओर

ब्रिटिशकाल में भारत की शिक्षा का प्रतिशत बहुत नीचा था। खेद है कि इतने लम्बे काल तक शासन करने पर भी अंग्रेजों की कुत्सित नीति से हमारा अनेक प्रकार से पतन हो गया। अतः देश का सर्वांगीण विकास करके उसको एक सुसंस्कृत और सम्पन्न राष्ट्र बनाने के लिए देश के नेतागण जुट गए। भारत का संविधान बनाया गया और उसे २६ जनवरी १९५० ई० को लागू किया गया।

भारत में स्थित ब्रिटिशकाल की सभी छोटी-बड़ी रियासतों को भारत के प्रान्तों में मिला कर निम्नलिखित तीन श्रेणी के राज्य बनाए गए —

(क) उत्तर-प्रदेश, बम्बई, आन्ध्र, बिहार, मध्य-प्रदेश, पूर्वी पंजाब, उड़ीसा, आसाम, मद्रास, पश्चिमी बंगाल।

(ख) मध्य-भारत, राजस्थान, सौराष्ट्र, हैदराबाद, पेप्सू, ट्रावनकोर, कोचीन, मैसूर, जम्मू एवं काश्मीर।

(ग) हिमाचल प्रदेश, विन्ध्यप्रदेश, दिल्ली, अजमेर, त्रिपुरा, भोपाल, कुर्ग, कच्छ, मणिपुर, बिलासपुर तथा अण्डमान-नीकोबार।

इन प्रदेशों में 'क' श्रेणी का शासन राज्यपाल, 'ख' श्रेणी का राजप्रमुख और 'ग' श्रेणी का उपराज्यपाल तथा डिप्टी-कमिश्नरों के द्वारा होने लगा।*

---

* राज्य पुनर्गठन होने पर अब १४ प्रदेश और ६ केन्द्र शासित क्षेत्र हो गए हैं।

प्रदेश बम्बई, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश, आन्ध्र, जम्मू-काश्मीर, आसाम, मैसूर, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, प० बंगाल, पंजाब और केरल।

क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अण्डमान-नीकोबार, दिल्ली और लकादिव आदि।

इस प्रकार देसी राज्यों का विलयन करके भारत संघ भी एक इकाई के रूप में प्रदेश बनाए गए और इसके साथ ही साथ अनेक जटिल समस्याओं का सामना किया गया जिनमें शरणार्थियों की पुनर्वास व्यवस्था खाद्यान्न का प्रबन्ध तथा ऐसी अनेक बातें थीं। जमींदारी-उन्मूलन करके भूमि-सुधार को हाथ में लिया गया। लेकिन इन सबके ऊपर एक सबसे बड़ी समस्या थी—जनता की अशिक्षा। जनता में अशिक्षा के शिकार प्रौढ़ों का एक बहुत बड़ा वर्ग है। बच्चे जिन्हें बचपन में पढ़ने की सुविधा प्राप्त नहीं होती है, वे बड़े हो कर निरक्षर रह जाते हैं। ऐसे प्रौढ़ स्वतन्त्र देश के लिए कलंक रूप ही जाते हैं। फिर बच्चों की शिक्षा से भी शिक्षा का नये ढंग से पुनर्गठन और उसकी व्यवस्था। अत इन सबकी ओर ध्यान दिया गया।

शिक्षा-दीक्षा का विचार करते समय पुस्तकालयों की उपयोगिता को भी स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय सरकार ने यह अनुभव किया कि पुस्तकालय केवल शिक्षण-संस्थाओं के लिए ही जरूरी नहीं है बल्कि ये सामाजिक शिक्षा के भी प्रबल साधन हैं। इन पुस्तकालयों के द्वारा नव-प्रौढ़ों की साक्षरता को स्थायी बनाया जा सकता है और जनता का बौद्धिक विकास सरलतापूर्वक किया जा सकता है। अत पुस्तकालयों से जनता का सम्पर्क स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर नए सिरे से काम शुरू किया गया।

शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया और उसमें काफी उन्नति की गई। चूंकि अब भी पुस्तकालय शिक्षा-विभाग के अन्तर्गत ही हैं, अत शिक्षा की प्रगति का संक्षिप्त परिचय जान लेना आवश्यक है।

प्राथमिक शिक्षा

ब्रिटिशकाल में हमारे देश में ६ से ११ साल के बच्चों में से मुश्किल से १ प्रतिशत बच्चे स्कूल में पढ़ा करते थे। किन्तु स्वाधीनता के बाद इस ओर ध्यान दिया गया। और 'क' श्रेणी के राज्यों में १९४८ ई० तक १४० १२१ प्राथमिक स्कूल हो गए और उनमें पढ़ने वालों की संख्या १ १० ०० ९१४ तक पहुँच गयी। १९५१ के साथ तक स्कूलों की संख्या १ ७७ २८९ हो गई। इस प्रकार स्वाधीनता के बाद ३७ ००० नए स्कूल खोले गए। पूरे भारत में १९५१ में २ २१०८२ स्कूल थे और उनमें पढ़ने-वालों की संख्या १ ९२ ९६,८४ थी। शिक्षा में सुधार करने के लिए बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त अपनाए गये। १९५१ तक ५९८ नगरों और

अध्याय ६

स्वाधीनकालीन पुस्तकालय

नव-निर्माण की ओर

ब्रिटिशकाल में भारत की शिक्षा का प्रतिशत बहुत नीचा था। खेद है कि इतने लम्बे काल तक शासन करने पर भी अंग्रेजों की दूषित नीति से हमारा अनेक प्रकार से पतन हो गया। अतः देश का चतुर्मुखी विकास करके इसको एक सुसंस्कृत और सम्पन्न राष्ट्र बनाने के लिए देश के नेतागण जुट गए। भारत का संविधान बनाया गया और उसे २६ जनवरी १९५० ई० को लागू किया गया।

भारत में स्थित ब्रिटिशकाल की सभी छोटी-बड़ी रियासतों को भारत के प्रान्तों में मिला कर निम्नलिखित तीन श्रेणी के राज्य बनाए गए —

(क) उत्तर-प्रदेश बम्बई आसाम बिहार मध्य-प्रदेश पूर्वी पंजाब उड़ीसा आसाम मद्रास पश्चिमी बंगाल।

(ख) मध्य-भारत राजस्थान सौराष्ट्र हैदराबाद पेप्सू, ट्रावनकोर, कोचीन मैसूर जम्मू एवं कश्मीर।

(ग) हिमाचल प्रदेश विन्ध्यप्रदेश दिल्ली अजमेर, त्रिपुरा भोपाल कुर्ग कच्छ, मणिपुर बिलासपुर, तथा अण्डमान-नीकोबार।

इन प्रदेशों में 'क' श्रेणी का शासन राज्यपाल 'ख' श्रेणी का राजप्रमुख और ग श्रेणी का उपराज्यपाल तथा डिप्टी-कमिश्नरों के द्वारा होने लगा।*

---

* राज्य पुनर्गठन होने पर अब १४ प्रदेश और ६ केन्द्र शासित क्षेत्र हो गए हैं।

प्रदेश बम्बई मध्यप्रदेश राजस्थान उत्तर-प्रदेश आंध्र जम्मू-काश्मीर, आसाम मैसूर बिहार, उड़ीसा मद्रास, प० बंगाल पंजाब और केरल।

क्षेत्र हिमाचल प्रदेश मणिपुर, त्रिपुरा अण्डमान-नीकोबार, दिल्ली और लक्कादिव आदि।

इस प्रकार देशी राज्यों का विलयन करके भारत संघ की एक इकाई के रूप में प्रवेश कराए गए और इसके साथ ही साथ अनेक जटिल समस्याओं का सामना किया गया जिनमें शरणार्थियों की पुनर्वास व्यवस्था खाद्यान्न का प्रबन्ध तथा ऐसी अनेक बातें थीं। जमींदारी-उन्मूलन करके भूमि-सुधार को हाथ में लिया गया। लेकिन इन सबके ऊपर एक सबसे बड़ी समस्या थी—जनता की अशिक्षा। जनता में अशिक्षा के शिकार प्रौढ़ों का एक बहुत बड़ा वर्ग है। बच्चे जिन्हें बचपन में पढ़ने की सुविधा प्राप्त नहीं होती है, वे बड़े हो कर निरक्षर रह जाते हैं। ऐसे प्रौढ़ स्वतन्त्र देश के लिए कलङ्क रूप हो जाते हैं। फिर बच्चों की शिक्षा में भी शिक्षा का नये ढङ्ग से पुनर्गठन और उसकी व्यवस्था। अतः इन सबकी ओर ध्यान दिया गया।

शिक्षा-दीक्षा का विचार करते समय पुस्तकालयों की उपयोगिता को भी स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय सरकार ने यह अनुभव किया कि पुस्तकालय केवल शिक्षण-संस्थाओं के लिए ही जरूरी नहीं हैं बल्कि वे सामाजिक शिक्षा के भी प्रबल साधन हैं। इन पुस्तकालयों के द्वारा नव-प्रौढ़ों की साक्षरता को स्थायी बनाया जा सकता है और जनता का बौद्धिक विकास सरलतापूर्वक किया जा सकता है। अतः पुस्तकालयों से जनता का सम्पर्क स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर नए सिरे से काम शुरू किया गया।

शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया और उसमें काफी उन्नति की गई। चूँकि अब भी पुस्तकालय शिक्षा-विभाग के अन्तर्गत ही हैं, अतः शिक्षा की प्रगति का संक्षिप्त परिचय जान लेना आवश्यक है।

प्राथमिक शिक्षा

ब्रिटिशकाल में हमारे देश में ६ से ११ साल के बच्चों में से मुश्किल से ३० प्रतिशत बच्चे स्कूल में पढ़ा करते थे। किन्तु स्वाधीनता के बाद इस ओर ध्यान दिया गया। और 'क' श्रेणी के राज्यों में १९४८ ई० तक १४० १२१ प्राथमिक स्कूल हो गए और उनमें पढ़ने वालों की संख्या १ १०० ९९४ तक पहुँच गयी। १९५१ के मार्च तक स्कूलों की संख्या १ ७० २८९ हो गई। इस प्रकार स्वाधीनता के बाद ३० ०० नए स्कूल खोले गए। पूरे भारत में १९५१ में २ २१०८२ स्कूल थे और उनमें पढ़ने-वालों की संख्या १ ९२ ९९,८४० थी। शिक्षा में सुधार करने के लिए बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त अपनाए गये। १९५१ तक ५९८ नगरों और

२१ २६० गाँवों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा फैला दी गई। इस प्रकार भारत की साक्षरता में भी लगभग ९% (१९४१ की अपेक्षा) वृद्धि हुई।

माध्यमिक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा के प्रसार से माध्यमिक शिक्षा में भी वृद्धि हुई। १९४७ के बाद नए स्कूलों में वृद्धि होनी शुरू हुई और १९५१ के अंत तक मिडिल स्कूलों की संख्या १५,२१२ और हाई स्कूलों की संख्या ८६११ हो गई। माध्यमिक शिक्षा को अधिकतर लोग रोजी कमाने का साधन मानते हैं। इसलिए १९५२ में समूचे देश के सामान्य रूप से माध्यमिक शिक्षा पर सोच-विचार के लिए एक कमीशन की नियुक्ति हुई। उसने रिपोर्ट में पाठ्य-क्रम और परीक्षाओं में भारी हेर-फेर के सुझाव रखे। इसी बीच देश के कई भागों में नए पाठ्य-क्रम बनाये गए और उद्योग-धन्धे संगीत दस्तकारी जैसी जूनियर रेडक्रास तथा समाज स्वयं सेवक जैसे काम शुरू करके पाठ्य क्रम को सुधारा गया। अब उत्तर बुनियादी स्कूलों के रूप में धीरे-धीरे एक नई तरह के माध्यमिक स्कूलों का विकास हो रहा है। १९५३ में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर हेडमास्टरों का एक अखिल भारतीय सेमिनार भी शिमला में हुआ। यह प्रयोग बहुत ही सफल रहा।

विद्यालय और ऊँची शिक्षा की संस्थायें

देश के विभाजन के बाद भारत में केवल १२ विश्वविद्यालय थे। १९५५ तक उनकी संख्या ३० हो गई। इसी प्रकार सामान्य शिक्षा देने वाले कालेजों की संख्या भी १९५१ तक ६०९ और व्यावसायिक शिक्षा देनेवाले कालेजों की संख्या २१४ हो गई। सन् १९४८ में 'ए' श्रेणी के राज्यों में कुल २३००० ग्रेजुएट थे। १९५१ में यह संख्या बढ़ कर ५२,००० हो गई। शिक्षा पर व्यय भी बढ़ा। १९५१ में सारे भारत में उच्च शिक्षा पर १५ करोड़ २२ लाख खर्च हुए, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा पर ५ करोड़ १४ लाख खर्च हुए। सन् १९४८ ई० डा० राधाकृष्णन् की अध्यक्षता में एक 'इण्डियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन' बनाया गया। उसने १९४९ में अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी के सभी पहलुओं पर विचार करके महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं। कमीशन की रिपोर्ट सामान्य रूप से भारत सरकार ने मान ली और उसकी सिफारिशों पर अमल कराने के लिए एक समिति बनाई। कमीशन की राय है कि विश्वविद्यालयों को व्यवसाय वाणिज्य उद्योग आदि सभी क्षेत्रों में नेता पैदा करना चाहिए, न कि केवल राजनीति

और शासन के क्षेत्र में हो। विज्ञान टेक्नोलोजी और खेती की शिक्षा का भी विश्वविद्यालयों में विकास होना चाहिए। उनकी सिफारिश के अनुसार एक 'यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी' की भी स्थापना की गई जिसको अधिक काम और अधिकार दिए गए हैं।

टेक्निकल और व्यावसायिक शिक्षा

इस शिक्षा की ओर भी सरकार ने काफी ध्यान दिया। १९४७ में इस क्षेत्र के ग्रेजुएटों की संख्या केवल २७०० थी जब कि १९५३ म ६००० हो गई। केन्द्रीय सरकार ने विज्ञान-खोज परिषद् (कौंसिल आफ साइंटिफिक ऐण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च) स्थापित की। ऑल इंडिया कौंसिल फार टेक्निकल एजुकेशन ने ११ राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं और केन्द्रीय खोज-संस्थाएं खोलीं। एक इन्टर यूनिवर्सिटी बोर्ड भी बनाया गया। विशेष जनशक्ति समिति की सिफारिशों के अनुसार अनेक वजीफे दिये गए। सरकार ने अनुदान दे कर अनेक संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया। अध्यापकों और अध्यापिकाओं की ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की गई। 'सेंट्रल इन्स्टीट्यूट आफ एजुकेशन' नामक संस्था की स्थापना १९४७ में हुई जो अब काफी प्रगति कर चुकी है।

सामाजिक शिक्षा

सेंट्रल ऐडवाइजरी बोर्ड आफ एजुकेशन ने १९४८ की 'सकसेना रिपोर्ट' के अनुसार भी कार्य शुरू किया। इसी तरह के सामाजिक शिक्षा के कामों को सहायता देने के लिए शिक्षा-मंत्रालय ने अनेक संस्थाओं को अनुदान दिए। इस सामाजिक शिक्षा क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार की अनेक योजनाएं चल रही हैं।

शिक्षा में अवसरों का समीकरण

शिक्षा और आर्थिक अवसरों में समानता लाने के लिए, पब्लिक स्कूलों के वजीफे, मध्यवर्गी विद्यार्थी विज्ञान और टेक्नोलोजी की खोज के लिए वजीफे, विदेशी वजीफे, अनुसूचित जातियों और कबीलों आदि के लिए वजीफों की योजना की गई।

सांस्कृतिक और अन्तराष्ट्रीय कार्य

सरकार ने 'इण्डियन कौंसिल आफ कल्चरल रिलेशन्स' की स्थापना की जिसके द्वारा भारत का अन्य देशों से सांस्कृतिक सम्बन्ध घनिष्ठ हो रहा है। आजादी के बाद अनेक वजीफे फेलोशिप और ट्रैवल ग्रान्ट दी गई हैं।

इस बीच साहित्य संगीत और कला को प्रोत्साहन देने के लिए साहित्य अका

दमी, संगीत और नाट्य अकादमी तथा भारत कला समिति की संस्थापना की गई है, जिनके द्वारा उत्तम कार्य हो रहा है।

'नेशनल आर्काइव्ज आफ इण्डिया' का नाम बदल कर 'राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय' कर दिया गया। नेशनल लायब्रेरी का भी पर्याप्त विस्तार किया गया और भारतीय राष्ट्रीय कमीशन बना कर अनेक आयोजन किए गए, जिनसे देश को काफी बौद्धिक और सांस्कृतिक लाभ पहुँचा है।

इस प्रकार स्वाधीन भारत शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी तेजी से विकास के पथ पर बढ़ रहा है।

नवीन पुस्तकालयों का विकास

स्वाधीन भारत में विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों का तिथिक्रम के ढङ्ग पर निम्नलिखित रूप में विकास हुआ —

[१] (क) नेशनल लाइब्रेरी (इम्पीरियल लाइब्रेरी)।*

[१] (ख) मन्त्रालयों से सम्बद्ध पुस्तकालय

१९५० मिनिस्ट्री आफ वर्क्स हाउसिंग ऐण्ड सप्लाई लाइब्रेरी नई दिल्ली।

१९४९ मिनिस्ट्री आफ एक्सटर्नल अफेयर्स लाइब्रेरी नई दिल्ली।

[१] (ग) स्वतंत्र कार्यालयों से संलग्न पुस्तकालय

१९५९ प्लानिङ्ग कमीशन लाइब्रेरी राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली।
सुप्रीमकोर्ट लाइब्रेरी पार्लियामेंट हाउस नई दिल्ली।

[१] (घ) मातहत और सम्बद्ध कार्यालयों से संलग्न पुस्तकालय।

मिनिस्ट्री आफ कामर्स ऐण्ड इण्डस्ट्री

१९४० ट्रेड मार्क रजिस्ट्री आफिस लाइब्रेरी बंगलौर।

मिनिस्ट्री आफ कम्युनिकेशन्स

१९४८ सिविल एवीएशन ट्रेनिङ्ग सेंटर लाइब्रेरी बमरौली इलाहाबाद।

मिनिस्ट्री आफ फाइनेन्स

१९४८ लाइब्रेरी आफ द आफिस आफ द डिप्टी ए० जी० उड़ीसा (पुरी)

---

* इसका विवरण 'केन्द्रीय सरकार के कार्य' शीर्षक के अन्तर्गत पृष्ठ १०९ पर देखिए।

मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स

१९४८ सेक्रेटेरियट ट्रेनिंग स्कूल लाइब्रेरी नई दिल्ली।

मिनिस्ट्री आफ इन्फारमेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग

१९४७ आल इण्डिया रेडियो लाइब्रेरी कटक।
१९४८ आल इण्डिया रेडियो लाइब्रेरी नागपुर।
१९४८ बड़ौदा।
१९४८ इलाहाबाद।
१९४९
१९४९ फिल्म डिवीजन लाइब्रेरी बम्बई।
१९४९ आल इंडिया रेडियो लाइब्रेरी अहमदाबाद।

मिनिस्ट्री आफ डिफेंस

१९४८ डिफेन्स साइंस आरगनाइजेशन लाइब्रेरी नई दिल्ली।

[२] (क) प्रांतीय सरकारों के पुस्तकालय

१९४७ पंजाब हाईकोर्ट लाइब्रेरी शिमला।
१९४७ लाइब्रेरी आफ द आफिस आफ द डाइरेक्टर वेटेरीनेरी सर्विसेज, पंजाब।
१९४७ फारेस्ट सेंट्रल लाइब्रेरी शिमला।
१९४८ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लाइब्रेरी शिमला।
१९४८ पंजाब गवर्नमेंट रिकार्ड्स आफिस रिफ्रेंस लाइब्रेरी शिमला।
१९४८ पब्लिसिटी डिपार्टमेंट लाइब्रेरी जालन्धर।
१९४९ गवर्नमेंट सेंट्रल प्राविंशियल लाइब्रेरी इलाहाबाद।
१९५ पंजाब स्टेट लाइब्रेरी पटियाला।
१९५० लाइब्रेरी आफ द प्राविंशियल ऐडवाइजरी बोर्ड आफ एजुकेशन शिमला।

[३] यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी

१९४७ पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी शिमला।
१९४८ गौहाटी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी गौहाटी आसाम।
१९४८ रुड़की यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी रुड़की।
१९४९ जम्मू ऐण्ड कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर।
१९४९ राजपूताना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जयपुर।

१९४९ गुजरात यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अहमदाबाद।
१९५० कर्नाटक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी धारवार।
१९५० पूना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी पूना।
१९५० बड़ौदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बड़ौदा।

[४] रिसर्च लाइब्रेरीज

१९४७ इंडियन स्टैण्डर्ड इन्स्टीट्यूशन्स लाइब्रेरी दिल्ली।
१९४७ नेशनल केमिकल लेबोरेटरी आफ इण्डिया लाइब्रेरी पूना।
१९४८ फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज लाइब्रेरी नवरंगपुर अहमदाबाद।
१९४९ नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी आफ इण्डिया लाइब्रेरी नई दिल्ली।
१९४९ मुन्शी सरस्वती मन्दिर ग्रन्थागार भारतीय विद्याभवन बम्बई।
१९४९ सेंट्रल कालेज आफ कर्नाटक म्युजिक लाइब्रेरी अडयार मद्रास।
१९४९ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी लखनऊ।
१९४९ सेंट्रल फूड टेक्नोलोजिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट लाइब्रेरी मैसूर।
१९५० फ्यूअल रिसर्च इन्स्टीट्यूट लाइब्रेरी जीलगोरा मानभूम।
१९५० सेंट्रल ग्लास ऐण्ड सेरेमिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट लाइब्रेरी, जादवपुर कलकत्ता।
१९५० सेंट्रल रोड रिसर्च इन्स्टीट्यूट लाइब्रेरी दिल्ली।

[५] पब्लिक लाइब्रेरी

१९४७ महाराष्ट्र ग्रन्थालय, पूना।
१९४८ कर्नाटक ग्रन्थालय कर्नाटक रीज लाइब्रेरी धारवार।
१९४८ नगर वाचनालय सतारा सिटी।
१९४९ मनमोहन पन्थोला पब्लिक लाइब्रेरी पौड़ी-गढ़वाल।
१९४९ श्री सरस्वती वाचनालय शाहपुर, बेलगाम।
१९५१ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी (पाइलट प्रोजेक्ट) दिल्ली।

इसके अतिरिक्त भारत की १२१ नगर पालिकाओं के द्वारा भी कितने ही सहायता प्राप्त सार्वजनिक पुस्तकालय हैं जिनका नाम स्थानाभाव के कारण नहीं दिया सकता।

केन्द्रीय सरकार के कार्य

शिक्षा-विभाग के अन्तर्गत ही पुस्तकालयों का विकास भी रखा गया। अतः केन्द्रीय शिक्षा विभाग ने पूरे देश में पुस्तकालयों की जो बात सोची, उसकी रूप-रेखा इस प्रकार है —

१ ब्रिटिश काल में स्थापित इम्पीरियल लाइब्रेरी को 'नेशनल लाइब्रेरी' का रूप दिया जाय और उसका विकास किया जाय।

२ नेशनल बिब्लियोग्राफी के निर्माण की ओर ध्यान दिया जाय।

३ प्रदेशों में 'सेन्ट्रल स्टेट लाइब्रेरी' और जिला पुस्तकालय स्थापित किए जावें।

४ राजधानी दिल्ली में एक केन्द्रीय पुस्तकालय हो जिसके द्वारा सब पुस्तकालय एक सूत्र में गुंथे रहें।

इन सभी पुस्तकालयों के कार्यक्षेत्र अलग-अलग हों। जिला पुस्तकालय के द्वारा ग्राम पुस्तकालयों को संचालित किया जाय तथा जिले में जनता के बौद्धिक विकास के लिए सम्मिलित प्रयत्न किए जावें।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश की चतुर्मुखी विकास वाली पञ्चवर्षीय योजनाओं में एक अच्छी रकम स्वीकार की गई जिसका पूरा विवरण आगे दिया गया है।

५ लाइब्रेरी ऐडवाइजरी कमेटी का निर्माण।

किन्तु इसी बीच निम्नलिखित काम भी किए गए —

(क) विभाजन के बाद पाकिस्तान से जो पुस्तकालयाध्यक्ष भारत में आये उनको काम में लगाना भी पुनर्वास मंत्रालय के सामने एक समस्या थी। ऐसे सभी पुस्तकालयाध्यक्षों को यत्र-तत्र पुस्तकालयों में नियुक्त किया गया।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने २० मई सन् १९५४ से प्रत्येक प्रकाशन की एक-एक प्रति 'राष्ट्रीय पुस्तकालय' कलकत्ता, सेन्ट्रल पब्लिक लाइब्रेरी बम्बई, और कोनेमरा लाइब्रेरी मद्रास को तथा नये स्थापित होने वाले 'राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय, दिल्ली को भेजना अनिवार्य कर दिया। १० सितम्बर १९५५ को कोनमरा लाइब्रेरी को तथा ४ नवम्बर १९५५ को सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी बम्बई को राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित कर दिया। इसका उद्देश्य यह है कि समस्त भारतीय साहित्य चारों धामों में संगृहीत और सुरक्षित रहे तथा देश की जनता उससे लाभ उठावे।

(ग) सन् १९५२ ई० में नवगठित प्रान्तों के अनुसार भारत के सभी प्रकार के पुस्तकालयों की एक डाइरेक्टरी केन्द्रीय शिक्षा विभाग ने 'लाइब्रेरीज इन इंडिया' नाम से प्रकाशित की। इसमें प्रसिद्ध ११६६ पुस्तकालयों का विवरण दिया गया।

(घ) यूनेस्को के सहयोग से दिल्ली में सार्वजनिक पुस्तकालय-योजना

के मुख्य केन्द्र के रूप में 'दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी' की स्थापना की गई।

(ङ) अक्टूबर १९५५ में दिल्ली में 'सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास' पर यूनेस्को की अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया गया।

(च) 'नेशनल बुक-ट्रस्ट' स्थापित करके जनता तक सस्ता तथा स्वस्थ साहित्य पहुँचाने की योजना बनाई गई। ट्रेनिंग के लिए सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई।

(छ) इंडिया आफिस लाइब्रेरी को प्राप्त करने की चेष्टा की गई।

(ज) हस्तलिखित ग्रंथों की खोज और उनके प्रकाशन के काम को प्रोत्साहन दिया गया।

(झ) पुस्तकालय-संघों को प्रान्तीय सरकारों ने पुस्तकालय-आन्दोलन के लिए प्रोत्साहित किया।

(ञ) पुस्तकालयाध्यक्षों को विदेश भेज कर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई।

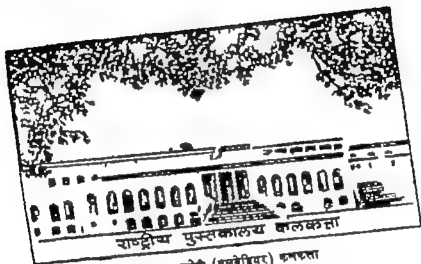
इसी प्रकार के अनेक काम किये गए जिनसे भारतीय पुस्तकालय जगत की उन्नति हुई।

[१] नेशनल लाइब्रेरी

ब्रिटिशकालीन इम्पीरियल लाइब्रेरी 'मत्था कुसुम हाउस' में व्यवस्थित थी। रिचे कमेटी ने इसको नाशी राइट लाइब्रेरी बनाने की सिफारिश की थी। अंग्रेजों के शासनकाल में खान बहादुर असदुल्ला इस पुस्तकालय के अध्यक्ष रहे। नवम्बर १९४७ में उनके अवकाश ग्रहण करने पर मिस्टर बी० एस० केशवन (क्युरेटर आफ लाइब्रेरीज एन्ड सेंट्रल ब्यूरो आफ एजुकेशन, दिल्ली) को इस लाइब्रेरी का अध्यक्ष बनाया गया। ८ सितम्बर १९४८ ई० को इस पुस्तकालय को 'बेलवेडियर भवन' में लाया गया और इसका नाम बदल कर 'नेशनल लाइब्रेरी' रखा गया। इसकी 'सिल्वर जुबली' १ फरवरी १९५३ ई० को मनाई गई। बंगाल के गवर्नर श्री० हीरेन्द्रकुमार मुकर्जी ने सभापति का आसन ग्रहण किया और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद ने इसका उद्घाटन कर के इसका द्वार जनता के उपयोग के लिए खोल दिया।

विकास

नेशनल लाइब्रेरी होने के कारण भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने इसके विकास की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया। 'डिलीवरी आफ बुक्स



नेशनल लायब्रेरी (बेलवेडियर) कलकत्ता

सन् १८६७/१६५४ के द्वारा प्रत्येक प्रकाशन की एक प्रति इसको भेजना सभी प्रकाशकों के लिए कानूनन् अनिवार्य कर दिया गया। रोनियम स्टैक की व्यवस्था की गई। नए ढंग से साज-सज्जा करके प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। धीरे-धीरे इस पुस्तकालय में लगभग ११ लाख पुस्तकें और १० तक कर्मचारी हो गए। इसके अध्ययन कक्ष में २०० पाठकों को पढ़ने का प्रबंध किया गया। पत्र-पत्रिका कक्ष में अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं की पत्रिकाओं के प्रदर्शन की व्यवस्था की गई जिनकी संख्या धीरे-धीरे १६ तक पहुँच गई। संस्कृत और बंगला भाषाओं की संगृहीत पुस्तकों की सूची छापी गई। बंगाल लाइब्रेरी एसोसियेशन की सर्टिफिकेट कोर्स की कक्षाएँ लगाने की सुविधा दी गई। पुस्तकालय को श्री आशुतोष मुकर्जी का ८५,०० , ग्रंथों का संग्रह भी प्राप्त हुआ। उसकी व्यवस्था की गई।

१९५६–५७ में पुस्तकालय के लिए ७ ७५ ० ० रु स्वीकृत किया गया। इसके पूर्व वर्ष १९५५–५६ में ६ ७६ ० रु० था। १९५७–५८ के लिए १२ ६६ ७०० रु० की व्यवस्था की गई है।

१९५६–५७ में प्रेस तथा पुस्तक रजिस्ट्री अधिनियम १८६७ और पुस्तक-वितरण (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम १९५४ के अधीन पुस्तकालय ने ४९४४० पुस्तकें प्राप्त कीं। इस अवधि में कुल ११०११ जिल्दों की वृद्धि की गई। १६६५ पत्रिकाएँ प्राप्त हुई जिनमें से ५६७ खरीद कर प्राप्त की गई।

ग्रन्थ-सूची का प्रकाशन

लेखकों के अनुसार बनाई गई यूरोपीय भाषा की एक सूची जिल्द ७ (क्यू० से आर० तक) जिसमें ९२१० नाम हैं, जुलाई १९५६ में प्रकाशित की गई। जिल्द २ (एच० से क्यू० तक) संस्कृत पालि प्राकृत की पुस्तकों की सूची सितम्बर १९ ६ में प्रकाशित हुई। इस वर्ष पत्रिकाओं समाचार-पत्रों और गजटों की सूची प्रकाशित की गई।

जनता के अनुरोध पर सन्दर्भ तथा सन्दर्भ ग्रन्थ सूची प्रभाग और ग्रन्थ-सूची प्रभाग ने अनेक महत्वपूर्ण विषयों की छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ प्रकाशित कीं जिनमें विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रकाशकों की सूची महिलाओं और बालकों के लिए हिन्दी पुस्तकों की सूची बंगाली, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम,

मराठी उड़िया तामिल और तेलगू की पत्रिकाओं की सूची एवं सन्दर्भ सूची रवीन्द्रनाथ ठाकुर के गीतों की अनुक्रमणिका आदि हैं।

पुस्तकालय में जनता को सुविधा देने के लिए अनेक कार्य किए गए। पुस्तकों के लिए स्थान की व्यवस्था की गई। अखिल भारतीय पुस्तकालय-संघ के ग्यारहवें अधिवेशन के अवसर पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

भारत सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना (१९५७-५८) में नेशनल लाइब्रेरी को १० लाख रुपया निम्नलिखित कार्य के लिए दिया है —

१ मुख्य भवन के एक भाग को पूरा निर्माण कराने के लिए।
२ सम्पूर्ण कार्ड कैटलाग का पुनर्गठन करने के लिए।
३ इन्डोलोजी की बिब्लियोग्राफी को पूरा करने के लिए।
४ निजी रंगशाला (होम थार्टीग) स्थापित करने के लिए।
५ बाल-पुस्तकालय के लिए।

इसके अतिरिक्त १९५७-५८ के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम है—

(क) फोटो प्रतिलिपिकरण उपस्कर की प्रस्थापना।
(ख) निर्वात धूमायन चेम्बर की प्रस्थापना।
(ग) पुस्तक लिफ्ट की प्रस्थापना।
(घ) पुस्तकालय के परिसर के पास के मैदानों को साफ करना।
(ङ) तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए रिहायशी मकानों का निर्माण।

(च) अभ्येता आगाराम का निर्माण।

७] इंडियन नेशनल बिब्लियोग्रैफी

डिलीवरी आफ बुक्स कानून के पास हो जाने पर देश के प्रत्येक प्रकाशक और सरकारी एजेन्सियों को कानूनी तौर पर एक प्रति नेशनल लाइब्रेरी को और प्रतियाँ अन्य तीन पुस्तकालयों को भेजना अनिवार्य हो गया। इसके पहले भी नेशनल लाइब्रेरी को पुस्तकें प्राप्त होती रही हैं और अब तो यह संख्या बराबर बढ़ती जा रही है।

केन्द्रीय सरकार ने कार्य हाथ में लेकर कलकत्ता नेशनल लाइब्रेरी में भारत की नेशनल बिब्लियोग्रैफी बनाने का काम प्रारम्भ करा दिया। इस

कार्य की नीति निर्धारण करने तथा अन्य बातों पर विचार करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की एक समिति बनाई गई —

श्री वी० एस० केशवन् (अध्यक्ष)।

सदस्य श्री डी० एल० मार्शल श्री एस० एस० सेठ श्री एम० एम० केलकर श्री वाई० एम० मुळे श्री सी० आर० बनर्जी श्री ए० के० ओहदेदार, और श्री विनयेन्द्र सेन गुप्त।

उक्त कमेटी ने अपनी बैठकें करके काम की पद्धति निश्चित की और तदनुसार अब तक कुछ भाषाओं का काम समाप्त हो चुका है। अब तैयार सामग्री का छापने की व्यवस्था की जायगी।

साहित्य एकेडमी बिब्लियोग्रैफी

साहित्य एकेडेमी ने देश में १९०१ से १९५३ के बीच प्रकाशित साहित्य की सेलेक्ट बिब्लियोग्रैफी बनाने की एक योजना बनाई। यह कार्य तदनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों की देख-रेख मे प्रारम्भ हुआ —

१ आसामी डा० विरंचिकुमार बरुआ, गौहाटी यूनिवर्सिटी आसाम।
२ बंगाली डा० सुकुमार सेन कलकत्ता।
३ गुजराती श्री उमाशंकर जोशी अहमदाबाद।
४ हिन्दी डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, बनारस।
५ कन्नड़ प्रो० ए० एन० मूर्तीराव बंगलौर।
६ काश्मीरी मिर्जा गुलामहुसेन बेग काश्मीर।
७ मलयालम श्री एस० कुंजन पिल्लई त्रिवेन्द्रम।
८ मराठी श्री शंकर गनेश दाते पूना।
९ पंजाबी डा० गंगासिंह, पटियाला।
१० तामिल प्रो० एल० पी० कुमार रामनाथन चेट्टियर, अन्नामलाई नगर।
११ तेलुगु डा० बी० बी० सीतापती मद्रास।
१२ उर्दू प्रो० ए० ए० सरूर, लखनऊ।

संग्रहालय ईंगलिश और अफ्रीका की बिब्लियोग्रैफी मेयनक हमारे देश द्वारा बनाई जा रही है। श्री डी० एस०, मिश्रावन एकेडमी के दो रेटेड सलाहकार हैं।

[३] प्रथम पंचवर्षीय योजना में पुस्तकालयों की प्रगति

इस योजना में स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी ११ जिला लाइब्रेरी और ४१ बालिकाएं चलनेवाली जिला लाइब्रेरीज के विकास के लिए ८८ ११ ४९(०) स्वीकृत किया गया। इस योजना के अनुसार जो प्रगति हुई, उसका विवरण इस प्रकार है —

१ स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरीयों की स्थापना की गई। ये आसाम पश्चिमी बंगाल मध्यप्रदेश पंजाब पेप्सू, राजस्थान सौराष्ट्र भूपाल और विन्ध्यप्रदेश में खोली गई। इस प्रकार की तीन लाइब्रेरियों को बम्बई में केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

जिला पुस्तकालय

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित राज्यों में कुल मिला कर ९६ जिला में पुस्तकालय खोले गए —

आसाम	७	सौराष्ट्र	५
प० बंगाल	१७	भोपाल	२
बिहार	१२	विन्ध्यप्रदेश	७
मध्यप्रदेश	२१		
राजस्थान	२४	कुल	९६

इस प्रकार के पुस्तकालयों को केन्द्रीय सरकार सहायता दे रही है। जिनमें मद्रास में १४ बम्बई में २२ बिहार में ५ और आंध्र में ११ हैं।

१९५५-५६ के बीच स्टेट लाइब्रेरीज के लिए १४, ११ १२८ रु० ग्रान्ट के रूप में स्वीकार किया गया। इससे कलकत्ता चंडीगढ़ और पटियाला के स्टेट लाइब्रेरी स्थापित की गई।

इसी प्रकार १९५५-५६ में ४०८,४२४ रु० जिला पुस्तकालय के लिए स्वीकृत किया गया। इससे मध्यप्रदेश में दो जिला पुस्तकालय जबलपुर और नरसिंहपुर में स्थापित किये गए।

पश्चिम बंगाल में ७ स्टेट लाइब्रेरी बर्दवान दिनाजपुर, च (मे दो) बांकुड़ा मालदा और कूचबिहार में स्थापित हुई।

संस्कृत, बंगाली और उड़िया की बिब्लियोग्राफी नेशनल लाइब्रेरी के स्टाफ द्वारा बनाई जा रही है। श्री बी० एस० केशवन एकेडेमी के श्री टेक्निकल सलाहकार हैं।

[३] प्रथम पंचवर्षीय योजना में पुस्तकालयों की प्रगति

इस योजना में ९ स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी ९६ जिला लाइब्रेरी और ५२ अस्तित्व रखनवाली जिला लाइब्रेरीज के विकास के लिए ८८ ९१ ४९९ रु० स्वीकृत किया गया। इस योजना के अनुसार जो प्रगति हुई, उसका विवरण इस प्रकार है :—

९ स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरीयों की स्थापना की गई। ये आसाम पश्चिम बंगाल मध्यप्रदेश पंजाब पेप्सु, राजस्थान सौराष्ट्र भूपाल और विन्ध्यप्रदेश में खोली गईं। इस प्रकार की तीन लाइब्रेरियों को बम्बई में केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

जिला पुस्तकालय

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित राज्यों में कुल मिला कर ९६ जिला में पुस्तकालय खोले गए —

आसाम	७	सौराष्ट्र	५
प० बंगाल	१७	भोपाल	२
बिहार	१२	विन्ध्यप्रदेश	७
मध्यप्रदेश	२२		
राजस्थान	२४	कुल	९६

इस प्रकार के पुस्तकालयों को केन्द्रीय सरकार सहायता दे रही है। जिसमें मद्रास में १४ बम्बई में २२ बिहार में ५ और आन्ध्र में ११ है।

१९५५-५६ के बीच स्टेट लाइब्रेरीज के लिए १८ ११ १२८ रु० ग्रान्ट के रूप में स्वीकार किया गया। इसमें कलकत्ता चंडीगढ़ और पटियाला के स्टेट लाइब्रेरी स्थापित की गईं।

इसी प्रकार १९५५-५६ में ४०८४२४ रु० जिला पुस्तकालय के लिए स्वीकृत भेजा गया। इसमें मध्यप्रदेश में दो जिला पुस्तकालय जबलपुर और मरवाडा में स्थापित किये गए।

पश्चिम बंगाल में ७ स्टेट लाइब्रेरी बरद्वान मिदनापुर, चौबीस परगना (दो) बनकुरा मालदा और कूचबिहार में स्थापित हुईं।

सम्पूर्ण भारतीय साहित्य को प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। इसका भवन भी बनना शुरू हो गया है।

[५] लाइब्रेरी ऐडवाइज़री कमेटी

भारत सरकार ने निम्नलिखित व्यक्तियों की एक 'लाइब्रेरी एडवाइज़री कमेटी' बनाई है जो सरकार को पुस्तकालय-सेवा के विस्तार में सहायता प्रदान करेगी —

१—श्री बी० एस० केशवन डाइरेक्टर नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता।

२—श्री टी० डी० वाकनीस, क्यूरेटर, स्टेट लाइब्रेरीज़ बड़ौदा।

३—श्री डी० आर० कालिया डाइरेक्टर, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली।

४—श्री एन० चन्द्रैया, प्रेसीडेंट मैसूर स्टेट एडल्ट एजुकेशन काउंसिल मैसूर।

५—श्री जगदीशचन्द्र माथुर आई० सी० एस० डाइरेक्टर जनरल ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

६—श्रीमती जॉन मथाई, बम्बई।

७—श्री एस० एम० सेठ, लाइब्रेरियन हिस्टारिकल डि० मिनिस्ट्री आफ एक्सटर्नल अफेयर्स नई दिल्ली।

८—श्री के० पी० सिनहा, डाइरेक्टर शिक्षा-विभाग बिहार (अध्यक्ष)।

९—श्री सोहन सिंह सहायक एजुकेशनल ऐडवाइज़र, शिक्षा-विभाग नई दिल्ली (सेक्रेटरी)।

भारत सरकार की यह पुस्तकालय परामर्श समिति भारत में वर्तमान पुस्तकालयों की गतिविधि और स्थिति की जाँच एक प्रश्नावली द्वारा करेगी जो कि विधान सभा के सदस्यों सरकारी पदाधिकारियों पुस्तकालयाध्यक्षों तथा अभिरुचि रखनेवाले व्यक्तियों को भेजी जायगी। इसकी लगभग ५००० प्रतियाँ व्यक्ति और संस्थाओं को भेजी जायेंगी। कमेटी विभिन्न प्रदेशों का दौरा करेगी और सरकारी अफसरों और प्रमुख पुस्तकालय समितियों से विचार-विनिमय करेगी। यह अपनी रिपोर्ट सरकार को मार्च १९५८ तक देगी जिसके आधार पर नीति निर्धारित होगी।*

(ग) आधुनिक भारतीय पुस्तकालयों का वर्गीकरण

अन्य देशों की भाँति हमारे देश में भी विविध पुस्तकालय हैं। इन पुस्तकालयों का क्रमबद्ध विवरण उपस्थित करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से सन् १९५२ ई० में 'लाइब्रेरीज़ इन इंडिया' नामक पुस्तक

---

* प्रश्नावली भेजी गई है और दौरा करने का कार्यक्रम बन रहा है।

प्रकाशित हुई। इसमें ११६६ पुस्तकालयों* का विवरण दिया गया है। इस पुस्तक में भारतीय पुस्तकालयों को निम्नलिखित ६ वर्गों में बाँटा गया है —

१ केन्द्रीय सरकार के पुस्तकालय।
२ प्रान्तीय सरकार के पुस्तकालय।
३ यूनिवर्सिटी और कालेज के पुस्तकालय।
४ अनुसंधानशालाओं प्रयोगशालाओं और सोसाइटियों के पुस्तकालय।
५ पब्लिक स्कूल लाइब्रेरी।
६ पब्लिक लाइब्रेरी।

भारत सरकार के पुस्तकालयों को पुनः चार भागों में विभाजित किया गया है—

(क) नेशनल लाइब्रेरी।
(ख) मंत्रालय से संलग्न पुस्तकालय।
(ग) भारत सरकार के अधीन कार्यालयों से सम्बद्ध पुस्तकालय।
(घ) मान्यता और सम्बद्ध कार्यालयों से संलग्न पुस्तकालय।

इसी प्रकार प्रान्तीय सरकार के पुस्तकालयों को दो भागों में विभाजित किया गया है —

(क) विभागीय पुस्तकालय (ख) सचिवालय पुस्तकालय।

इसके अतिरिक्त यूनिवर्सिटी और कालेज पुस्तकालय के दो भाग किए गए हैं—

(क) युनिवर्सिटी पुस्तकालय (ख) कालेज पुस्तकालय।

अन्य वर्गों में भेद नहीं किया गया है 'इस प्रकार भारत के पुस्तकालयों को विभाजित करके उनका विवरण तीन प्रकार से दिया गया है —

१ प्रान्त के अनुसार पुस्तकालयों का विवरण।
२ स्टॉक के अनुसार पुस्तकालयों का विवरण।
३ प्रबंध के अनुसार पुस्तकालयों का विवरण।

आगे दी गई सारिणी (चार्ट) से यह बात स्पष्ट हो जायगी।

---

* यद्यपि पुस्तकालयों की संख्या इससे कहीं अधिक है किन्तु सरकार को सभी पुस्तकालयों ने पूरा विवरण नहीं भेजा। अतः प्राप्त विवरणों पर यह पुस्तक आधारित है।

स्टॉक के अनुसार पुस्तकालयों का विवरणांक

स्टॉक की गणना (१)	नेशनल लायब्रेरी (२)	केन्द्रीय मन्त्रालय से संबद्ध पुस्तकालय (३)	भारत सरकार के स्वतन्त्र विभागों से सम्बद्ध पुस्तकालय (४)	भारत सरकार से संलग्न सहा० कार्यालयों से संबद्ध पुस्तकालय (५)	प्रान्तीय विभागीय पुस्तकालय (६)	प्रान्तीय संग्रहालय पुस्तकालय (७)	विश्वविद्यालय पुस्तकालय (८)	कालेज पुस्तकालय (९)	अन्य उच्चतर शिक्षा संस्था + के पुस्तकालय (१०)	पब्लिक स्कूल लायब्रेरी (११)	पब्लिक लायब्रेरी (१२)	योगफल (१३)
५०० से कम पुस्तकें	—	—	—	७	७	—	—	१९	९	—	—	३९
५०० से १,०००	—	—	—	५	२	२	—	१८	१	—	—	५०
१,००१ से २,०००	—	—	—	५	३	४	—	७९	९	१	—	९५
२,००१ से ३,०००	—	१	—	५	३	१	—	७८	२	१	—	९२
३,००१ से ४,०००	—	—	—	६	१	—	१	९९	३	१	—	९८
४,००१ से ५,०००	—	—	१	३	२	—	१	४९	१	१	—	९०
५,००१ से ६,०००	—	—	—	७	३	—	—	११	४	१	१९	८२
६,००१ से ७,०००	—	१	—	२	—	—	—	९९	२	—	२०	५४
७,००१ से ८,००० "	—	—	—	१	२	—	—	२१	१	—	२४	५१
८,००१ से ९,००० "	—	—	—	२	—	—	१	१२	२	१	११	३०
९,००१ से १०,०००	—	—	—	१	—	—	१	८	१	१	१९	३५

१०,००० से १५,००० +	—	१	—	५	१	—	२	१०	२	१	१९	११८
१५,००१ से २०,०००	—	—	—	२	१	—	१	४५	५	—	१८	७२
२०,००१ से २५,०००	—	२	—	१	—	—	१	२४	२	—	९	९९
२५,००१ से ३०,००० +	—	१	—	२	१	—	१	१४	—	—	५	२४
३०,००१ से ३५,०००	—	१	—	२	—	—	१	७	१	—	५	१७
३५,००१ से ४०,००० +	—	२	—	—	—	—	—	५	१	—	२	१२
४०,००१ से ४५,००० +	—	१	—	—	—	—	१	२	१	—	२	७
४५,००१ से ५०,०००	—	—	—	१	—	—	२	२	—	—	२	७
५०,००१ से १,००,०००	—	१	१	१	४	—	७	१	२	—	५	२४
१,००,००१ से ५,००,०००	१	—	—	१	२	—	९	२	१	—	१	१४
योग	१	११	१	५१	११	७	२६	५८९	५२	१२	१९८	११०S

* ११ मार्च १९५१ तक।
† पुस्तकें पत्रिकाएँ, पुस्तकाएँ तथा हस्तलिखित ग्रंथ आदि।
+ विश्वविद्यालय अनुसन्धानशालाओं और संस्थाओं से जो सम्बद्ध संस्थाएँ नहीं हैं।
S शेष १७९ पुस्तकालयों का विवरण उपलब्ध नहीं है।

प्रबन्ध के अनुसार पुस्तकालयों का विवरण

संस्था	केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबन्धित	प्रान्तीय सरकार द्वारा प्रबन्धित	स्थानीय बोर्डों द्वारा प्रबन्धित	प्राइवेट संस्थाओं द्वारा प्रबन्धित	योगफल
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
नैशनल लाइब्रेरी	१	–	–	–	१
केन्द्रीय मन्त्रालय से सम्बद्ध पुस्तकालय	१२	–	–	–	१२
भारत सरकार के स्थानीय विभागों से सम्बद्ध पुस्तकालय	३	–	–	–	३
भारत सरकार से संलग्न सहा० कार्यालयों से सम्बद्ध पुस्तकालय	५२	–	–	–	५२
प्रान्तीय विभागीय पुस्तकालय	–	११	–	–	११
प्रान्तीय संग्रहालय पुस्तकालय	–	७	–	–	७
विश्वविद्यालय पुस्तकालय	–	२	–	२४	२६
कालेज लाइब्रेरी	७	१०४	१	५०१	६०९
अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं से सम्बद्ध पुस्तकालय	२२	३	१	२९	५३
पब्लिक स्कूल लाइब्रेरी	२	१	–	१०	१३
पब्लिक लाइब्रेरी	–	२२	१८	१०८	१४८
योग	१०९	२४१	२४	६७१	११६६

* विश्वविद्यालयों अनुसन्धान केन्द्रों और लैबोरेटरीज से भी सम्बद्ध पुस्तकालय हैं।

दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का काउण्टर
[illegible] पर से लोग पुस्तक उधार ले रहे हैं।



श्री डी. आर. कालिया [illegible]
[illegible]

(घ) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी

पुस्तकालय के क्षेत्र में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना एक सराहनीय कार्य है। यह पुस्तकालय यूनेस्को और भारत सरकार के संयुक्त प्रयास से दिल्ली में १९५१ ई० मे स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन माननीय प्रधान मन्त्री पं जवाहरलाल नेहरू ने २७ अक्टूबर १९५१ ई० को किया। इस पुस्तकालय का उद्देश्य यह है कि सार्वजनिक पुस्तकालय-सेवा के क्षेत्र में आधुनिकतम रीतियों का प्रचार किया जा सके। पुस्तकालयाध्यक्षों को लाइब्रेरी ट्रेनिङ्ग की सुविधा दे कर और पुस्तकालयों के मामलों में सलाह दे कर तथा इस पुस्तकालय में व्यावहारिक रूप में उन टेकनिकों को दिखा कर यह दक्षिणपूर्व एशिया में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए एक आदर्श पुस्तकालय हो सके।

इस पुस्तकालय का महत्त्व इसके द्वारा की जाने वाली सेवाओं के विभिन्न रूप से ही प्रकट होता है। यह प्रति दिन सवेरे ८ बजे से शाम के ८ बजे तक १२ घण्टे रोज खुला रहता है और वर्ष भर में किसी भी दिन बन्द नहीं होता। यह केवल पुस्तकें उधार देने वाली लाइब्रेरी नहीं है बल्कि समुदाय की सामूहिक आवश्यकताओं का पूरक एक कम्युनिटी सेंटर भी है। इस पुस्तकालय का सदस्य बन कर पुस्तकें घर ले जाने के लिए जमानत के रूप में कुछ भी जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए केवल एक किसी जिम्मेदार व्यक्ति की फार्म पर सिफारिश भर होनी चाहिए। इस समय इस पुस्तकालय के लगभग २७ ००० सदस्य हैं और प्रतिमास लगभग १५ ० नए सदस्य बनते हैं।

घर के लिए पुस्तकें

इस पुस्तकालय में इस समय लगभग ६५ ००० पुस्तकें हैं। इनमें लगभग २००० नयी पुस्तकें प्रतिमास आती रहती हैं। ये पुस्तकें खुली आलमारियों में रखी जाती हैं और पाठक बिना किसी रोक-टोक के अपनी इच्छानुसार पुस्तकें उनमें से चुन सकते हैं। पुस्तकें घर पर ले जाकर पढ़ने के नियम भी बहुत ही सरल हैं। पुस्तकें उधार ले जाने वाले से उसके हस्ताक्षर नहीं लिए जाते। औसतन् लगभग ११०० पुस्तकें हर रोज घर पर पढ़ने के लिए दी जाती हैं। पिछले चार साल में ९ लाख ४ हजार पुस्तकें लोगों को घर पर पढ़ने के लिए दी गईं जिनमें से केवल ७५७ पुस्तकें वापस नहीं मिल सकीं। यह संख्या विदेशी पुस्तकालयों में खोने वाली पुस्तकों की संख्या के मुकाबिले बहुत कम है।

इस पुस्तकालय में पुस्तकों के लेन-देन के अलावा एक रिफ्रेंस और सूचना विभाग भी है, जिसमें विश्वकोश, कोश शब्दकोश समाचार-पत्र पत्रिकाएँ तथा अन्य सामग्री सुगमतापूर्वक मिल सकती है।

इस विभाग द्वारा पत्र-तार तथा टेलीफोन से सभी प्रकार की सूचनाएँ और रिफ्रेंस लोगों को बताए जाते हैं।

बच्चों के लिए अलग बालकक्ष है तथा उनके लिए उसी कक्ष से मिला हुआ एक 'फन्नरल ऐक्टिविटी रूम' भी है जिसमें रंगबिरंगी लकड़ी के अक्षर मनोहर चित्र तथा मैकेनोज आदि रखे रहते हैं। बच्चों के लिए कहानी तथा फिल्म आदि की भी सुन्दर व्यवस्था है। बाल कक्ष में एक पुस्तकालय है जिसमें से वे घर पर पढ़ने के लिए पुस्तकें ले जा सकते हैं। अभी घर पर पढ़ने के लिए ले जाने वाली पुस्तकों का अनुपात लगभग २०० पुस्तक प्रति-दिन का है। किशोर बालकों के लिए ड्रामा, संगीत साहित्य आदि के अनेक आयोजन उन्हीं के द्वारा कराये जाते हैं।

सामाजिक शिक्षा का एक अलग विभाग है जिसके द्वारा प्रौढ़ों के लिए सांस्कृतिक आयोजन किए जाते हैं। इस विभाग के द्वारा फिल्म प्रदर्शनी व्याख्यान नाटक वाद-विवाद प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है इस विभाग के अन्तर्गत प्रोजेक्टर, पोस्टर, माइक्रोफोन ग्रामोफोन रिकार्ड्स टेपरिकार्डर, हारमोनियम, तबला आदि अनेक दृश्य-श्रव्य उपकरण हैं जिनके द्वारा सामाजिक शिक्षा का प्रचार किया जाता है और प्रौढ़ों को साक्षरता की ओर आकृष्ट किया जाता है। इस विभाग की ओर से प्रौढ़ोपयोगी साहित्य की तीन पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं।

जो लोग इस पुस्तकालयसे दूर हैं उनके लिए पुस्तकालय की ओर से चलती फिरती लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है। शहर में सात 'डिपोजिट स्टेशन' काम कर रहे हैं जो अनेक संस्थाओं को कुछ निश्चित समय के लिए पुस्तकें उधार [illegible] हैं। इस चलती-फिरती लाइब्रेरी के साथ सिनेमा और संगीत का भी प्रबंध रहता है। पिछले दो वर्षों में इस चलती-फिरती लाइब्रेरी से १२ हजार १०० पुस्तकें लोगों को पढ़ने के लिए उधार दी गई।

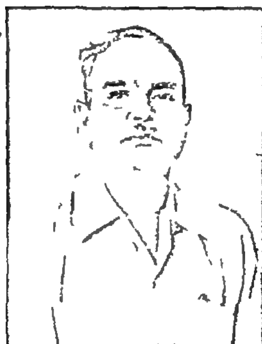
इस पुस्तकालय में सार्वजनिक पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्षों के क्रियात्मक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है।

इस प्रकार इस पुस्तकालय ने सिद्ध कर दिया है कि यदि समुचित सुविधा प्रदान की जाय तो पुस्तकालय सार्वजनिक शिक्षा के महत्वपूर्ण एवं सफल साधन हो सकते हैं।

यूनेस्को सेमिनार में उत्तरप्रदेश सरकार

के

प्रतिनिधि



श्री डी० पी० माहेश्वरी एम ए एल टी

शिक्षाप्रसार अधिकारी

उत्तरप्रदेश

इस पुस्तकालय में पुस्तकों के लेन-देन के अलावा एक रिफ़ेंस और सूचना विभाग भी है, जिसमें विश्वकोश, कोश शब्दकोश समाचार-पत्र पत्रिकाएँ तथा अन्य सामग्री सुगमतापूर्वक मिल सकती है।

इस विभाग द्वारा पत्र-तार तथा टेलीफ़ोन से सभी प्रकार की सूचनाएँ और रिफ़्रेंस लोगों को बताए जाते हैं।

बच्चों के लिए अलग बालकक्ष है तथा उनके लिए उसी कक्ष से मिला हुआ एक 'क्रियात्मक ऐक्टिविटी कक्ष' भी है जिसमें खिलौने लकड़ी के अक्षर मनोहर चित्र तथा मैकेनोज आदि रखे रहते हैं। बच्चों के लिए कहानी तथा फ़िल्म आदि की भी सुन्दर व्यवस्था है। बाल कक्ष में एक पुस्तकालय है जिसमें से वे घर पर पढ़ने के लिए पुस्तकें ले जा सकते हैं। अभी घर पर पढ़ने के लिए ले जाने वाली पुस्तकों का अनुपात लगभग १०० पुस्तक प्रति-दिन का है। किशोर बालकों के लिए ड्रामा संगीत साहित्य आदि के अनेक आयोजन उन्हीं के द्वारा कराये जाते हैं।

सामाजिक शिक्षा का एक अलग विभाग है जिसके द्वारा प्रौढ़ों के लिए सांस्कृतिक आयोजन किए जाते हैं। इस विभाग के द्वारा फ़िल्म प्रदर्शनी व्याख्यान नाटक वादविवाद प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है इस विभाग के अन्तर्गत प्रोजेक्टर पोस्टर, माइक्रोफ़ोन ग्रामोफ़ोन रिकार्डस टेपरिकार्डर, हारमोनियम तबला आदि अनेक दृश्य-श्रव्य उपकरण हैं जिनके द्वारा सामाजिक शिक्षा का प्रसार किया जाता है और प्रौढ़ों को साक्षरता की ओर आकृष्ट किया जाता है। इस विभाग की ओर से प्रौढ़ोपयोगी साहित्य की तीन पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं।

जो लोग इस पुस्तकालयसे दूर हैं उनके लिए पुस्तकालय की ओर से चलती फिरती लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है। शहर में सात 'डिपोजिट स्टेशन' काम कर रहे हैं जो अनेक संस्थाओं को कुछ निश्चित समय के लिए पुस्तकें उधार देते हैं। इस चलती-फिरती लाइब्रेरी के साथ सिनेमा और संगीत का भी प्रबंध रहता है। पिछले दो वर्षों में इस चलती-फिरती लाइब्रेरी से १२ हजार १०० पुस्तकें लोगों को पढ़ने के लिए उधार दी गई।

इस पुस्तकालय में सार्वजनिक पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्षों के क्रियात्मक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है।

इस प्रकार इस पुस्तकालय ने सिद्ध कर दिया है कि यदि समुचित सुविधा प्रदान की जाय तो पुस्तकालय सार्वजनिक शिक्षा का महत्त्वपूर्ण एवं सशक्त साधन हो सकते हैं।

यूनेस्को सेमिनार में उत्तरप्रदेश सरकार

के

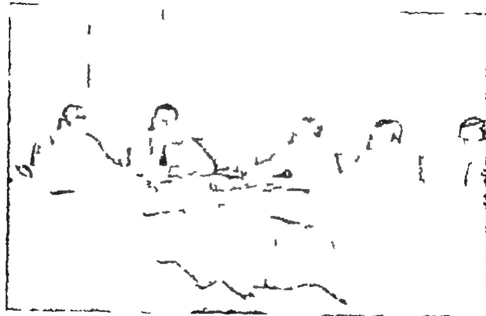
प्रतिनिधि



श्री डी० पी० माहेश्वरी एम० ए० एम० एड०

शिक्षाप्रसार अधिकारी

उत्तरप्रदेश



यूनेस्को अधिवेशन के प्रथम दिन का एक दृश्य
बाईं ओर ग्रुप के नेता मि० बाडनर अन्य सदस्यों के साथ विचार-विनिमय करते हुए

(क) यूनेस्को का अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार

यूनेस्को के अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन ६ अक्तूबर से २६ अक्तूबर १९५५ तक दिल्ली में किया गया। इसका उद्घाटन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद महोदय ने ६ अक्तूबर को पार्लियामेंट हाउस में किया, जिसमें शिक्षा एवं पुस्तकालयों में रुचि रखने वाले गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

कार्य-पद्धति

इस सेमिनार में अफगानिस्तान आस्ट्रेलिया बर्मा, लंका भारत इंडोनेशिया जापान मलाया नेपाल पाकिस्तान फ़िलिप्पाइंस थाईलैण्ड तथा यूनाइटेड नेशन्स के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत की ओर से श्री बी॰ एस॰ केशवन, श्री हरि सर्वोत्तम राव श्री टी॰ डी॰ वाकनीस और श्री डी आर॰ कालिया महोदय प्रतिनिधि के रूप में तथा श्री गोविन्द प्रसाद अग्रवाल श्री बलवन्त सिंह गुजराती, श्री एन आर कृष्णा, श्री बी॰ एम कपाडिया सुश्री पुष्पा कुमारी कृपिका श्री बी॰ बी पाटेल, श्री एस॰ राघवन श्री जगन्नाथ प्रसाद शाह, श्री के॰ डी मस्याई, एवं श्री डी॰ पी माहेश्वरी (पुस्तकालय-प्रसार अधिकारी उत्तर प्रदेश) पर्यवेक्षक के रूप में सम्मिलित हुए। प्रो॰ के॰ डी उमरेन तथा प्रो॰ हुमाऊं कबीर ने भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया।

इस सेमिनार के नेता न्यूटन पब्लिक लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन एवं यूनेस्को लाइब्रेरी विशेषज्ञ श्री एफ॰ एम॰ गार्डनर महोदय थे। भारत की कई प्रान्तीय सरकारों ने भी अपने-अपने पर्यवेक्षक इस सेमिनार में भेजे। मि॰ इ एन॰ डिग्सन अध्यक्ष पब्लिक लाइब्रेरीज डवलप्मेंट लाइब्रेरीज डिवीजन यूनेस्को काफी पहले से अपने स्टाफ सहित दिल्ली आए और भारत सरकार तथा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया और उनके सहयोग से सेमिनार का प्रारंभिक जरूरी प्रबंध किया। मिस्टर गार्डनर को उनके काम में न्यूजीलैण्ड नैशनल लाइब्रेरी सर्विस के डाइरेक्टर श्री एच॰ मैकलिस और पाकिस्तान की आर्काइव्स और लाइब्रेरीज के डाइरेक्टरेट के आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी मिस्टर एम॰ ए॰ काज़ी ने विशेष रूप से सहायता की।

यूनेस्को लाइब्रेरी डिवीजन के Mlle S Basset द्वारा सेमिनार कार्यालय का संचालन सफलतापूर्वक किया गया। सेमिनार की कार्यवाही को सुगम बनाने के लिए कई दुभाषिए भी संलग्न थे।

दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के तत्कालीन डाइरेक्टर श्री डी॰ आर॰ कालिया ने अपने स्टाफ सहित बड़ी तत्परता से सहयोग दे कर सेमिनार को सफल बनाया।

इस सेमिनार का उद्देश्य एशिया में पुस्तकालय सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करना और एशिया में पब्लिक सर्विस के विस्तार के लिए सुझाव और प्रस्ताव तैयार करना या विशेष रूप से मौलिक शिक्षा के सम्बन्ध में।

पूरा सेमिनार ग्रुप-प्रणाली पर संचालित किया गया। पहिला ग्रुप 'पब्लिक लाइब्रेरी' का था जिसके नेता मि० पाडमर थे। दूसरा ग्रुप 'एशिया में प्रौढ़ शिक्षा की सामग्री' के सम्बन्ध में था जिसके नेता पाकिस्तान के प्रतिनिधि श्री एम० ए० रूमी थे। तीसरा दल 'बाल पुस्तकालय' का था जिसके नेता न्यूजीलैण्ड के प्रतिनिधि श्री मैक्सिम महोदय थे।

इन तीनों दलों की समानान्तर बैठकें प्रतिदिन होती रहीं। प्रत्येक सप्ताह के अन्त में एक 'प्रारंभिक अधिवेशन' होता था जिसमें प्रत्येक दल की रिपोर्ट पढ़ी जाती थी और उस पर सभी दलों के प्रतिनिधि विचार-विनिमय करते थे।

प्रत्येक दल का अपना Rapporteur था। प्रत्येक पिछले दिन के वाद-विवाद का संक्षिप्त रूप तैयार कर लिया जाता था और Mimeograp-phed संक्षिप्त रूप प्रत्येक दल को दूसरे दिन की बहस शुरू होने से पहले मिल जाता था। इस प्रकार दल में किए गए विचारों की जाँच ही जाती थी और कोई व्यक्ति छूट नहीं सकता था। दल का नेता बहस के समय इस बात पर ध्यान रखता था कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह प्रतिनिधि या पर्यवेक्षक हो प्रस्तुत विषय में पूरा भाग ले रहा है या नहीं। उसको अपना विचार प्रकट करने की पूरी आज़ादी थी। इस प्रकार की अनुशासित ढंग से शान्तिपूर्वक प्रत्येक दल की कार्यवाही होती थी। इसका फल यह हुआ कि प्रत्येक दल की रिपोर्ट विचारों से परिपूर्ण और ठोस रूप में सामने आई।

सेमिनार के अन्तिम सप्ताह की उल्लेखनीय बात यह थी कि माननीय पंडित नेहरू भी सेमिनार के प्रतिनिधियों से मिले और अपने कुछ विचार प्रकट किये।

सेमिनार के दिनों में अखिल भारतीय पुस्तकालय-संघ भारत सरकार पुस्तकालय-संघ और दिल्ली पुस्तकालय-संघ ने प्रतिनिधियों और पर्यवेक्षकों का स्वागत किया। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री माननीय मौलाना आजाद ने भी सेमिनार में शामिल होने वालों को जलपान के लिए राष्ट्रीय भवन में आमंत्रित किया। यूनेस्को ने भी स्विस होटल में एक दिन सभी प्रतिनिधियों, पर्यवेक्षकों एवं विद्यार्थियों का स्वागत किया।

सेमिनार की रिपोर्ट

राष्ट्रीय-जन पुस्तकालय सेवा के विकास के सम्बन्ध में समूह की अन्तिम रिपोर्ट एशिया के देशों की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचारपूर्ण ढंग से प्रस्तुत की गई है। देश में पुस्तकालय की आयोजना से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर जैसे साक्षरता का विकास स्थानीय सरकारों में विभाग पुनर्जागृति नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात के आदान-प्रदान की सुविधाएँ, लोगों के रहन-सहन का दर्जा तथा उनका आर्थिक विकास आदि सभी पर खूब विचार किया गया है। यह निश्चित किया गया कि एक जन-पुस्तकालय सेवा को कानून के द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, जिसका उपयोग जनता निःशुल्क रूप से कर सकेगी और जिस पुस्तकालय का व्यय जनता के धन से चलेगा। यह पुस्तकालय स्थापना की आधार भित्ति है। दूसरे, इस पुस्तकालय में न केवल विद्वान और विद्यार्थी अध्ययन करेंगे बल्कि प्रत्येक नागरिक वह चाहे जो पेशा करता हो चाहे जितनी थोड़ी-बहुत शिक्षा प्राप्त हो चाहे जिस वातावरण में रहता हो—सभी इस सेवा से लाभ उठायेंगे। जहाँ कहीं भी पुस्तकालय-विधान पहले से वर्तमान है वहाँ परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद यह पाया गया है कि बहुत छोटी इकाई होने से, सहयोग के न होने से पर्याप्त कोष न होने से सरकार की उदासीनता ट्रेंड कर्मचारियों के अभाव आदि कारणों के द्वारा उतना अच्छा निष्कर्ष नहीं निकल रहा है जितना कि कानून से निकलना चाहिए।

विचार गोष्ठी ने यह अनुभव किया कि इधर-उधर छिटके पुस्तकालयों को इस योजना के अन्तर्गत एक 'जन पुस्तकालय' के संरक्षण में कार्य करना चाहिए। धन द्वारा सहायता प्राप्त निजी (प्राइवेट) संस्थाएँ नष्ट करायी गई। विचार गोष्ठी ने इस बात पर विशेष बल दिया कि जन-पुस्तकालय-सेवा के व्यय का धन राष्ट्रीय या प्रान्तीय सरकारों से मिलना चाहिए, विशेषकर प्रारम्भिक व्यय की पूँजी के रूप में। अतः पाँच वर्ष में पुस्तकालयों पर किये जाने वाले और शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय को तुलनात्मक रीति से देखते हुए विचार-गोष्ठी ने दोनों के उचित सन्तुलन पर बल दिया।

पुस्तकालय की स्थापना जहाँ तक सम्भव हो स्थानीय प्रशासन-सीमाओं के अन्दर ही होनी चाहिए, जहाँ उसका विकास हो सके और वे क्षेत्र पुस्तकालय के विकास में खूब सहयोग दे सकें। इन क्षेत्रों का चुनाव नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य में होना तथा ये पुस्तकालय इतनी दूरी पर नहीं होंगे कि

पुस्तकालय डाइरेक्टर या जिला पुस्तकालय बोर्ड इन पर अधिकार रख सकने में कठिनाई अनुभव करें।

रिपोर्ट का दूसरा अन्तिम निर्णय था कि केन्द्रीय पुस्तकालय बोर्ड नियम (कानून) द्वारा स्वयं परिभाषित संस्था होगी जो एक मन्त्री पर निर्भर करेगी और इसको अधिकार होंगे कि यह पुस्तकालय सेवाओं का विकास करे और इस निमित्त स्वीकृति भी है। इस बोर्ड के अधिकार सम्बन्धी प्रश्न अभी विवादग्रस्त हैं। उनके एक मत होने के लिए हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए।

रिपोर्ट के दिलचस्प अवतरणों (Paragraphs) में से राष्ट्रीय पुस्तकालय-सेवा के कार्यों का वर्णन अति महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पुस्तकालय के क्या कार्य हैं? क्या यह राष्ट्रीय-पुस्तकालय सेवा से भिन्न और विशिष्ट है? यदि ऐसा है तो राष्ट्रीय पुस्तकालय-सेवा के क्या विभाग हैं? एशिया में विभिन्न प्रकार के जैसे Unitary और Federal राज्य वर्तमान हैं। ऐसे विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय पुस्तकालय और राष्ट्रीय-पुस्तकालय-सेवा का क्या प्रकार (रूप) होगा। इत्यादि प्रश्नों पर विचार किया गया।

राष्ट्रीय पुस्तकालय एक वह संस्था है जिससे कि स्वयं अधिकार है जो राष्ट्रीय प्रकाशनों की रक्षा करती है और विश्व की संस्कृति और सभ्यता सम्बन्धी पुस्तकों का चुनाव करती है। उसका प्रधान लक्ष्य राष्ट्रीय पुस्तकों की सूची (Bibliography) निर्माण करना होता है तथा वह अन्तर्राष्ट्रीय ऋण और अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकों के आदान-प्रदान के केन्द्र के रूप में काम करती है और जहाँ सम्भव हो देश का यूनियन कैटलाग रखती है।

राज्यों में राष्ट्रीय पुस्तकालय का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय पुस्तकालय-सेवा का निर्माण करे। राज्यों में राष्ट्रीय पुस्तकालय का पुस्तकालयाध्यक्ष केन्द्रीय पुस्तकालय बोर्ड के पुस्तकालयाध्यक्ष की हैसियत से काम करता है। केन्द्रीय पुस्तकालय बोर्ड राष्ट्रीय पुस्तकालय पर निर्भर नहीं है।

रिपोर्ट में केन्द्रीय पुस्तकालय बोर्ड के कार्यों का एवं यह किस प्रकार राज्य और जिला बोर्डों के सहयोग से अपना राष्ट्रीय रूप स्थिर करती है, इसका विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय आयोजन की आशातीत सफलता विचार गोष्ठी को यह कहने के लिए प्रेरित करती है कि एशिया के देशों में पथ-प्रदर्शन निर्देशन और कार्यों के लिए अधिक से अधिक सुदृढ़ जन-पुस्तकालयों की आवश्यकता है। दूसरे जिन आवश्यक तथ्यों पर रिपोर्ट में विचार किया गया

उनमें से कुछ मुख्य ये हैं—पुस्तकालय-भवनों के निर्माण की समस्या, पुस्तकों का एक बड़ी संख्या में वितरण, स्वेच्छा से काम करने वाले कर्मचारियों का प्रयोग, समूह में विशेष वर्गों की सेवा, पुस्तकालय टेकनिक, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, चुनाव और सामाजिक स्थिति, पुस्तकालयाध्यक्ष की कक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोगों के लिए विदेशी अनुभवों का महत्व, पुस्तकालय-विस्तार सेवा विशेषतया नये पढ़े-लिखे लोगों के लिए, प्रादेशिक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, राष्ट्रीय पुस्तकों की सूची का निर्माण और पुस्तकालय समितियों द्वारा किये जाने वाले काम की समस्यायें।

विचार-गोष्ठी की संक्षिप्त रिपोर्ट में जो कि १० नवम्बर को Unesco (CUA/73) द्वारा प्रकाशित हुई निम्नलिखित मुख्य तथ्यों का सारांश दिया गया है :—

१ एशिया में सभी लोगों के लिए मुफ्त और बराबर आधार पर उचित रूप से आयोजित, जन-पुस्तकालय-सेवा विकास।

२ सभी एशिया के देशों में जहाँ कोई पुस्तकालय-कानून नहीं है, राष्ट्रीय जन-पुस्तकालय के कानूनों को क्रियात्मक रूप देना।

३ पुस्तकालय-सम्बन्धी प्रशिक्षण की सुविधाओं में उन्नति तथा पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन एवं सामाजिक रहन-सहन में विकास।

४ जन-पुस्तकालयों का व्यय जनता के चन्दे से किया जायगा।

५ यूनेस्को एशिया की सरकारों से मिल कर अतिरिक्त जन-पुस्तकालय आयोजना बनाए।

६ यूनेस्को नवीन पढ़े-लिखे लोगों के लिए उचित जन-पुस्तकालय सेवाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए अनुसन्धान जारी रखेगा।

७ यूनेस्को एशिया में एक ऐसा कार्यालय स्थापित करेगा जो विभिन्न सरकारों की सहमति और सहायता प्राप्त कर जन-पुस्तकालय के विकास में सहयोग देगा।

द्वितीय दल (ग्रुप २) की रिपोर्ट में प्रौढ़ों के लिए प्रारम्भिक अध्ययन की सामग्री प्रदान करने के सम्बन्ध में जो मुख्य समस्या है वह यह कि निरक्षरता केवल उन देशों में ही है जहाँ खान-पान की सुविधा अच्छी नहीं है, जहाँ प्रायः सर्वत्र बीमारी का साम्राज्य रहता है और जहाँ अति गरीबी है। इसलिए यह उचित है कि प्रारम्भिक अध्ययन की सामग्री प्रदान करने में राष्ट्रीय

योजना लोगों की सामाजिक और आर्थिक विकास को मुख्य रूप से ध्यान में रखे। रिपोर्ट वर्तमान पठन-सामग्री को देखती है और उसमें अन्तर (Lacunae) का निरीक्षण करती है औद्योगिक धार्मिक तथा अन्य क्षेत्रों में पठन सामग्री के क्रमों का निर्धारित (प्रस्तुत) करती है। यह श्रव्य और दृश्य (Audo-visual) सम्बन्धी सहायताओं एवं उनके चुनाव तथा उनके पाठ पुस्तकालयों के प्रयोग के प्रश्नों पर विचार करती है। यह कुछ विशेष देशों की बहु-भाषा सम्बन्धी एवं लिपि-विभिन्नताओं की समस्या पर विचार करती है। इन विचारों से यही आवश्यक परिणाम निकाले गये हैं कि देश की राष्ट्रीय भाषा में पुस्तकों के प्रदान करने के साथ-साथ प्रादेशिक भाषा-सामग्री को भी देना होगा और जहाँ तक सम्भव हो सके सम्पूर्ण देश के लिए एक लिपि का अनिवार्य होना पुस्तकालयों के प्रयोग में सुविधा प्रदान करेगा। औद्योगिक शब्द-कोष का एशिया की भाषाओं में निर्माण (रूपान्तर) कुछ यूरोपीय भाषाओं के लिए महत्व अनुसन्धान-विकास व्यवस्था तथा शिक्षा-केन्द्र का विकास और पुस्तक प्रकाशन की व्यवस्था—इन पर रिपोर्ट में मुख्य रूप से विचार-विनिमय किया गया है। इसमें चार महत्वपूर्ण वस्तुएँ बताई गई हैं। प्रथम सरकारी और प्रबन्ध विभागों के सम्मुख जिनका काम प्रश्न-तालिका का उपस्थित करना नवीन-शिक्षित लोगों के लिए सामग्री प्रदान करना है, जिसे पठन-सामग्री के स्वभाव (Nature) वितरण और उत्पत्ति आदि के विषय में सूचना संगृहीत करना है। इसके अतिरिक्त यह प्रस्तुत की गई पुस्तकों की भाषाओं उनकी पूर्व-परीक्षाएँ तथा क्रमिक स्थिति-करण (ग्रेडिङ्ग) शिक्षण में विभिन्न सीढ़ियों (Stages) पुस्तकों के अतिरिक्त शिक्षण में अन्य सुगम सामग्रियों की सहायता उनके (पुस्तकों के) आकार प्रकार जिसमें कि उन्हें निर्गत होना है और प्रस्तुत की गई सामग्री का मूल्यांकन (की आलोचना) आदि प्रश्नों की सूचना एकत्रित करेगी। द्वितीय एशिया के देशों में प्रारम्भिक पठन (अध्ययन) सामग्री तथा इसके उत्पादन का निरीक्षण। तृतीय प्रौढ़ शिक्षा साहित्य से सम्बन्धित शीर्षकों (Titles) की एक विषय-सूची और स्थानीय कृषि उद्योग (व्यापार) तथा हस्तकला द्वारा जीविकोपार्जन के साधनों में सुधार (और विकास) चतुर्थ वाङ्मय-सूची के उपकरणों और प्रौढ़-शिक्षा के क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के लिए सहायताओं के चुनाव के रूप में हस्तपुस्तिकाओं का पुनर्सर्वेक्षण।

यूनेस्को (Unesco) (CUA/73) के द्वारा प्रकाशित संक्षिप्त रिपोर्ट ने (Group Two) की रिपोर्ट को निम्न प्रकार से संक्षिप्त किया है —

प्रौढ़-शिक्षा के लिए उचित पठन-सामग्री के विशेष अभाव तथा एशिया में साहित्य प्रस्तुत करने वाली विभिन्न संस्थाओं (एजेंसीज) में परस्पर असहयोग की भावना को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है कि प्रत्येक देश में सभी प्रकार व्यय द्वारा चलाए जाने वाले एक राष्ट्रीय उत्पादन केन्द्र की स्थापना की जाय। इस दिशा में यह हर्ष का विषय है कि भारतवर्ष ने 'राष्ट्रीय पुस्तक-न्यास' के निर्माण के द्वारा एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम उठाया है। छोटे बालकों के लिए पुस्तकालय-सेवा के विषय में तृतीय दल की रिपोर्ट सामग्रियों एवं भवनों के संग्रह, विस्तार सम्बन्धी काम स्कूल-पुस्तकालयों, और वर्तमान (स्थापित) पुस्तकालयों के लिए आवश्यक विशेष प्रकार के कर्मचारी-गण पर विशेष रूप से विचार करती है।

11' पूर्वकथित Unesco (CUA/37) की संक्षिप्त रिपोर्ट तृतीय दल के निर्णयों को इस प्रकार संक्षेप में प्रदर्शित करती है —

१ सभी जन-पुस्तकालय बच्चों की सेवा को ध्यान में रखेंगे और उसे प्रदान करेंगे।

२ स्कूल में बच्चों की पुस्तकालय-सम्बन्धी-सेवा का विकास एक निश्चित आयोजन के आधार पर किया जायगा और इन सेवाओं को सभी स्कूल के बच्चों के लिए सुलभ बनाया जायगा।

३ यूनेस्को एशिया की सरकारों से मिल कर प्रादेशिक या राष्ट्रीय आधार पर स्कूलों और जन-पुस्तकालयों में बच्चों के लिए पुस्तकालय की सेवाओं के निर्देश के लिए एक सुदृढ़ आयोजन बनायेगी।

४ यूनेस्को एशिया के बच्चों और नवयुवक व्यक्तियों के आधार्य अच्छी पुस्तकों के निर्माण के लिए आयोजन बनायेगी।

५ यूनेस्को विश्व साहित्य की उन पुस्तकों की—चाहे मौलिक हों चाहे अनूदित तालिका तैयार करेगी जो एशिया के बच्चों के लिए लाभप्रद हों।

एशियन लाइब्रेरी एसोसियेशन

२१ अक्टूबर १९५५ में यूनेस्को सेमिनार के दिनों में अनेक ऐशियायी देशों के प्रतिनिधियों ने मिल कर 'एशियन लाइब्रेरी एसोसियेशन' की स्थापना की। इसके सभापति Mr Severino I. Velasco (फिलिपाइन्स) और मंत्री श्री डी० आर० कालिया (भारत) चुने गए।

पुस्तक-जैकेट प्रदर्शनी

आकर्षक पुस्तकें तैयार करने को प्रोत्साहन देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक-जाकेट-प्रदर्शनी २७ अप्रैल ५६ को दिल्ली में आयोजित की गई जिसका उद्घाटन केन्द्रीय शिक्षा-विभाग के उपमंत्री डा० के० एल० श्रीमाली महोदय ने किया।

(घ) नेशनल बुक ट्रस्ट

केन्द्रीय सरकार ने जनता में सरल और स्वस्थ साहित्य को सस्ते मूल्य पर प्रचारित करने के लिए तथा क्लासिक्स एवं अन्य विशेष साहित्य जिन्हें प्रकाशक लाभ की दृष्टि से छापने में हिचकते हैं, उन्हें छापने के लिए एक 'नेशनल बुक ट्रस्ट' की स्थापना की। चालू प्रथम वर्ष में १० लाख रुपये का व्यय अनुमानित है। इसकी समिति इस प्रकार है —

डा० जॉन मथाई वाइस चान्सलर, बम्बई युनिवर्सिटी (अध्यक्ष)।

सदस्य —

१ डा० ए० लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, वाइस चान्सलर मद्रास यूनि०
२. डा० जाकिर हुसेन अलीगढ़ ,,
३ श्री मुल्कराज आनन्द।
४ श्री ख्वाजा अहमद अब्बास।
५ श्री दिलीपकुमार गुप्त।
६ श्री पीटर जयसिंघे।
७ श्री डी० जे० तेन्दुलकर।
८. श्रीकृष्णा कृपलानी।
९. प्रो० सुंदीव।
१० प्रो० हुमाऊँ कबीर।

इनके अतिरिक्त भारत सरकार के शिक्षा तथा सूचना-मंत्रालयों के मंत्री भी ट्रस्ट के सदस्य होंगे।

पुस्तकालयाध्यक्षों की ट्रेनिंग

पुस्तकालय-विज्ञान की शिक्षा देने के लिए 'सेंट्रल इन्स्टीट्यूट' स्थापित करने के निमित्त १० लाख रुपये की एक रकम रखी गई है।

(ङ) इण्डिया आफिस लाइब्रेरी के लिए प्रयत्न

देश के विभाजन के पश्चात् भारत और पाकिस्तान दोनों ने इस

लाइब्रेरी को लेने की बात चलाई। शिक्षा-विभाग मन्त्री मौलाना आजाद इस लाइब्रेरी के समझौते के सम्बन्ध में बातचीत करने इंगलैण्ड गए थे। वे २१ जुलाई १९५५ को वापस आए। २६ जुलाई को प्रेस कान्फ्रेंस में भाषण देते हुए उन्होंने बताया कि ब्रिटिश कामनवेल्थ के सेक्रेटरी लार्ड होम के साथ पत्र-व्यवहार हो रहा है और अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। लार्ड होम का विचार है कि इण्डिया आफिस लाइब्रेरी इंगलैण्ड में ही अखण्ड रूप से पूर्ववत् बनी रहे। यों वैधानिक रूप से लाइब्रेरी की सारी सम्पत्ति तथा ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समस्त कागजात पर अविभाजित भारत का अधिकार है। इस सम्बन्ध में १९४८ ई० के स्वतंत्रता अधिनियम के तैयार होते समय गवर्नर जनरल ने अपनी कौंसिल में स्पष्ट रूप से कहा था कि उक्त सामग्री भारत की सम्पत्ति है। इस प्रकार अभी यह मामला खटाई में पड़ा हुआ है। यदि ज्ञान का विभाजन हुआ अर्थात् लाइब्रेरी की सामग्री भारत और पाकिस्तान में बँट गई तो यह एक दुर्घटना होगी।

(७) हस्तलिखित-ग्रंथों की खोज

देश के स्वाधीन होने पर भारत सरकार ने तथा प्रान्तीय सरकारों ने भी हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज करने तथा उन्हें प्राप्त करके उनको प्रकाश में लाने का कार्य भी अपनाया। सन् १९५२-५३ में भारत सरकार ने ११ ऐतिहासिक पाण्डुलिपियाँ और डाकूमेंट्स विभिन्न पार्टियों से १२०० रु० की लागत पर प्राप्त किया। इसमें सरोजिनी नायडू की कविताएँ, अमीर खुसरो की रचनाएँ, मुगलकालीन कुछ फरमान एवं डाकूमेंट्स थे। सरकार ने अरबी और फारसी की ८०,००० रु० में क्लासिकल पुस्तकों के ट्रांसलेशन की पांडुलिपि का अपीरायट ले कर जनता में सस्ते दामों में वितरण की योजना तैयार की। इसमें महाभारत, भगवद्गीता, रामायण, शकुन्तला, लंक-दमयन्ती और ए हिस्टरी आफ हिन्दू केमिस्ट्री आदि मुख्य ग्रंथ हैं जिनमें से शकुन्तला का प्रकाशन हाथ में लिया गया। नेशनल आर्काइव्ज आफ इण्डिया ने प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों के रखने के लिए नई रासायनिक खोज की और २००० के लगभग ग्रंथों को उसी रीति से रखा। सरकार ने भण्डारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना, प्राच्यविद्या ओरियण्टल इंस्टीट्यूट बड़ौदा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी और मैन्युस्क्रिप्ट्स की माइक्रोफिल्म कापी तैयार करने की एक योजना भी स्वीकार की।

जम्मू और काश्मीर सरकार ने संस्कृत के २१९ बहुमूल्य ग्रंथ प्राप्त किए।

४९ फारसी और अरबी, ११ पाली और १९ तिब्बती। इनमें से ८९ संस्कृत के ग्रंथ प्रकाशित भी हुए। इनमें 'निरुक्तशास्त्र' बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। सरकारी रिसर्च पंडित और मौलवी विभिन्न दुर्लभ ग्रंथों का सम्पादन कर रहे हैं। मलिक हसन का ११ वीं शताब्दी का लिखा हुआ काश्मीर का इतिहास भी मिला है जिसमें आरंभ से १८९५ तक का इतिहास है और जिसका पता कल्हण की राजतरंगिणी से भी नहीं लग पाया था।

उत्तर प्रदेशीय सरकार ने अपने एक परिपत्र के द्वारा राज्य के समस्त जिलाधीशों को आदेश दिया है कि वे अपने-अपने जिले में व्यक्तियों और संस्थाओं के पास जो हस्तलिखित ग्रंथ हों उनका विवरण सरकार को भेजें। इस ओर काम भी शुरू हो गया है।

नागरी प्रचारिणी सभा ने अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा खोजे गए ग्रंथों की खोज रिपोर्ट प्रकाशित की। हिन्दी-संग्रहालय में सुरक्षित ५००० ग्रंथों का सूची-पत्र भी सम्मेलन की ओर से सन् १९५० में प्रकाशित किया गया। बिहार राष्ट्रभाषा प्रचार-परिषद ने भी अपनी 'हस्तलिखित ग्रंथों की खोज' के दो भाग प्रकाशित किए।

कैटलागस कैटलागरम्

इन सब संस्थाओं के निजी हस्तलिखित ग्रंथों के सूचीपत्रों के अतिरिक्त एक महत्त्वपूर्ण सूचीपत्र 'कैटलागस कैटलागरम्' (प्रथम खंड) मद्रास यूनिवर्सिटी की ओर से १९४९ ई० में प्रकाशित हुआ। इसका सम्पादन मद्रास यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष श्री वी० राघवन ने किया। ४८० पृष्ठों के इस सूचीपत्र में केवल 'अ' अक्षर ही आ पाया है। इसको निम्नलिखित संस्थाओं के तथा कुछ व्यक्तिगत संग्रहों के भी हस्तलिखित ग्रंथों के सूचीपत्रों से तैयार किया गया है—

पुस्तकालय, ओरियंटल इन्स्टीट्यूट, रिसर्च मोनास्ट्रीज और मैनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरीज

अलवर लाइब्रेरी अलवर।
आनन्दाश्रम पूना।
ऐम्को संस्कृत लाइब्रेरी नवद्वीप।
एनी बसिन्ट लाइब्रेरी बेनी बाजार, सिल्हट आसाम।
अनूप संस्कृत लाइब्रेरी बीकानेर।
भण्डारकर ओरियंटल रिसर्च इन्स्टीट्यूट पूना।

भारतीय इतिहास संशोधक मंडल पूना ।
भारतीय विद्याभवन, बम्बई ।
बिब्लिओथेक नेशनल पेरिस ।
बिहार ऐण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, पटना ।
बाम्बे ब्रांच आफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बम्बई ।
दाक्षिणमूर्ति लाइब्रेरी, भावनगर ।
डक्कन कालेज पोस्ट ग्रेजुएट ऐण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना ।
गवर्नमेंट ओरियण्टल लाइब्रेरी मैसूर ।
ग्रेटर इंडिया सोसाइटी कलकत्ता ।
गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद ।
इम्पीरियल लाइब्रेरी, कलकत्ता ।
इण्डिया आफिस लन्दन ।
जिन्द स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी जिन्द ।
कृष्ण देवराय आन्ध्र भाषा निलय हैदराबाद, दक्षिण ।
लाइब्रेरी आफ कांग्रेस डी० सी० वाशिंगटन ।
मद्रास गवर्नमेंट ओरियंटल मैनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी मद्रास ।
मदुरा तामिल संघम् मदुरा ।
मीमांसा विद्यालय, पूना ।
ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट बड़ौदा ।
रंगपुर साहित्य परिषद्, कलकत्ता ।
सिंधिया ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट, उज्जैन ।
सोसाइटीज एशियाटिक पेरिस ।
तंजौर महाराज सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी तंजौर ।
ठेसुगु एकेडेमी कोकोनाडा ।
ट्रावनकोर यूनिवर्सिटी ओरियण्टल मैनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, त्रिवेन्द्रम ।
त्रिवेन्द्रम पब्लिक लाइब्रेरी त्रिवेन्द्रम ।
बंगीय साहित्य परिषद् कलकत्ता ।
वारेन्द्र रिसर्च सोसाइटी, राजशाही बंगाल ।
वैदशास्त्र संशोधक सभा, पूना ।
वारंगल हिस्टारिकल रिसर्च सोसाइटी वारंगल हैदराबाद ।

यूनिवर्सिटी, कालेज और स्कूल

आन्ध्र यूनिवर्सिटी, वाल्टेयर ।

अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, मद्रास।
बम्बई यूनिवर्सिटी बम्बई।
कलकत्ता यूनिवर्सिटी कलकत्ता।
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऐण्ड ट्रिनिटी कालेज कैम्ब्रिज।
ढाका यूनिवर्सिटी, ढाका।
डी० ए० वी० कालेज लाहौर।
फर्गुसन कालेज पूना।
एच० पी० टी० कालेज नासिक।
मानक स्कूल सिन्नर।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद।
पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर
श्रीरामपुर कालेज, श्री रामपुर

म्युज़ियम और आर्केओलोजी विभाग

आर्केओलाजिकल विभाग जोधपुर।
आर्केओलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
लखनऊ म्युज़ियम लखनऊ।
कटक म्युज़ियम कटक।
इंडियन म्युज़ियम, कलकत्ता।
म्युनिसिपल म्युज़ियम इलाहाबाद।
प्रिंस ऑफ वेल्स म्युज़ियम बम्बई।

संस्कृत कालेज और पाठशालाएँ

महाराजा संस्कृत कालेज, मैसूर।
महाराजा संस्कृत कालेज विजयानगरम्।
ग्राम पाठशाला वाय सतारा जिला।
रामेश्वरम् देवस्थानम् पाठशाला मदुरा।
संस्कृत पाठशाला राजापुर, रत्नागिरि।
संस्कृत कालेज उडीपी।
प्रथम वैराग्य संस्कृत कालेज, श्री पत्तमपुर।
वेदशास्त्र पाठशाला पुदुरस्थ।

स्टेट्स

[illegible] भरतपुर, धौर, बड़ौदा, कोचीन, धरमपुर, भावनगर जयपुर

बड़ौदा काश्मीर, कौर, कोटा, पुदुकोटा उदयपुर और विजयानगरम् ।

जैन संस्थाएँ

ऐलक पन्नालाल दिगम्बर जैन
सरस्वती भवन झालरापाटन ।
अमृत अमर भवन भाव शाह जैन विद्याशाला अहमदाबाद ।
चारुकीर्ति पंडिताचार्य जैन भंडार श्रवण बेलगोला मैसूर ।
सेंट्रल जैन लाइब्रेरी आरा ।
दिगम्बर जैन भण्डार, दिल्ली ।
दिगम्बर जैन लाइब्रेरी रोहतक ।
जैन मंदिर भण्डार, पानीपत ।
जैन मंदिर दिल्लीवाली सिरोर मैनपुरी ।
वीरवाणी विलास जैन सिद्धान्त भवन मूडबिद्री ।
शान्तिनाथ जैन मंदिर, अलीगंज एटा ।
स्याद्वाद जैन महाविद्यालय भदैनी बनारस ।
सत्याश्रम कालेज कोल्हापुर ।

हिन्दू मठ और मन्दिर

महोविलास मठ श्रीरंगम् ।
कपालेश्वर देवस्थानम् मद्रास ।
कांची कामकोटि शंकराचार्य मठ कुम्भकोणा ।
कृष्णपुर मठ उडीपी ।
भाण्डार बलरामपुर ।
पेजावर मठ, उडीपी ।
नरसिंहाद्रि धर्मकर मठ, कांची ।
रंगनाथ स्वामी देवस्थानम् म्युजियम और लाइब्रेरी, श्रीरंगम् ।
शृंगेरी शंकराचार्य मठ शृंगेरी ।
उपनिषद्ब्रह्म मठ कांची ।

अन्य संस्थाएँ

आसाम गवर्नमेंट गुवाहाटी ।
आयुर्वेद केमिकल वर्क्स कोल्हापुर ।
मातृभूमि कार्यालय, ग्वालियर ।

निर्णय सागर प्रेस, बम्बई।

पंचाचार्य प्रेस मैसूर।

रैड्डी हॉस्टल गुलाल बाजार, हैदराबाद।

इससे इस बात का भी अनुमान किया जा सकता है कि भारत के कोने-कोने में विभिन्न संस्थाओं में महत्त्वपूर्ण ग्रंथ बहुत बड़ी संख्या में सुरक्षित हैं और इस बात की बहुत जरूरत है कि देहातों तथा नगरों में विभिन्न व्यक्तियों के पास जो ग्रंथ पड़े हैं, उनका भी उद्धार किसी सुनिश्चित योजना के अनुसार किया जाना चाहिए। इन ग्रंथों से भारत के साहित्य की श्रीवृद्धि होगी और अतीत की संस्कृति पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सूचियाँ भी प्रकाशित हुई हैं —

१९४७ राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज विद्यापीठ उदयपुर संपादक अगरचन्द नाहटा।

१९४८ कन्नड़ प्रान्तीय ताड़पत्रीय ग्रंथ सूची भारतीय ज्ञानपीठ, काशी संपा० भुजबली शास्त्री।

१९५० इम्पार्टेंट हिस्टारिकल मैनुस्क्रिप्ट्स रघुबीर लाइब्रेरी सीतामऊ संपा० डा० रघुबीर।

१९५२ राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज साहित्य सदन, उदयपुर संपा० उदयसिंह भटनागर।

१९५२ हस्तलिखित हिन्दी ग्रंथों की खोज का पिछले ५० वर्षों का विवरण। नागरी प्रचारिणी सभा काशी।

१९५५ प्राचीन हस्तलिखित पोथियों का विवरण राष्ट्रभाषा-प्रचार-परिषद् पटना संपा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी।

गिलगिट मैनुस्क्रिप्ट के नाम से १९३१ में डा० रघुनाथ सिंह स्टेट काश्मीर ने १९ पुरानी बुद्धिस्ट ग्रंथों (पाली में) का पता लगाया जिसका सम्पादन डा० नलिनाक्ष दत्त कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने किया और प्रकाशित हुई। शेष को भारत सरकार के पास इम्पीरियल होने के कारण भेजा गया जो ५, ६ शताब्दी की लिखी हुई थीं। ये गिलगिट मैनुस्क्रिप्ट्स संसार के प्राचीन ग्रंथों में से हैं। १९ तिब्बती ग्रंथों के सिर पैर का पता अभी विशेषज्ञ लगा रहे हैं। 'ओरिजिन ऐण्ड ग्रोथ आफ काश्मीरी म्युजिक' का भी पता लगा है। दाराशिकोह की गुरु की लिखी 'सिर्री अकबर' नामक पुस्तक मिली है जो बहुमूल्य है।

गवर्नमेंट रिसर्च और पब्लिकेशन विभाग को ५००० हस्तलिखित पोथियों संग्रह की बड़ी चिन्ता है जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा संग्रह है। यह जम्मू ...नाथ संस्कृत कालेज के संरक्षण में एक ट्रस्ट के अधिकार में है। जिसका नाम ...र्म अर्थ ट्रस्ट है। धर्म अर्थ समिति सरकार को इसकी प्रतिलिपि भी नहीं ...ा सकती।

बहादुरसिंह जी सिंघी के नाम द्वारा श्री बाबूचन्द जी सिंघी की पुण्यस्मृति सिंघी जैन ग्रंथमाला की स्थापना १९२९ ई० म हुई थी। उसकी ओर से ...श्री मुनिजिन विजय के सम्पादकत्व में ५ दुर्लभ जैन ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं ...ा और भी प्रकाशित हो रहे हैं। इस ग्रंथमाला के अन्तर्गत जैन आगम ...र्शन साहित्य इतिहास कथात्मक विविध विषय प्राकृत संस्कृत अपभ्रंश ...ाचीन राजस्थानी आदि के उपलब्ध ग्रंथों को प्रकाशित करने की बड़ी सुन्दर ...योजना बनाई गई है।

(क) प्रदेशों में पुस्तकालयों और संघों की प्रगति

अखिल भारतीय पुस्तकालय-संघ की प्रगति

ब्रिटिशकाल में इस संघ के सात अधिवेशन हो चुके थे। उसके बाद अब तक उसके चार अधिवेशन हुए।

संघ का आठवां अधिवेशन २० से २१ जनवरी १९४९ ई० को नागपुर यूनिवर्सिटी में डा० रंगनाथन् जी के सभापतित्व में हुआ। इसका उद्घाटन माननीय मंगलदास पकवासा राज्यपाल मध्य-प्रदेश ने किया। स्वागत-समिति के अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे वाइस चांसलर नागपुर यूनिवर्सिटी ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। इस अधिवेशन में विभिन्न भागों से लगभग २०० प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।

इन्दौर सेंट्रल लाइब्रेरी के निमंत्रण पर संघ का नवाँ अधिवेशन ११ से १४ मई १९५१ तक श्री टी० डी० वाकनीस (क्यूरेटर आफ लाइब्रेरीज, बम्बई) की अध्यक्षता में हुआ।

इसके बाद १० वां अधिवेशन हैदराबाद में १ से ३ जून १९५३ को श्री एस० दास गुप्ता की अध्यक्षता में हुआ। हैदराबाद स्टेट के शिक्षा-मन्त्री श्री देवीसिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री डा० एस० भगवन्तम स्वागतसमिति के स्वागताध्यक्ष रहे।

संघ का ग्यारहवाँ अधिवेशन ७ अप्रैल से १० अप्रैल १९५६ तक कलकत्ता में श्री ए० बशीरुद्दीन साहब, लाइब्रेरियन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की अध्यक्षता में हुआ। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री एन० के० सिद्धान्त स्वागताध्यक्ष थे। अधिवेशन का उद्घाटन पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल श्री एच० के० मुकर्जी महोदय ने किया।

इन सभी अधिवेशनों में कुछ निबन्ध पढ़े जाते रहे और उन पर विचार विनिमय होता रहा तथा अन्य सामयिक बातों की चर्चा हुआ करती थी।

इस समय श्री बी० कृष्णन् संघ के अध्यक्ष और श्री पी० एन० बोस प्रधान मन्त्री हैं।

इण्डियन लाइब्रेरी डाइरेक्टरी

डाइरेक्टरी आफ इण्डियन लाइब्रेरीज' का प्रथम संस्करण सन् १९३८ ई० में प्रकाशित हुआ। इसका सम्पादन एक समिति द्वारा किया गया। द्वितीय संस्करण सन् १९४४ ई० में प्रकाशित हुआ। इसकी तैयारी श्री आर० गोपालन, श्री सन्तराम भाटिया, श्री राम मनुप्रसाद, श्री एम० बशीरुद्दीन, सुन्दर बहादुर, के० एम० असदुल्ला, सुरदार सोहन सिंह और आई० एम० मूले ने की। तृतीय संस्करण की तैयारी के लिए अखिल भारतीय पुस्तकालय-संघ की कार्य-समिति ने १९५० में निश्चय किया। प्रश्नावली भेजी गई। उसकी गति मन्द रही किन्तु १९५१ की जुलाई में यह निश्चय किया गया कि प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बिना देर किए नवीन संस्करण छाप दिया जाय। फलतः १९५१ में यह डाइरेक्टरी प्रकाशित की गई। इसका सम्पादन डा० रंगनाथन् जी, श्री एस० दास गुप्त एवं श्री जगदानन्द बोस ने किया। इसमें ५ अध्याय हैं —

प्रथम अध्याय में लाइब्रेरी की डाइरेक्टरी है। प्रत्येक पुस्तकालय के विषय में सूचनाएँ टेलुअर क्रम से दी गई हैं।

द्वितीय अध्याय में पुस्तकालयों की भौगोलिक तरतीब दी गई है।

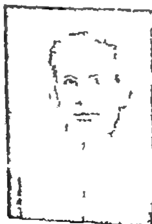
तृतीय अध्याय में पुस्तकालयों का उनके रूप (टाइप) के अनुसार विभाजन किया गया है।

चौथे अध्याय में पुस्तकालय-संघों के सम्बन्ध में सूचनाएँ दी गई हैं।

पाँचवें अध्याय में पुस्तकालय-विज्ञान के स्कूलों का परिचय है।

भारतीय पुस्तकालय संघ के ग्यारहवें अधिवेशन
के
अध्यक्ष

श्री एन० बशीरहीम एम ए एल. एम ए



श्री पी० सी० बोस
प्रधानमन्त्री

छठें अध्याय में भारत में प्रकाशित पुस्तकालय-साहित्य को वर्गीकृत रके दिया गया है।

सातवें अध्याय में भारत में लाइब्रेरी प्रोफेशन के कुछ व्यक्तियों के म्बन्ध में जीवन-सम्बन्धी संक्षिप्त परिचय दिए गए हैं।

यद्यपि इस डाइरेक्टरी के सम्बन्ध में भेजी गई प्रश्नावली का उत्तर लगभग क-तिहाई पुस्तकालयों कुछ पुस्तकालय संघों तथा लाइब्रेरी प्रोफेशन के दस्यों ने नहीं भेजे फिर भी डाइरेक्टरी काफी उपयोगी है।

संघ ने इसके अतिरिक्त निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित की —

१९५० डा॰ एस आर॰ रंगनाथन लाइब्रेरी टुअर १९४८ यूरोप ऐण्ड अमेरिका इम्प्रेशन ऐण्ड रिफ्लैक्शन।

१९५० डा एस आर रंगनाथन ग्रन्थ अध्ययनाय है (अनु॰ श्री मुरारी लाल नगर)।

१९५१ पब्लिक लाइब्रेरी प्रोविजन ऐण्ड डाकूमेन्टेशन प्राबलम्स।

१९५१ और के॰एस॰शिवरामन् : लाइब्रेरी मैनुअल।

१९५१ ग्रन्थालय प्रक्रिया (अनु॰ श्री मुरारी लाल नागर)।

इसके अतिरिक्त १ ४९ से 'अबगिला और ग्रन्थालय' की पत्रिकाओं का प्रकाशन होता रहा। अक्टूबर सन् १९५१ से अबगिला' के स्थान पर इण्डियन लाइब्रेरी जनरल' नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया।

उत्तर-प्रदेश

इस काल में उत्तर-प्रदेश सरकार ने पुस्तकालयों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया। सरकार नगर और गाँव के अच्छे पुस्तकालयों को आर्थिक अनुदान दे कर उन्हें पुस्तकालय-सेवा के लिए प्रोत्साहित करती रही। सन् १९५५-५६ के बजट में ६२ पुस्तकालयों को १७० ० रु अनुदान दिया गया। १९५६ ५७ के बजट में वृद्धि कर दी गई और ८४ पुस्तकालयों को २५००० रु॰ अनुदान दिया गया। देहरादून में अन्धों के लिए भी एक पुस्तकालय स्थापित किया गया।

मान्तीय केन्द्रीय पुस्तकालय

उत्तर-प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद में दिसम्बर १९४९ में केन्द्रीय पुस्त

कालय की स्थापना की। इसमें प्रारम्भ में पुस्तकों का संग्रह प्रस एण्ड रजि-स्ट्रेशन आफ बुक्स ऐक्ट के अन्तर्गत प्राप्त पुस्तकों और शिक्षा से सम्बन्धित विषयों का था। इस पुस्तकालय को प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किसी प्रकार का विशेष प्रोत्साहन नहीं मिल सका अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस पुस्तकालय के विकास की योजना बनाई गई है। साथ ही यह भी निश्चय किया गया है कि इससे सम्बद्ध ८ जिला पुस्तकालय स्थापित किए जायें। ये पुस्तकालय मेरठ, मथुरा, आगरा, बरेली, कानपुर, अल्मोड़ा, झाँसी, गोरखपुर और वाराणसी में स्थापित किए जा रहे हैं। इनके लिए विशेष रूप से भवनों के निर्माण और साज-सामान आदि के संग्रह की भी व्यवस्था हो गई है। समस्त योजना में पुस्तकों, कर्मचारियों और भवनों आदि पर लगभग १८ लाख रुपये व्यय होगा। इसमें से केन्द्रीय पुस्तकालय भवन पर ४ लाख, प्रत्येक जिला पुस्तकालय भवन पर ३ हजार केन्द्रीय पुस्तकालय के फर्नीचर आदि सामग्री पर १ लाख २ हजार तथा प्रति जिला पुस्तकालय की सामग्री एवं पुस्तकों आदि पर १० हजार रुपये व्यय होंगे। योजना के प्रथम वर्ष (१९५६-५७) में भवन निर्माण के काम में सन्तोषजनक प्रगति हुई है। सभी-सभी पुस्तकालय-सम्बन्धी आवश्यक सामग्री भी संगृहीत कर ली गई है।

बाल पुस्तकालय विभाग, पुस्तकालयाध्यक्षों का प्रशिक्षण, जिला पुस्तकालयों द्वारा पुस्तकों का वितरण आदि केन्द्रीय पुस्तकालय की प्रमुख विशेषताएं होंगी। प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष २० छात्रों को ट्रेन्ड करने का प्रबन्ध किया जायगा। प्रशिक्षण की रूपरेखा अभी सरकार के विचाराधीन है। इस केन्द्रीय पुस्तकालय में अब तक १ लाख २५ हजार पुस्तकें संगृहीत हो चुकी हैं। श्री भगवानदास जी इस पुस्तकालय के अध्यक्ष हैं।

शिक्षा-प्रसार विभाग

स्वाधीनता के पश्चात् इस विभाग के कार्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही। विभाग की ओर से साक्षरता को बढ़ाने और उसे स्थायित्व प्रदान करने के लिए १११७ पुस्तकालय स्थापित हैं। जिनमें ४० केवल महिलाओं के लिए हैं। इसके अतिरिक्त ११०० वाचनालय भी हैं। इन पुस्तकालयों और वाचनालयों को प्रतिवर्ष विभाग द्वारा उपयोगी एवं सरल साहित्य पहुँचाया जाता है। इन पुस्तकालयों से ग्रामीण लोग पुस्तकें घर ले जा कर पढ़ते हैं। वाच

पालयों में लोग आकर समाचार-पत्र और पत्रिकाओं द्वारा लाभ उठाते हैं। कुछ वर्षों की प्रगति का विवरण इस प्रकार है —

वर्ष	स्वीकृत धन पुस्तकों के लिए	समाचार-पत्र, पत्रिकाओं के लिए	निर्गत पुस्तकें	वाचनालय के उपयोगकर्ताओं की संख्या
१९५३-५४	१४ १०२०)॥।	२१ ७२५१०)५	८ ३८ १२७	८ ७९ ८५१
१९५४-५५	७९ ११७)	१९,७९७॥)	७ ५३ १७८	९ २० ९९४
१९५५-५६	८४ ०००)	४८००)	७ ५३ १७८	९ २० ९९४

अनुदान

उपर्युक्त विभागीय पुस्तकालयों के अतिरिक्त इस विभाग द्वारा सुव्यवस्थित ग्रामीण पुस्तकालयों को अनुदान भी दिया जाता है। इसका विवरण इस प्रकार है —

वर्ष	ग्रामीण पुस्तकालय	अनुदान की रकम
१९५४	२०७	७ ४७१ रु०
१९५५	२०८	७ ६१२ रु०
१९५६	१९७	७ १५१ रु०

विभागीय पुस्तकालय

शिक्षा-प्रसार विभाग के कार्यालय में भी एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय है जिसमें विविध विषयों की ११०० पुस्तकें संगृहीत हैं।

अन्य कार्य

इधर इस विभाग में एक चलचित्र केन्द्र स्थापित हुआ है जिसके द्वारा दृश्य-श्रव्य साधनों का उत्पादन किया जाता है और गाँव तथा नगर की शिक्षा संस्थाओं एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चलचित्र प्रदर्शन की भी व्यवस्था की

जाती है। विभाग के पास पाँच प्रचार वाहन हैं जो रेडियो, ग्रामोफोन, फिल्म पट्टी तथा चलचित्र-प्रदर्शन यन्त्रों से युक्त हैं।

इसके अतिरिक्त यह विभाग ऐसे अनेक आयोजन करता रहता है जिससे शिक्षा-प्रसार में सहायता मिल सके जैसे प्रौढ़ साहित्य का प्रकाशन, सेमिनार, सामाजिक शिक्षा सप्ताह एवं प्रदर्शनी आदि। इस समय श्री द्वारकाप्रसाद जी माहेश्वरी शिक्षा प्रसार अधिकारी हैं।

पुस्तकालय-विज्ञान की शिक्षा

इस प्रदेश में १९५१ ई० से अलीगढ़ विश्व विद्यालय में श्री एम० बशीरुद्दीन साहब के प्रयत्नों से एक 'सर्टिफिकेट कोर्स' चालू किया गया यह कोर्स सफलतापूर्वक चल रहा है।

काशी विश्वविद्यालय में सन् १९५६ से डा० जगदीशशरण शर्मा पुस्तकालय-विज्ञान-अधिशासन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अतः इस प्रदेश में पुस्तकालय-विज्ञान के प्रशिक्षण का यह कार्य अब अधिक लोकप्रिय हो रहा है।

पुस्तकालय-संघ

उत्तर प्रदेश में नए पुस्तकालय-संघ की स्थापना अगस्त १९५६ में हुई। इसका उद्घाटन प्रदेश के मुख्य मंत्री डा० सम्पूर्णानन्द जी ने किया। श्री रामानुजम मुकर्जी साहब लाइब्रेरियन लखनऊ यूनिवर्सिटी इसके स्थापना मन्त्र और श्री एम० बशीरुद्दीन साहब (अलीगढ़ यूनिवर्सिटी) अधिवेशन के सभापति थे इसका संगठन हो गया है और आशा है निकट भविष्य में इसके द्वारा प्रान्त में पुस्तकालय आन्दोलन को बहुत बल मिलेगा। इस समय श्री सी० पी० विश्वनाथ (वाराणसी) सभापति और श्री के० कुमार साहब रिडर अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी ही प्रधान मंत्री हैं।

प्रान्तीय संघ के अतिरिक्त कई जिलों में जिला पुस्तकालय-संघ भी स्थापित हो गए हैं। इनमें से 'इलाहाबाद पुस्तकालय-संघ' उल्लेखनीय है। इसकी स्थापना प्रयाग विश्वविद्यालय के आनरेरी लाइब्रेरियन डा० बनारसीप्रसाद सक्सेना तथा अखिल भारतीय पुस्तकालय-संघ के उपाध्यक्ष श्री एम० बशीरुद्दीन जी की प्रेरणा से १९५६ में हुई। यह एक रजिस्टर्ड संस्था है। इसने अपने जिले में पुस्तक प्रदर्शनी, भाषण, सेमिनार और प्रचार द्वारा काफी जागृति पैदा कर दी है। इस संघ का वार्षिकोत्सव २० जनवरी १९५७ को श्री एम० बशीरुद्दीन साहब की अध्यक्षता में मनाया गया। इस समय श्री प्रो० एन० सी० देव सभापति और श्री द्वारकाप्रसाद शास्त्री प्रधान मंत्री हैं।



श्री के कुमार, बी० ए० एम० एल बी० लिब एम एस्सी०
प्रधान मन्त्री
अन्तरप्रांतीय पुस्तकालय संघ



बिहार राज्य पुस्तकालय-संघ के पूर्णिया अधिवेशन का एक दृश्य
नेशनल लाइब्रेरियन श्री बी० एस० केशवन भाषण देते हुए

[पृ० १२१]

बिहार

बिहार सरकार ने पुस्तकालय-विकास की एक योजना स्वीकार करके पुस्तकालयों की देख-रेख के लिए एक अलग पुस्तकालय विभाग' स्थापित किया। सरकार ने पटना स्थित सिनहा लाइब्रेरी को 'केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय' घोषित किया। प्रान्त के प्रत्येक जिले के हेडक्वार्टर में जिला केन्द्रीय पुस्तकालय' स्थापित किए। पुस्तकालयों को राज्य सरकार ने ग्रान्ट देने में बहुत उदारता का परिचय दिया। १९४९ ई० में पुस्तकालयों को एक लाख का आवर्तक और तीन लाख का अनावर्तक अनुदान (ग्रान्ट) दिया गया। मद्रास की भाँति अपने प्रदेश में भी पुस्तकालय-अधिनियम लागू करने का निश्चय किया और इसके लिए एक कमेटी भी बनाई। पटना में पाँच बाल-पुस्तकालय स्थापित किये गए। समाज-शिक्षा विभाग द्वारा तीन सौ भ्रमणशील पुस्तकालय संचालित किये गये। सरकार द्वारा प्रतिवर्ष १०० हाई स्कूल ५३५ बेसिक स्कूल और लगभग २०००० मिडिल अपर तथा लोअर स्कूलों के पुस्तकालयों को भी ग्रान्ट देने की व्यवस्था की गई। अपने राज्य से पाँच पुस्तकालयाध्यक्षों को 'दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी' में वहाँ की कार्य-पद्धति का अध्ययन करने के लिये भेजा। पुस्तकालय-अधीक्षक प्रो० नवलकिशोर जी गौड़ हैं।

बिहार राज्य पुस्तकालय-संघ

विटिशकाल में इस संघ के तीन अधिवेशन हो चुके थे। उसके बाद संघ के निम्नलिखित अधिवेशन हुए –

चौथा	१९४८	दरभंगा	श्री चंडेश्वरप्रसाद सिंह
पाँचवाँ	१९५१	भागलपुर	जगन्नाथप्रसाद मिश्र
छठाँ	१९५१	रहीमपुर	जगन्नाथप्रसाद मिश्र
सातवाँ	१९५५	पूर्णिया	जगन्नाथप्रसाद मिश्र
आठवाँ	१९५६	गया	देवव्रत शास्त्री

ऊपर के पाँचवें अधिवेशन में संघ का विधान स्वीकृत हुआ। उसके बाद संघ का काम तेजी से बढ़ा। १९५३ तक लगभग ३०० पुस्तकालय संघ से सम्बद्ध हो गए। संघ के जिला पुस्तकालय-संघ प्रत्येक जिले में स्थापित हुए और कुछ सब-डिविजनल संघ भी। संघ के कार्यकर्ताओं में श्री अनुज शास्त्री श्री परमानन्द दोषी श्री देवेन्द्रनारायण सिनहा श्री यमुनानारायण गौड़ और पं० जगन्नाथप्रसाद मिश्र के नाम उल्लेखनीय हैं।

पुस्तकालयाध्यक्षों का प्रशिक्षण

पूर्णिया अधिवेशन के बाद प्रशिक्षण शिविर के दो सत्र हुए। १९५४ में एक महीने का १८ जून १९५५ से और दूसरा २० फरवरी १९५६ से। पहले में ९ प्रशिक्षणार्थी पास हुए और दूसरे में २२ जिनमें ५ महिलाएँ भी थीं। इस मद में सरकार ने १०००) देने की व्यवस्था की। सिन्हा लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन श्री प्रभु नारायण गौड़ ने दो छात्रों को १०-१० रुपये की छात्रवृत्तियाँ भी दी।

सरकारी सहायता

संघ को बिहार राज्य सरकार ने काफी प्रोत्साहन दिया। कार्यालय चलाने को १०००) वार्षिक सहायता देना स्वीकार किया। राँची पटना दरभंगा मुंगेर और पूर्णिया के जिला पुस्तकालय संघों को १०,००० रु० के एक-एक मोटरयान दिये गए।

संघ के क्रियाकलाप

संघ ने कई महत्वपूर्ण काम किए। 'पुस्तकालय' नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। पुस्तकालय कर्मचारियों के ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की। इसके लिए इसने प्रशिक्षण शिविर चलाया जिसके लिए सरकार ने पहली बार पाँच सौ रुपये की सहायता दी। उसके बाद १९५६ में पुस्तकालय-कर्मचारियों की ट्रेनिंग के लिए २५,००० की सहायता बिहार सरकार ने दी।

बिहार में प्रथम पंचवर्षीय योजना

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकार ने लगभग १८ लाख रुपये व्यय किया। राज्य के ५ जिलों में जिला पुस्तकालय स्थापित हुए। प्रत्येक सबडिविजन में एक-एक राज्य पुस्तकालय खोलने के लिए तीन लाख ६६ हजार रुपया स्वीकार किया गया। सिन्हा लाइब्रेरी को ८२,००० की आवर्तक और २ लाख १० हजार की अनावर्तक दान की व्यवस्था की गई है। इसके हाते में एक बाल-पुस्तकालय और एक अजायब-घर बनाने का निश्चय हो चुका है। इसके भवन के लिए १ लाख तथा पुस्तक तथा अन्य सामानों के लिए ५० हजार रुपये खर्च होने जा रहे हैं। बच्चों के लिए अब तक १० पुस्तकालय हैं जिन पर तीन हजार अनावर्तक और ७४००) आवर्तक व्यय होता रहा है। अब भाग और पुस्तकालय खुले जिन पर २१००) अनावर्तक और ६८५०) आवर्तक रूप में व्यय होगा।

जिलानुसार पुस्तकालयों की ग्रान्ट का विवरण

(सन् १९५६–५७)

जिले	साधारण	एफिशिएन्सी	स्पेशल	योग
१ पटना	१२ ०००	३ ७५०		१५,७५०
२ गया	९ ०००	१ ५ ०		१० ५००
३ शाहाबाद	८ २५०	१ ५००		९ ७५०
४ भागलपुर	७ ५००	२ २५०		९,७५०
५ मुंगेर	११ २५०	३ ०००		१४ २५०
६ सहरसा	३ ०००	७५०		५ २५०
७ संथाल परगना	३ ७५०	१ ५००		६ ७५०
८ पूर्णिया	५ ७०	७५०	१ ५००	८ २५०
९ मुजफ्फरपुर	१० ५ ०	३ ०००	२२ ५०	१३,५००
१० दरभंगा	९ ०००	१ ५००		१० ५००
११ सारन	९ ०००	१ ५००		१०,५००
१२ चंपारन	५ २५	१५००	२२५०	९०००
१३ रांची	२ २५०	१५००		५२५०
१४ हजारीबाग	२ २५०	१५००	१५००	५२५०
१५ सिंहभूम	२ २५०	१५००	१५००	५२५०
१६ मानभूम	२ २५०	१५००	१५००	५२५०
१७ पलामू	२ २५०	१५००	१५००	५२५०
	१ ५ ०००	३० ०००	१५ ०००	१ ५० ०००

बिहार सरकार पहली पंचवर्षीय योजना में १ लाख की जो ग्रांट सार्वजनिक पुस्तकालयों को देती थी उसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दो लाख कर दिया और पिछड़े हुए जिलों के पुस्तकालयों की तीव्र गति से बढ़ने के लिए कुछ स्पेशल ग्रान्ट भी दी। यह ग्रांट प्रत्येक जिले में पुस्तकालयों के चार ग्रेड बना कर दी गई।

(क) १००) से १५) प्रति पुस्तकालय।
(ख) ७) से १००)
(ग) ४०) से ७०)
(घ) ३५) से ५०) „

पुस्तकालय संदेश

श्रीकृष्ण खण्डेलवाल महोदय ने अप्रैल १९५२ ई० में पटना से 'पुस्तकालय संदेश' नामक मासिक पत्रिका का सम्पादन और प्रकाशन शुरू किया। इस पत्रिका ने बिहार में ही नहीं अन्य हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों में भी पुस्तकालय-आन्दोलन में बहुत भाग लिया। समय-समय पर इस पत्रिका के आकर्षक विशेषांक भी प्रकाशित हुए। सम्भवतः अब इसका प्रकाशन बन्द हो गया है।

अ० भा० पुस्तकालय-विज्ञान-परिषद्

हिन्दी के माध्यम से पुस्तकालय-विज्ञान की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करने के निमित्त बिहार में 'पुस्तकालय-विज्ञान शिक्षा परिषद' नामक संस्था की स्थापना भी हुई। इस परिषद ने अखिल भारतीय पैमाने पर 'पुस्तकालय-प्रवेश' और 'पुस्तकालय-कला भूषण' परीक्षाएँ संचालित की।

नालन्दा का पुस्तकालय

भारत का गौरव नालन्दा का प्राचीन पुस्तकालय इसी बिहार प्रदेश में था जिसकी चर्चा 'बौद्धकालीन पुस्तकालय' में की गई है। केन्द्रीय सरकार ने बिहार राज्य सरकार को ३२ ७३ रु० नालन्दा में पुस्तकालय भवन को पूरा करने के लिए दिया जो कि 'इन्स्टीट्यूट आफ रिसर्च ऐण्ड पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज फार पाली एण्ड बुद्धिस्ट लर्निङ्ग' से संलग्न है।

पंजाब

देश के विभाजन के बाद पूर्वी पंजाब का एक अलग प्रान्त बना तो इसमें पुस्तकालयों को नए सिरे से संगठित करने की आवश्यकता पड़ी। इस प्रदेश की राजधानी चण्डीगढ़ बनाई गई। चण्डीगढ़ में सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी पंजाब-सरकार शिक्षा-विभाग द्वारा अस्थायी तौर पर १५ १०-५५ का पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्थापित हुई। निश्चय किया गया कि इस पुस्तकालय में ओपन एक्सेस सिस्टम रहे। लेंडिङ्ग और रिफरेंस विभागों के साथ-साथ दृश्य-श्रव्य उपकरण तथा चलता वाचनालय की व्यवस्था की जाय। सन् १९५५-५६ में पंजाब प्रदेश में पुस्तकालय-विस्तार योजना के लिए केन्द्रीय सरकार ने दो लाख रुपया दिया। फिलहाल यह सेन्ट्रल लाइब्रेरी गवर्नमेंट कालेज चंडीगढ़ में रखी गई और इसको संगठित करने का काम शुरू किया गया। श्री सम्पूर्ण सिंह गुजराती बी० ए० ए० एम० ए० लाइब्रेरियन और इकबाल सिंह एम० ए० तथा श्रीमती

राजेन्द्र चोपड़ा बी० ए० सहायक लाइब्रेरियन के पद पर नियुक्त किये गए। पुस्तकालय के लिए २६७४६ पुस्तकें खरीदी गई।

सन् १९४८ के पुस्तकालय-आन्दोलन से पूर्वी पंजाब में ७०० से अधिक पुस्तकालय तथा वाचनालयों को सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत संगठित किया गया। इनमें से १५० नगर में हैं तथा शेष गाँवों में हैं।

पुस्तकालय-संघ

पूर्वी पंजाब पुस्तकालय संघ' ने अपना प्रथम अधिवेशन अक्टूबर १९४८ ई० को शिमला में किया। इसमें प्रैक्टिकल लाइब्रेरी ट्रेनिंग पुस्तक-प्रदर्शनी प्रौढ़ शिक्षा पाठक परामर्श सेवा समाचार-पत्रों की प्रदर्शनी आदि अनेक आयोजन किये गये।

संघ का दूसरा अधिवेशन गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालेज (बोमेस) शिमला में ११ नवम्बर से २० नवम्बर १९४९ को हुआ। इसका उद्घाटन सरदार नरोत्तम सिंह जी शिक्षा-मन्त्री ने किया। स्वागताध्यक्ष शिक्षा-सचालक श्री के० सी० खन्ना महोदय थे। प्रो० डी० सी० शर्मा ने अपना भाषण पढ़ा। ५००० से अधिक विभिन्न विषयों की पुस्तकें प्रदर्शित की गई। हजारों दर्शकों ने इससे लाभ उठाया।

संघ ने २७ से ३० अक्टूबर १९५० को वाई० एम० सी० ए० हाल शिमला में पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसका उद्घाटन माननीय चीफ जस्टिस हरिक पूर्वी पंजाब हाईकोर्ट ने किया।

१५ जून १९५१ ई० को संघ ने चौथी पुस्तक प्रदर्शनी वाई० एम० सी० ए० के हाल में शिमला में आयोजित की। इसका उद्घाटन पी० डी० खोसला महोदय आई० सी० एस० पंजाब हाईकोर्ट ने किया। स्वागताध्यक्ष बैरिस्टर टेकचन्द जी थे। १००० पुस्तकें प्रदर्शित की गई। इस आयोजन के लिए संगठन-मन्त्री श्री सन्तराम भाटिया जी तथा जी० एल० तेरहान महोदय को पुस्तक-प्रेमियों ने धन्यवाद दिया। २० से २४ मार्च १९५२ में संघ ने पाँचवी पुस्तक-प्रदर्शनी का आयोजन तथा कुछ अन्य आयोजन अपने वार्षिक अधिवेशन के साथ-साथ किये।

संघ की ओर से पुस्तक-प्रदर्शनी और लाइब्रेरी सेमीनार का आयोजन ८ से १२ फरवरी १९५४ में जालन्धर में गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालेज के हाल में

किया गया। इस पुस्तक-मेला के अध्यक्ष पूर्वी पंजाब के शिक्षा-संचालक डाक्टर ए० सी० जोशी महोदय थे। ९ फरवरी १९५४ को लाइब्रेरी सेमीनार का उद्घाटन नेशनल लाइब्रेरियन श्री बी० एस० केशवम् ने किया।

कल्चरल फेस्टिवल

भारत में अपने ढंग का यह पहला 'कल्चरल फेस्टिवल' सरहिन्द कमल अम्बाला कैन्टोन्मेंट में १९५१ ई० में २८ नवम्बर से ३ दिसम्बर तक आयोजित किया गया। श्री यादवेन्द्रसिंह बहादुर राजप्रमुख पेप्सू ने इसका उद्घाटन किया। इसका आयोजन पुस्तकालयों और वाचनालयों की सहायता के लिए किया गया था। इसमें श्री संतराम जी भाटिया ने पुस्तक-प्रदर्शनी का आयोजन किया जिसका उद्घाटन श्री पी एन थापर आई सी० एस० फाइनेंस कमिश्नर पंजाब ने किया। इसमें विभिन्न विषयों की ४ ०० पुस्तकें प्रदर्शित की गई। बाल-साहित्य का प्रदर्शन बहुत ही सफल रहा। लगभग दो लाख व्यक्तियों ने इसको देखा और लाभ उठाया।

इण्डियन लाइब्रेरियन

श्री संतराम भाटिया महोदय विभाजन के बाद से इण्डियन लाइब्रेरियन पत्रिका को शिमला से प्रकाशित करते रहे। उसके बाद अब जालंधर सिटी से इसका प्रकाशन सफलतापूर्वक कर रहे हैं। अंग्रेजी में भारतीय पुस्तकालय जगत में यह अच्छी पत्रिका मानी जाती है और इसका बहुत आदर है।

पप्सू

१ फरवरी १ ५५ ई० को सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी पेप्सू[1] का शिलान्यास मुख्य मन्त्री श्री बृषभानु जी द्वारा पटियाला में हुआ। यह पुस्तकालय भारत के शिक्षा-विभाग की योजना का एक अंग है। इसमें लाइब्रेरी टु निंग क्लास तथा बाल-पुस्तकालय की भी व्यवस्था की जायगी।

पप्सू पुस्तकालय-संघ

पेप्सू पुस्तकालय संघ पूर्वी पंजाब पुस्तकालय संघ के साथ मिल गया और इसके सभापति श्री बलवन्त सिंह मुखराती प्रधान मन्त्री श्री डी० एस० ठेरहान और संगठन मन्त्री श्री संतराम भाटिया बनाए गए।

दिल्ली

देश के विभाजन के बाद भारत-संघ की राजधानी दिल्ली ही रही इसमें शासन शांति की सुविधा के लिए अनेक नये विभाग एवं कार्यालय

---

१ पेप्सू अब पंजाब सम्मिलित है।

सके पुराने विभागों में विस्तार किया गया। इन विभागों और कार्यालयों के साथ-साथ पुस्तकालयों की स्थापना हुई। इस प्रकार दिल्ली के पुस्तकालय-विकास को पाँच भागों में बाँटा जा सकता है —

१ नए पुस्तकालयों की स्थापना।

२ पुराने पुस्तकालयों का विस्तार।

३ पुस्तकालय-सम्बन्धी विशेष चर्चाएँ और आयोजन।

४ पुस्तकालय-संघ की गतिविधि।

५ पुस्तकालय-विज्ञान की शिक्षा-व्यवस्था।

[१] नए पुस्तकालयों की स्थापना

स्वाधीनता के बाद सरकार ने दिल्ली में जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकालय स्थापित किया उसका नाम है, 'दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी'। इसका परिचय पीछे दिया जा चुका है।

फिरका लाइब्रेरी

फिरका डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा २५ सेंट्रल लाइब्रेरी बनाने के लिए २५ फिरकों में निश्चय किया गया। फिरका के हर गाँव में शाखा कार्यालय खोलने की योजना बनाई गई। प्राथमिक पाठशालाओं के हेडमास्टरों के चार्ज में ही पुस्तकालय शुरू में रहें, ऐसा निश्चय किया गया। सरकार ने फिरका में हर एक सेंट्रल लाइब्रेरी को ११८) ५००) पुस्तकों के लिए, २१) अन्य खर्च के लिए स्वीकार किया। २४ १५ रु० मासिक वेतन पर लाइब्रेरियन की स्वीकृति हुई और उनको एक साइकिल भी दिया गया। यह योजना जनवरी १९४८ में बनी।

[२] पुराने पुस्तकालयों का विकास

(क) पार्लियामेंट लाइब्रेरी—इस लाइब्रेरी में प्रतिवर्ष ५ ०० पुस्तकें बढ़ने लगीं और धीरे-धीरे २० ००० पुस्तकें—१०० ००० सरकारी प्रकाशन और डाकूमेंट्स और ५०० डिबेट्स की प्रतियाँ हो गईं। १९५१ में इसका बजट १० ००० रु० था।

शिक्षा-विभाग की सेंट्रल एजुकेशनल लाइब्रेरी का संगठन किया गया। पी० आर० पोन्नास्वामी के अवकाश ग्रहण करने पर उनके स्थान पर श्री एस० एम० केलकर महोदय की नियुक्ति की गई।

[२] पुस्तकालय-सम्बन्धी विशेष आयोजन

यों तो पुस्तकालय-सम्बन्धी अनेक आयोजन दिल्ली में हुए किन्तु उनमें से दो आयोजन विशेष प्रसिद्ध हैं —

(अ) यूनस्को का अन्तराष्ट्रीय सेमिनार

(ब) इण्डियन एडल्ट एजुकेशनल एसोसियेशन की ओर से छठाँ सेमिनार।

[अ] यूनेस्को सेमिनार का विवरण पीछे दिया जा चुका है।

[ब] भारतीय पुस्तकालय और सामाजिक शिक्षा विषय पर विचारार्थ इस सेमिनार का आयोजन २७ सितम्बर से ५ अक्टूबर १९५५ को किया गया। इसका उद्घाटन करते हुए पं० गोविन्द वल्लभ पंत ने कहा कि 'साक्षर और नव-साक्षरों को शिक्षित करने का क्रम जारी रखने की आवश्यकता है। इन पुस्तकालयों में पुस्तकों के चुनाव पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे कि उनके द्वारा प्रसारित ज्ञान अपूर्ण न हो'। बम्बई लाइब्रेरीज के क्युरेटर श्री टी० डी० वाकनीस ने भी इसमें भाग लिया। इसका निर्देशन भारत सरकार के असिस्टेण्ट एजुकेशनल ऐडवाइज़र सरदार सोहन सिंह जी ने किया।

इस सेमिनार में निम्नलिखित ६ समस्याओं पर विचार किया गया —

१ किन तरीकों से पुस्तकालय भारत में साधारण नव-निर्माण के लिए योगदान कर सकते हैं।

२ सामाजिक शिक्षा और पुस्तकालयों के बीच किस प्रकार का सम्बन्ध है?

३ नव भारत पुस्तकालयीय ढाँचा।

४ लाइब्रेरी ट्रेनिंग।

५ लाइब्रेरी कानून।

६ लाइब्रेरी साहित्य।

पहली समस्या पर सेमिनार ने मत व्यक्त किया कि पुस्तकालय व्यक्तियों, दलों और संस्थाओं के साथ काम करते हुए उत्तम साहित्य को उभार कर, अपेक्षाकृत अच्छी प्रकार की साक्षरता को प्रोत्साहन देकर वर्तमान नव-निर्माण में सहयोग दे सकते हैं।

द्वितीय समस्या पर यह मत व्यक्त किया गया कि सामाजिक-शिक्षा और पुस्तकालय-आन्दोलन में घनिष्ठ सम्बन्ध है। इनमें पुस्तकीय ज्ञान ही प्रथम

चाहिए। यह ठीक होगा कि पुस्तकालय और सामाजिक शिक्षा दोनों एक ही शिक्षा विभाग के अन्तर्गत रहें।

तीसरी समस्या पर सिफारिश की गयी कि भारत सरकार पुस्तकालय-कमीशन बनाये जो भारत के पुस्तकालयों की वर्तमान स्थिति की जाँच पड़ताल करे और भविष्य के लिए एक लाइब्रेरी कानून की सिफारिश करे। नेशनल सेन्ट्रल लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी बोर्ड जिला पुस्तकालय प्रारम्भिक ग्राम पुस्तकालय आदि के कर्तव्य आदि की रूपरेखा पर भी विचार किया गया।

चौथी समस्या पर सेमिनार का यह मत रहा कि प्रत्येक स्तर पर पुस्तकालय-सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। यह सुझाव दिया गया कि लाइब्रेरी के पाठ्य-क्रम में मौलिक-सामाजिक शिक्षा को भी शामिल किया जाय। शाखा जिला और प्रदेश पुस्तकालयों की स्थापना का भी निश्चय किया गया।

पाँचवी समस्या पर सेमिनार की राय थी कि एक पुस्तकालय-कानून बनाना चाहिए। अखिल भारतीय पुस्तकालय-संघ या भारत सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की किसी समिति द्वारा लाइब्रेरी कानून का ढाँचा बनाया जाय।

छठी समस्या पर विचार करते हुए सेमिनार ने पुस्तकों की सूचियाँ बनाए जिनमें कि लाइब्रेरियन रुचि रखते हैं और विशिष्ट एजेंसियों तक उनको प्रचारित करने पर बल दिया गया।

इस प्रकार इस सेमिनार ने अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार करके यूनेस्को सेमिनार के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी।

पुस्तकालय-संघ

दिल्ली में दो पुस्तकालय-संघ स्थापित हुए —

१ गवर्नमेंट आफ इण्डिया लाइब्रेरी एसोसियेशन।
२ दिल्ली लाइब्रेरी एसोसियेशन।

[१] 'गवर्नमेंट इण्डिया लाइब्रेरी एसोसिएशन' सरकारी पुस्तकालयों के कर्मचारियों द्वारा स्थापित किया गया। इसके द्वारा सरकारी पुस्तकालयों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की भी व्यवस्था १९५१ में एक क्लास खोल कर की गई। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य प्रो० एस० के०

सिद्धान्त में इसके द्वितीय अधिवेशन में १७–४–५४ को उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरण किया।

५ जून १९५४ की वार्षिक बैठक का सभापतित्व श्री कृष्ण भार्गव, लाइब्रेरियन मेडिकल कालेज ने किया। सरदार सोहन सिंह एसोसिएशन के सभापति और अमरनाथ आनन्द मन्त्री तथा कु० कान्ता भाटिया कोषाध्यक्ष चुने गए। एसोसिएशन ने मि० आर० गोपालन को विदाई दी और यूनेस्को सेमिनार का स्वागत किया।

२ दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना श्री पृथ्वीनाथ कौल महोदय के प्रयत्न से हुई। इसका एक अधिवेशन १७–१–५४ को दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में हुआ जिसका सभापतित्व कुमारी कान्ता वशिष्ठ ने किया और उद्घाटन डा० रंगनाथन् जी ने। १९५४ ई० में इसके २५१ सदस्य हो चुके थे। इस एसोसिएशन ने २२ दिसम्बर १९५४ को लाइब्रेरी बिल का प्रारूप दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के सामने पेश किया। इस संघ ने ८–१–५५ को हार्डिञ्ज म्युनिसिपल लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरी ट्रेनिंग कोर्स भी आरम्भ किया जिसका उद्घाटन श्री ए० ए० ए० फैजी सदस्य संघ-सेवा-आयोग ने किया और इसकी अध्यक्षता डा० रंगनाथन् ने की। श्री पी० एन० कौल इस कोर्स के रजिस्ट्रार और श्री एम० लाल गुप्ता डाइरेक्टर चुने गये। मारवाड़ी पब्लिक लाइब्रेरी चांदनी चौक दिल्ली में इसका कार्यालय रखा गया।

पुस्तकालय-विज्ञान की शिक्षा

दिल्ली यूनिवर्सिटी में पुस्तकालय-विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था पूर्ववत् चालू रही। इसके अतिरिक्त भारत सरकार पुस्तकालय-संघ और दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन में भी इसका प्रबन्ध हुआ। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में नवीनतम टेक्निकों के अनुसार विशेष रूप से पब्लिक लाइब्रेरी विषयक शिक्षा की व्यवस्था की गई। यूनेस्को फैलोशिप के अन्तर्गत इंडोनेशिया और बर्मा के दो लाइब्रेरियनों ने यहाँ से छः मास ट्रेनिंग प्राप्त की।

१९५५–५६ के वर्ष में दिल्ली राज्य के सब पुस्तकालयों में पुस्तकों की संख्या ३ लाख ७८ हजार थी। इस वर्ष ८१४११६ पुस्तकें सदस्यों द्वारा इन पुस्तकालयों से उधार लेकर पढ़ी गईं। कुल २११२७२० व्यक्तियों ने लाभ उठाया।

५५–५६ में दिल्ली में १६ पब्लिक लाइब्रेरियाँ थीं जिनमें से ३ ऐसी थीं जहाँ से पुस्तकें उधार लेने पर कुछ फीस नहीं लगती थी। इन तीनों

पुस्तकालयों को सरकार ने २,१२, ११२ रु० की आर्थिक सहायता दी। अन्य ११ में से ७ को १,११,००६ रुपये की सरकारी आर्थिक सहायता मिली।

अब तक दिल्ली राज्य में ११२ ग्रामों में ११२ समाज-शिक्षा-केन्द्र खुले जिनके साथ पुस्तकालय भी चलाए जाते रहे। दिल्ली म्यु० कमेटी ने भी ऐसे कुछ केन्द्र चलाए।

इस प्रकार दिल्ली राज्य म पुस्तकालय आन्दोलन एक संगठित रूप में रहा।

बम्बई

पुस्तकालय-विकास समिति की सिफारिशों के अनुसार बम्बई सरकार ने काम प्रारम्भ किया। बम्बई म केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना हुई थी और अहमदाबाद पूना और धारवार म क्षेत्रीय पुस्तकालय स्थापित किए गए। क्षेत्रीय पुस्तकालयों को गुजराती मराठी और कन्नड़ भाषाओं की पुस्तकें सरकार ने उस समूह म दी जो अब तक अव्यवस्थित रहा। शेष पुस्तकें केन्द्रीय पुस्तकालय को दी गई। अन्डर सेक्शन ९ (१) प्रेस ऐण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐक्ट १८६७ के अनुसार (अमेण्डेड बम्बई गवर्नमेंट १९४८) प्रत्येक प्रकाशन की दो प्रतियाँ केन्द्रीय पुस्तकालय को प्राप्त होती हैं।

बाम्बे ब्रांच रायल एशियाटिक सोसाइटी को कापीराइट कलेक्शन का काम सौंप दिया गया है। मार्च सन् १९५१ तक केन्द्रीय पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या ४९,४३४ हो गई। यहाँ ९२ वर्ग के अनुसार से उनका वर्गीकरण किया गया और वर्ग के अन्तर्गत लेखक-क्रम से व्यवस्थित किया गया। रीजनल कलेक्शन का काम गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद व सिटी जनरल लाइब्रेरी पूना विद्यावर्धक संघ धारवार कर रहे हैं।

इन केन्द्रीय और क्षेत्रीय पुस्तकालयों के अतिरिक्त २२ पुस्तकालय डिस्ट्रिक्ट टाउन और २२९ पुस्तकालय तालुका टाउन में स्थापित हुए हैं। गाँवों में सरकार ने ५ ० पुस्तकालय सामाजिक शिक्षा-योजना के अन्तर्गत स्थापित किये जिन्हें १८) वार्षिक अधिक से अधिक सरकारी सहायता के रूप में प्राप्त होते हैं।

इन पुस्तकालयों में १५०० पुस्तकालय बड़ौदा स्टेट के हैं और १५०० बम्बई सरकार के।

बम्बई राज्य के साथ विलय होने पर बड़ौदा राज्य के पुस्तकालयों का भी भार बम्बई सरकार पर पड़ा। लेकिन इससे बड़ौदा स्टेट ने पुस्तकालयों को

कोई हानि नहीं पहुँची। पहले बड़ौदा राज्य में जिला पुस्तकालय को ७००) वार्षिक अनुदान तालुका पुस्तकालय को १००) वार्षिक अनुदान मिलता था किन्तु बम्बई सरकार ने क्रमशः इनको ५०००) और ४५०) अनुदान कर दिया। बड़ौदा के ग्राम पुस्तकालयों को 'सामाजिक शिक्षा योजना' के अन्तर्गत ही रखा गया। विलय के बाद बड़ौदा स्टेट लाइब्रेरीज के भूतपूर्व क्यूरेटर श्री टी० डी० वाकनीस महोदय ही बम्बई लाइब्रेरीज के क्यूरेटर बनाए गये।

कर्नाटक लाइब्रेरी एसोसियेशन

इस संघ को १९५ में सरकार द्वारा मान्यता मिली। इसको वार्षिक अनुदान भी मिलने लगा। इसने पुस्तकालय-विज्ञान पर कन्नड़ में एक पुस्तक प्रकाशित की और १९५१ में लाइब्रेरी ट्रेनिंग कोर्स भी शुरू किया। कर्नाटक पुस्तकालयों की डाइरेक्टरी प्रकाशित करने का कार्य संघ ने अपने हाथ में लिया है और आशा है शीघ्र ही प्रकाशन हो सकेगा।

अधिवेशन

संघ के तत्वावधान में प्रथम बम्बई कर्नाटक लाइब्रेरी कांफ्रेंस का अधिवेशन धारवाड़ में १९४८ में हुआ। बम्बई हाईकोर्ट के जज माननीय एन० सी० छागला ने इसका उद्घाटन किया और मैसूर लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन श्री वी० हनुमन्त राव ने अध्यक्षता की। कुछ कन्नड़ ग्रंथों और पत्र-पत्रिकाओं की एक प्रदर्शनी भी हुई। इसके बाद तृतीय अधिवेशन १ ५२ में कुन्दगोल और कुम्टा में १९५१ में हुए। कुन्दगोल अधिवेशन की अध्यक्षता श्री डी० एन० दातार ने की और कुम्टा अधिवेशन की अध्यक्षता श्री आर० रङ्गाचार की है।

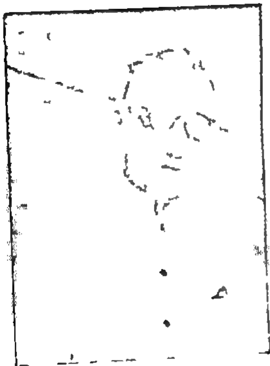
यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी

११ नवम्बर १९५४ को बड़ौदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने उद्घाटन किया। ५ जनवरी १ ५५ को गुजरात विद्यापीठ पुस्तकालय का उद्घाटन माननीय पं० नेहरू ने किया। आपने कहा कि 'हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि प्रत्येक गाँव में एक पुस्तकालय हो।'

बम्बई के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने १० मार्च १९४८ को सेठ जी० एस० मेडिकल कालेज बम्बई के मेडिकल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया।

मद्रास गांधी रलिक्स प्रेजर्वेशन कमेटी

गांधी से सम्बन्धित सभी चल वस्तुओं को एकत्र करने की कमेटी डा०



श्री टी० डी० वासनीस एम० ए० एल० एल० बी०
क्यूरेटर ऑफ लाइब्रेरीज
बम्बई प्रान्त

राजेन्द्र प्रसादजी के सभापतित्व में बनी और दिसम्बर १९५१ में 'पोथी ज्ञान मन्दिर' की स्थापना वर्धा में हुई।

पुस्तकालय संघ

महाराष्ट्र पुस्तकालय संघ की स्थापना १९४९ में हुई। इसने ट्रेनिङ्ग कोष की व्यवस्था की। इसने पुस्तकालय-योजना के विस्तार के लिए एक ड्राफ्टिङ्ग कमेटी (श्री बाळकृष्ण हिंग्णे श्री कोल्हाटकर और श्री कार्वे महोदय) बनाई। १९ अप्रैल से जून १९५५ को एस० एन० बार्वे के निर्देशन में २२ विद्यार्थियों को पूना में ट्रेनिङ्ग दी गई। सन् ५५ में इस संघ के विभिन्न मन्दिरों के २८९ सदस्य बन चुके थे। बम्बई सरकार ने संघ को ११५० रु० की ग्रान्ट भी दी। इसकी ओर से प्रतिवर्ष ट्रेनिङ्ग क्लास की व्यवस्था की जाती है। एक मराठी पत्रिका 'साहित्य सहकार' का प्रकाशन होता है और पुस्तकालय विज्ञान की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

बम्बई लाइब्रेरियन स्टाफ यूनियन

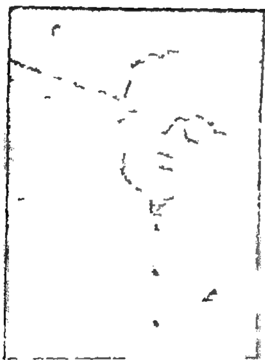
बम्बई में पुस्तकालय कर्मचारियों का एक संगठन यूनियन के रूप में हुआ। इसका दूसरा अधिवेशन २६ जून १९५१ को टाउन हाल बम्बई में प्रिंसिपल एम० डी० डॉंगे, एम० ए० सी० की अध्यक्षता में हुआ। ११-७-४८ को भी एक कान्फ्रेंस करके लाइब्रेरी-कर्मचारियों की नौकरी की दशा सुधारने और वेतन क्रम के सम्बन्ध में मांगों की सूची प्रस्तुत की गई। इस प्रकार इसका प्रयास भी अपने ढंग का अनुपम रहा।

पुस्तकालय-विज्ञान शिक्षा

बम्बई राज्य में बम्बई विश्वविद्यालय में श्री डी० एन० मार्शल महोदय की अध्यक्षता में पुस्तकालय-विज्ञान के डिप्लोमा कोर्स की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त पूना बम्बई गुजरात और कर्नाटक के पुस्तकालय-संघ भी पुस्तक-प्रदर्शनी तथा पुस्तकालय ट्रेनिङ्ग क्लासों की व्यवस्था करते हैं।

मद्रास राज्य

मद्रास राज्य में पुस्तकालय-आन्दोलन अधिक संगठित रूप से आगे बढ़ा। डा० रंगनाथन् ने जो माडल लाइब्रेरी ऐक्ट बनाया था उस पर आधारित 'लाइब्रेरी बिल' मद्रास सरकार ने पास कर दिया। इस प्रकार भारत में सब से पहला लाइब्रेरी ऐक्ट पास करने का श्रेय इसी राज्य को है। इस 'मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी ऐक्ट' के अनुसार राज्य में स्थानीय कर्मचारियों न काम



श्री टी० [illegible] एम० ए० एल-एल० बी०
[illegible]
बम्बई प्रदेश

[पृ० १४३]

राजेन्द्र प्रसादजी के सभापतित्व में बनी और दिसम्बर १९५१ में 'गांधी ज्ञान मंदिर' की स्थापना वर्धा में हुई।

पुस्तकालय संघ

महाराष्ट्र पुस्तकालय संघ की स्थापना १९४९ में हुई। इसने ट्रेनिङ्ग कोर्स की व्यवस्था की। इसने पुस्तकालय-योजना के विस्तार के लिए एक प्लानिङ्ग कमेटी (श्री वामनराव लिंबे श्री कोल्हाटकर और श्री काले महोदय) बनाई। १९ अप्रैल से जून १९५५ को एम० एल० काले के निर्देशन में २२ विद्यार्थियों को पूना में ट्रेनिङ्ग दी गई। सन् ५५ में इस संघ के विभिन्न श्रेणियों के २८९ सदस्य बन चुके थे। बम्बई सरकार ने संघ को ११५० रु० की ग्रान्ट भी दी। इसकी ओर से प्रतिवर्ष ट्रेनिङ्ग क्लास की व्यवस्था की जाती है। एक मराठी पत्रिका 'साहित्य सहकार' का प्रकाशन होता है और पुस्तकालय विज्ञान की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

बम्बई लाइब्रेरियन स्टाफ यूनियन

बम्बई में पुस्तकालय कर्मचारियों का एक संगठन यूनियन के रूप में हुआ। इसका दूसरा अधिवेशन २६ जून १९५१ को टाउन हाल बम्बई में प्रिंसिपल एम० बी० डोंगे, एम० एस० सी० की अध्यक्षता में हुआ। ११–७–४८ को भी एक कांफ्रेंस करके लाइब्रेरी-कर्मचारियों की नौकरी की दशा सुधारने और वेतन बढ़ाने के सम्बन्ध में मांगों की सूची प्रस्तुत की गई। इस प्रकार इसका प्रभाव भी अपने ढंग का अनुपम रहा।

पुस्तकालय-विज्ञान शिक्षा

बम्बई राज्य में बम्बई विश्वविद्यालय में श्री डी० एन० मार्शल महोदय की अध्यक्षता में पुस्तकालय-विज्ञान में डिप्लोमा कोर्स की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त पूना बम्बई गुजरात और कर्नाटक के पुस्तकालय-संघ भी पुस्तक-प्रदर्शनी तथा पुस्तकालय ट्रेनिङ्ग कक्षाओं की व्यवस्था करते हैं।

मद्रास राज्य

मद्रास राज्य में पुस्तकालय-आन्दोलन अधिक संगठित रूप से आगे बढ़ा। डा० रंगनाथन् ने जो मॉडेल लाइब्रेरी ऐक्ट बनाया था उस पर आधारित 'लाइब्रेरी बिल' मद्रास सरकार ने पास कर दिया। इस प्रकार भारत में सब से पहला लाइब्रेरी ऐक्ट पास करने का श्रेय इसी राज्य को है। इस 'मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी ऐक्ट' के अनुसार राज्य म स्थानीय कर्मचारियों ने काम

करना शुरू किया। मद्रास नगर और जिला सेशन को छोड़ कर सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल लाइब्रेरी स्थापित की गई। मद्रास, राज्य ने १८५१ में २७१७१ रुपये और १९४५ में ६१४२१० रुपये व्यय किये। डाइरेक्टर आफ पब्लिक लाइब्रेरीज मद्रास के आफिस में सिस्ट्रेन लाइब्रेरी स्थापित हुई जिसके द्वारा बालकों में पढ़ने की आदत का विकास किया गया।

१९४५ तक मद्रास में २८८८ पुस्तकालय और ५८९ रीडिङ्ग रूम हो चुके थे। इनसे ७१०५१११ व्यक्तियों ने २४४५५१० पुस्तकों का उपयोग किया था।

मद्रास लाइब्रेरी एसोसियेशन

यह एसोसिएशन बड़ी लगन और तत्परता से कार्य करता रहा। इसके अधिवेशन सफलतापूर्वक होते रहे। २७ वाँ वार्षिक अधिवेशन ९ अप्रैल १९४५ में हुआ जिसमें मद्रास लाइब्रेरी ऐक्ट में लाइब्रेरी डाइरेक्टर को सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले की आलोचना की गई। संघ ने यह सिफारिश की कि ट्रेंड ग्रेजुएट लाइब्रेरियन को ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का ग्रेड स्कूलों और कालेजों में दिया जाय।

इस प्रदेश में कालेज लाइब्रेरियन्स का भी एक संगठित रूप है जिसका प्रथम अधिवेशन २८ सितम्बर १९४७ को Y M C A (मद्रास) में हुआ।

बङ्गाल प्रदेश

बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन के अधिवेशन प्रति वर्ष होते रहे। १–४ अप्रैल १९५१ को सुनीतिकुमार चटर्जी की अध्यक्षता में इसका एक पृथक अधिवेशन हुआ। २४–५–५१ ई० की ६ठ बैठक में १५ वें ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में उत्तीर्ण २५ व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र दिए गए। इस एसोसिएशन ने 'पश्चिमी बंगाल लाइब्रेरी डाइरेक्टरी' का भी काम अपने हाथ में ले लिया है। मालदा के ट्रेनिङ्ग कैम्प से इस एसोसिएशन की ओर लोग अधिक आकृष्ट हो गये हैं। बंगाल सरकार इसके क्रिया-कलापों से संतुष्ट हो कर ग्रान्ट भी दे रही है। बंगाल के पुस्तकालयों-आन्दोलन में भी प्रभात-कुमार मुकर्जी भूतपूर्व लाइब्रेरियन शान्तिनिकेतन श्री विमलकुमार दत्त, वर्तमान लाइब्रेरियन शान्तिनिकेतन तथा श्री प्रमीलचन्द्र बसु, लाइब्रेरियन कलकत्ता यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आदि प्रमुख हैं। श्री प्रमीलचन्द्र जी तो वास्तव में लाइब्रेरियन हैं और इस एसोसिएशन के प्राण हैं। 'ग्रंथागार' पत्रिका इस एसोसिएशन से प्रकाशित हो रही है।

इंडियन एसोसियेशन आफ स्पेशल लाइब्रेरीज ऐण्ड इन्फार्मेशन सर्विस

इसकी स्थापना डा० एस० एल० होप की प्रेरणा से कलकत्ता में हुई। काम को संगठित करने के लिए योग्य व्यक्तियों के नेतृत्व में ६ उपविभाग बना कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया।

हैदराबाद

इस राज्य में एक 'ऑल हैदराबाद लाइब्रेरी एसोसियेशन' की स्थापना स्वाधीनताकाल में हुई। इसके द्वितीय अधिवेशन का सभापतित्व श्री के० जी० सैयदैन, ऐडीशनल सेक्रेटरी, शिक्षा विभाग केन्द्रीय सरकार ने किया। उन्होंने अपने भाषण में इस बात पर बल दिया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक (१९६१) सभी राज्यों में स्टेट और जिला लाइब्रेरियों की स्थापना हो जायगी और उनके अपने भवन हो जायेंगे और वे सुयोग्य पुस्तकालयाध्यक्षों द्वारा संचालित होंगे।

संघ का तीसरा अधिवेशन सितम्बर १९५६ में हुआ जिसका उद्घाटन श्री बी० एन० दातार महोदय (केन्द्रीय मन्त्री) ने किया। इस अवसर पर सेंट्रल लाइब्रेरी कांफ्रेंस और पुस्तक-प्रदर्शनी आदि के भी आयोजन हुए। सेंट्रल लाइब्रेरी कान्फ्रेंस के सभापति श्री आर० एस० पारखी महोदय थे और श्री आर० एस० जोशी स्वागताध्यक्ष। पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन हैदराबाद के गृहमन्त्री श्री डी० जी० बिन्दु ने किया।

डा० रामकृष्णन् ने भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हस्तलिखित ग्रंथों की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

मैसूर

मैसूर राज्य के विभिन्न केन्द्रों में हिन्दी पुस्तकालयों की स्थापना मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद् द्वारा की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने अहिन्दी प्रान्तों में हिन्दी प्रचार के लिए पाँच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी। मैसूर सरकार ने अपने राज्य में हिन्दी के प्रचार पर हजारों रुपये व्यय किए। मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद् को चार केन्द्रों में हिन्दी पुस्तकालय खोलने की आर्थिक सहायता दी गई। परिषद् ने ये पुस्तकालय—बंगलोर परिषद् के दफ्तर में सिरा आनेकल हालकेरे सतैकम्मू, नागपुर, बाम्बूर और मल्लाडीहल्ली में खोले। ये पुस्तकालय स्थानीय समिति की देख-रेख में चल रहे हैं।

करना शुरू किया। मद्रास नगर और निलगिरि जिला छोड़ कर सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल लाइब्रेरी स्थापित की गई। मद्रास राज्य ने १९५१ में २७१७३१ रुपये और १९५५ में ९१४२१० रुपये खर्च किये। डाइरेक्टर आफ पब्लिक लाइब्रेरीज मद्रास के आफिस में सिस्टेम लाइब्रेरी स्थापित हुई जिसके द्वारा बालकों में पढ़ने की आदत का विकास किया गया।

१९५५ तक मद्रास में २८८८ पुस्तकालय और ९८० रीडिंग रूम हो चुके थे। इनसे ७१०५१११ व्यक्तियों ने २४४५९१० पुस्तकों का उपयोग किया था।

मद्रास लाइब्रेरी एसोसियेशन

यह एसोसियेशन बड़ी लगन और तत्परता से काम करता रहा। इसके अधिवेशन सफलतापूर्वक होते रहे। २० वाँ वार्षिक अधिवेशन ९ अप्रैल १९५५ में हुआ जिसमें मद्रास लाइब्रेरी ऐक्ट में लाइब्रेरी डाइरेक्टर की सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले की आलोचना की गई। संघ ने यह सिफारिश की कि ट्रेन्ड ग्रेजुएट लाइब्रेरियन को ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर का दर्जा स्कूलों और कालेजों में दिया जाय।

इस प्रदेश में कालेज लाइब्रेरियन्स का भी एक संगठन बना है जिसका प्रथम अधिवेशन २८ सितम्बर १९५० को Y M C A (मद्रास) में हुआ।

बङ्गाल प्रदेश

बंगाल लाइब्रेरी एसोसियेशन के अधिवेशन प्रति वर्ष होते रहे। १-४ अप्रैल १९५३ को सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या की अध्यक्षता में इसका एक वृहद अधिवेशन हुआ। २४-५-५३ ई० की एक बैठक में १६ वें ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में उत्तीर्ण २५ व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र दिए गए। इस एसोसियेशन ने 'पश्चिमी बंगाल लाइब्रेरी डायरेक्टरी' का भी काम अपने हाथ में ले लिया है। भारत के ट्रेनिंग कैम्प से इस एसोसियेशन की ओर लोग अधिक आकृष्ट हो गये हैं। बंगाल सरकार इसके क्रिया-कलापों से संतुष्ट हो कर ग्रान्ट भी दे रही है। बंगाल के पुस्तकालय-आन्दोलन में श्री प्रभात-कुमार बनर्जी भूतपूर्व लाइब्रेरियन शान्तिनिकेतन श्री विमलकुमार दत्त, वर्तमान लाइब्रेरियन शान्तिनिकेतन तथा श्री प्रमीलचन्द्र बसु, लाइब्रेरियन कलकत्ता यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आदि प्रमुख हैं। श्री प्रमीलचन्द्र जी तो जन्म-जात लाइब्रेरियन हैं और इस एसोसियेशन के प्राण हैं। 'ग्रंथागार' पत्रिका इस एसोसियेशन से प्रकाशित हो रही है।

इंडियन एसोसियेशन आफ स्पेशल लाइब्रेरीज ऐण्ड इन्फार्मेशन सर्विस

इसकी स्थापना डा० एस० एस० होरा की प्रेरणा से कलकत्ता में हुई। कार्य को संगठित करने के लिए योग्य व्यक्तियों के नेतृत्व में ६ उपविभाग बना कर काम प्रारम्भ कर दिया गया।

हैदराबाद

इस राज्य में एक 'ऑल हैदराबाद लाइब्रेरी एसोसियेशन' की स्थापना स्वाधीनताकाल में हुई। इसके द्वितीय अधिवेशन का सभापतित्व श्री के० जी० सैयदैन ऐडीशनल सेक्रेटरी, शिक्षा विभाग केन्द्रीय सरकार ने किया। उन्होंने अपने भाषण में इस बात पर बल दिया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक (१९६१) सभी राज्यों में स्टेट और जिला लाइब्रेरियों की स्थापना हो जायगी और उनके अपने भवन हो जायगे और वे सुयोग्य पुस्तकालयाध्यक्षों द्वारा संचालित होंगे।

संघ का तीसरा अधिवेशन सितम्बर १९५६ में हुआ जिसका उद्घाटन श्री पी० एन० शाबार महोदय (केन्द्रीय मन्त्री) ने किया। इस अवसर पर सेकण्ड लाइब्रेरी कान्फ्रेंस और पुस्तक-प्रदर्शनी आदि के भी आयोजन हुए। सेकण्ड लाइब्रेरी कान्फ्रेंस के सभापति श्री आर० एस० पारखी महोदय थे और श्री आर० एम० जोशी स्वागताध्यक्ष। पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन हैदराबाद के मुख्यमन्त्री श्री बी० बी० विन्नु ने किया।

डा० रामकृष्णन् ने भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हस्तलिखित ग्रंथों की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

मैसूर

मैसूर राज्य के विभिन्न केन्द्रों में हिन्दी पुस्तकालयों की स्थापना मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद् द्वारा की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने अहिन्दी प्रान्तों में हिन्दी प्रचार के लिए पाँच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी। मसूर सरकार ने अपने राज्य में हिन्दी के प्रचार पर हजारों रुपये खर्च किए। मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद् को आठ केन्द्रों में हिन्दी पुस्तकालय खोलने की आर्थिक सहायता दी गई। परिषद् ने ये पुस्तकालय-बंगलोर परिषद् के दफ्तर में शिरा आलेकल होलनेर, तलेवेन्नू नागपुर, मालूर और मल्लाड़ी हल्ली में खोले। ये पुस्तकालय स्थानीय समिति की देख-रेख में चल रहे हैं।

ट्रावनकोर कोचीन

ट्रावनकोर-कोचीन के संयुक्त राज्य बनने पर सरकार ने पुस्तकालयों की संख्या और बढ़ा दी। धीरे-धीरे १४८१ पुस्तकालय 'पुस्तकालय-संघ' की देख-रेख में चलने लगे। पुस्तकालयों की देख-रेख के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति हुई। पुस्तकों की संख्या में भी वृद्धि हुई और सन् १९५ में कुल पुस्तक-संख्या १२ ९८,७५० हो गई। सरकार २ पाई प्रति-व्यक्ति पुस्तकालय-सेवा पर व्यय कर रही है।

पुस्तकालय-संघ

ट्रावनकोर-कोचीन पुस्तकालय संघ' त्रिवेन्द्रम एक सुसंगठित संस्था है। इस संघ से १९५४-५५ के अन्त तक १५८५ पुस्तकालय सम्बद्ध हो गये थे। कम से कम ८०) की ग्रान्ट पुस्तकालयों को मिलती है। १९५४-५५ के अन्त तक ४१७ पुस्तकालयों के निजी घर बनाए गये। संघ के आयमाइजर इंस्पेक्टर और मरल समितियाँ पुस्तकालयों के काम को कन्ट्रोल करते हैं। १९५४-५५ में १७० ४१५ रुपये ग्रान्ट पुस्तकालयों को दी गई।

मध्य-प्रदेश

मध्य-प्रदेश राज्य पुस्तकालय संघ' का अधिवेशन २९ ३० अक्तूबर १९५५ को नेशनल लाइब्रेरी के डिप्टी लाइब्रेरियन श्री वाई० एम० मुले की अध्यक्षता में नागपुर में हुआ। नागपुर हाईकोर्ट के भूतपूर्व जज श्री डब्ल्यू० बी० पौराणिक स्वागताध्यक्ष थे। श्री मुले ने इस बात पर बल दिया कि अनिवार्य शिक्षा की भाँति सरकार को लाइब्रेरी ऐक्ट भी शीघ्र ही बनाना चाहिए। पुस्तकालय की देख-रेख का विभाग अलग होना चाहिए। इम्पिरियल लाइब्रेरी को वापस लाने के लिए प्रस्ताव पास किया गया और बाल साहित्य और नेशनल बुक ट्रस्ट की योजना के लिए सरकार को धन्यवाद दिया गया।

सौराष्ट्र

मेघजी पेथराज ट्रस्ट के ४ लाख रुपये के दान से सौराष्ट्र में ८०० लाइब्रेरी खोलने की योजना बनाई गई जिनमें से १०० पुस्तकालय पहले से ही ग्राम पंचायत की ओर से चल रहे हैं।

राजस्थान

२ अक्तूबर १९५५ को कुछ उत्साही पुस्तकालयाध्यक्षों ने जोधपुर नगर में 'जोधपुर लाइब्रेरी एसोसिएशन' की स्थापना की। २० जनवरी १९५६ को

बैठक में इसके मन्त्री श्री एन० एम० त्रिपाठी (लाइब्रेरियन बलवन्त कालेज) चुने गये ।

आन्ध्र

आन्ध्र प्रदेश में आन्ध्र युनिवर्सिटी वाल्टेयर के लाइब्रेरियन श्री ए० राम कृष्णराव की अध्यक्षता में ९–१०–५५ को एक बैठक लाइब्रेरियन और सीनियर स्टाफ की हुई, जिसमें 'आन्ध्र लाइब्रेरियन्स एसोसियेशन' बनाने का निश्चय किया गया। इसका उद्देश्य देश में लाइब्रेरियनशिप को बढ़ाना तथा पुस्तकालय कर्मचारियों की दशा और हैसियत में सुधार करना है। श्री ए० रामकृष्णराव इसके अध्यक्ष और श्री पं० सत्यनारायण पटनायक स० लाइब्रेरियन आन्ध्र युनिवर्सिटी मन्त्री चुने गए।

वेस्ट बंगाल लाइब्रेरी एसोसियेशन

एसोसिएशन का ९ वाँ अधिवेशन शिवपुर, कलकत्ता में ८–९ अप्रैल १९५५ ई० को हुआ। डा० बी० सी० राय ने कांफ्रेंस का उद्घाटन किया। कांफ्रेंस की अध्यक्षता श्री प्रभातकुमार मुकर्जी ने की। कांफ्रेंस के अवसर पर पुस्तकों की प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रसिद्ध पत्रकार डा० हेमेन्द्र प्रसाद घोष ने किया।

(१) सामाजिक शिक्षा और पुस्तकालयों का सहयोग।

(२) पुस्तकालय आन्दोलन में टेकनीशियनों का योगदान।

आदि विषयों पर विचार किया गया। कांफ्रेंस ने माँग की कि कलकत्ता युनिवर्सिटी पुस्तकालय-विज्ञान में मास्टर डिग्री कोर्स चालू करने के प्रश्न पर शीघ्रतापूर्वक विचार करे। प० बंगाल की सभी शिक्षण-संस्थाएँ अपने यहाँ ट्रेन्ड योग्य लाइब्रेरियन रखें और प्रकाशक लोग उत्तम पुस्तकों के उत्पादन में वृद्धि करें।

पुस्तकालयाध्यक्षों का सहयोग

इस साल में अनेक प्रान्तों ने तथा विदेश रूप से कुछ पुस्तकालयों ने डा० रंगनाथन् का सहयोग चाहा। फारेस्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट लाइब्रेरी देहरा-दून इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ साइंस और युनिवर्सिटी आफ बम्बई लाइब्रेरी के अनुरोध पर डा० रंगनाथन् जी ने उनका निरीक्षण किया और उनके पुनर्गठन के लिए अनेक सुझाव दिए।

लाइब्रेरियन कांफ्रेंस

२० सितम्बर १९५६ को केन्द्रीय शिक्षा-विभाग की ओर से दिल्लीमें

पुस्तकालयाध्यक्षों का एक सम्मेलन हुआ। इसमें दो प्रकार के लोग थे। एक तो वे पुस्तकालयाध्यक्ष जो फ़ोर्ड फ़ौन एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्रैम के अन्तर्गत १९५५ ई० में संयुक्तराष्ट्र अमेरिका गए थे और दूसरे वे पुस्तकालयाध्यक्ष थे जो इसी प्रोग्रैम के अन्तगत १९५६ में जाने वाले थे। इस सम्मेलन का उद्‌घाटन शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी श्री के० जी सैयदेन महोदय ने किया और निर्देशक थे नेशनल लाइब्रेरियन श्री बी० एस० केशवन्। इस सम्मेलन के सदस्य तीन दलों में स्वतः विभक्त हो गए। इन दलों के नेता थे श्री सतीशचंद्र श्री एस० एस० सेठ और श्री एस० दास गुप्ता। इस सम्मेलन में दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री डा० बी० के० आर वी राव यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सेक्रेटरी डा० देशमुख मथाई, फ़ोर्ड फौन प्रोग्रैम के अमेरिकन पक्ष के प्रधान डा० यकमैन के भी भाषण हुए। इस आयोजन का उद्देश्य यह था कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को जाने वाले दल के लोग १९५५ में यात्रा करके आए हुए दल के लोगों के अनुभवों और विचारों से पूर्णत परिचित हो जायें और उनसे लाभ उठा सकें। इसलिए उपर्युक्त तीन दलों के विषय भी अलग कर दिए गये थे जो इस प्रकार थे —

[१] राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालयों का संगठन और संचालन तथा कर्मचारियों का प्रशिक्षण।

[२] सूचीकरण, और वितरण सेवा के कुछ यंत्रीकरण विवरण सहित (यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के दृष्टिकोण से)।

(३) पुस्तकालय भवन एवं पुस्तकालय-विस्तार-सेवा (कालेज स्तर पर)।

इन दलों ने आपस में अपने विषयों पर भलीभांति विचार-विनिमय किया और अंत में प्रत्येक दल ने अपनी रिपोर्ट और सुझाव अन्तिम सेशन के लिए पेश किया। सब दलों के सुझावों और सिफारिशों पर बहस और विचार-विनिमय हुए और अंत में उन्हें स्वीकार किया गया।

(क) पुस्तकालयाध्यक्षों की विदेश-यात्राएँ

स्वतन्त्र भारत का अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध अनेक देशों से स्थापित हो जाने पर पुस्तकालयाध्यक्षों को विदेशों में जाकर पुस्तकालय-संगठन और संचालन सम्बन्धी विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने के अनेक अवसर मिले। अनेक लाइब्रेरियन विदेशों में गए और वहाँ से ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करके लौटे।

हीट कोन एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम

इस योजना के अन्तर्गत पहली ट्रिप में निम्नलिखित व्यक्तियों ने ९ फरवरी १९५४ ई० को ५ महीने की संयुक्त राष्ट्र की विशेष यात्रा की —

१ श्री एस० दासगुप्ता, अध्यक्ष लाइब्रेरी साइन्स विभाग दिल्ली यूनि०।

२ श्री एस० बशीरुद्दीन, लाइब्रेरियन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी।

३ श्री नबी अहमद, जामिया मिलिया नई दिल्ली।

४ श्री अमरनाथ शर्मा, लाइब्रेरियन दिल्ली पोलीटेक्निक।

५ श्री जे० एस० आनन्द, लाइब्रेरियन सेंट्रल एजुकेशनल लाइब्रेरी।

६ श्री एस० रामभद्रन्, असिस्टेंट लाइब्रेरियन दिल्ली यूनिवर्सिटी।

७ श्री एम० बी० बखोलकर, असिस्टेन्ट लाइब्रेरियन टाटा इन्स्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च बम्बई।

८ श्री के० आर० देसाई, लाइब्रेरियन गुजरात यूनिवर्सिटी।

९ श्री पी० सी० बोस, लाइब्रेरियन कलकत्ता यूनिवर्सिटी।

१० श्री बी० सी० बनर्जी असिस्टेन्ट लाइब्रेरियन विश्व भारती शान्ति-निकेतन।

११ श्री डी० सी० सरकार, लाइब्रेरियन बंगाल इंजीनियरिंग कालेज।

१२ श्री बी० बी० राघवेन्द्र राव, लाइब्रेरियन इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ साइन्स बंगलौर।

इन्होंने वहां सेमिनार वाद-विवाद आदि में भाग लिया। अमेरिकन लाइब्रेरी असोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित हुए और वहां स्टेट्स की यूनिवर्सिटी पुस्तकालयों को देखा। लाइब्रेरी आफ कांग्रेस वाशिंगटन को देखा तथा अन्य क्रिया-कलाप में भी भाग लिया। ये लोग जुलाई के अन्तिम सप्ताह में लौटे। २८ जुलाई को सायंकाल ६ बजे उनका स्वागत दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन की ओर से किया गया।

इस योजना के अन्तर्गत दूसरी ट्रिप में निम्नलिखित ११ लाइब्रेरियनों का दूसरा दल २९ फरवरी ५६ को पांच मास की अध्ययन यात्रा पर गया है —

१ श्री बर्नार्ड फर्गुसन — बम्बई

२ श्री प्रभातकुमार मुकर्जी — आगरा

३ श्री कृष्ण श्रीपत देशपाण्डे — कर्नाटक यूनिवर्सिटी, धारवार

४ श्री जनार्दन मल्लेश्वर कान्तिकर, इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक ऐड, नई दिल्ली।

५ श्री अशोक कुमार बनर्जी, इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी, खड़गपुर।

६ श्री बनारसी लाल पाठक सागर यूनिवर्सिटी सागर।

७ श्री विनयेन्द्रसेन गुप्ता नेशनल लाइब्रेरी

८ श्री सरदार ताशसिंह, लखनऊ यूनिवर्सिटी।

९ श्री पी० के० त्रिवेदी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी।

१० श्री कृष्णजी शंकर हिंग्वे पूना यूनिवर्सिटी।

डा० रंगनाथन् ने योरप और अमेरिका की बहु-उद्देशीय यात्रा ७ जून सन् १९४८ से अक्टूबर १९४८ तक की। उनकी यात्रा के निम्नलिखित कारण थे —

१ 'इंटरनेशनल फेडरेशन फार डाकुमेन्टेशन' ने 'क्लैसीफिकेशन ऐण्ड इंटरनेशनल डाकुमेन्टेशन' पर एक स्मृति-पत्र के लिए प्रार्थना की थी।

२ हेग में जून १९४८ में एफ० आई० डी० की कांग्रेस में भाग लेने का निमन्त्रण मिला था।

३ ब्रिटिश कामनवेल्थ का निमन्त्रण था कि वे दो मास तक उसके अतिथि के रूप में देशविदेश देखें।

४ इण्डियन स्टैण्डर्ड इंस्टीट्यूशन के प्रतिनिधियों के नेता के रूप में आई० एस० ओ० की छठीं बैठक में भाग लेना था जो हेग में होने वाली थी।

५ दिल्ली यूनिवर्सिटी का निर्मत्रण था कि वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि की हैसियत से राष्ट्रमण्डल की यूनिवर्सिटियों की कांग्रेस में जुलाई १९४८ को आक्सफोर्ड में शामिल हों।

६ भारत के केन्द्रीय शिक्षा-विभाग की इच्छा थी कि डा० समूचे यूरोप के कुछ देशों का भ्रमण करें और सामान्य रूप से पुस्तकालय-जगत् के नव विकास का और विशेष रूप से नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी के विषय में अध्ययन करें।

७ संयुक्त राष्ट्र का निमंत्रण था कि उसके पुस्तकालय-विशेषज्ञों की अन्तर्राष्ट्रीय ऐडवाइजरी कमेटी में भाग लें।

८ यूनेस्को के अन्तर्राष्ट्रीय लाइब्रेरियनशिप के स्कूल की कमेटी के एक सदस्य हो जायें जो कि इंगलैण्ड में सितम्बर १९४८ में होने वाली थी।



श्री ग्लोब एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम

के

अन्तर्गत दूसरी ट्रिप के साइबेरियन

यूथ अमरिकन विद्यार्थियों के साथ

९. इण्डियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की प्रार्थना थी कि उसके प्रतिनिधि के रूप में इंटरनेशनल फेडरेशन आफ लाइब्रेरी एसोसिएशन के १४ वें सेशन में सितम्बर १९४८ में लन्दन में भाग लें।

उन्होंने विदेशों में नेशनल लाइब्रेरी सिस्टम, सिटी लाइब्रेरी सिस्टम, ग्राम पुस्तकालय सिस्टम, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और व्यापारिक लाइब्रेरियों का अध्ययन किया।

इनके अतिरिक्त निम्नलिखित लाइब्रेरियनों ने फुटकर सुविधाओं के अन्तर्गत विदेश यात्रा की और पुस्तकालय-सम्बन्धी गम्भीर अनुभव प्राप्त किया—

श्री जनार्दन, लाइब्रेरियन कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास यूनेस्को की मीटिंग में सम्मिलित होने के लिए मैनचेस्टर गये।

श्री वी० एस० केशवन नेशनल लाइब्रेरियन चार महीने की अध्ययन यात्रा पर फरवरी १९५१ में अमेरिका गए। उन्होंने वहाँ पुस्तकालयों के उच्च संचालकों से सम्पर्क स्थापित किया और अनेक पुस्तकालयों का निरीक्षण किया।

श्री एस० एस० सेठ, लाइब्रेरियन इम्पीरियल सेक्रेटेरियट भारत सरकार द्वारा मुन्ताज ट्रैवेल प्राप्त था कर स्मिथ मुन्ट (Mundt) फेलोशिप के अन्तर्गत अमेरिका में ९ मास वाशिंगटन लाइब्रेरी में लाइब्रेरी साइंस में रिसर्च करने में बिताया। श्री विमलकुमार दत्त (लाइब्रेरियन शान्ति निकेतन लाइब्रेरी) भी उक्त फेलोशिप के अन्तर्गत गए और लौटते समय अनेक देशों के पुस्तकालयों को देखा।

श्री एम० एम० एल० टंडन ने यूनेस्को फेलोशिप के अन्तर्गत पुस्तकालय-संगठन एवं सामाजिक शिक्षा का ९ मास अध्ययन करने के लिए यू० एस० ए० और इंगलैण्ड की यात्रा की।

श्रीमती कमला कपूर, यू०एस०आई०एस० लाइब्रेरी नई दिल्ली ने एक्सचेंज एण्ड ओरिएन्टेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत यू० एस० ए० अध्ययन के लिए गईं।

श्री हरिदेव शर्मा एम०ए० लाइब्रेरियन डी० ए० वी० कालेज, जालंधर ने २॥ वर्ष अमेरिका में बिताया। उन्होंने मिशिगन यूनिवर्सिटी से ए० एम० एल० एस० परीक्षा जून १९५५ में पास की। उन्होंने ब्रूकलेन पब्लिक लाइब्रेरी न्यूयार्क में काम भी किया तथा लौटते समय अन्य देशों के पुस्तकालयों को भी देखा।

श्री एन० एम० केसकर महोदय ने १९५१ में 'कोलम्बिया यूनिवर्सिटी स्कूल आफ लाइब्रेरी सर्विस' में ट्रेनिङ्ग ली।

डा० जगदीशशरण शर्मा, ने दो बार पुस्तकालय-विज्ञान सम्बन्धी विशेष अध्ययन के लिए विदेश यात्रा की। पहली बार १४ अगस्त १९४८ ई० को प्रस्थान करके अमेरिका की मिशिगन युनिवर्सिटी से ए० एम० एल० एस० की परीक्षा पास करके १४ अगस्त १९५० को स्वदेश लौटे। दूसरी बार मिशिगन विश्वविद्यालय से एक फैलोशिप पाने पर राष्ट्रपिता बापू की बिब्लियोग्रैफी को रिसर्च विषय के रूप में लेकर १० जुलाई १९५२ को फिर अमेरिका गए और वहाँ मिशिगन युनिवर्सिटी से पी० एच० डी० की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद अनेक बड़े-बड़े पुस्तकालयों की कार्य-प्रणाली को देख कर सितम्बर १९५४ को भारत लौटे।

नेशनल लाइब्रेरी के श्री बैद्यनाथ बन्द्योपाध्याय चौधरी को ग्रांट कोलम्बो प्रोग्राम के अन्तर्गत पुस्तक-सुरक्षा और जिल्द बंदी के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया।

स्वाग, नटराजन (इंडियन नेशनल बिब्लियोग्रैफी विभाग) को लाइब्रेरी आफ कांग्रेस में बिब्लियोग्रैफिकल अध्ययन के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति ग्यारह माह के लिए प्राप्त हुई।

इसके अतिरिक्त श्री राधेश्याम सक्सेना (लखनऊ) तथा मिस थामस (ऐग्रिकल्चर इन्स्टीट्यूट नैनी लाइब्रेरी) आदि ने भी प्रशिक्षण के लिए विदेश यात्राएँ कीं।

पुस्तकालयाध्यक्षों का सम्मान

पुस्तकालय-विज्ञान को स्वतंत्र विषय स्वीकार करने और लाइब्रेरी प्रोफेशन को सम्मान देने के लिए इस बीच कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए—

अन्तिम गवर्नर जनरल माउन्टबेटन ने दिल्ली युनिवर्सिटी के वाइसचान्सलर की हैसियत से डा० एस० आर० रंगनाथन् को ७ मार्च १९४८ ई० के स्पेशल कन्वोकेशन में आनरेरी डी० लिट० (डाक्टर आफ लेटर्स) की उपाधि प्रदान की। इस अवसर पर डा० साहब को अनेक पुस्तकालयाध्यक्षों की ओर से बधाई के संदेश भी प्राप्त हुए।

भारत सरकार ने डा० रंगनाथन् जी को उनकी पुस्तकालय-सम्बन्धी बहुमूल्य सेवाओं के उपलक्ष में 'पद्म-भूषण' उपाधि से अलंकृत किया।

अलीगढ़ युनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन श्री एस० बशीरुद्दीन साहब को अमेरिका से लौटने पर युनिवर्सिटी सीनेट ने प्रोफेसर ग्रेड (८०० से १२५० रु० पर नियुक्त करके उनको सम्मानित किया।

श्री एस० दास गुप्ता महोदय को भी प्रोफेसर पद प्रदान किया गया।

डा० रंगनाथन् का महान् त्याग

भारतीय पुस्तकालय-जगत् के महान् विद्वान् डा० रंगनाथन् ने अपने जीवन भर की कमाई उस भारतीय विश्वविद्यालय को देने की घोषणा की जो उतनी ही रकम अपनी ओर से मिला कर पुस्तकालय-विज्ञान के विशेष अध्ययन और शोध के लिए एक 'चेयर' स्थापित कर सके। सभी ने इस उदारता की मुक्तकंठ से सराहना की है।

स्वाधीन भारत में पुस्तकालय-विज्ञान-सम्बन्धी साहित्य का विकास

१९४७ कुन्नकर, नायर बी	लाइब्रेरी मूवमेंट इन ट्रावनकोर।
१९४७	लाइब्रेरीज ऐण्ड मास एजुकेशन।
१९४७ नागभूषणम्, जी	लाइब्रेरीज ऐण्ड रजिस्ट्रेशन।
रंगनाथन्, एस० आर०	कोलन क्लैसीफिकेशन आफ तेलगु लिटरेचर।
१९४७	लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान विद ए ड्राफ्ट लाइब्रेरी बिल फार द प्राविन्स आफ बाम्बे।
१९४८-४९ इण्डिया हेल्थ सर्विसेज -डाइरेक्टर जनरल आफ-	कन्सोलीडेटेड कैटलाग आफ जरनल्स ऐण्ड पीरियाडिकल्स इन द लाइब्रेरीज आफ सण्ट्रल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आफ इंडिया।
१९४८ कुपालकर, पी० बी०	ग्रन्थालयी वर्गीकरण।
१९४८ कोल्हाटकर, पी० पी०	ग्रन्थालयी सूचीकरण।
१९४८ रंगनाथन्, एस० आर०	एजुकेशन फार लेजर।
१९४८	क्लासीफिकेशन एण्ड इण्टरनेशनल डाकुमेण्टेशन।
१९४८	प्रीफेस टु लाइब्रेरी साइंस।
१९४८ मोठानाथ 'विमल'	पुस्तकालय-परिचय।
१९४८ मथुराप्रसाद आदि	पुस्तकालय।
१९४९ नागभूषणम्, जी०	ग्रन्थालय गीतालु।
१९४९ पारखी, आर० एस०	ग्रन्थ और ग्रंथालय।

१९४९	रंगनाथन्, एस० आर०	लाइब्रेरी डवलपमेंट प्लान विद ए ड्राफ्ट लाइब्रेरी बिल फार द मद्रास प्राविंसेज।
१९४९	हिंग्वे, के० एस	इतिहासाचे वर्गीकरण।
१९५०	नागभूषणम् , जी०	क्लैसीफिकेशन आफ तेलगु बुक्स।
१९५०	नागभूषणम्, जी	ग्रन्थालय भूषण्।
१९५०		लाइब्रेरी पब्लिसिटी ऐण्ड एक्सटेन्शन वर्क।
१९५०	पारखी, आर० एस०	प्रिंसिपल्स आफ लाइब्रेरी क्लैसीफिकेशन विद स्पेशल रिफरेंस टु कोलन ऐण्ड डेसिमल क्लैसीफिकेशन।
१९५०	रंगनाथन् एस० आर०	क्लैसीफिकेशन कोडिङ्ग ऐण्ड मैशीनरी फार सर्च।
१९५०		ग्रन्थ अध्ययनार्थ है (अनु० मुरारीलाल नागर)।
१९५०	ऐण्ड कौल पी० एन० कोरानी, टी० एन०	यूनियन कैटलाग आफ पीरियडिकल्स पब्लिकेशन्स इन द लाइब्रेरीज आफ साउथ एशिया।
१९५०	रंगनाथन्, एस० आर०	लाइब्रेरी कैटलाग फण्डामेंटल्स ऐण्ड प्रोसीजर।
१९५०	रंगनाथन्, एस० आर०	लाइब्रेरी डवलपमेंट प्लान।
१९५०	हिन्दी समाचार-पत्र संग्रहालय, हैदराबाद	हिन्दी समाचार-पत्र सूची।
१९५१	इण्डियन लाइ० एसोसियेशन	इण्डियन लाइब्रेरी डाइरेक्टरी सम्पादक रङ्गनाथन् एस० आर० तथा गुप्ता एस० और सपनानन्द।
१९५१	कुबेर, एम०	ग्रैफिकल मैटेरियल्स।
१९५१		शाहान मुगलिया के कुतुबखाने।
१९५१	नवकोंकण प्रकाशन	पंथामृत।
१९५१	नागभूषणम् , पी०	रीडिंग रूम।
१९५१	पेंडसे, एस० पी० सम्पा०	मराठी ग्रन्थालया चा इतिहास।
१९५१	घोष, पी० सी०	ग्रन्थागारम्।

१९५१	महाराष्ट्र ग्रंथालय संघ	विषय व ग्रन्थ वर्गीकरण सहाय के कोषक।
१९५१	रंगनाथन, एस॰ आर॰	क्लासीफिकेशन ऐण्ड कम्युनिकेशन।
१९५१	" "	लाइब्रेरी मैनुअल।
१९५१		ग्रन्थालय प्रक्रिया (अनु॰ मुरारिलाल नागर)।
१९५१		फिलासफी आफ लाइब्रेरी क्लैसी-फिकेशन।
१९५१	विश्वनाथ शास्त्री	पुस्तकालय प्रवेशिका।
१९५२	भारत सरकार-शिक्षा विभाग	लाइब्रेरीज इन इंडिया (डाइरेक्टरी)
१९५३		नेशनल लाइब्रेरी आफ इण्डिया।
१९५३	रंगनाथन्, एस॰ आर॰	अनुवर्ग-सूची-कल्प (अनु॰ मुरारीलाल नागर)।
१९५४	विश्वनाथन, सी॰ जी॰	कैटलागिङ्ग थ्योरी ऐण्ड प्रैक्टिस।
१९५५	"	पब्लिक लाइब्रेरी विद स्पेशल रिफ्रेंस टु इंडिया।
१९५५	इन्द्रदेवनारायण सिन्हा	ए गाइड टु लाइब्रेरियन।
१९५५	जगदीशशरण शर्मा (डा॰)	: महात्मा गांधी ए सिलेक्टिव बिब्लियोग्राफी।
१९५५	" "	: जवाहरलाल नेहरू ए सिलेक्टिव बिब्लियोग्राफी।
१९५६	" "	: विनोबा ऐण्ड भूदान।
१९५६	" "	इंडियन नेशनल कांग्रेस रेडकुकर।
१९५६	नेशनल इनफर्मेशन सर्विस, पूना	: गिफर गाइड टु इण्डियन पीरियडिकल्स १९५५-५६।
१९५६	अनुज शास्त्री	पुस्तकालय क्यों और कैसे?
१९५६	द्वारकाप्रसाद शास्त्री	: पुस्तकालय संगठन और संचालन।
१९५६	विमलकुमार दत्त	: प्रैक्टिकल गाइड टु लाइब्रेरी प्रोसीजर
१९५७	द्वारकाप्रसाद शास्त्री	पुस्तकालय-विज्ञान
१९५७	" "	: भारत में पुस्तकालयों का उद्भव और विकास।

★

अध्याय १०

भारत में पुस्तकालयों का भविष्य

सिंहावलोकन

इस पुस्तक के पिछले अध्यायों के अध्ययन करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत में पुस्तकालयों की एक शानदार परम्परा रही है। ग्रंथों के संग्रह और उनके संरक्षण और उपयोग के प्रति भारतीय रुचि प्राचीन काल से उत्तम रही है। हमारे केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्री माननीय मौलाना आजाद महोदय ने १ अक्टूबर १९५५ को यूनेस्को सेमिनार का उद्घाटन करते हुए विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को भी भारतीय पुस्तकालय-परम्परा का दिग्दर्शन कराते हुए कहा था —

"इस समय यह बात विशेष रूप से स्पष्ट हो जाती है जब हम अपने अतीत के इतिहास का स्मरण करते हैं। ऐसा नहीं है कि अतीत में भारतवर्ष में पुस्तकालयों का अभाव रहा हो। प्राचीन विश्वविद्यालयों और बौद्ध विश्वविद्यालयों में विशाल पुस्तकालयों के निर्माण की परम्परा रही है। मध्य युग से सुल्तानों के काल में और तत्पश्चात् मुगल सम्राटों में भी पुस्तकों के प्रति अत्यधिक प्रेम विद्यमान था। वास्तव में मुगलकाल में प्रत्येक अमीर के लिए अपना निजी पुस्तकालय बना लेने की एक प्रथा सी चल पड़ी थी। जब तक कि उसके पास अपना पुस्तकालय नहीं होता था, उसे राज्य से सम्मानित उच्चवर्गीय व्यक्ति नहीं समझा जाता था।"

उपयुक्त उद्धरण एक सूत्र रूप में है जिसकी पर्याप्त व्याख्या पिछले अध्यायों में मिल सकेगी। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि हमारी संस्कृति में पुस्तकालयों का इतना महत्वपूर्ण स्थान था तो देश में इतने व्यापक स्तर पर निरक्षरता क्यों फैल गई? इसके कारण का संकेत भी इस पुस्तक के पिछले अध्यायों में यत्र-तत्र कर दिया गया है। केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्री महोदय ने अपने उक्त उद्घाटन भाषण में इसी बात को स्पष्ट करते हुए प्रतिनिधियों को बताया था —

"कुछ भी हो इन पुस्तकालयों का लाभ राजवंशों तथा कुछ अमीरों तक ही सीमित था। परिणाम-स्वरूप ज्ञान-क्षेत्र का विस्तार

सर्वसाधारण जनता तक नहीं हो सका। भारत के योरप से पीछे रह जाने का एक मुख्य कारण वास्तव में पुस्तकालयों का उपयोग कुछ चुने हुए लोगों के लिए ही नियन्त्रित होना भी है। अतः आज प्रजातान्त्रिक भारत ने अपने अतीत से शिक्षा-ग्रहण की है और ज्ञान-प्राप्ति के साधनों को अपनी समस्त सन्तानों के लिए सुगम बनाने में लगा है।"

यह सत्य है कि भारत की ज्ञान-प्रसारक अनेक एजेंसियों में धीरे-धीरे शिथिलता आती गई। धर्म-गुरु तथा वीतराग साधु-संन्यासी कथा प्रवचन एवं उपदेशों के द्वारा जनता के बौद्धिक स्तर को ऊँचा उठाने के बजाय किसी दूसरी ही धारा में बह गए। पुस्तकालयों में संचित ज्ञान-राशि पर कुछ विशिष्ट वर्गों का एकाधिकार छा ही गया। राजनीतिक उथल-पुथल का भी घातक प्रहार हुआ। फलतः हमारे ज्ञान-स्रोत सूख गए और हम उन देशों से बौद्धिक विकास में पीछे रह गए जिनके निवासी हमारी सभ्यता के उस काल में अज्ञानग्रस्त और अशिक्षित थे।

पुनर्जागरण

यह हर्ष की बात है कि स्वाधीनता काल में अनेक संघर्षों के बीच गुजरते हुए भी भारत ने पुस्तकालय-क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त की है। यूनेस्को सेमिनार में पुस्तकालय सम्बन्धी भारतीय नीति को स्पष्ट करते हुए माननीय केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्री महोदय ने कहा था —

"जिन देशों ने प्रजातान्त्रिक शासन-प्रणाली को सार्वजनिक रूप से चुना है, वे अपनी अधिकांश प्रजा को अविकसित और अज्ञानी नहीं बनाए रख सकते। किसी राष्ट्र की स्थिति उसका स्तर, सम्मान और भविष्य अन्त में वहाँ की जन-शक्ति के गुणों पर ही निर्धारित होता है। हम लोगों को पुस्तकालय-सम्बन्धी सुविधाओं की उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए जिससे शेष संसार के साथ भविष्य में आने वाले अवसरों को हम अपने समस्त नागरिकों को प्रदान कर सकें।"

हमारे प्रधान मन्त्री पण्डित नेहरू ने तो अनेक अवसरों पर यह इच्छा व्यक्त की है कि 'हर गाँव में एक पुस्तकालय' की स्थापना हो। अन्य अखिल भारतीय एवं प्रान्तीय राजनीतिक एवं सामाजिक नेताओं ने भी पुस्तकालय की महत्ता स्वीकार की है और इसे जन-जीवन का आवश्यक अङ्ग कहा है। इन विचारों से तथा केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारों द्वारा किए गए पुस्तकालय-

विकास सम्बन्धी कार्यों से यह स्पष्ट है कि सम्पूर्ण देश में पुस्तकालय सम्बन्धी पुनर्जागरण की एक लहर दौड़ गई है और एक नया सूत्रारम्भ हो गया है। प्रत्येक क्षेत्र के विद्वानों के साथ पुस्तकालय-क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान् डा० रंगनाथन् जी को डाक्टरेट और पद्मविभूषण उपाधि से अलंकृत किया जाना विदेशों में उनके मौलिक विचारों का स्वागत भारतीय पुस्तकालयाध्यक्षों की विदेश यात्राएँ और उनके वेतन-स्तर में वृद्धि महिलाओं का भी इस क्षेत्र में सहर्ष प्रवेश और प्रशिक्षण प्राप्त करना सतत प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्षों की मांग पुस्तकालय-विज्ञान के प्रशिक्षण की सभी अंचलों में व्यवस्था लाइब्रेरी इक्विपमेन्ट सप्लाई करने वाली अनेक कम्पनियों की स्थापना पुस्तकालयों के वैज्ञानिक संगठन और संचालन पर जोर दिया जाना तथा पुस्तकों के संरक्षण से अधिक उनके उपयोग पर ध्यान देना आदि ऐसी बातें हैं जिनसे पुनर्जागरण की पुष्टि होती है। अखिल भारतीय स्तर पर प्रत्येक जिले को केन्द्र मान कर पुस्तकालयों को सब-सुलभ बनाने की योजना प्रदेशों में पुस्तकालयों का सर्वेक्षण विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं को पुस्तकालय-विकास के लिए विशिष्ट अनुदान तथा विभिन्न रूपों के नए पुस्तकालयों की स्थापना और विकास आदि कार्य भारत में पुस्तकालयों के उज्ज्वल भविष्य के द्योतक हैं।

ऐसा होते हुए भी हम निःसंकोच कह सकते हैं कि अभी हमारा लक्ष्य बहुत दूर है और वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी अनेक महत्वपूर्ण काम अपेक्षित हैं। हमें आशा है कि 'लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी' के विद्वान् सदस्य उन समस्याओं की ओर विशेष रूप से ध्यान देंगे और उनके समाधान का समुचित सुझाव भी प्रस्तुत करेंगे जिसके फलस्वरूप हमारे पुस्तकालय भारत के बौद्धिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक उत्थान में सहायक हो सकेंगे।



अनुक्रमणिका

विकास सम्बन्धी कार्यों से यह स्पष्ट है कि सम्पूर्ण देश में पुस्तकालय सम्बन्धी पुनर्जागरण की एक लहर दौड़ गई है और एक नया युगारम्भ हो गया है। प्रत्येक क्षेत्र के विद्वानों के साथ पुस्तकालय-क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान् डा० रंगनाथन् जी को डाक्टरेट और पद्मविभूषण उपाधि से अलंकृत किया जाना विदेशों में उनके मौलिक विचारों का स्वागत भारतीय पुस्तकालयाध्यक्षों की विदेश यात्राएँ और उनके वेतन-स्तर में वृद्धि महिलाओं का भी इस क्षेत्र में बहुत प्रवेश और प्रशिक्षण प्राप्त करना उच्च प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्षों की माँग पुस्तकालय-विज्ञान के प्रशिक्षण की सभी संस्थाओं में व्यवस्था लाइब्रेरी इक्विपमेंट सप्लाई करने वाली अनेक कम्पनियों की स्थापना पुस्तकालयों के वैज्ञानिक संगठन और संचालन पर जोर दिया जाना तथा पुस्तकों के संरक्षण से अधिक उनके उपयोग पर ध्यान देना आदि ऐसी बातें हैं जिनसे पुनर्जागरण की पुष्टि होती है। अखिल भारतीय स्तर पर प्रत्येक जिले को केन्द्र मान कर पुस्तकालयों को सब-सुलभ बनाने की योजना प्रदेशों में पुस्तकालयों का सर्वेक्षण विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं को पुस्तकालय-विकास के लिए विशिष्ट अनुदान तथा विविध रूपों के नए पुस्तकालयों की स्थापना और विकास आदि कार्य भारत में पुस्तकालयों के उज्ज्वल भविष्य के द्योतक हैं।

इतना होते हुए भी हम निःसंकोच कह सकते हैं कि अभी हमारा लक्ष्य बहुत दूर है और वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी अनेक महत्त्वपूर्ण काम अपेक्षित हैं। हमें आशा है कि 'लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी' के विद्वान् सदस्य इन समस्याओं की ओर विशेष रूप से ध्यान देंगे और उनके समाधान का समुचित सुझाव भी प्रस्तुत करेंगे जिसके फलस्वरूप हमारे पुस्तकालय भारत के बौद्धिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक उत्थान में सहायक हो सकेंगे।



अनुक्रमणिका



सहायक सामग्री

आजादी के सात वर्ष	भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय।
इण्डियन लाइब्रेरी डाइरेक्टरी	इण्डियन लाइब्रेरी एसोसिएशन
एजुकेशन इन मुस्लिम इण्डिया	जफर।
ऐन्शियन्ट इण्डियन एजुकेशन	राधाकुमुद मुकर्जी।
डाइरेक्ट्री आफ आंध्र लाइब्रेरीज	आंध्र लाइब्रेरी एसोसिएशन।
दि अल्फाबेट	डेविड डिरिंगर।
दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी	
प्लान हाउ इट आफर्स यू	डी॰ आर॰ कालिया।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	भारत सरकार-शिक्षा-विभाग।
नेशनल लाइब्रेरी इन इण्डिया	"
पुस्तकालय	पुस्तक जगत पटना।
प्रथम पंचवर्षीय योजना	भारत सरकार-पब्लिकेशन ब्रांच।
प्राचीन भारत	डा॰ रमाशंकर त्रिपाठी।
प्राचीन-भारत	एन॰ एन॰ घोष।
प्राचीन भारतीय लिपिमाला	श्री गौरीशंकर हीराचन्द ओझा।
बड़ौदा लाइब्रेरी मूवमेण्ट	कुडालकर, जे॰ एस॰।
भारत के प्राचीन पुस्तकालय	ओंकारनाथ श्रीवास्तव।
भारत में अंग्रेजी राज्य	सुन्दरलाल।
भारतवर्ष का इतिहास	डा॰ ईश्वरी प्रसाद।
भारतीय शिक्षा का इतिहास	प्यारेलाल रावत
भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास	बंशीधर सिंह, पूर्णेन्दु शास्त्री।
मराठी ग्रन्थालयों का इतिहास	पैठणे एस॰ बी॰ संपा॰।
लाइब्रेरीज इन इण्डिया	भारत सरकार-शिक्षा मन्त्रालय।
लाइब्रेरीज डवलपमेण्ट प्लान	डा॰ एस॰ आर॰ रंगनाथन्

लाइब्रेरी मूवमेण्ट	मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ।
लाइब्रेरी मूवमेण्ट	रमन नाई० एस० पी० ।
लाइब्रेरी मूवमेण्ट इन ट्रावनकोर	कुमारन नायर, पी० ।
शाहान मुगलिया के कुतुबखाने	जुबैर० एम०
सिंधु-सभ्यता	डा० सतीशचन्द्र काला ।
हिस्ट्री आफ नालन्दा	संकालिया ।

भारतीय पुस्तकालय-जगत की निम्नलिखित पत्रिकाओं की पुरानी और नई फाइलों से भी सहायता ली गई है —

मधगिरा

इण्डियन लाइब्रेरियन

ग्रन्थालय

जर्नल आफ ऑल इण्डिया लाइब्रेरी एसोसिएशन

पुस्तकालय

पुस्तकालय-संदेश

माडर्न लाइब्रेरियन

लाइब्रेरी बुलेटिन

इसके अतिरिक्त 'गंगा पुरातत्वांक', हिन्दी प्रचारक प्रकाशन 'समाचार तथा कुछ पुरातन पत्रिकाओं की फाइलों यूनिवर्सिटी कमीशन एवं हायर सेकेण्डरी एजुकेशन कमीशनों की रिपोर्टों राजकीय गजट तथा सरकारी शिक्षा विभागों के वार्षिक विवरणों से भी सहायता ली गई है।